दश माला, खंड 15, अंक 13

FOR REFERNCE ONLY.
NOT TO BE ISSUED

मंगलवार, 13 मार्च, 2001
22 फाल्गुन, 1922 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. 3...51
Date... 11/10/01

(खण्ड 15 में अंक 11 से 21 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी०सी० चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डॉ० राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 15, छठा सत्र, 2001/1922 (शक)]

अंक 13, मंगलवार, 13 मार्च, 2001/22 फाल्गुन, 1922 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	222, 223, 225, 227 और 228	1-29
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	221, 224, 226 और 229 से 240 . .	29-47
अतारांकित प्रश्न संख्या	2271 से 2474	47-313
सभा पटल पर रखे गए पत्र		313-316
प्राक्कलन समिति		
इक्कीसवां और अड़तीसवां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) तथा दूसरा प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा).		316
लोक लेखा समिति		
विवरण		317
पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति		
विवरण		317
याचिका का प्रस्तुतीकरण .		317
नियम 377 के अधीन मामले		349-354
(एक)	धान उत्पादकों, विशेष रूप से चिमूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र में धान उत्पादकों को उनकी फसल के लिए लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे.	349
(दो)	उड़ीसा के क्योंझर जिले में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री अनन्त नायक	349
(तीन)	पंजाब के निजी रूप से संचालित तथा सरकार द्वारा मान्यता और सहायता प्राप्त स्कूल, सेवानिवृत्ति लाभ योजना, 1992 को चण्डीगढ़ की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों पर भी लागू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री पवन कुमार बंसल .	350
(चार)	उड़ीसा के नवरंगपुर में केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री परसुराम मांझी . .	350

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(पांच) मध्य प्रदेश के सागर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 पर धासन नदी पर मेहरगांव में तथा व्यास नदी पर बरखेरी गुरू गांव में पुलों को ऊंचा उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री वीरेन्द्र कुमार	351
(छह) जम्मू-कश्मीर में सम्पत्तियों के स्वामित्व अधिकारों के शीघ्र निर्धारण की आवश्यकता	
वैद्य विष्णु दत्त शर्मा	351
(सात) अल्प बचतों तथा भविष्य निधि पर ब्याज दरों को कम करने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुनील खां	352
(आठ) राजामुन्दरी (आन्ध्र प्रदेश) और चेन्नई (तमिलनाडु) को जोड़ने वाली बकिंघम नहर को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता	
डा० राजेश्वरम्मा वुक्कला . .	352
(नौ) उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और बांदा जिलों में पेयजल की गंभीर समस्या को हल करने की आवश्यकता	
श्री राम सजीवन .	353
(दस) पंजाब और हरियाणा के बीच जल और अन्य लंबित विवादों को हल किए जाने की आवश्यकता	
श्री भान सिंह भौरा .	353
नियम 193 के अधीन चर्चा	354-418
किसानों के समक्ष आ रही समस्याएं	
श्रीमती रेणूका चौधरी	354
श्री रतन लाल कटारिया . .	360
प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु	369
श्री मुलायम सिंह यादव	377
श्री जगन्नाथ मलिक .	386
श्री पी०एच० पांडियन . . .	388
श्री शिवराज सिंह चौहान .	393
श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा	398
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव .	407

लोक सभा

मंगलवार, 13 मार्च, 2001/22 फाल्गुन, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 221; श्री चन्द्रकांत खैरे– अनुपस्थित।

डा० (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा (नामनिर्दिष्ट) : महोदय, यह सदन की संपत्ति है। एक बार प्रश्न पूछे जाने के बाद यह सदन की सम्पत्ति बन जाती है। . . .*(व्यवधान)*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

+
***222. श्री भर्तृहरि महताब :**
श्री राजो सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से क्रमशः अपने-अपने राज्य में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) का विस्तार करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है और इन प्रस्तावों का अनुमोदन कब तक कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) आगामी तीन वर्षों में राज्यवार डीपीईपी के विस्तार हेतु तैयार किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पर रख दिया गया है।

विवरण

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत अभी तक शामिल न किए गए राज्यों में से अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम और त्रिपुरा से यह कार्यक्रम शुरू करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले से सम्मिलित शुरू करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले से सम्मिलित कुछ राज्यों अर्थात् गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से इस कार्यक्रम का अतिरिक्त जिलों में और विस्तार करने हेतु भी अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

1994 में 7 राज्यों के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 42 चुने गए जिलों में आरंभ किए गए इस कार्यक्रम का विस्तार पहले ही 18 राज्यों नामतः असम, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उडिसा, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड और राजस्थान के 248 जिलों में किया जा चुका है। राजस्थान के 9, उड़ीसा के 8 और गुजरात के 6 जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार संबंधी प्रस्ताव अनुमोदन के विभिन्न चरणों मे हैं।

अब प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए एक समेकित राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम – सर्व शिक्षा अभियान 2010 तक 6-14 आयु-वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी और संगत प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम समेत प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ी सभी मौजूदा योजनाएं सर्व शिक्षा अभियान ढांचे के अन्तर्गत शामिल हो जाएंगी। कार्यान्वयन के अधीन या विचाराधीन परियोजनाओं से परे प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का अग्र और विस्तार नहीं होगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत मार्च, 2002 तक देश के सभी जिले शामिल कर लिए जाएंगे तथा 100 से अधिक जिलों के मामले में परियोजना-पूर्व कार्यकलाप संस्वीकृत किए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब : मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न यह है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सिविल कार्यों की सिलिंग से संबंधित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को संशोधित करने के लिए आर्थिक मामलों सम्बंधी मंत्रिमंडलीय समिति के निर्णय से देश के प्राथमिक विद्यालय के भवनों की बड़ी समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी अथवा नहीं। अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों की बहुत खस्ता हालत है जहां जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वित किया जाता है। ये विद्यालय बड़ी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं इनके न तो उचित भवन हैं घटिया इनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, इनमें न कोई शौचालय है और न ही पेयजल है। अतिरिक्त नामांकन जिसे प्राप्त करने का डी.पी.ई.पी. का मुख्य लक्ष्य है को कैसे मदद मिलेगी? यह परियोजना लागत के अलावा 9.33 प्रतिशत है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : माननीय अध्यक्ष जी, डीपीईपी के अंतर्गत पूरे हिंदुस्तान में करीब 248 से भी ज्यादा जिलों में कार्यक्रम चलते हैं। इसके अंतर्गत करीब 33 प्रतिशत हम बिल्डिंग्स बनाने के लिए अनुदान देते हैं। इस प्रोजैक्ट में हमने निश्चित प्रतिशत रखा हुआ है

कि बिल्डिंग्स बनाने के लिए, पीने का पानी और टॉयलट्स की सुविधा के लिए इतने प्रतिशत रखना है। अभी करीब 15 हजार न्यू स्कूल बिल्डिंग्स और 24 हजार के करीब एडीशनल क्लॉस-रूम्स उसमें बन चुके हैं तथा 25 हजार यूनिट्स पीने के पानी की व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान में की है। सिविल वर्क्स के लिए पहले 24 प्रतिशत निश्चित था जिसे रेज करके 33 प्रतिशत की कैबिनेट ने अनुमति दे दी है।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है। क्या यह सच है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार कर रही है जबकि इसे ग्रामीण विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर के बारे में व्यावहारिक ज्ञान और अनुभव नहीं है? डी.पी.ई.पी. इतना अधिक केन्द्रीयकृत क्यों है? प्राथमिक शिक्षा से सम्बंधित अनुसंधान प्रणाली, उद्‌बोधन और पाठ्यक्रम संबंधी सुधार सभी केन्द्रीयकृत हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों की चिंताओं और आकांक्षाओं को समझने का प्रयास क्यों नहीं किया गया है। क्या सरकार मध्य प्रदेश की विचारधारा को अपनाने के लिए सोच रही है जहां ग्राम सभाओं की सक्रिय भागीदारी के जरिए सामुदायिक भागीदारी है और क्या इससे प्राथमिक विद्यालयों की वित्तीय और मूलभूत समस्याओ का समाधान करने में मदद मिलेगी?

[हिन्दी]

श्रीमति सुमित्रा महाजन : अध्यक्ष महोदय, वास्तविकता यह है कि एन.सी.आर.टी. केवल कुछ सुझाव देती है। एक्चुअली किताबें बनाने का काम प्रदेश सरकार का है। इसमें एन.सी.आर.टी. का रोल नहीं रहता। उनके केवल सुझाव होते हैं। वाइडर थिंकिंग के बाद नीति बनाते हैं। माननीय सदस्य ने कम्युनिटी इनवाल्वमैंट की बात की, वह आज भी डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत मौजूद है। डी.पी.ई.पी. के अंतर्गत टैक्सट बुक्स डैवलप करने का काम स्टेट्स और लोकल बॉडीज का है। उसमें जहां तक कम्युनिटी का इनवाल्वमैंट है यह स्टेट गवर्नमैंट का काम है। इसके लिए सैंट्रल गवर्नमैंट से उनको मदद दी जाती है और एक वाइडर कंसैप्ट तैयार करके दिया जाता है जिसके अन्तर्गत वे काम कर सकें। ऐसी कोई बात नहीं है जो यहां से सैंट्रलाइज की हुई हो। सर्व शिक्षा अभियान इसके बाद चालू हो जाएगा। इसके अन्तर्गत वहीं बातें शामिल की गई हैं।

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न कुछ पूछा गया है और सरकार का उत्तर दूसरा और गलत आया है। नौवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में शिक्षा को विशेष महत्व देते हुए, इस पर आठवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में तीन गुना ज्यादा धन खर्च करने का प्रस्ताव किया गया था। प्रथम तीन वर्षों में आधी से अधिक धनराशि खर्च भी जा चुकी है परन्तु शिक्षितों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि और शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित सुधार कतई नहीं आया है। प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने और अधिकाधिक लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से तैयार किए गए कार्यक्रमों से संबंधित सारे दावे खोखले साबित हुए हैं। सबसे अधिक धन प्राइमरी शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है, परन्तु शिक्षितों की संख्या में हर राज्य में समान सुधार नहीं हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने राज्यों को शामिल किया गया है तथा उन राज्यों में कितने नए विद्यालयों का निर्माण किया गया है, कितने केन्द्र खोले गए हैं और कितने शिक्षक बहाल हुए हैं? अब तक कुल कितना खर्च इसमें किया गया है और इस कार्यक्रम में शामिल न होने वाले कम महिला शिक्षक रखने वाले राज्यों को प्रेरित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

अध्यक्ष महोदय : आपकी समस्या का समाधान रिप्लाई में दिया हुआ है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अध्यक्ष महोदय, वह रिप्लाई में दिया हुआ है।

श्री राजो सिंह : मैंने जो प्रश्न पूछा, उसका जवाब नहीं दिया है। मैंने डी.पी.ई.पी. के बारे में पूछा है और इन्होंने दूसरी डिटेल्स दी हैं।

श्री सुमित्रा महाजन : मूल प्रश्न के उत्तर में मैंने डी.पी.ई.पी. के बारे में बताया है। पहले 1994 में सात राज्यों में 42 जिले चुने गए। इसका विस्तार पहले से 18 राज्यों में था। अब तक अलग अलग राज्यों के करीब 248 जिलों में यह काम प्रारम्भ हो चुका है। एक्सपैंशन का काम राजस्थान के 9, उड़ीसा के 8 और गुजरात के 6 जिलों में हुआ है। इसकी प्रपोजल्स पाइप लाइल में हैं। यदि आप देखें तो इसके अन्तर्गत करीब 10 हजार नए स्कूल शुरु हो गए हैं।

श्री राजो सिंह : इसका राज्यवार ब्यौरा बता दीजिए।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : यदि राज्यवार जानकारी चाहिए तो मैं उसे भेज दूंगी। यदि पर्टिकुलर किसी राज्य की जानकारी चाहिए तो माननीय सदस्य बता दें, उसे मैं भेज दूंगी।. करीब 18 राज्यों में यह योजना चल रही है।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोद्‌य, छात्रों के भविष्य को नींव प्राथमिक शिक्षा है। जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनके शिक्षा की गुणवत्ता पर जितना ध्यान देना चाहिए, उतना ध्यान दिया नहीं जा रहा है। क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से मिल कर शिक्षकों की ट्रेनिंग के बारे में कोई कार्यक्रम बनाने जा रही है जिससे डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत जो प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है, उसकी गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अध्यक्ष महोदय, डी.पी.ई.पी. में आलरेडी शिक्षकों की ट्रेनिंग सम्मिलित है। अगर हम डी.पी.ई.पी. की पूरी योजना को देखें तो मालूम होगा कि उसमें शिक्षकों की ट्रेनिंग हो भी गई है। यह ट्रेनिंग कई जगह दो दो बार हुई है। इस योजना के अंदर राज्यों के भी जागरुक रहने की आवश्यकता है।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि कई ऐसे छात्र हैं जिनको आज यह मालूम नहीं कि देश का राष्ट्रपति कौन है। मैं उन स्कूलों के नाम बता सकता हूं। इसलिये गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। क्या सरकार इसके लिये कोई विशेष कार्यक्रम बनाने जा रही है?

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात बिल्कुल ठीक है लेकिन इस योजना में टीचर्स ट्रेनिंग आलरेडी शामिल है। उसके अलावा डिस्टैंस एजुकेशन द्वारा भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाये जा रहे हैं यानी डी.पी.ई.पी. के अलावा भी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाये जाते हैं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में सात राज्यों में शुरू किया गया था और फिर इसे अट्ठारह राज्यों के 248 जिलों में शुरू किया गया था। जैसा कि माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में बताया है कि यह कार्यक्रम सभी जिलों मे चलाया जाएगा। तबसे अब तक सात वर्ष पहले ही गुजर गए हैं।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं क्या कोई समीझा की गई है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि उन सात राज्यों में जहां 1994 में यह कार्यक्रम शुरु किया गया था कितनी उपलब्धि हासिल की गई है।

दूसरे इन दोनों कार्यक्रमों—जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम और सर्व शिक्षा अभियान में क्या अंतर है. . .*(व्यवधान)*

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : यह केवल हिन्दी या अंग्रेजी है . . . *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : केवल अंतर तो हिन्दी और अंग्रेजी है। मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कोई अंतर है।

[हिन्दी]

श्रीमत्री सुमित्रा महाजन : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि डी॰पी॰ई॰पी॰ कार्यक्रम एक्सटर्नली फंडेड है और समय-समय पर बराबर इसका सर्वे किया जाता है। जब राज्यों से एक्पैंशन की डिमांड आती है, उस समय भी सर्वे देखकर ही एक्पैंड किया जाता है।

श्री बसुदेव आचार्य : एचीवमेंट्स क्या हुई हैं?

श्रीमती सुमित्रा महाजन : जहां एक एचिवमेंट्स की बात है वह सब कुछ देखकर ही की जाती है। अगर उसकी डिटेल्स चाहिए तो मैं वह बता सकती हूं। यदि राज्यवार प्रोग्रेस देखें तो असम में 1995-96 में लड़कियों का 45 परसेंट फार्मल स्कूल्स में टोटल एनरोलमेंट था जो 1999-2000 में बढ़कर 48 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार सभी राज्यों में एनरोलमेंट का पूरा ब्यौरा मेरे पास मौजूद है।

[अनुवाद]

यदि आप विवरण चाहते हैं तो मैं वह आपको बाद में दे सकता हूं। इन्होंने जो दूसरा प्रश्न पूछा है और इनका कहना है कि इन दोनों कार्यक्रमों जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तथा सर्वशिक्षा अभियान—में क्या अन्तर है।

प्रथमतः डी॰पी॰ई॰पी॰ कुछ जिलों तक ही सीमित है अथवा केवल कुछ राज्यों तक ही सीमित है—यानि केवल 18 राज्यों तक और सर्व-शिक्षा अभियान में प्रारम्भिक शिक्षा को सभी के लिए सुलभ कराना है। इसमें पूरा भारत सम्मिलित किया जाएगा। यही मूल अंतर है . . . *(व्यवधान)*। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में व्यय की एक सीमा है लेकिन सर्व शिक्षा अभियान में कोई सीमा नहीं है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम केवल नीचे प्राथमिक स्तर तक है और सर्व शिक्षा अभियान अपर प्राथमिक स्तर तक है. . .*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इन दोनों कार्यक्रमों से देश में शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : मैं जानना चाहता हूं कि क्या में दोनों कार्यक्रम साथ-साथ जारी रहेंगे . . . *(व्यवधान)*

श्रीमती सुमित्रा महाजन : हां, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का विस्तार वाह्य एजेंसियों पर निर्भर करता है। यह कार्यक्रम केवल 2005 या 2006 तक है। हम कोशिश कर रहे हैं और इसके बाद यह सर्व शिक्षा अभियान के अंतगर्त चलाया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूं कि देश के जिन जिलों में डी॰पी॰ई॰पी॰ के कार्यक्रम चल रहे हैं, क्या उन्होंने उसकी कोई समीक्षा करवाई है?

यदि कराई है तो जिन प्रांतों में यह कार्यक्रम चल रहा है उसकी क्या प्रगति है और क्या मंत्री जी उससे संतुष्ट हैं। क्या सरकार के ध्यान में ये तथ्य आये हैं कि जहां डी॰पी॰ई॰पी॰ कार्यक्रम चल रहा है, उन नई पाठशालाओं में नयें अध्यापकों की नियुक्ति न करके पुरानी पाठशालाओं से अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। फलस्वरूप प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या में तो वृद्धि हो गई, लेकिल इसके साथ-साथ अध्यापकों की संख्या में जो वृद्धि होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पाई। आप जिस सर्व शिक्षा अभियान की बात कर रहे हैं, क्या इस कार्यक्रम में आप इस चीज को सुनिश्चित करेंगी कि जब प्राथमिक पाठशालाएं खोली जाएं तो कम से कम हर पाठशाला में पांच अध्यापकों की नियुक्ति की जाए, ताकि साथ-साथ शिक्षा का स्तर भी ऊंचा हो सके।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का कहना बिलकुल सही है। इसका समय पर सर्वे होता है और इस प्रोग्राम को एक प्रकार से क्वालिटेटिवली और क्वान्टीटेवली भर हम देखते हैं कि यह प्रोग्राम ठीक चल रहा है या नहीं, हालांकि यह पूरा प्रोग्राम स्टेट की मदद से ही चलाया जाता है, इसमें स्टेट की भी अपनी एक जिम्मेदारी है। इसके अंतर्गत वास्तविक रूप से अपेक्षा यह है कि यहां से जो पैसा दिया जाता है, अभी 85 और 15 उसकी परसेन्टेज रखी गई है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत, धीरे-धीरे हम इसे 75 और

25 परसेन्ट करेंगे और बाद में इसे 50:50 करेंगे। धीरे-धीरे इसमें शिक्षकों को एडजस्ट करने वाली बात स्टेट ने करनी है। हमारी स्टेट्स से यह अपेक्षा है। हमारी तरफ से मदद देने में कोई कोताही नहीं है। समय-समय पर इसका सर्वे भी जरूर किया जाता है। देखा जाता है और जहां-जहां ऐसी बात होती है वहां स्टेट्स से चर्चाएं भी होती हैं, मंत्रियों से भी चर्चाएं होती हैं, उनके साथ बैठकें भी की जाती हैं। इस तरह सब कुछ किया जाता है।

[अनुवाद]

आखिरकार यह राज्यों की भी जिम्मेवारी है।

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह : सर मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया, मैंने इनसे प्रतिनियुक्ति के बारे में पूछा था।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अगर आप चाहेंगे तो उसे हम देखेंगे।

संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान

\+
***223. डा० सुशील कुमार इन्दौरा :**
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें आई एस आई की मजबूत पकड़ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार पहचान किए गए क्षेत्र कौन-कौन से हैं; और

(ग) ऐसे क्षेत्रों में स्थिति का सामना करने के लिए सरकार की यदि कोई कार्य योजना हो, तो उसका ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान की आई.एस.आई. देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकवाद को सहायता देने, उकसाने और समर्थन देने में संलिप्त है। पाकिस्तान आई. एस.आई. की गतिविधियां मुख्यत: जम्मू और कश्मीर, पंजाब, कतिपय पूर्वोत्तर राज्यों, भारत-नेपाल सीमा के साथ लगे क्षेत्रों और देश के कुछ अन्य हिस्सों में भी देखने में आई हैं।

(ग) आई.एस.आई. की गतिविधियों से निपटने के लिए सरकार ने सुसमन्वित और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें, सीमा प्रबन्धन का सुदृढ़ीकरण, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, सुसमन्वित आसूचना पर आधारित अभियानों द्वारा आई.एस.आई. की योजनाओं को विफल करना, सुभेद्य क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की चौकियों की स्थापना और उन्नत अत्याधुनिक हथियारों और संचार प्रणाली आदि के साथ पुलिस और सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण और उन्नयन शामिल है, ताकि स्थिति से निपटा जा सके।

केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को देश में आई.एस.आई. के खतरे की आशंका और गतिविधियों के संबंध में भी सुग्राही बनाती रही है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारियों का आदान-प्रदान करने के साथ-साथ ऐसी गतिविधियों का मुकाबला करने हेतु रणनीतियां बनाने के लिए राज्य सरकारों के साथ आवधिक समन्वय बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। आई.एस.आई. की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए केन्द्रों और राज्यों की विभिन्न सुरक्षा एजेन्सियां एक साथ हाथ मिलाकर कार्य कर रही हैं। समन्वित कार्रवाई के परिणामस्वरूप, आई.एस.आई. के विभिन्न मोडयुल्ज को विफल किया जा सका है।

उग्रवादी ग्रुपों की गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए विभिन्न देशों का समर्थन प्राप्त करने के लिए उनके साथ राजनयिक पहलें भी की गई हैं।

[हिन्दी]

डा० सुशील कुमार इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान गुप्तचर एजेन्सी आई०एस०आई० देश के मीलों अन्दर आकर विभिन्न क्षेत्रों में वारदात कर देती है जिससे देश में एक चिन्ता का वातावरण बन जाता है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले तीन सालों में आई०एस०आई० के कितने एजेन्टों की पहचान की गई, उनमें कितने स्वदेशी थे कितने विदेशी थे और पिछले तीन सालों में सरकार ने उनमें से कितने लोगों को गिरफ्तार करके सजा दिलवाई है—यही मैं जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री सीएच० विद्यासागर राव : अध्यक्ष महोदय, इस स्थिति से निपटने के उद्देश्य से सरकार ने आई०एस०आई० की गतिविधियों से निपटने के लिए बहु-समन्वित और बहु-आयामी कार्यक्रम अपनाया है। इन तीन वर्षों में अनेक आई०एस०आई० समर्थित छोटे-छोटे समूहों को बेअसर कर दिया है और इन गतिविधियों में व्यक्ति जिनमें भारतीय नागरिक और पाकिस्तानी दोनों शामिल हैं, गिरफ्तार किए गए हैं और उनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज किए गए हैं। माननीय सदस्य ने गत तीन वर्षों में अर्थात् 1998, 1999 और 2000 में अनेक मामलों के बारे में पूछा है। भंडाफोड़ किए गए समूहों के आंकड़े निम्न प्रकार है:-

1998	26
1999	23
2000	17
कुल	66

इन तीन वर्षों में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या निम्नवत् है:-

1998	64
1999	61
2000	128
कुल	253

इसी तरह, इन तीन वर्षों में मारे गए व्यक्तियों की संख्या निम्नवत् है:;

1998	1
1999	8
2000	5
कुल	14

[हिन्दी]

डा० सुशील कुमार इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, सीमा से सैकड़ों मील अंदर आकर देश के विभिन्न क्षेत्रों में आई० एस० आई० अपनी वारदातें कर जाती है जिससे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा होता है। क्या इससे ऐसा महसूस नहीं होता कि यह हमारे प्रशासन की असफलता है? मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस मामले में जो प्रशासन की असफलता झलकती है, उस दृष्टि से क्या सुदृढ़ उपाय सरकार करने जा रही है? एक बात इसी के साथ और कहना चाहूंगा कि आई० एस० आई० अकेले नहीं, बल्कि देश के नागरिकों को भी इसमें जोड़कर अपना काम करती है, अपने अड्डे स्थापित करती है। क्या सरकार कोई सामाजिक आंदोलन इस मामले में लाकर समाज को जागरूक करना चाहती है ताकि देश के नागरिक उसमें इनवॉल्व न हों?

[अनुवाद]

श्री सीएच० विद्यासागर राव : महोदय, यह एक सुस्थापित तथ्य है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपनी राज्य नीति को एक यंत्र के रूप में प्रयुक्त करके लगातार आतंकवादी गतिविधियां चलाता आया है और अप्रत्यक्षरूप से कारवाई करता रहा है। यद्यपि पाकिस्तान की नीति जम्मू और कश्मीर से शुरू होकर छद्म युद्ध को बढ़ावा देने की है, और इसे पूर्वोत्तर तथा देश के अन्य राज्यों में फैलाने की है। भारत सरकार प्रभावी ढंग से इस स्थिति से निपट रही है और सरकार द्वारा पहले ही अनेक उपाय किए गए हैं।

महत्वपूर्ण बात यह है कि केन्द्र सरकार के सभी अधिकारी राज्य सरकारों के साथ आसूचनाओं का आदान-प्रदान कर रहे हैं। दोनों विंग में पूरा समन्वय है।

आगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गहन निगरानी रखी गई है। स्थिति की समीक्षा की जाती है और यह एक सतत् प्रक्रिया है। आसूचनाओं का लगातार आदान-प्रदान किया जाता है। राज्य सरकार के अधिकारियों और केन्द्र सरकार के अधिकारियों के बीच समीक्षा बैठक नियमित आधार पर की जाती है। इस आशय की पुलिस महानिदेशक की एक कांफ्रेंस 20.6.2000 को हुई थी और इसके बाद मुख्यमंत्रियों तथा मुख्य सचिवों आई.एस.आई. द्वारा उत्पन्न स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु 5.8.2000 को एक सम्मेलन हुआ था।

सीमा पर तार लगाने और गश्त बढ़ाने जैसे अनेक अन्य कदम उठाए गए हैं। कूटनीतिक पहल की गई है और संयुक्त कार्यदल गठित किए गए हैं। आई०एस०आई० कारवाई को बेअसर करने के उद्देश्य से एक आयोजन दल गठित किया गया है और देश में आई०एस०आई० के खतरे को रोकने के लिए प्रभावी ढंग से सभी कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

डा० सुशील कुमार इन्दौरा : आपने सामाजिक जागरूकता की बात नहीं बताई क्योंकि वे भारतीय नागरिकों को भी शामिल कर लेती हैं। मंत्री जी सवाल का जवाब पूरा नहीं दिया। . . . *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, जो गृह मंत्री जी का जवाब है, उसमें खास तौर से कहा गया है कि आई०एस०आई० की गतिविधियों जम्मू-कश्मीर, पंजाब, कतिपय पूर्वोत्तर राज्यों, भारत-नेपाल सीमा कुछ और क्षेत्रों तक सीमित है। आज ही के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपा है—

[अनुवाद]

''पश्चिमी उत्तर प्रदेश आई.एस.आई. की गतिविधियों का केन्द्र बनता जा रहा है'' उत्तर प्रदेश के अगर आसूचना और सुरक्षा महानिदेशक हिमांशु कुमार ने आज शाम यह रहस्योद्घाटम किया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश आई०एस०आई० गतिविधियों का अड्डा बन गया है। उन्होंने कहा है ''कि गाजियाबाद, हापुड़ जिले और पिलखुवा इस पाक असूचना गिरोह के एजेंटों के छिपने का सबसे सुरक्षित स्थान बन गए हैं।''

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको पढ़ना नहीं है, सप्लीमेंटरी पूछनी है। सप्लीमेंटरी क्या है?

श्री रामजीलाल सुमन : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कुछ ऐसे नए क्षेत्र भी विकसित हुए हैं जहां आई०एस०आई० की गतिविधियां बढ़ी हैं। मैं आपकी मार्फत यह भी जानना चाहता हूं कि आई०एस०आई० की गतिविधियों के खिलाफ विश्व जनमत बनाने के लिए सरकार ने क्या सार्थक प्रयास किए हैं और उनका क्या परिणाम निकला है? मैं यह भी जानता हूं कि सरकार ने संसद में दो साल पहले कमिटमेंट किया था कि आई०एस०आई० की गतिविधियों के

संबंध में सरकार एक श्वेतपत्र जारी करेगी। क्या सरकार का इरादा श्वेतपत्र जारी करने का है, और यदि नहीं तो उसमें क्या प्रशासनिक कठिनाइयां हैं—उनका भी खुलासा गृह मंत्री जी करने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री सीएच॰ विद्यासागर राव : महोदय, जहां तक श्वेतपत्र को प्रकाशित करने का सम्बंध है, श्वेतपत्र को प्रकाशित करने से सम्बंधित सभी पहलू सरकार के विचाराधीन हैं।

डा॰ सुशील कुमार इन्दौरा : प्रशासनिक ढांचे में सुधार के बारे में आपने नहीं बताया। . . . *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, विश्व जनमत बनाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं? . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह पहले ही सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, जो आई॰ एस॰ आई॰ की गतिविधियां चल रही हैं। . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सुमन जी, प्लीज बैठिए। यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इंदौरा जी, यह क्या हो रहा है। प्लीज बैठिए। और लोगों को भी सप्लीमेंट्री पूछनी हैं जिनका आंसर मिनिस्टर साहब को देना है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से जो उत्तर आया है उसमें जम्मू-कश्मीर पंजाब और असम आदि सभी क्षेत्रों का नाम लिया गया है, लेकिन उसमें राजस्थान का जिक्र नहीं है जबकी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र, यानी राजस्थान के पाकिस्तान से लगते भूभाग में भी आई॰एस॰आई॰ सक्रिय है। इतना ही नहीं बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों के अलावा, उदयपुर डिवीजन में भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा आदि क्षेत्रों में भी हमने पिछले दिनों अखबारों में लगातार खबरें पढ़ीं कि वहां भी आई॰एस॰आई॰ सक्रिय है, फिर राजस्थान का उल्लेख क्यों रह गया?

दूसरी बात मैं मंत्री महोदय से यह जानता हूं कि क्या भारत सरकार राजस्थान सरकार से संपर्क स्थापित करके क्या कोई ऐसी कार्रवाई करेगी जिससे इन क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण राजस्थान में आई॰ एस॰ आई॰ की गतिविधियां रोकी जा सकें या उन्हें रोकने के लिए कदम उठाए जा सकें?

[अनुवाद]

श्री सीएच॰ विद्यासागर राव : महोदय, जम्मू और कश्मीर, पंजाब और कतिपय उत्तरी राज्यों जैसे यहां उल्लिखित स्थानों के अलावा यह महसूस किया गया है कि राजस्थान में भी कतिपय गतिविधियां चल रही हैं। सरकार को इसके बारे में जानकारी है और वह इससे प्रभावी ढंग से निपट लेगी।

[हिन्दी]

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने राजस्थान के उन क्षेत्रों का जिक्र ही नहीं किया, इसके क्या कारण हैं?. . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, एक राजनीतिक दल के विरुद्ध कुछ बेतुके आरोप लगाए जा रहे हैं कि वे आई.एस.आई. के एजेंट हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल में—कामतापुर पिपुल्स पार्टी नाम के एक दल का गठन हुआ। उनका पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में अपना अलग प्रभाव है, और आगामी विधान सभा चुनावों में उनका सीटों का समझौता हुआ है। राज्य सरकार उन पर जान-बूझकर यह आरोप लगा रही है कि वे आई॰ एस॰ आई॰ के एजेंट हैं। मै सरकार से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या इस कामतापुर पिपुल्स पार्टी का आई॰ एस॰ आई॰ के लोगों या किसी आई॰ एस॰ आई॰ ग्रुप के साथ सम्बन्ध होने की कोई सूचना केन्द्र सरकार को है और क्या आज तक आपको ऐसी कोई सूचना मिली है।

श्री सीएस॰ विद्यासागर राव : महोदय, जहां तक किसी विभिन्न ग्रुप के साथ संबंध की बात है तो ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, यदि बहस के ख्याल से ही हम गृह मंत्रालय के इस कथन को श्रेय दें कि आई॰ एस॰ आई॰ का प्रसार पूरे देश में हो रहा है, तो वे देश में कैसे घुस सकते हैं? वे सीमा से आते हैं या किसी अन्य राज्यों से। सिर्फ अभी ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से क्या यह भारत सरकार का मुख्य दोष नहीं है कि वह नदी, पहाड़ी और मैदानी सीमा क्षेत्रों में उचित कारवाई नहीं कर रही है?

मैं सीमा क्षेत्र का हूं हम यहां हैं। हम यह नहीं जानते कि कौन आई॰ एस॰ आई॰ के एजेंट हैं। असम में चुनाव हो रहे हैं। वहां पोस्टर्स लगे हैं और उनमें यह लिखा है कि अमुक-अमुक पार्टी का संबंध आई॰ एस॰ आई॰ से है जो भारत सरकार के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के ही दलों में से एक है। हम लोगों को इस बारे में जानना चाहिए।

कृपया आप विशेष रूप से यह कहें कि जो भी दोषी होगा उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। तब तक अनावश्यक रूप से ऐसी झूठी अफवाह न फैलाएं। श्वेत पत्र उपलब्ध नहीं है। इसे शीघ्र लाया जाना चाहिए ताकि हमें यह संतोष हो कि आपने वायदा किया है और आप किसी भी राजनीतिक दल, लोगों के किसी भी वर्ग आदि के खिलाफ कारवाई करेंगे, जो दोषी पाए जाएंगे। आप सिर्फ कुछ भी मत कहें और असम को बर्बाद करने की कोशिश न करें। अब यह फैशन बनता जा रहा है। असम कश्मीर के रास्ते जा रहा है। यह बहुत खतरनाक है कि मंत्री वहां जाते हैं और जो सौ झूठी अफवाह फैलाते रहे हैं। आप हमें तथ्यों की जानकारी दें। कुछ करने का यही समय है। सिर्फ झूठी अफवाह मत फैलाएं।

श्री सीएच॰ विद्यासागर राव : महोदय, यह सर्वविदित है कि पाकिस्तान युवको, असंतुष्ट तत्वों की भर्ती कर रहा है, उनको प्रशिक्षण दे रहा है एवं उनका वित्तपोषण भी कर रहा है। पाकिस्तान उन्हें शस्त्रों से लैस कर रहा है, और इस देश में छद्म युद्ध छेड़ने के लिए सीमा पार से घुसपैठ करा रहा है। इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा पहले ही कई कदम उठाए गए हैं। सबसे पहले, सीमा पर बाड़ लगाने का काम समाप्त हो गया है और गश्त बढ़ा दी गयी है। और कई कदम उठाए जा रहे हैं। कुछ अल्पकालिक कदम हैं और कुछ दीर्घकालिक कदम हैं. . . *(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव : यह गलत है, मेरे क्षेत्र में सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा नहीं हुआ है। आप इस सभा को क्यों गुमराह कर रहे हैं कि सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा हो गया है? आपको 25 किमी॰ की लम्बाई वाले करीगोन्हा क्षेत्र में एक भी चौकी (पोस्ट) नहीं मिलेगी। कृपया सभा को गुमराह मत करें। कृपया सही उत्तर दें।

श्री सीएच॰ विद्यासागर राव : महोदय, जहां बाड़ लगाने का काम पूरा नहीं हुआ है, भारी गश्त लगाई जा रही है और कई बाहरी चौकियों (आउट पोस्ट्स) को स्थापित किया गया है और संचार प्रणाली भी उन्नत कर दी गई है। एक कार्य योजना पहले ही बनाई जा चुकी है। इसे दो स्तरों पर लागू किया जाएगा। एक अल्पकालिक योजना है और दूसरी दीर्घकालिक। दीर्घकालिक योजना में गुमराह युवकों को मुख्यधारा में वापस लाना भी सरकार के विचाराधीन हैं।

अध्यक्ष महोदय: सरकार आई.एस.आई. गतिविधियों के विरुद्ध क्या कदम उठाने जा रही हैं? यही प्रश्न है।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभा से निवेदन करता हूं कि एक तरफ हम किसी पर आई॰एस॰आई॰ होने का सामान्य आरोप न लगाएं और दूसरी तरफ यह महसूस करें कि घुसपैठ मे आई॰एस॰आई॰ बिल्कुल भिन्न है। माननीय सदस्य द्वारा अभी यही प्रश्न किया गया कि वे देश के अंदर कैसे आ गए? वे देश के अंदर नहीं आए। आई॰ एस॰ आई॰ अपना कार्य पाकिस्तान से करती है और यह देखने की कोशिश करती है कि यह भारत में एजेंटों की भर्ती करने में सक्षम है। इस उद्देश्य के लिए, कभी-कभी वे लोगों को भी भेजते हैं जैसे आई॰ एस॰ आई॰ द्वारा पहला बड़ा अभियान मुम्बई में ''कई विस्फोटों'' के रूप में चलाया गया था। विस्फोट में मुम्बई के ही अधिकांश लोग शामिल थे लेकिन इसके बाद वे विदेश चले गए और कहीं और शरण ले लिया, लेकिन अभियान का प्रबंध पाकिस्तान के लोगों द्वारा किया गया और बनाया गया। इसलिए, घुसपैठ और आई॰ एस॰ आई॰ की गतिविधियों में अंतर है।

जहां तक असम का संबंध है, मेरे पास असम सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तिका है जिसमें असम में आई॰ एस॰ आई॰ की गतिविधियों का वर्णन है और यहां तक कि कई लोगों के नाम भी वर्णित हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा संकोची रहे हैं क्योंकि आई॰ एस॰ आई॰ एक सतत् गतिविधि है। इसके कई उद्देश्य हैं। सबसे पहले यह केवल जम्मू-कश्मीर तक ही सीमित नहीं है। यह अपनी गतिविधि पूरे देश में फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रश्न संवेदनशील क्षेत्रों से संबंधित था कहां वे प्रवेश कर गए हैं। इसलिए, राजस्थान का उल्लेख नहीं किया गया था। राजस्थान से आए मेरे मित्र ने वहां के बारे में पूछा क्योंकि पिछले तीन वर्षों में वहां आई॰ एस॰ आई॰ के कई गिरोहों को पकड़ा गया है और वे बड़ी संख्या में हैं, उनका उल्लेख किया गया है, उन गिरफ्तार लोंगो की संख्या के आंकड़े दिए गए हैं और उस दौरान कुछ लोग मारे भी गए लेकिन उनमें से राजस्थान में कोई नहीं था और इसलिए राजस्थान का उल्लेख संवेदनशील क्षेत्रों में नहीं किया गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके प्रयासों से, उनके लक्ष्यों से राजस्थान बिल्कुल अछूता है।

ऐसा उत्तर इसी परिप्रेक्ष्य में दिया गया है और सरकार इस बात से संतुष्ट है कि यद्यपि हम कोई आरोप नहीं लगाना चाहेंगे, तथापि हम पिछले तीन वर्षों में लोगों में चेतना और जागरूकता पैदा करने में सफल हुए हैं कि पाकिस्तान से चलाया जाने वाला यह संगठन खतरनाक है जिसका उद्देश्य सब जगह अपने एजेंटों और गिरोहों के माध्यम से पूरे देश में अस्थिरता पैदा करना है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया, अच्छा दिया, लेकिन मेरी एक राय है कि उनके इस वक्तव्य से देश में दहशत फैलेगी कि गृह मंत्री जी ने यह कहा है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पूरे देश में आई॰एस॰आई॰ की गतिविधियां फैल गई हैं। . . . *(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि उनका टारगैट है। . . . *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने गतिविधियां हैं टारगैट है, इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। आप चाहें; तो लोक सभा की कार्यवाही मंगवा कर देख सकते हैं।

मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है कि इस तरह के आपके वक्तव्य से पूरे देश में दहशत फैलेगी। आपने पाकिस्तान का नाम लिया और कहा कि पाकिस्तान पूरे देश में अस्थिरता पैदा करना चाहता है। 15 अगस्त हमने किस भय के साये में मनाया, इस बात को आप अच्छी

तरह से जानते हैं। इसलिए मेरी राय है कि आप सकारात्मक रुख अपनाते हुए और सदन का सहयोग लेते हुए एक ऐसा वक्तव्य दें कि हम पाकिस्तान की आई॰एस॰आई॰ की गतिविधियों को रोकेंगे ही नहीं बल्कि उन्हें कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश से नेस्तनाबूद करेंगे, ऐसा वक्तव्य दें। जो वक्तव्य आपने अभी दिया है, वैसा वक्तव्य आपको नहीं देना चाहिए। हम सभी सदस्य उसमें सहयोग देने के लिए तैयार हैं।

हमारे दुश्मन पाकिस्तान को इस वक्तव्य से और मदद मिलेगी, बढ़ावा मिलेगा कि सारे देश में आई॰ एस॰ आई॰ का जाल फैलता जा रहा है क्योंकि बहुत सारे नौजवान बेरोजगार हैं। आज आसाम का सवाल है। आसाम के बारे में मैं भी जानता हूं क्योंकि हम रक्षा मंत्री रहे हैं। हमें वहां की स्थिति के बारे में पता है। . . .*(व्यवधान)* यह देश का सवाल है।. . .*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने स्टेटमैंट नहीं दिया, रिप्लाई दिया है।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : मेरा कहना है कि आप तत्काल यह वक्तव्य दीजिए कि आई॰ एस॰ आई॰ की गतिविधियों को खत्म करने के लिए सदन पूरी तरह से तैयार है। हम भी आपके साथ तैयार हैं। आप देश के अंदर इस दहशत को न जाने दीजिए, यही हमारी प्रार्थना है।

अध्यक्ष महोदय : आपका सप्लीमैंट्री क्या है?

श्री मुलायम सिंह यादव : मैं जानना चाहता हूं कि वे क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे ताकि अलावा ऐसी दहशत देश के अंदर न फैले। . . . *(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि कोई दहशत क्रिएट करने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं यह भी आग्रह करूंगा कि इसमें किसी को असावधानी नहीं होनी चाहिए। दोनों तरफ से जरूरी है कि सावधानी भी हो और दहशत भी न हो। हमारा संकल्प है कि हम इस आई॰एस॰आई॰ के संकट को पूरी तरह से मिटाकर छोड़ेंगे। पिछले तीन सालों में अच्छी खासी सफलता हमें आप सबके सहयोग से मिली है। आप सबने सहयोग किया है। मुझे उस दिन का स्मरण है जिस दिन पहली बार हमने आई॰एस॰आई॰ के बारे में एक प्रैजेंटेशन होम मिनिस्ट्री से संबंधित कंसल्टेटिव कमेटी के सामने किया। मुस्लिम लीग के बनातवाला जी से लेकर सी॰पी॰एम॰ के सोमनाथ चटर्जी जी तक सब ने उस प्रैजेंटेशन की बहुत प्रशंसा की और कहा कि इस दृष्टि से सदन को भी बताना चाहिए और इसके खिलाफ पूरी कार्यवाही करनी चाहिए। उस समय जो कार्रवाई की गई, उसी का परिणाम आज माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने सदन के सामने रखा है। दिल्ली में पिछले तीन सालों में हमने 11 मौड्यूल्स को 1991 में, 10 मौड्यूल्स को 1999 में तथा 12 मौड्यूल्स को 2000 में बर्स्ट किया। यह उपलब्धि है जिसे दिल्ली पुलिस और केन्द्र की एजेंसी ने मिलकर प्राप्त किया है, अन्य राज्यों के अलावा।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : सभी दल सहयोग करेंगे, लेकिन सभा में कुछ और बाहर कुछ कहने की प्रवृत्ति है। वे यह कहते रहते हैं कि यह या वह राजनीतिक पार्टी इसमें शामिल है और ऐसा निश्चय ही नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री संतोष मोहन देव, मैंने श्री शंकर सिंह वाघेला का नाम पुकारा है।

श्री शंकर सिंह वाघेला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री एक सीमावर्ती राज्य और एक सीमावर्ती जिला के हैं।

[हिन्दी]

आपने जो जवाब दिया है, उसमें सब बॉर्डर स्टेट्स लिये हैं। सबसे पहले मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या चाइना से लोग यहां आ रहे हैं या चाइना इसके पीछे इन्वाल्व है, उसे मैं समझ सकता हूं। क्या बॉर्डर का मतलब राजस्थान, गुजरात ही है जहां आई॰ एस॰ आई॰ का इनक्रोचमैंट अभी भी है। वहां बॉर्डर खुला हुआ है । आप इन्फिलट्रेशन की बात करते हैं तो क्या पानी, समुद्र, नदी, हवा और जमीन द्वारा उनके आने का सिलसिला अभी जारी है? अभी आपने फरमाया कि तीन साल में आपने बहुत कुछ किया । इसका मतलब बहुत कुछ हो रहा है तभी आपने कुछ किया है। आपने जो मौड्यूल्स की बात की, माफ करिये कभी-कभी आई॰ एस॰ आई॰ के नाम पर गलत लोगों को मार दिया जाता है। कोई नहीं देखता कि वे सही में आई॰ एस॰ आई॰ थे या नहीं। यह भी सबके सामने आना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री वाघेला, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने से संबंधित है जहां आई॰ एस॰ आई॰ की गतिविधियां जारी हैं।

श्री शंकर सिंह वाघेला : मैं बनासकांठा और काठियावाड़ के सीमावर्ती क्षेत्रों की यात्रा कर अभी-अभी आया हूं। सीमाएं खुली हैं और वहां कोई नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री ने पहले ही जवाब दे दिया है कि राजस्थान संवेदनशील क्षेत्रों की सूची में शामिल नहीं है।

श्री शंकर सिंह वाघेला : ऐसा होना चाहिए क्योंकि इसकी सीमाएं संवेदनशील हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह आपका सुझाव है।

श्री शंकर सिंह वाघेला : पूरा जवाब सीमा से संबंधित है। . . .*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : महोदय, आई॰ एस॰ आई॰ की गतिविधियों पूरे देश में फैलाती जा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री चतुर्वेदी आपको उन्हें सहायता करने की आवश्यकता नहीं है। वे पूर्व मुख्य मंत्री हैं और वे अपना अनुपूरक प्रश्न भलिभांति पूछ सकते हैं; उन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है।

श्री शंकर सिंह वाघेला : महोदय, जवाब में यह कहा गया है कि सरकार ने आई॰ एस॰ आई॰ की गतिविधियों से निपटने के लिए सुसमन्वयित और बहुकोणीय तरीका अपनाया है जिसमें सीमा प्रबंधन को मजबूत करना, गुप्तचर प्रणाली को प्रेरित करना आदि शामिल है। मैं सीमा प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानना चाहूंगा और "प्रेरित करना" (गेल्वनाईजींग) से उनका क्या मतलब है। पिछले एक वर्ष के दौरान विशेष रूप से राजस्थान और गुजरात सीमा से कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया?

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, शंकर सिंह वाघेला जी फिर से वही बात कह रहे हैं। इसमें केवल बॉर्डर की बात नहीं है। बॉर्डर मैनेजमेंट उसका हिस्सा जरूर है, इंटेलीजेंस एजेंसी को गेलवेनाइज करना उसका हिस्सा जरूर है लेकिन केन्द्र की इंटेलीजेंस एजेंसी और प्रदेशों की इंटेलीजेंस एजेंसी लगातार जहां पर आई॰ एस॰ आई॰ अपनी गतिविधियां चला रहे हैं, उनका को-आर्डिनेशन और कलैक्टिव एक्शन लेना बहुत जरूरी है। उसके अनुसार लगातार गुजरात और केन्द्र काम करता रहा है।

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, आई॰ एस॰ आई॰ की गतिविधियां धीरे-धीरे देशभर में बढ़ती जा रही हैं। इसका मुख्य कारण है कि हमारे देश में कई ऐसे संगठन हैं जो राष्ट्रद्रोही कार्यवाहियां कर रहे हैं और जिनके सहयोग से आई॰ एस॰ आई॰ की गतिविधियां देशभर में बढ़ रही हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि हमारे देश में ऐसे कौन से राष्ट्रद्रोही संगठन हैं जो आई॰ एस॰ आई॰ गतिविधियों का समर्थन कर रहे हैं, उसे बढ़ावा देने में मदद कर रहे हैं और ऐसे संगठनों के खिलाफ सरकार कौन सी कार्यवाही करना चाहती है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : कोई संगठन जो उग्रवाद, आतंकवाद, हिंसा में लिप्त है, वह कोई आई॰ एस॰ आई॰ का नाम लेकर नहीं करता, लेकिन हां, अगर कोई ऐसा संगठन है जो इस प्रकार की गतिविधि करता है तो वह आई॰ एस॰ आई की प्रेरणा से करे या अपनी ओर से करे, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। पिछले दिनों में हमारा अनुमान है कि दीनदार अंजुमन ने चर्चेज में विस्फोट करके जो कुछ किया, वह आई॰ एस॰ आई॰ के इशारे पर किया—यह अंदाजा है। लेकिन उसके खिलाफ कार्यवाही की गई। बाकी किस-किस संगठन का आई॰ एस॰ आई॰ से संबंध है, इसे आईडैन्टीफाई करना शायद वांछनीय भी नहीं है क्योंकि हम उनके खिलाफ कार्यवाही करते हैं। हमारा यह मत जरूर है कि आई॰ एस॰ आई॰ एक तरफ प्रॉक्सी वार को बढ़ाता है और दूसरी तरफ आसपास के क्षेत्रों, जैसे नेपाल, म्यांमार, बंगलादेश से ऑपरेट करने के लिए अपन गुंजाइश बनाता है और तीसरी बात जो वह लगातार कर रहा है, वह दुनिया में डिसइन्फौर्मेशन फैलाना है कि हिन्दुस्तान में सिक्युरिटी फोर्सेस ह्यूमन राइट्स का हनन और अत्याचार कर रही है। यह थ्री-फोल्ड उनकी ऐप्रोच है जो वे लगातार करते रहे हैं और हम तीनों के खिलाफ कार्यवाही करते रहे हैं। हमको इस बात की खुशी है कि म्यांमार, बंगलादेश और नेपाल के साथ इस संदर्भ में हमारी ज्वाइंट मीटिंग होती रही है और विश्व के बहुत सारे देश, जैसे यू॰के॰, यू॰एस॰ इज़राइल, जर्मनी, फ्रांस, इन लोगों ने भी आतंकवाद के खिलाफ हमारा सहयोग करने में ज्वाइंट ऑपरेशन्स किए हैं। . . . *(व्यवधान)*

श्री मोहन रावल : इमाम ने खुद कहा है। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रावले, मैंने आपका नाम नहीं पुकारा। आप कैसे बोल सकते हैं जब मैंने आपका नाम पुकारा ही नहीं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन जो बोल रहे हैं उसके अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : उन्होंने कहा है। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी॰एच॰ पांडियन : महोदय, भारत ने एकतरफा युद्धबंदी की घोषणा की है. . . *(व्यवधान)* आई॰ एस॰ आई॰ की गतिविधियां जम्मू-कश्मीर में और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी जारी हैं। माननीय मंत्री ने कहा कि आई॰ एस॰ आई॰ अपनी गतिविधि पाकिस्तान से चला रहा है और उसका उद्देश्य भारत को अस्थिर करना है।

उन लोगों ने सीमा क्षेत्रों में 500 रुपए का जाली नोट वितरित किया था। वे भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना चाहते थे। माननीय मंत्री ने अपने जवाब में कहा है कि पाकिस्तान से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। मैं यह जानना चाहूंगा कि एकतरफा युद्ध विराम और इसके विस्तार के बाद आई॰ एस॰ आई॰ की गतिविधियां किस हद तक जारी हैं—क्या इसमें कमी आई है या उतनी ही है?

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : कश्मीर में जो तीस इनीशिएटिव्ज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं, वे अपने स्तर पर चले हैं और हमने कई बार कहा है कि उन तीस इनीशिएटिव्ज का असर जम्मू-कश्मीर की जनता पर हुआ है, विश्व में हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की ओर से जिस प्रकार के रिस्पॉन्स की अपेक्षा थी, वह नहीं मिला है।

प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने में अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों की भूमिका

***225. प्रो॰ रासा सिंह रावत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने में विश्व बैंक, यूनेस्को और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों की क्या भूमिका है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन एजेंसियों ने इस कार्य के लिए राज्य-वार, प्रतिवर्ष कितनी राशि की सहायता प्रदान की;

(ग) क्या सभी राज्यों ने उक्त राशि का उपयोग वस्तुतः प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने में ही किया; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) विभिन्न अंतराष्ट्रीय अभिकरण अर्थात् विश्व बैंक, यूरोपीय समुदाय, यू॰के॰ का अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डी.एफ.आई.डी.), यूनिसेफ तथा नीदरलैंड सरकार इस समय केंद्रीय प्रायोजित योजना—जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से 18 राज्यों के 248 जिलों में प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र के लिए सहायता प्रदान कर रहे हैं। विश्व बैंक ने राज्य क्षेत्र की उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा परियोजना को भी सहायता प्रदान की है इसके अलावा, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में लोक जुंबिश और शिक्षा कर्मी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान कर रही थी। अब इन परियोजनाओं का वित्त पोषण डी॰एफ॰आई॰डी॰, यू॰के॰ द्वारा किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की पांच एजेंसियों अर्थात यू॰एन॰डी॰पी॰, यूनिसफ, यूनेस्को, यू॰एन॰एफ॰पी॰ए॰ तथा आई॰एल॰ओ॰ के सहयोग से 8 राज्यों में एक समुदाय आधारित प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम—जनशाला शुरू किया गया है। यूनिसेफ और यूनेस्को प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन तथा अन्य कार्यक्रमों से जुड़ी कुछ परियोजनाओं के लिए भी सहायता प्रदान कर रहे हैं।

(ख) से (घ) जिला शिक्षा प्राथमिक कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश—बुनियादी शिक्षा परियोजना, लोक जुंबिश परियोजना, शिक्षा कर्मी परियोजना तथा जनशाला कार्यक्रम के लिए गत तीन वर्षों (1997-1998 से 1999-2000) के दौरान कुल 3223.00 करोड़ रु॰ की विदेशी सहायता अनुबंधित की गई है। उक्त अवधि के दौरान 2748.72 करोड़ रु॰ व्यय हुए तथा विदेशी निधियन एजेंसियों द्वारा 2406.45 करोड़ रु॰ की प्रतिपूर्ति की गई।

राज्यों में उक्त विदेशी सहायता का उपयोग विभिन्न कार्यक्रमों यथा स्कूल भवनों तथा अतिरिक्त शिक्षणकक्षों का निर्माण, पेय जल/शौचालय सुविधाओं का प्रावधान, शिक्षक प्रशिक्षण, अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति, स्कूल मैपिंग का कार्य, समुदाय आधारित पहलों, क्षमता सृजन, संस्थानिक विकास आदि के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए किया जा रहा है। विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं के तहत राज्यवार व्यय तथा विदेशी निधियन एजेंसियों द्वारा की गई प्रतिपूर्ति का ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है।

अनुबन्ध

(रु॰ लाख में)

क्र॰सं॰	राज्य	परियोजना/योजना	1997-98		1998-99		1999-2000		कुल	
			व्यय	प्रतिपूर्ति	व्यय	प्रतिपूर्ति	व्यय	प्रतिपूर्ति	व्यय	प्रतिपूर्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	असम	डी पी ई पी	1819.34	1567.35	3699.92	3159.46	4754.24	4040.00	10273.50	8766.81
2.	आन्ध्र प्रदेश	डी पी ई पी	1988.00	1689.00	16206.00	13775.00	19348.00	16445.00	37542.00	31909.00
		जी ओ आई यू एन	—		66.96	66.96	50.01	50.01	116.97	116.97
3.	बिहार	डी पी ई पी	459.82	394.27	4611.11	3875.57	5376.07	4525.00	10447.00	8794.84
		जी ओ आई-यू एन	1.21	1.21	43.84	43.84	62.00	62.00	107.05	107.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	गुजरात	डी पी ई पी	1034.29	918.51	1766.93	1553.19	2547.67	2163.00	5348.89	4634.70
5.	हरियाणा	डी पी ई पी	2233.22	1992.76	2165.65	1860.06	2396.27	2004.00	6795.14	5856.82
6.	हिमाचल प्रदेश	डी पी ई पी	1492.57	1303.86	1735.16	1511.78	1972.21	1666.00	5199.94	4481.64
7.	कर्नाटक	डी पी ई पी	5849.46	5086.48	8589.46	7356.35	8009.99	6675.00	22448.91	19117.83
		जी ओ आई-यू एन	32.92	32.92	32.83	32.83	155.00	155.00	220.75	220.75
8.	केरल	डी पी ई पी	2206.15	2043.49	2928.38	2614.98	3032.94	2716.00	8167.47	7374.47
9.	मध्य प्रदेश	डी पी ई पी	9117.00	21352.43	16334.00	5920.37	14985.00	24244.00	40436.00	51516.80
		जी ओ आई-यू एन	11.00	11.00	23.28	23.28	36.37	36.37	70.65	70.65
10.	महाराष्ट्र	डी पी ई पी	3036.09	2668.68	3773.57	3215.44	4527.03	3721.00	1136.69	9605.12
		जी ओ आई-यू एन	20.50	20.50	27.81	27.81	39.48	39.48	87.79	87.79
11.	उड़ीसा	डी पी ई पी	1215.75	1080.28	1979.68	1744.34	1896.98	1673.00	5092.41	4497.62
		जी ओ आई-यू एन	20.51	20.51	1.26	1.26	1.68	1.68	23.45	23.45
12.	राजस्थान	डी पी ई पी	-	-	-	-	260.10	216.00	260.10	216.00
		जी ओ आई-यू एन	-	-	1.33	1.33	72.73	72.73	74.06	74.06
		लोक जुम्बिश	3724.00	1862.00	4109.00	2054.00	3969.00	1985.00	11802.00	5901.00
		शिक्षाकर्मी	1385.00	693.00	520.00	65.00	1928.00	964.00	3833.00	1722.00
13.	तमिलनाडु	डी पी ई पी	3234.46	2816.73	2935.11	2478.67	3584.49	2991.00	9754.06	8286.40
14.	उत्तर प्रदेश	डी पी ई पी	1652.50	1437.23	9377.20	8315.85	8238.67	7161.00	19268.37	16914.08
		यू॰पी॰ बी॰ई॰पी॰	15506.33	12900.92	21595.43	16584.26	23681.85	16288.00	60783.61	45773.18
		जी ओ आई-यू एन		-	0.10	0.10	14.44	14.44	14.54	14.54
15.	पश्चिम बंगाल	डी पी ई पी	720.00	612.00	1704.00	1448.00	2944.00	2502.00	5368.00	4562.00
	कुल		56760.12	60505.13	104228.01	77729.73	113884.22	102410.71	274872.35	240645.57

प्रो॰ रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, प्राथमिक शिक्षा हमारी शिक्षा का मूलभूत आधार और नींव रही है और प्राथमिक शिक्षा के विस्तार और उन्नयन की दृष्टि से जिन विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों ने हम लोगों को सहयोग दिया है, उनके प्रति हम आभार भी व्यक्त करते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि स्वाधीनता के तिरेपन वर्षो के पश्चात्, गणतंत्र की स्वर्ण जयन्ती मनाने के बाद और अनेक प्रयासों और संकल्प के बाद भी हम अभी तक प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण करने में सक्षम क्यों नहीं हो पाए हैं?

इसलिए सरकार की प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और मौलिक अधिकारों में सम्मिलित करने और उसके सार्वजनिकीकरण करने के लिए क्या योजना है, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं?

श्रीमती सुमित्रा महाजन : माननीय अध्यक्ष जी, आपने बहुत ठीक कहा है कि करीब-करीब 1980 या 1986 तक हमने इसमें विदेशी मदद नहीं ली थी। उसके बाद यह धीरे-धीरे शुरू हो गया है, हालांकि विदेशी एजेंसियों की मदद भी हम जो लेते हैं, उसमें भी नेशनल पॉलिसी के अनुरूप ही हम पूर्णतया काम करवाते रहते हैं। आपने जो प्रश्न किया है, अभी एस०एस०ए०, सर्व शिक्षा अभियान का हमारा कार्यक्रम चल रहा है, वह यूनीवर्शियलाइजेशन की तरफ बढ़ता हुआ हमारा एक कदम है और आने वाले सालों में, 2010 तक, हम यह चाहेंगे कि हिन्दुस्तान का एक-एक बच्चा केवल प्राइमरी ही नहीं, अपर प्राइमरी तक उसकी शिक्षा हो, यानी एनरोलमेंट और रिटेंशन दोनों बातें ध्यान में रखते हुए इस सर्व शिक्षा अभियान को हम प्रारम्भ कर रहे हैं।

प्रो॰ रासा सिंह रावत : संविधान के अन्तर्गत फण्डामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकारों में सम्मिलित करने के लिए तो कुछ बताया ही नहीं है। . . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न प्राथमिक शिक्षा में संवर्धन में अर्न्तराष्ट्रीय एजेंसियों की भूमिका से संबंधित है।

[हिन्दी]

प्रो॰ रासा सिंह रावत : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वीडन सरकार ने भारत के अन्दर लोक जुम्बिश और शिक्षाकर्मी परियोजनाएं, जो विशेषकर राजस्थान में संचालित हो रही हैं, उनके संचालन के लिए सहयोग दिया, लेकिन ज्यों ही पोकरण के अन्दर विस्फोट हुआ, उसके बाद स्वीडन सरकार ने वह सहायता देना बन्द कर दिया। उसके बाद अब सरकार ने डी॰ एफ॰ आई॰ डी॰ यू॰ के॰ एजेंसी से यह सहायता प्राप्त कने का प्रयास किया है। लेकिन इसी बीच में लोक जुम्बिश और शिक्षाकर्मी परियोजना में जो लोग लगे हुए थे, उनको कई महीनों तक वेतन प्राप्त नहीं हुआ और वे प्राथमिक स्कूल, जिनका उन्नयन हुआ था, जिनका विस्तार हुआ था या जो क्रमोन्नत हुए थे, उनका विकास एक प्रकार से अवरुद्ध हो गया है। भविष्य में इस प्रकार की स्थिति से उनको बचाने के लिए सरकार ने स्थाई रूप से इन शिक्षाकर्मी और लोक जुम्बिश शिक्षकों को सर्व शिक्षा अभियान का अंग बनाना स्वीकार कर लिया है या नहीं?

श्रीमती सुमित्रा महाजन : यह मैंने पहले ही बोला कि ऐसे जितने भी प्रोजैक्ट चल रहे हैं, उनको हम सर्व शिक्षा अभियान में ले रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, प्लीज, क्या पूछ रहे हैं?

प्रो॰ रासा सिंह रावत : मैं यह कहना चाहता हूं कि अनौपचारिक शिक्षा के 69 लाख शिक्षक देश के अन्दर बेकार हो जाएंगे, क्योंकि वे सारे शिक्षक सर्व शिक्षा अभियान के अन्दर ले लिए जाएंगे।

श्री नवल किशोर राय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो विदेशों से, यूनीसेफ, यूनेस्को इत्यादि की मदद से योजनाएं चलती हैं, मैं बिहार से आता हूं, बिहार शिक्षा परियोजना एक कार्यक्रम है, जो सात वर्षों से चलाया जा रहा है। उसमें किसी भी जनप्रतिनिधि को इन्वोल्व नहीं किया गया है। उसके जमीन पर कुछ कार्यक्रम देखने को नहीं मिलते हैं, केवल कागज पर हो रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी सर्वे कराती हैं तो उस सर्वे के प्रारूप को माननीय जनप्रतिनिधियों को समाहित करके भेजने का कष्ट करेंगी और उसका फलाफल ठीक निकले, उसके लिए जनप्रतिनिधियों को भी उसमे इन्वोल्व करने का कष्ट करेंगी?

श्रीमती सुमित्रा महाजन : माननीय अध्यक्ष जी, जितने भी प्राइमरी लेविल तक एजुकेशन के ये कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें हम तो ग्राम पंचायत लेविल तक के लोगों को उसमें समाहित करने की कोशिश की है कि उसको गांव के लोग ही बैठकर तय करें। लेकिन जहां तक आपने कहा कि सर्वे के कुछ रिजल्ट्स, उसमें आपको अगर कुछ पर्टिकुलर जानकारी चाहिए तो उस सदस्य को हम देने की कोशिश करेंगे।

श्री नवल किशोर राय : बिहार शिक्षा परियोजना के बारे पूछा है, अध्यक्ष महोदय, हमने जानकारी चाही है कि आप शिक्षा परियोजना की सर्वे रिपोर्ट की कापी जनप्रतिनिधियों को देंगी क्या?

[अनुवाद]

श्री एन्‌सी॰ जोस : अध्यक्ष महोदय, दिए गए विवरण में यह उल्लेख किया गया है कि 14 राज्य डी॰ पी॰ ई॰ पी॰ कार्यक्रम चला रहे हैं। इनमें से एक राज्य केरल है। पैसा आवंटित कर दिया गया है और इस बात की बहुत आलोचना की जा रही है कि डी॰ पी॰ ई॰ पी॰ की यह योजना केवल गरीब बच्चों के लिए बनाई गई है और यह एक समान नीति नहीं है। केवल 14 राज्य डी॰पी॰ई॰पी॰ चला रहे हैं अन्य राज्यों के बारे में क्या कहना है?

क्या आपने कभी इस योजना की प्रामाणिकता या उपयोगिता का मूल्यांकन किया है? यह कहा गया है कि यह योजना केवल गरीब बच्चों के लिए बनाई गई है जबकि सम्पन्न लोगों के बच्चे इन विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। क्या सरकार ने कभी डी॰पी॰ई॰पी॰ योजना का मूल्यांकन किया है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस योजना के मूल्यांकन हेतु एक समिति का गठन करेगी और इसे सही ढंग से परिभाषित करेगी?

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : मैंने पहले भी इसका जवाब दिया था कि डी॰पी॰ई॰पी॰ स्कीम कुछ राज्यों में चलती है। इसके एक्सपेंशन के प्रपोजल आए हुए हैं। यह स्कीम पूरी तरह से बाहरी मदद पर चलती है। सर्वशिक्षा अभियान के तहत मैंने कहा है कि 'ये सारी योजनाएं

एक ही योजना के अर्न्तगत आएंगी।' जहां तक इसके रिव्यू करने की बात है, चूंकि इसको बाहर से मदद मिलती है, फिर भी समय-समय पर इसका रिव्यू होता रहता है। जब एक्सपेंशन करते हैं तो रिव्यू के आधार पर ही करते हैं। साधारणतः हर साल दो बार इसके पूरे प्रोग्राम को रिव्यू करने की कोशिश होती है। अभी 1997 में इसके फेज-1 का रिव्यू हुआ था।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यकों पर हमले

+
***227. श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :**
श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर में 3 फरवरी, 2001 को हुई अल्पसंख्यकों की हत्याओं को देखते हुए प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर का दौरा करने के लिए एक दल गठित किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस दल के निष्कर्ष क्या रहे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) जी हां, श्रीमान्। 3.2.2001 को श्रीनगर में 6 सिक्खों की हत्याओं के मद्दे नजर प्रधानमंत्री ने जम्मू और कश्मीर का दौरा करने हेतु एक पांच-सदस्यीय दल नियुक्त किया था।

(ख) दौरे के पश्चात्, इस दल ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को श्रीनगर में महजूरनगर की घटना, जहां आतंकवादियों ने सिक्ख समुदाय के 6 पुरुष सदस्यों की हत्या की थी और महिलाओं सहित पांच को जख्मी किया था, के बारे में ब्यौरा की जानकारी दी। दल ने इस क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति में सुधार लाने के साथ-साथ प्रभावित लोगों के लिए विश्वास निर्माण उपाय करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

अध्यक्ष महोदय : श्री मल्लिकार्जुनप्पा, अब आप अनुपूरक प्रश्न रख सकते हैं।

श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा : महोदय, मुझे कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछना।

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, उत्तर के अंतिम भाग में कहा गया है कि इस क्षेत्र में दल ने सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है और साथ ही प्रभावित लोगों में विश्वास मजबूत करने हेतु उपाय किए जाने पर भी जोर दिया। यह नरसंहार कोई पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी सिक्ख समुदाय को इसका निशाना बनाया गया था और उनकी हत्याएं हुईं थीं। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि इसके बाद सरकार ने जम्मू और कश्मीर के अल्पसंख्यकों के बीच विश्वास पुनः बहाल करने हेतु और इन लोगों को अपने क्षेत्र से पलायन न करना पड़े पर सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं। ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि ऐसी हालत में जब कि उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है और उन्हें चुन-चुनकर मारा जा रहा है वे राज्य को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार ने इस संबंध में क्या किया है।

श्री सीएच० विद्यासागर राव : मेहजूरनगर और छत्तीसिंह पुरा की दो घटनाओं के पश्चात् सिक्ख समुदाय में विश्वास बहाल करने हेतु सरकार द्वारा बहुत से कदम उठाए गए हैं। जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव से इन प्रबन्धों की समीक्षा करने व यदि आवश्यक हो तो और अतिरिक्त स्थानों पर पुलिस की निगरानी व सुरक्षा बढ़ाना सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था। वहां 35 सिक्ख बहुल गांव हैं। इन सब गांवों में नियमित रूप से गश्त जारी है और वहां संचार व्यवस्था सुस्थापित की गई है। इस के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर राज्य के गृह मंत्रालय में प्रधान सचिव ने भी इन गांवों का दौरा कर रहे हैं और सिक्ख समुदाय का विश्वास पुनः बहाल कर रहे हैं।

दूसरे, सिक्ख समुदाय के लोगों को नौकरी दी जा रही है, जम्मू और कश्मीर के विभिन्न स्थानों पर बहुत से युवाओं को भर्ती किया गया है। सिक्ख समुदाय को सभी प्रकार का संरक्षण दिया जा रहा है; बड़ी संख्या में गश्त जारी है, संचार व्यवस्था सही प्रकार से स्थापित कर दी गई है, अतः अब वहां विश्वास का माहौल है।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : माननीय गृह मंत्री जी, कश्मीर का मसला, खासकर श्रीनगर का मसला इतना नाजुक है कि 'ज्यों ज्यों दवा की गई, मर्ज बढ़ता ही गया' वाली बात हो रही है। वहां पर अल्पसंख्यक रह ही नहीं गये हैं। वहां पहले ब्राह्मणों का कत्लेआम किया गया और अब सिखों की बारी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं और वह बताएं कि इसके पहले वहां अल्पसंख्यक कितने थे, आज कितने हैं और भविष्य में क्या वे सुरक्षित रह पाएंगे? जो भी वहां घटनाएं हो रही हैं, आज वे वहां सुरक्षित नहीं हैं। क्या उनकी सुरक्षा के लिए कोई विशेष व्यव्स्था की जाएगी और क्या फौज को अधिकार दिया जाएगा कि वे वहां के अल्पसंख्यकों की रक्षा करें?

[अनुवाद]

श्री सीएच० विद्यासागर राव : हम राज्य सरकारों को एस०पी०ओ० से संबंधित धनराशि वापस कर रहे हैं, और अब इसे सुरक्षा से संबंधित मान लिया गया है। 16 फरवरी, 2001 से इसे 18000 से बढ़ाकर 21000 रुपये कर दिया गया है। एस०पी०ओ० को न केवल 1500 रुपये का मासिक मानदेय दिया जाता है बल्कि उन्हें हथियार और गोला-बारूद भी उपलब्ध कराया जाता है। हम उन्हें इसे इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण भी देते हैं। यह पहला भाग है।

दूसरी बात कि राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा कार्यवाही किए जाने के कारण घाटी में अल्पसंख्यक समूहों के बीच विश्वास कायम करने के लिए विभिन्न स्थानों पर विभिन्न समुदाओं की अनेक संयुक्त बैठकें हुई हैं। जम्मू और कश्मीर पुलिस द्वारा उनकी सुरक्षा हेतु अतिरिक्त टुकड़ियों की तैनाती के अलावा सिक्ख आबादी वाले 130 गांवों को सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त अन्य इंतजाम करके सुरक्षा बलों को सिक्ख बहुल गांवों के निकट तैनात किया गया है। अत: वे पूर्णतया सुरक्षित हैं और इस पर किसी प्रकार की आशंका का कोई कारण नहीं है। वे अपने स्थानों से पलायन भी नहीं कर रहे और अब उनका आत्मविश्वास फिर से कायम हो गया है।

तीसरी कि छत्तीसिंह पुरा और अन्य गांवों के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है; गश्त और जांच बढ़ा दी गई है। सिक्ख बहुल मुहल्लों में अतिरिक्त बलों को तैनात किया गया है। श्रीनगर शहर में सिक्खों की रिहाइश वाले 60 स्थानों में अतिरिक्त बलों को तैनात किया गया है। पुलिस थानों और विशेष कार्यवाही दलों को सूचनाएं एकत्रित करने और संयुक्त कार्यवाही करने का कार्य सौंपा गया है। अत: सारे एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। अत: उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा रही है और अल्पसंख्यक वहां सुरक्षित हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह एक लंबा उत्तर है। अत: अब मैं अगले प्रश्न की अनुमति देता हूं।

[हिन्दी]

जनगणना-2001

+
*228. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :**
श्री पदम सेन चौधरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जनगणना 2001 का कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति, विकलांगों और बेघरबार व्यक्तियों को भी जनगणना में शामिल किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जनगनणना में देश में रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान के लिए व्यवस्था की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां, तो श्रीमान। भारत की जनगणना 2001 में जनसंख्या की गणना समस्त देश में पूरी कर ली गयी है। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने के कारण गुजरात और हिमाचल प्रदेश के कतिपय क्षेत्रों में जनगणना नहीं करायी जा सकी।

(ख) और (ग) जी हां, श्रीमान। भारत की जनगणना 2001 की जनसंख्या की गणना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा नि:शक्तता के बारे में जानकारी एकत्र की गई है।

(घ) और (ङ) जी नहीं, श्रीमान।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह जानकारी करनी है कि जो अभी जनगणना हुई है, उसमें एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों का भी क्या अलग से विश्लेषण किया गया है? दूसरे बंगलादेश के लोग हर शहर में हैं चाहे वह जयपुर हो, अजमेर हो या देश का कोई भी शहर हो, सब जगह बंगलादेशी ठहरे हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन सबको भी जनगणना में शामिल किया गया है या नहीं किया गया है?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : जहां तक एससी, एसटी लोगों को एन्यूमरेट करने का ताल्लुक है, इस जनगणना में भी और इसके पहले वाली जनगणना में भी हमेशा उनको गिना जाता रहा है। कंफ्यूजन यह है कि बहुत सारी स्टेट्स में एससी की अलग-अलग लिस्ट्स हैं। जिस स्टेट में वे लिस्ट में हैं, उस स्टेट में उनकी गिनती होती है लेकिन उस स्टेट के बाहर गिनती नहीं होती। लेकिन अगर कोई एससी उस लिस्ट में है तो उसमें उसकी गिनती होती है। जहां तक दूसरे सवाल का ताल्लुक है कि बंगलादेश से आने वाले माइग्रेंट्स कितने हैं और कौन हैं, यह जानकारी सैंसस में नहीं दी जाती, यह रेस्पोंडेंट्स से सवाल नहीं किया गया है क्योंकि कोई आदमी यह नहीं बताएगा कि मैं बंगलादेश से आया हूं। . . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं बंगलादेश से आया हूं। . . . *(व्यवधान)* इसमें हर्ज क्या है? . . . *(व्यवधान)* किसी को बंगलादेशी होने के नाते आरोपित नहीं किया जाना चाहिए। यह प्रश्न उठाने की अनुमति ही क्यों दी गई है? ऐसा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। मैं बंगलादेश में पैदा हुआ था अत: अब क्या होगा?

[हिन्दी]

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : मुंशी जी, हमने जनगणना में . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आपका केवल श्री गिरधारी लाल भार्गव के अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देना है।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : आप अखण्ड भारत के हैं, बंगलादेश से आए हुए नहीं हैं। अपने मन से इस भ्रम को निकाल दिजिए। बंगलादेश बनने के बाद आप पैदा नहीं हुए हैं, अखण्ड भारत के हिस्से हैं। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है। आप माननीय सांसद को उत्तर भेज सकते हैं।

(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

राष्ट्रीय महिला नीति

***221. श्री चन्द्रकांत खैरे :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1996 के दौरान सरकार द्वारा शुरु की गई राष्ट्रीय महिला नीति को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस नीति को अंतिम रूप देने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (ग) महिला सशक्तिकरण नीती का प्रारूप 1995 में तैयार किया गया था। स्वैच्छिक संगठनों, शिक्षाविदों, महिला कार्यकर्ताओं, सम्बन्धित मंत्रालय के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया और इस पर संसद की परामर्शदात्री समिति की बैठक में चर्चा की गई। इसके आधार पर, नीति का एक संशोधित रूप अगस्त, 1997 में तैयार किया गया। लेकिन, केन्द्र में सरकार में परिवर्तन हो जाने के कारण इस पर अन्तिम निर्णय नहीं हो पाया। अब राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति का प्रारूप सरकार के विचाराधीन है।

वाटर ट्रेन

***224. श्री पी०सी० थामस :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल राज्य बिजली बोर्ड के एक इंजीनियर द्वारा 1987 में 'वाटर ट्रेन' के नाम से विकसित की गई अद्भुत खोज की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में विदेशी विशेषज्ञ संगठनों से कोई रिपोर्ट मांगी थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस मामले में उनकी रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में 'वाटर ट्रेन' प्रौद्यौगिकी को वाणिज्यिक रूप से कार्यान्वित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) और (ख) जी, हां। केरल राज्य बिजली बोर्ड के एक इंजीनियर श्री कुरियन जॉर्ज ने वाटर की एक अवधारणा विकसित की है जिसमें दो या अधिक पात्रों को एक साथ रखा जाता है और उन्हें पानी की वाहिका पर एक मोनोरेल के सहारे प्रवाहित किया जाता है। केरल सरकार की विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण राज्य समिति (एस.टी.ई.सी.) द्वारा सहायता प्रदत्त एक परियोजना के माध्यम से एक मॉडल का कोचीन विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में परीक्षण किया गया।

(ग) नहीं, विभाग ने इस मामले को किन्हीं विदेशी विशेषज्ञों अथवा संगठनों के पास भेजा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) डी.एस.टी. द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी, संस्थान, खड्गपुर में "वाटर ट्रेन - परीक्षणात्मक एवं क्षेत्रीय मॉडल" नाम की एक परियोजना के लिये सहायता प्रदान की गई है जिसके सह-अनुसंधाता श्री कुरियन जॉर्ज हैं। प्रयोग एवं परीक्षण कार्य अपने अंतिम चरण में हैं। वाटर ट्रेन का वाणिज्यिक स्तर पर कार्यान्वयन जाना इन जांच कार्यों तथा अग्रदर्शी प्रयोक्ताओं तथा/अथवा उद्यमियों द्वारा अभिरुचि दिखाये जाने पर निर्भर करेगा।

कोयला खनन नीति

***226. श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 1979 की कोयला खनन नीति के स्थान पर ऐसी नई नीति लाने का प्रस्ताव है जिसमें राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों को भूमिगत और खुले मुहाने वाली विधियों से कोंकिंग और गैर-कोंकिंग कोयले के खनन की अनुमति दी जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई कोयला खनन नीति मे सी.आई.एल. के अधीन विभिन्न कोयला खानों के विस्तार और आधुनिकीकरण पर प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त नीति को कब तक बदले जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा प्रस्तावित खनन नीति के ब्यौरे को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) नई नीति में केवल राज्य सरकार के उपक्रमों अथवा कंपनियों द्वारा कोयला खनन के मुद्दों को ही संबोधित किया गया है। राज्य सरकार के उपक्रमों तथा केपनियों को केवल उन्हीं क्षेत्रों में कोयला खनन की अनुमति दी जाएगी जिन्हें सी.आई.एल. द्वारा प्रचालित नहीं किया जा रहा है और उसके लिए सी.आई.एल. से "अनापत्ति प्रामाण-पत्र" प्राप्त करना होगा।

(ङ) प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और मामले में निर्णय के लिए समय-समय निर्दिष्ट करना संभव नहीं होगा।

सभी स्कूलों के लिए समान पाठ्यक्रम

***229. श्री के० येरननायडू : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देशभर के सभी स्कूलों में एक समान मानक पाठ्यक्रम लागू करने का है ताकि विद्यार्थी देश भर में किसी भी राज्य में समान स्तरीय सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (ग) जी, नहीं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा केवल राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा परिचालित किया गया है जो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राज्य शिक्षा बोर्ड के लिए दिशा-निर्देश के तौर पर कार्य करता है।

[हिन्दी]

उच्च शिक्षा संस्थाएं

***230. श्री सुन्दर लाल तिवारी:**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री ने उच्च शिक्षा संस्थाओं को नौकरशाही के चंगुल से मुक्त कराने की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

नेशनल नॉलेज नेटवर्क

***231. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सभी स्तरों पर मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा और पारम्परिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार का विचार 'नेशनल नॉलेज नेटवर्क' विकसित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका विकास कब तक किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्व भर में सूचना क्रान्ति हो रही है और यह आवश्यक है कि देश हो रहे इस विकास के साथ-साथ चले। इस संबंध में अनेक उपाय किए जा रहे हैं जिनमें अध्ययनशील ज्ञानोन्मुख समाज बनाने के लिए पाठ्यक्रम में संशोधन करना, ज्ञान प्रदान करने/इसका प्रचार-प्रसार करने में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों, इलेक्ट्रानिक मीडिया का उपयोग बढ़ाना, शिक्षा के सभी स्तरों पर इन्टरनेट कनेक्टिविटी सहित कंप्यूटरीकरण करना, शैक्षिक संस्थाओं की नेटवर्किंग, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति की पहुंच को बढ़ाने के लिए व्यावहारिक विश्वविद्यालयों की स्थापना करना इत्यादि शामिल हैं।

राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने "इण्डियन ओपन स्कूलिंग नेटवर्क" नामक एक नेटवर्क तैयार किया है जिसमें पूरे देश में फैले बड़ी संख्या में इन्टरनेट आधारित विद्यालयों को एक-दूसरे से जोड़ा गया है। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय भी नेटवर्क के माध्यम से कुछ प्रबंधन कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम सामग्री, परीक्षा/पंजीकरण सूचना, ऑन लाइन प्रवेश और मूल्यांकन जैसी विभिन्न सुविधाएं प्रदान कर रहा है।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने लगभग 100 इंजीनियरी कालेजों और 70 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों को कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान की है। इसके साथ-साथ लगभग 500 अन्य शैक्षिक संस्थाओं को "डायल अप कनेक्टिविटी" प्रदान की गई है और पूर्वोत्तर राज्यों में 30 सामुदायिक सूचना केन्द्र शुरु किए गए हैं।

सीमा विवादों के लिए न्यायाधिकरण का गठन

*232. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों के सीमा विवाद सुलझाने के लिए एक अधिकरण या तंत्र गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) यह अनिवार्य रूप से संबंधित राज्य का कार्य है कि वे अपने विवादों का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधन करें। तथापि, भारत सरकार ऐसे विवादों का समाधान करने हेतु मददगार के रूप में कार्य करेगी।

एड्स संबंधी औषधियों के मूल्य

*233. **श्री नरेश पुगलिया :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एड्स देश में महामारी का रूप ले रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त रोग में राहत पहुंचाने वाली औषधियों के बाजार मूल्य बहुत अधिक हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन औषधियों के बहुत अधिक मूल्य होने के क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार ने इन औषधियों के बाजार मूल्य में कमी लाने के लिए कोई उपाय किए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) और (ख) 180 स्थानों से एकत्रित सेन्टिनेल निगरानी डाटा, 1999 के विश्लेषण के आधार पर एच.आई.वी. की व्यापकता को मोटे तौर पर देश के राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के तीन ग्रुपों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

ग्रुप-I इसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, मणिपुर और नागालैण्ड जैसे राज्य शामिल हैं जहां एच आई वी संक्रमण प्रसव पूर्व महिलाओं में 1 प्रतिशत या उससे अधिक हो गया है।

ग्रुप-II इसमें गुजरात, गोवा और पांडिचेरी जैसे राज्य शामिल हैं, जहां अधिक जोखिम वाले ग्रुपों में एच आई वी संक्रमण 5% और उससे अधिक हो गया है, किन्तु प्रसवपूर्व महिलाओं में यह संक्रमण 1% से कम है।

ग्रुप-III इसमें शेष राज्य शामिल हैं, जहां एच आई वी संक्रमण किसी भी अधिक जोखिम वाले वर्ग में अभी भी 5% से कम और प्रसवपूर्व महिलाओं में 1% से कम है।

(ग) और (घ) एड्स के उपचार की औषधें औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं। विभिन्न स्त्रोतों/प्रकाशनों जैसे ओ आर जी-एम ए आर जी, इंडियन ड्रग रिव्यु (आई डी आर), मन्थली इन्डैक्स आफ मेडिकल स्पेस्लिस्ट्स आफ इंडिया (एम आई एम एस) से उपलब्ध जानकारी के अनुसार लेमीवुडाइन, जिडोवडाइन, नेविरापाइन और स्टेवूडाइन जैसी 4 प्रपुंज औषधों पर आधारित विभिन्न पैक आकारों में लगभग 20 दवाइयां उपलब्ध हैं। इन दवाइयों की प्रति युनिट (टिकीया/कैप्सुल) के दाम मैसर्स जाइयोडस-बायोजेन द्वारा निर्मित/विपणित 10.000 रुपए प्रति टिकिया वाली जिडोविन (100 मि. ग्रा.) से लेकर मैसर्स ग्लैक्सो-वेलकम द्वारा निर्मित/विपणित काम्बीवीर (150 मि. ग्रा.) को 82 रुपए प्रति टिकिया तक हैं।

यह भी देखा गया है कि कुछ एड्स औषधों की कीमतें पिछले तीन वर्षों में कम हुई हैं। मेसर्स सिपला की जिडोविर कैप्सूल की 185.31 रुपए (जुलाई-सितम्बर, 1999) से घटकर 100.80 रुपए (दिसम्बर, 2000) हो गई है। इसी प्रकार मेसर्स सिपला की लैमिवीर (150 मि०ग्रा० प्रति 10 का पत्ता) की कीमत 500.00 रुपए (दिसम्बर, 1998) से घटकर 325.89 रुपए (दिसम्बर, 2000) में हो गई है। मेसर्स ग्लैक्सो वेलकम की रेट्रोवीर कैप्सूल की कीमत (100 मिग्रा./100 का) अपरिवर्तित रही, किन्तु इसकी बिक्री मात्रा में पर्याप्त कमी हुई है।

(ङ) दवाइयों की कीमतों में वृद्धि सामान्यत: कच्चे मालों, परिवहन/भाड़ा, विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन, करों और शुल्कों आदि में परिवर्तन के कारण हुई है।

(च) और (छ) समय-समय पर यथा संशोधित औषध नीति का उद्देश्य उचित कीमत पर उत्तम गुणवत्ता वाली दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

मेगा सिटी स्कीम के अंतर्गत
केन्द्रीय सहायता

*234. **श्री ए० वेंकटेश नायक:**
श्री अशोक ना० मोहोल:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों, विशेषत: कर्नाटक और महाराष्ट्र को "मेगा सिटी स्कीम" के अंतर्गत प्रदान की गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई योजनाओं का योजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन योजनाओं को शीघ्र पूरा करने के संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा चालू योजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन (श्री जगमोहन) : (क) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान मेगा सिटी के अंतर्गत मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बंगलौर को दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में हैं।

स्कीम के अंतर्गत वित्तपोषण पैटर्न में केन्द्र सरकार द्वारा 25% अनुदान, राज्य सरकार द्वारा 25% अनुदान और शेष 50% वित्तीय संस्थाओं तथा पूंजी बाजार के जरिए संस्थागत वित्त से पूरा किए जाने की व्यवस्था है। ऋण, नोडल एजेंसी, अथवा कार्यान्वियन एजेंसी द्वारा लिया जा सकता है। परियोजना भूमि और निजी निवेश, विचाराधीन परियोजना के समग्र पैरा मीटरों के अनुसार अंशत: संस्थागत वित्त का स्थान ले सकते हैं। परियोजनाएं राज्य स्तरीय मंजूरी समिति द्वारा स्वीकृत की जाती हैं।

स्कीम के अंतर्गत, शहरी सीमा क्षेत्रों के विकास, शहर नवीकरण, शहरों में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, विशेषकर शहरी गरीबों के लिए, किफायती लागत पर सुविधायुक्त भूमि और स्थलों/मकानों की व्यवस्था को बढ़ाना, स्लम सुधार और पुनर्वास परियोजनाएं, परिवहन दिक्कतों के निवारण के लिए महानगर क्षेत्रां में मुख्य मार्गों/उप मार्गों के निर्माण/सुधार/विस्तार, मेगा शहरों के चारों ओर मुद्रिका मार्ग/बाहरी मुद्रिका मार्ग तथा बाई- पास बनाना, ट्रक टूर्मिनलों का निर्माण और विस्तार, शहर में जल आपूर्ति और सीवरेज तथा जल निकासी प्रणाली में सुधार, शहर में कचरा निपटान स्कीमें तथा अर्बन वेस्ट कंपोस्टिंग प्लांट लगाना, पर्यावरणीय सुधार और सफाई तथा शहर सज्जा स्कीमें, विशाल वाणिज्यिक और व्यापार परिसरों तथा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्रों, विश्व व्यापार तथा प्रदर्शनी केन्द्रों तथा इसी प्रकार के अन्य निर्माण, कामकाजी महिलाओं के लिये होस्टल, पर्यटक परिसर (लेकिन होटल नहीं), बारात घर, वृद्ध आश्रयगृहों तथा अनाथालयों, सामुदायिक शौचालयों सहित रैन बसेरों आदि जैसे भवनों से संबंधित अवस्थापना परियोजनाएं ली जाती हैं।

इन अवस्थापना परियोजनाओं की अवधि लम्बी होती है। स्कीम में शामिल परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की दृष्टि से सरकार स्कीम की प्रगति की नियतकालिक समीक्षा करती है।

चूंकि यह अनवरत चालू स्कीम है और परियोजनाएं नियतकालिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं, इसलिए परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। स्कीम के आरंभ से प्रत्येक शहर द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के ब्यौरे और 31.12.2000 को उनकी भौतिक और वित्तीय प्रगति संलग्न विवरण-II में हैं।

विवरण-I

मेगा शहरों में अवस्थापना के लिए केन्द्र प्रवर्तित स्कीम
(मेगा सिटी स्कीम)

मेगा शहर का नाम		जारी केन्द्रीय अंश (करोड़ रु० में)
मुम्बई	97-98	17.73
	98-99	17.39
	99-2000	19.40
	2001-01 (अभी तक)	20.08
कोलकाता	97-98	14.89
	98-99	16.23
	99-2000	16.78
	2001-01 (अभी तक)	19.09
चेन्नई	97-98	12.81
	98-99	13.78
	99-2000	14.15
	2001-01 (अभी तक)	16.10
हैदराबाद	97-98	12.22
	98-99	13.90
	99-2000	15.66
	2001-01 (अभी तक)	14.95
बंगलौर	97-98	11.25
	98-99	13.55
	99-2000	13.91
	2001-01 (अभी तक)	14.42

विवरण-II

मेगा शहरों में अवस्थापना विकास के लिए केन्द्र प्रवर्तित स्कीम
(मेगा सिटी स्कीम)

वित्तीय और भौतिक प्रगति (31.12.2000 को)

(करोड़ रुपये में)

मेगा शहर का नाम	अनुमोदित परियोजनाएं	कुल परियोजना लागत	जारी परियोजनाएं	पूर्ण परियोजनाएं	शुरू की जाने वाली परियोजनाएं	जारी केन्द्रीय अंश (7.3.2001 को)	जारी राज्य अंश	किया गया खर्च .
मुम्बई	48	808.39	17	15	16	141.96	121.78	346.87
कोलकाता	97	821.16	42	41	13	134.85	212.17	375.13
चेन्नई	103	812.02	29	61	13	112.10	126.11	358.49
हैदराबाद	126	589.38	108	08	10	110.22	92.41	285.53
बंगलौर	21	346.75	15	03	03	98.96	100.28	190.63
कुल	394	3377.70	211	128	55	598.09	652.75	1556.65

विटामिन "ए" की कमी

***235. श्री किरीट सोमैया :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में लगभग 12 मिलियन लोग विटामिन "ए" की कमी से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दिनांक 15 फरवरी, 2001 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में" गोल्डन राइस ऑन प्लैटर सून" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के अनुसार जैव-प्रौद्योगिकी विभाग गोल्डन राइस परियोजना में स्विटजरलैंड के साथ संयुक्त अनुसंधान में भाग लेने जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जैवप्रौद्योगिकी विभाग और आई.सी.ए.आर. ने इस परियोजना में पर्याप्त रुचि दिखाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) अनुसंधान कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो (एन एन एम बी) के हाल ही में हुए पुन: सर्वेक्षण से पता चला है कि स्कूल जाने से पूर्व के बच्चों में 0.7 प्रतिशत विटामिन "ए" की कमी होती है। यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 12 मिलियन लोग विटामिन-ए की कमी से पीड़ित हैं।

(ख) से (च) जैव-प्रौद्योगिकी में भारत-स्विस सहयोग (आई एस सी बी) के द्वितीय चरण के अन्तर्गत विचाराधीन परियोजनाओं में से एक गोल्डन राइस प्रौद्योगिकी से संबधित है। प्रस्ताव में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर) और अन्य वैज्ञानिक संस्थान और विश्वविद्यालय शामिल हैं। संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम में बैक-क्रासिंग, जीन को कोड करने वाले बी टी केरोटीन, जो विटामिन ए का एक अग्रदूत है, का निष्पीडन तथा अंतरण और भारतीय पर्यावरण में जैवसुरक्षा अध्ययन शामिल हैं। जिन भारतीय संस्थानों का चयन किया गया है वे हैं : भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली; दिल्ली विश्वविद्यालय, साऊथ कैम्पस, नई दिल्ली; तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर और चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद। क्रियान्वयन और निगरानी बायाटेक्नोलॉजी, विभाग (डी बी डी) और आई सी ए आर के वैज्ञानिकों और कुछ अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी। स्विस प्रयोगशालाओं में भारतीय वैज्ञानिकों का प्रशिक्षण परियोजना का एक अभिन्न अंग है। संसाधनहीन किसानों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोविटामिन-ए समृद्ध भारतीय चावल की किस्मों पर हो रहे शोध के परिणाम राष्ट्रीय जैवसुरक्षा दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए 5-6 वर्षों के अन्दर प्राप्त होने की आशा है।

महिलाओं और बालिकाओं की छवि

***236. श्री सुबोध मोहिते :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नीति निर्माताओं, आयोजकों, प्रशासकों, प्रवर्तन तंत्र, आदि को लिंग-भेद के प्रति संवेदनशील बनाने के प्रयास कर रही; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) जी, हां। तो महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वावधान में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, पुलिस कार्मिकों आदि के लिए महिला संचेतना कार्यक्रम, अभिविन्यास पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि चला रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने भी सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे राज्य स्तरीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमियों में प्रवर्तन तन्त्र हेतु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के घटक के रूप में महिला मुद्दे के प्रति संचेतना माड्यूल को शामिल करें और सरकार के अन्य स्कन्धों में महिला मुद्दों के प्रति संचेतना लाने के उपाय भी करें।

कृमिनाशकों के कु-प्रभाव

*237. **श्री जी०एस० बसवराज** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पर्यावरण में गिरावट को रोकने और कृषक समुदाय की कृमिनाशकों के कु-प्रभावों से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की परियोजनाओं का समर्थन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार एशिया और प्रशांत क्षेत्र के क्षेत्रीय कृमिनाशक नेटवर्क की एक बैठक प्रायोजित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो बैठक के इस दिशा में कितना उपयोगी होने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार, एशिया और प्रशान्त के लिए पेस्टिसाइडों से संबंधित क्षत्रीय नेटवर्क (रैनपेप) नामक एक यू एन डी पी निकाय के साथ उपयोगकर्ता और पर्यावरण के अनुकलन पेस्टिसाइड सूत्रयोगों के उत्पादन और गुणवत्ता आश्वासन से संबंधित क्षेत्रीय कार्यशाला नई दिल्ली में 12-16 मार्च, 2001 तक सह-प्रायोजन कर रही है।

(ग) इस कार्यशाला का उद्देश्य नेटवर्क के सदस्य देशों के जल आधारित सूत्रयोगों के उत्पादन तथा गुणवत्ता आश्वासन में उनकी क्षमता को सुदृढ़ बनाना है जो परम्परागत रूप में पेस्टिसाइड सूत्रयोगों में प्रयोग किए जाने वाले नान-बायोडिग्रेडेबल संघटकों को कम करेगा और इससे अंततोगत्वा पर्यावरण की हानि रुकेगी तथा कृषि समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

*238. **श्री माधवराव सिंधिया** :
श्री सुनील खां :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों ने सड़क विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत आबंटित निधियों के विकास पर खर्च की है;

(ख) यदि हां, तो अब तक राज्य-वार लगभग कितनी लम्बी सड़कों का विकास किया गया है;

(ग) क्या इस योजना के कार्यान्वियन के संबंध में राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस योजना के तहत दूरदराज और आदिवासी क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने का है;

(च) यदि नहीं, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या पी एम जी एस वाई एक केन्द्र प्रायोजित योजना है;

(ज) यदि नहीं, तो इस योजना में राज्य सरकारों की कितनी भागीदारी है; और

(झ) इस योजना के तहत राज्यों को निधियों की दूसरी किस्त कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू): (क) से (घ) वर्ष 2000-2001 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई) हेतु आबंटिक 2500 करोड़ रुपये की राशि की तुलना में, 23 राज्यों तथा दो संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त 2162.56 करोड़ रुपये के परियोजना प्रस्तावों को अब तक मंजूरी दे दी गई है। राज्य-वार स्थिति विवरण-I में दी गई है।

(ङ) और (च) पी एम जी एस वाई के अंतर्गत, यह परिकल्पना की गई है कि 1000 और इससे अधिक की जनसंख्या वाली सभी ग्रामीण बसावटों को 2003 तक अच्छी बरहमासी सड़कों से जोड़ दिया जाएगा, जबकि दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों सहित 500 और इससे अधिक जनसंख्या वाली सभी ग्रामीण बसावटों को 2007 तक तक अच्छी बरहमासी सड़कों से जोड़ दिया जाएगा बशर्ते निधियां उपलब्ध हों। सड़कों से न जुड़े गांवों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या विवरण-II में दी गई है।

(छ) से (झ) वर्ष 2000-2001 के लिए केंद्र द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में और शत प्रतिशत अनुदान के रूप में मुहैया कराई जा रही है। राज्य सरकारों को निधियां एक किस्त में जारी की जा रही हैं।

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मंजूर की गई राशि (करोड़ रुपये में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	190.01
2.	अरूणाचल प्रदेश	15.00
3.	असम	4.65
4.	बिहार	149.90
5.	छत्तीसगढ़	88.58
6.	गोआ	0.65
7.	गुजरात	49.81
8.	हरियाणा	20.67
9.	हिमाचल प्रदेश	60.00
10.	जम्मू और कश्मीर	20.00
11.	झारखंड	110.18
12.	कर्नाटक	92.27
13.	केरल	19.71
14.	मध्य प्रदेश	212.47
15.	महाराष्ट्र	130.81
16.	मिजोरम	19.93
17.	उड़ीसा	174.66
18.	पंजाब	24.66
19.	राजस्थान	130.51
20.	तमिलनाडु	153.49
21.	त्रिपुरा	24.75
22.	उत्तर प्रदेश	319.22
23.	पश्चिम बंगाल	135.00
24.	पांडिचेरी	5.00
25.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	10.59
	कुल	2162.56

विवरण-II

सड़कों से न जुड़े गांवों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण (स्रोत: योजना आयोग)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गांवों की कुल संख्या 1991 की जनगणना	1000 और उससे अधिक की आबादी वाले गांवों की संख्या	31.3.97 तक सड़कों से जोड़े गए गांवों की अनुमानित संख्या	शेष (कालम 4-5)	1000 से कम आबादी वाले गांवों की संख्या	31.3.97 तक सड़कों से जोड़े गए गांवों की अनुमानित संख्या	शेष (कालम 7-8)	सड़कों से न जुड़े गांवों की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	26586	14422	12878	1544	12164	9954	2210	3754
2.	अरूणाचल प्रदेश	3649	116	100	16	3533	1380	2153	2169
3.	असम	23208	3872	3807	65	19336	13491	5839	5904
4.	बिहार	67546	17467	11925	5542	50079	20391	29683	35230
5.	गोवा	369	200	200	0	169	168	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	गुजरात	18028	9507	9409	98	8521	7597	924	1022
7.	हरियाणा	5759	3470	3469	1	3289	3209	80	81
8.	हिमाचल प्रदेश	16997	634	407	227	16363	7220	9143	9370
9.	जम्मू और कश्मीर	6241	1474	1217	257	4767	2890	1877	2134
10.	कर्नाटक	27066	9953	9951	2	17123	17012	101	103
11.	केरल	1731	17[illegible]9	1708	11	12	10	2	13
12.	मध्य प्रदेश	65526	8935	5930	2955	56591	12326	43565	46920
13.	महाराष्ट्र	39522	13275	12615	660	26247	15356	10891	11551
14.	मणिपुर	2180	346	282	64	1834	720	1104	1178
15.	मेघालय	5484	144	109	35	5340	2377	2953	2998
16.	मिजोरम	785	102	102	0	683	552	131	131
17.	नागालैंड	1119	281	281	0	838	713	125	125
18.	उड़ीसा	50970	7173	5723	1450	43797	19224	24473	25923
19.	पंजाब	12428	4978	4976	0	7450	7111	339	339
20.	राजस्थान	37889	10766	9309	1457	27123	10404	16719	18176
21.	सिक्किम	453	112	108	4	341	252	89	93
22.	तमिलनाडु	56837	9705	9188	517	41132	18830	24302	24819
23.	त्रिपुरा	7412	400	400	0	7012	3375	3637	3037
24.	उत्तर प्रदेश	112803	37937	17105	20832	74866	39761	35105	55937
25.	प. बंगाल	38075	10429	6918	3511	27646	11613	16033	19544
	कुल (राज्य)	623663	107417	128160	39248	456246	224342	231804	271152
	संघ राज्य क्षेत्र								
26.	अंडमान और निकोबार	504	56	55	1	448	169	279	280
27.	चण्डीगढ़	22	22	22	0	0	0	0	0
28.	दादरा और नागर हवेली	71	38	38	0	33	33	0	0
29.	दमन और द्वीव	24	15	15	0	9	9	0	0
30.	दिल्ली	171	160	160	0	11	11	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	लक्षद्वीप	4	2	0	2	2	0	0	4
32.	पांडिचेरी	264	93	93	0	171	171	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	1060	386	383	3	674	353	281	284
	योग (राज्य+संघ राज्य क्षेत्र)	624723	167803	128552	39251	455920	224735	232185	271436

[हिन्दी]

विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन

***239. मोहम्मद शहाबुद्दीन :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान विज्ञान कांग्रेस के सम्मेलन में राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा दी गई उस चेतावनी की ओर दिलाया गया है कि निकट भविष्य में देश की जलवायु में परिवर्तन के कारण धान और गेहूं के उत्पादन में भारी कमी आ सकती है और साथ ही शहरी आबादी में पेयजल का गंभीर संकट पैदा हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अन्य कौन-सी समस्याएं आने की आशंका है; और

(ग) सरकार ने इन समस्याओं का सामना करने के लिए क्या ठोस उठाए किए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) पूर्व निदेशक, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला एवं पूर्व महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2001 में आमंत्रित चर्चा के दौरान कृषि एवं जल उपलब्धता पर जलवायु-परिवर्तन के प्रभावों का उल्लेख किया गया।

(ख) जलवायु-परिवर्तन ग्रीन हाउस गैसों (यथा कार्बन डाइ-ऑक्साइड, मैथैन, नाइट्रस ऑक्साइड, सीएफसीएस, क्षोभमंडलीय ओजोन, इत्यादि), पूर्वगामी गैसों (यथा कार्बन मोनोआक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइडों इत्यादि) और वायुमंडल में वायु विलयों की सांद्रण वृद्धि में कारण होता है। जलवायु में परिवर्तन से वर्षण में वद्धि, मानसून पैटर्नों में परिवर्तन तथा सूर्य की रोशनी में कमी हो सकती है। दीर्घावधि में ये कृषि की वर्तमान पणाली के साथ-साथ धान और गेहूं की फसलों तथा जल की उपलब्धता को प्रभावित कर सकते हैं। अदक्ष जीवाश्म ईंधन उपयोगादि के कारण वायुमंडल में वायु विलयों की वर्धित मात्रा से श्वसन समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

(ग) भारत ने इंडियन ओशन एक्सपेरिमेंट (आईएनडीओईएक्स) नामक अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी कार्यक्रम में भाग लिया, इसके अंतर्गत भारतीय क्षेत्र के ऊपर वायु विलयों के संयोजक, आमाप, विस्तार, रूपांतरण तथा गतिकी विषयक विस्तृत अध्ययन किए गए। सरकार ने नीतिगत उपाय आरंभ किए हैं जिनके अंतर्गत जीवाश्म ईंधन उपयोग के कारण उत्पन्न होने वाले प्रभावों को कम करने के लिए उन्नत ऑटोमोटिव ईंधनों को बढ़ावा, प्रदूषण संबंधी सख्त प्रतिमानकों की स्थापना तथा अपरम्परागत ऊर्जा स्रोतों आदि के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत चार सूची कार्यक्रम

***240. श्री शिवाजी माने :**
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के क्रियान्वयन की कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने और गांवों में केन्द्रीय विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु एक चार सूत्री कार्यक्रम शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ग्रामीण लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू): (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है। यह मंत्रालय राज्य प्राधिकारियों, से समय-समय पर प्राप्ति प्रगति रिपोर्टों, क्षेत्र अधिकारियों की योजना के अंतर्गत मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा क्षेत्र दौरों, राज्यों के सचिवों तथा जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के परियोजना निदेशकों/जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श तथा केन्द्र में कार्य निष्पादन समीक्षा समिति के जरिए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की विस्तृत समीक्षा करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई राज्यों का दौरा किया है।

एक कार्य योजना जिसमें (i) योजनाओं के प्रति जागरूकता, (ii) पारदर्शिता (iii) लोगों की भागीदारी (iv) जवाबदेही-सामाजिक लेखा परीक्षा शामिल है, के रूप में कदम उठाए गए हैं ताकि बेहतर तरीके से सुनिश्चित किया जा सके कि योजना का लाभ लक्षित समूहों तक पहुंचाता है। इस नीति के कार्यान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रमों के निष्पादन की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा विकास की गति में तेजी लाने में मदद मिलेगी।

दिल्ली में किराए के मकान

2271. **श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में किराए पर उठाए गए मकानों के बारे में जानकारी देने हेतु कोई आदेश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने दिल्ली में अब तक कितने मकानों के बारे में जानकारी प्राप्त की है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस पर कोई कार्रवाई करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव): (क) पुलिस आयुक्त, दिल्ली ने, उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह आदेश जारी किए हैं कि उक्त आदेश में निर्दिष्ट क्षेत्रों में आने वाले किसी आवास/सम्पत्ति का भूस्वामी/मालिक/व्यक्ति भी व्यक्ति को तब तक कोई आवास पट्टे पर/उप-किराए पर/किराए पर नहीं देगा जब तक कि वह उक्त किराएदार के ब्यौरे संबंधित पुलिस थाने के स्टेशन हाऊस अधिकारी का प्रस्तुत न कर दें। ये आदेश इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए हैं कि आतंकवादी/असामाजिक तत्व रिहायशी क्षेत्रों में छिपने में सफल न हो पाएं।

(ख) गत दो वर्षों और इस वर्ष 31 जनवरी तक के दौरान इस बारे में जिन घरों से सूचना प्राप्त हुई है उनकी संख्या 53,840 है।

(ग) से (ड.) उक्त आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत सजा दी जा सकती है। गत दो वर्षों और इस वर्ष 31 जनवरी तक, पुलिस को सूचना देने, जैसा कि अपेक्षित है, में असफल रहने के कारण दिल्ली पुलिस ने 477 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की।

[अनुवाद]

अशांत क्षेत्रों की घोषणा

2272. **श्री टी० गोविन्दन:**
श्री वी० वेत्रिसेलवन:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में कुछ क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इन राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने हेतु कोई प्रयास किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) इस समय पूर्वोत्तर में, सम्पूर्ण असम, नागालैंड और मणिपुर राज्य, त्रिपुरा में 22 पुलिस स्टेशनों के अन्तर्गत पूरे क्षेत्र और अन्य पांच पुलिस के अन्तर्गत आंशिक क्षेत्र, अरूणाचल प्रदेश में तिरप और चांगलांग जिलों और अरूणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में असम सीमा से 20 किलोमीटर क्षेत्र को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के उपबंधों के अन्तर्गत, विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया गया है।

सशस्त्र बल (जम्मू और कश्मीर) विशेष शक्तियां अधिनियम, 1990 के उपबंधों के अन्तर्गत राजौरी और पुंच्छ जिलों में नियंत्रण रेखा के 20 किलोमीटर के भीतर पड़ने वाले क्षेत्रों और अनन्तनाग, बारामुला, बडगाम, कुपवाड़ा, पुलयामा और श्रीनगर के पूरे जिलों को भी इस समय विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया गया है।

(ग) और (घ) विक्षुब्ध क्षेत्रों में उग्रवादी को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में, सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना, उग्रवादियों के खिलाफ भीतरी क्षेत्र में प्रतिकारी कार्रवाई करके उनकी योजनाओं को विफल करना, केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों और सेना की तैनाती, सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय और आसूचना का आदान-प्रदान, राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण/उन्नयन, सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति, राज्य सरकारों को विशेष केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति, गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों को "विक्षुब्ध क्षेत्र" घोषित करना और प्रमुख उग्रवादी ग्रुपों को विधि विरुद्ध संगठन घोषित करना शामिल है। स्थिति पर निगरानी भी रखी जाती है और समुचित कार्रवाई करने के लिए समय-समय पर इसकी पुनरीक्षा की जाती है। सरकार ने, उग्रवादी ग्रुपों से बातचीत के लिए आगे आने संबंधी अपनी अपील भी दोहराई है। सरकार, संबंधित राज्यों के त्वरित आर्थिक विकास के लिए भी कटिबद्ध है।

नागालैण्ड में 1.8.97 से भारत सरकार और एन.एस.सी.एन. (आई/एम) के बीच संघर्ष विराम है। गुटों के साथ बातचीत चल रही है। भारत सरकार और बोडो लिबरेशन टाईगर आफ असम के बीच आपरेशन स्थगित रखने पर भी सहमति है। इस गुट के साथ बातचीत भी जारी है। एन.एस.सी.एन. (के) ने भारत सरकार के साथ औपचारिक संघर्ष विराम करने की पेशकश की है।

भूकंप के पूर्वानुमान हेतु एन.जी.डी.आई. प्रणाली

2273 श्री सईदुज्जमा : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 6 फरवरी, 2001 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित समाचार के अनुसार कैलिफोर्निया में आए भूकंप के बाद अमरीका तथा जापान और भारत में भी भूंकपों के पूर्वानुमान के लिए "नेशनल जियोस्पेशल डाटा इन्फ्रास्ट्रक्चर" (एन. जी. डी. आई.) के अंतर्गत वैकल्पिक प्रणालियों का प्रयोग किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन प्रयासों के लिए पूर्ण सहायता प्रदान करने का है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) और (ख) महोदय, यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत सहित कई देश भूकंपों की विलक्षणताओं के प्रति हमारी जानकारी में वृद्धि लाने और उसे परिमार्जित करने हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान में सक्रिय रूप से लगे हुऐ हैं और कई वैकल्पिक प्रणालियों पर लगातार परीक्षण किये जा रहे हैं फिर भी विश्व में ऐसी कोई प्रमाणित वैज्ञानिक प्रणाली उपलब्ध नहीं है जिसके द्वारा भूंकप आने के बारे में स्थान, समय और तीव्रता का ठीक-ठीक पूर्वानुमान किया जा सके। नैशनल जिओ-स्पैशियल डाटा इन्फ्रास्ट्रक्चर (एन. जी. डी. आई.) भूकंपों से विशेष तौर पर संबंधित नहीं है, यद्यपि अंकित रूप में मानीकीकृत डेटा-सेट्स की उपलब्धता भी ऐसे अध्ययनों के लिए उपयोगी होगी। सरकार द्वारा वैकल्पिक प्रणालियों के अध्ययन सहित भूकंप विज्ञान सम्बन्धी अनुसंधान कार्यों को सहयोग प्रदान करने को उच्च प्राथमिकता दी जाती है।

ग्राम सभा की भूमि पर अतिक्रमण

2274. श्री राधा मोहन सिंह : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री ग्राम सभा की भूमि पर अतिक्रमण के बारे में 21.11.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 328 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मामले में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और जानकारी कब तक एकत्र कर लिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) कुछ ऐजेन्सियों से पूरी सूचना प्राप्त होनी अभी बाकी है। इसके लिए तेजी से कार्रवाई की जा रही है।

अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जारी किया जाना

2275. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुद्रण निदेशक ने वर्ष 1993 और 1998 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को निजी मुद्रकों से मुद्रण कार्य कराने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन कार्यालयों द्वारा कितनी मात्रा में मुद्रण कार्य कराया गया?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) अनापत्ति प्रमाण-पत्र मुख्यत: भारत सरकार मुद्रणालयों में अपेक्षित गुणता के कागज और उच्च कोटि उत्पादन वाले विशेष प्रकार के मुद्रण के लिए अवस्थापना उपलब्ध न होने तथा समय की कमी के कारण जारी किए गए।

(ग) मुद्रण निदेशालय से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" हासिल करने के पश्चात मंत्रालयों/विभागों द्वारा कराए गए मुद्रण कार्य की मात्रा का ब्यौरा इस मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है क्योंकि ऐसा कार्य मंत्रालय/विभागों द्वारा प्राइवेट प्रिंटरों के जरिए सीधे ही कराया गया है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (ई.सी.एल.) के के अंतर्गत परियोजनाएं

2276. श्री महबूब जहेदी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.सी.एल.) के अंतर्गत 95 परियोजनाओं में से 40 परियोजनाओं में को बीच में ही बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.सी. एल.) को कितना घाटा हुआ;

(घ) क्या विदेशों से खरीदी गई मशीनरी कोयला खानों की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में व्यर्थ साबित हुई है;

(ङ) क्या ईस्टर्न काल्फील्ड्स लि. (ई.सी.एल.) के सरकार द्वारा इस संबंध में वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी;

(च) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.सी.एल.) के अधिकारी केन्द्र सरकार को अब तक खर्च को गई धनराशि का कोई स्पष्ट लेखा-जोखा नहीं दे पाए हैं;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) इस संबंध में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.सी.एल.) के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) जी, हां। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की 40 परियोजनाएं निम्न कारणों से वापिस ले ली गई है:-

(i) भूमि अधिग्रहण की समस्याएं;

(ii) निधि संबंधी बाध्यताएं;

(iii) भू-खनन की प्रतिकूल परिस्थितियां; और

(iv) खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा अनुमोदन नहीं किया जाना।

(ग) इन परियोजनाओं में किया गया कुल व्यय 71.76 करोड़ रु. है। इस राशि में से, संयंत्र और मशीनरी की मदों में खर्च की गई 34.98 करोड़ रु. की राशि का मौजूदा खानों में लाभप्रद रूप से प्रयोग किया जा रहा है, पूर्वेक्षण और बोरिंग के लिए खर्च की गई 13.13 करोड़ रु. की राशि मौजूदा खानों के लिए उपयोग की जा रही है और उसका भावी परियोजनाओं के लिए भी उपयोग किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण और सड़क, जल आपूर्ति, आदि जैसे आधारभूत ढांचे के विकास के लिए खर्च कि गई 5.88 करोड़ रु. की राशि का उपयोग विद्यमान खानों में किया जा रहा है। खान विकास में खर्च की गई शेष राशि का उपयोग वर्तमान खानों में किया जा रहा है और इसका उपयोग भावी खानों में भी किया जाएगा।

(घ) इन 40 परियोजनाओं के लिए कोई विदेशी मशीनरी नहीं खरीदी गई।

(ङ) जी, हां। ई.सी.एल. को 1996 तक बजटीय सहायता दी गई थी।

(च) जी, नहीं। ई.सी.एल. ने इन परियोजनाओं के लिए पूरा लेखा-जोखा दिया है।

(छ) और (ज) उक्त (च) को दृष्टि में रखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

"सेल" की वित्तीय स्थिति

2277. श्री जय प्रकाश : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) की वित्तीय स्थिति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार "सेल" के खराब वित्तीय निष्पादन को देखते हुए उसे दिए गए "नवरत्न" दर्जे को वापस लेने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक बाजार परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट से घरेलू मूल्यों पर भी दबाव पड़ा है और यह उन घटकों में से एक है जिससे सेल की बिक्री से आय और लाभ प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं।

(ग) और (घ) इस मामले में सरकार को अभी निर्णय लेना है।

[अनुवाद]

जेल में कैदियों की संख्या

2278. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सभी राज्य सरकारों से जेल में बन्द कैदियों की संख्या के बारे में ब्यौरा मांगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने राज्यों ने आवश्यक जानकारी प्रदान कर दी है;

(ग) क्या राज्य सरकारों के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को वर्ष में दो बार ऐसी जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जेल सुधार में, विशेषकर जेल में कैदियों की अत्यधिक संख्या के संबंध में कुछ ठोस उपाय करने जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन एच आर सी) ने सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को प्रति वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई की स्थिति के अनुसार जेल में बन्द कैदियों की संख्या का विवरण भेजने की सलाह दी है। मेघालय और त्रिपुरा को छोड़कर सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार

1.7.2000 की स्थिति के अनुसार इन राज्यों की स्वीकृत क्षमता 2,15,981 की तुलना में जेलों में कैदियों की संख्या 2,79,082 थी।

(ग) और (घ) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (पी एच आर ए) की धारा 12 के उपबंधों की शर्तों के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अपने विभिन्न कार्यों के भाग के रूप में मानवाधिकार के उल्लंघन के मामलों में या तो स्वयं या फिर किसी याचिका पर जांच करती है और मानवाधिकार के संरक्षण के लिए विधि में किए गये सुरक्षापायों की भी पुनरीक्षा करती है और उनके कारगर कार्यान्यिवन के लिए उपाय संस्तुत करता है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन शिकायतों की जांच करते समय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 13 के अधीन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को वे सभी शक्तियां प्राप्त होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को होती है और वह विशेष रूप से किसी न्यायालय या कार्यालय से सरकारी अभिलेख या उसकी प्रति मंगा सकती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 17 के अधीन यह शक्तियां प्राप्त है कि वह मानवाधिकारों के उल्लंघनों की शिकायतों की जांच करते समय कतिपय परंतुकों के साथ केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य से सूचना या रिपोर्ट मंगा सकता है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जेलों में भीड़-भाड़ की समस्या से निपटने के लिए किए जाने वाले उपायों के प्रश्न को राज्य सरकारों के साथ उठाने का प्रस्ताव है। आयोग की, इस संबंध में व्यापक सिफारिशें प्रकाशित करने की भी योजना है।

[हिन्दी]

पीएच० डी० का प्रावधान

2279. डॉ० जसवंतसिह यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालयों में औपचारिक शिक्षा प्राप्त किए बिना पीएच० डी० करने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त सुविधा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं; और

(ग) इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु क्या मांनदण्ड निर्धारित किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी,, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

त्रिपुरा में वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास

2280. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास त्रिपुरा राज्य में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास कार्य करने की कोई संदर्शी योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है अथवा कराने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत ''बचदा''): (क) से (घ) जी, नहीं। अनुसंधान एवं विकास सन्दर्शी योजनाएं तैयार करना सम्बद्ध राज्य सरकारों का कार्य होता है और वे इस प्रयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत् उपलब्ध कराई जा रही सहायताओं का लाभ उठा सकती हैं।

[हिन्दी]

थाने में दर्ज प्राथमिकी

2281. श्री राजनारायण पासी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जिस थाने के अधिकार क्षेत्र में घटनाएं होती हैं, प्राथमिकी भी उसी विशेष थाने में दर्ज होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली पुलिस की महिला अपराध शाखा द्वारा इसका अनुपालन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) दिल्ली पुलिस की महिला अपराध शाखा की जानकारी में कितने ऐसे मामले आए हैं जिनमें उस थाने में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई जिसके अधिकार क्षेत्र में घटनाएं घटी थीं;

(ङ) क्या सरकार और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में पुलिस के प्रतिनिधियों और अन्य लोगों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(च) क्या दिल्ली पुलिस की सतर्कता शाखा द्वारा किए गए किसी जांच कार्य को बीच में ही छोड़ दिया गया था;

(छ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बीच में छोड़ दिए गए इस जांच कार्य को पूरा करने हेतु सतर्कता शाखा को निर्देश देने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव): (क) से (घ) जी हां, श्रीमान्। तथापि, दहेज संबंधी उत्पीड़न के मामलों में पीड़ित महिला को इस बात की छूट है कि वह किसी भी ऐसे पुलिस स्टेशन, जिसके क्षेत्राधिकार में वह क्षेत्र आता है जहां उसके सास-ससुर या पति या माता-पिता रह रहे हैं या जहां पीड़ित महिला अपने पति का घर छोड़ने के पश्चात् रह रही है, में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। महिला अपराध प्रकोष्ठ द्वारा दहेज उत्पीड़न संबंधी मामलों को निपटाते समय, इस प्रक्रिया को ध्यान में रखा जाता है।

(ङ) ऐसे पुलिस स्टेशन, जिसके क्षेत्राधिकार में वह क्षेत्र नहीं आता है, में मामला दर्ज करने के संबंध में, हाल ही में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(च) से (ज) प्रश्न नहीं उठते हैं।

[अनुवाद]

साम्प्रदायिक दंगे

2282. डा० राम चन्द्र डोम:
श्रीमती मिनाती सेन:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिसम्बर, 2000 के दौरान उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में अनेक साम्प्रदायिक दंगे हुए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसम्बर, 2000 के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मांग की थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा उनकी मांग को पूरा करने और इन तीनों राज्यों में साम्प्रदायिक दंगों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (घ) प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार दिसम्बर, 2000 के दौरान उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में अनेक साम्प्रदायिक दंगे होने की कोई सूचना नहीं है। तथापि, इस अवधि के दौरान इन राज्यों में छोटी-मोटी साम्प्रदायिक घटनाएं हुई हैं।

भारत के संविधान के अनुसार 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं तथा कानून और व्यवस्था बनाए रखना मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार सूचना का आदान-प्रदान करती है और सतर्कता सन्देश/सलाह भेजती है ताकि संबंधित राज्य सरकार समुचित कार्रवाई कर सके। सामप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने हेतु सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को विस्तृत दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके अलावा, विशेष अनुरोध पर उन्हें केंद्रीय अर्ध-सैनिक बल उपलब्ध कराए जाते हैं और केवल साम्प्रदायिक तनावों से ही निपटने के लिए विशेष बल, जिसे त्वरित कार्यबल कहते हैं, की तैनाती की गई है। उनकी पुलिस आधारभूत संरचना में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों को सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने माह दिसम्बर, 2000 के दौरान राज्य में साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में त्वरित कार्य बल तैनात करने का अनुरोध किया था। उत्तर प्रदेश सरकार को, जहां तक संभव हो सका, आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई गई थी। इस अवधि के दौरान गुजरात और राजस्थान की सरकारों से इस मंत्रालय में ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था।

[हिन्दी]

उर्वरकों की ढुलाई हेतु राजसहायता

2283. श्री सुरेश चन्देल:
श्री महेश्वर सिंह:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 1997 में प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार, उर्वरकों की ढुलाई हेतु हिमाचल प्रदेश को जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों की तरह सिद्धांत रूप में अतिरिक्त राजसहायता स्वीकृत की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मुद्दे को दिल्ली में मार्च, 2000 में आयोजित राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उठाया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) हिमाचल प्रदेश को उक्त सुविधा कब तक प्रदान किए जाने की सम्भावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) से (च) हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के अनुरोध के अनुसरण में भारत सरकार ने जम्मू तथा कश्मीर और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों की भांति हिमाचल प्रदेश के लिए नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर अतिरिक्त ढुलाई सब्सिडी प्रदान करने की स्कीम लागू करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के साथ परामर्श से अतिरिक्त ढुलाई

सब्सिडी की मात्रा का निर्णय लिया जा रहा है। तथापि, हिमाचल प्रदेश को यूरिया की ढुलाई हेतु भाड़ा लागत की प्रतिपूर्ति समीकृत भाड़ा स्कीम के तहत की जाती है।

[अनुवाद]

सभी के लिए शिक्षा

2284. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा 'सभी के लिए शिक्षा योजना' पर आपत्तियां उठाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न विभागों द्वारा इस योजना के लिए दिये गये तर्कों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इन सब तर्कों से कहां तक सहमत है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (ग) जी, नहीं। राज्यों/संघ राज्य सरकारों तथा अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के सुझावों को सर्व शिक्षा अभियान में शामिल किया गया है।

उर्वरक के अनुसंधान और विकास संबंधी उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति

2285. श्री चिंतामन वनगा:
श्री गंता श्रीनिवास राव:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के उर्वरक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास हेतु एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उर्वरक क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों की तुलना में अनुसंधान और विकास हेतु कितना बजटीय आबंटन किया गया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) और (ख) उर्वरक तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में अल्पावधि और दीर्घावधि अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों/कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए साधनों एवं स्रोतों का सुझाव देने हेतु सरकार ने सचिव, उर्वरक विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार ने उर्वरक क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास कार्य वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 के दौरान 4.00 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता प्रदान की थी। चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2000-2001 के दौरान 4.00 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।

पूर्वोत्तर में जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान और संरक्षण प्रयास

2286. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इंफाल में जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान सुविधा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अनुसंधान सुविधा कब तक प्रारम्भ कर दी जाएगी; और

(घ) देश के पूर्वोत्तर हिस्से में उपलब्ध दुर्लभ पौधों, पशुओं और सूक्ष्मजीवीय संसाधनों के संरक्षण हेतु क्या नए कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने इम्फाल, मणिपुर में जैवसंसाधन तथा सतत विकास संस्थान (आई बी एस डी) की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह संस्थान जैवसंसाधनों के विकास तथा क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए जैवप्रौद्योगिकीय साधनों के जरिए उनके सतत उपयोग करने पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगा। प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रदर्शन एवं प्रौद्योगिकी विकास पर प्रमुख बल रहेगा। इसे सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत अनन्तिम रूप से पंजीकृत किया गया है। अनुसंधान सुविधाएं अगले वित्तीय वर्ष से कार्यशील होने कि संभावना है।

(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपलब्ध संकटापन्न पादपों, पशुओं और सूक्ष्मजैविक संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रयास शुरू किए जा चुके हैं। शिलांग में आयोजित एक विचारोत्तेजक सत्र को आधार बनाकर परियोजना प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

हिन्द महासागर में भंडार

2287. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हिन्द महासागर में विभिन्न तरह के भंडारों की उपलब्धता का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से जुड़े समुद्र तटीय क्षेत्रों को दर्शाते हुये तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन भंडारों के उपयोग हेतु कुछ कार्यक्रम तैयार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) से (ङ) जी, हां। समुद्र में विभिन्न भंडार खोजने के लिए अध्ययन एक निरन्तर प्रक्रिया है। इन अध्ययनों से निम्नलिखित प्रकार के भण्डार उपलब्ध होना प्रमाणित हुआ है।

— बहुधात्विक पिण्डिकाएं

— मात्स्यिकी संसाधन

— भारी खनिज निक्षेप

— हाइड्रोकार्बन

1) महासागर विकास विभाग ने फेरोमैंगनीज (बहुधात्विक) पिण्डिकाओं वाले तांबा, निकल, कोबाल्ट के संसाधनों के मूल्यांकन के लिए मध्य हिन्द महासागर बेसिन में सर्वेक्षण किया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अगस्त, 1987 में आबंटित 1,50,000 वर्ग किलोमीटर में अब तक किए सर्वेक्षण के आधार पर अनुमानित संसाधनों की संभावना नीचे बताए अनुसार है:-

बहुधात्विक पिण्डिकाएं	:	760	मिलियन टन
तांबा	:	6.0	मिलियन टन
निकल	:	6.40	मिलियन टन
कोबाल्ट	:	0.98	मिलियन टन
मैंगनीज	:	146.00	मिलियन टन

2) कृषि मंत्रालय का अनुमान है कि भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में 3.9 मिलियन टन मात्स्यिकी होने की संभावना है।

3) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (समुद्री प्रकोष्ठ) ने अनन्य आर्थिक क्षेत्र में निर्जीव संसाधनों के लिए लिए समुद्र संस्तर सर्वेक्षण तथा भूविज्ञान से सम्बन्धित अनुसंधान किए हैं। उन्होंने उड़ीसा, आन्ध्र, केरल और कर्नाटक तट के पास इलेमनाइट, रुटाइल, जिरकोन, सिलिमिनाइट, मोनाजाइट तथा गारनेट वाली भारी खनिज बालू गुजरात तट की 180 से 1200 मीटर गहराई में उच्च श्रेणी चूना पंक निक्षेप, गुजरात तट की 203-1000 मीटर गहराई में फॉस्फेटित तलछट; लक्षद्वीप समुद्र की 2800 से 4300 मीटर गहराई में सूक्ष्म मैंगनीज पिण्डिकाओं की 2-5 सेंमी मोटी परत, महाराष्ट्र व गुजरात तट की 50 से 200 मीटर गहराई में ऊलाईट व कैल्सियमी बालू; आन्ध्र तट की 100 से 200 मीटर गहराई में उच्च श्रेणी चूना पंक निक्षेप; चेन्नै के दक्षिणपूर्वी तट की 100-200 मीटर गहराई में फॉस्फेटित तलछट; अण्डमान निकोबार द्वीप समूह के पश्चिम में 1000 मीटर गहराई में कैल्सियमी तलछट; लक्षद्वीप के उथले अपतट और लैगून में उच्च श्रेणी कैल्सियमी बालू होने का वर्णन किया है।

4) सरकार ने गहरे समुद्र और अग्रणी क्षेत्रों में अन्वेषण बढ़ा कर तथा अन्वेषण कार्यों में निजी भागीदारी में वृद्धि करके नए हाइड्रोकार्बन भण्डार का पता लगाने के विभिन्न उपाय किए हैं। सरकार द्वारा देश के कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल है:-

— संवर्धित तेल प्राप्ति/उन्नत तेल प्राप्ति स्कीमों के क्रियान्वयन से मौजूदा प्रमुख क्षेत्रों के प्राप्ति कारक का सुधार करना है। इससे क्षेत्रों में तेल उत्पादन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

— उत्पादन क्षेत्रों की अधिक गहरी परतों में अन्वेषण कर भण्डारों में वृद्धि करना।

मानवाधिकार आयोग की शक्तियां

2288. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में सरकार द्वारा मानवाधिकार आयोग को दी गई शक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रताड़ित करने और मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं को रोकने के लिये एमनेस्टी इन्टरनेशनल ने प्रताड़ना के पीड़ितों की क्षतिपूर्ति के मामलों की पूछताछ और जांच हेतु पर्याप्त सुरक्षोपायों का प्रावधान तथा प्रताड़ना समाप्त करने की लड़ाई में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के बीच सहयोग बढ़ाने की सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य और शक्तियां, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 93 जोकि एक सरकारी दस्तावेज है की धारा 12 से 16 तक के अधीन विस्तृत रूप से दी गई है।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) अनेक ऐसे कानूनी और संवैधानिक प्रावधान हैं जो यातना और अन्य अमानवीय व्यवहार सहित मानवाधिकारों के सभी प्रकार के उल्लंघनों के प्रति नागरिकों को संरक्षण प्रदान करते हैं। जांच-पड़ताल के दौरान यातना को राकने के लिए विभिन्न अधिनियमों जैसे भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और दण्ड प्रक्रिया संहिता में विशिष्ट प्रावधान मौजूद हैं। इन प्रावधानों के कार्यान्वियन को आगे और सुदृढ़ करने के लिए सरकार, राज्य पुलिस बलों और सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सुग्राही बनाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोगों की भी स्थापना की गई है जिन्हें यातना सहित मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें सुनने और आरोपों की जांच करने की शक्तियां प्राप्त हैं। जांच पूरी होने पर अंतरिम राहत प्रदान करने हेतु विभिन्न सिफारिशें की जाती हैं। भारत सरकार ने यातना के निवारण संबंधी मुद्दों पर बृहत्त अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उद्देश्य से यातना के विरुद्ध यूनाईटेड नेशन्स कॅनवेन्शन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। जब कभी भी, यातना देने और मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाएं सरकार के ध्यान में लाई जाती हैं तो मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वालों को दण्ड देने की हर कोशिश की जाती है।

हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड

2289. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 700 टन डी.डी.टी. के उत्पादन हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा उपहार में दी गयी राशि से 1954 में हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड की स्थापना की थी, और 1998 तक इसकी क्षमता बढ़ाकर 27,000 टन कर दी गयी थी;

(ख) क्या सरकार ने 1989 तक इस तथ्य के बावजूद कि 75% डी.डी.टी. प्रयुक्त होती है, कृषि में डी.डी.टी. के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने 1996 में दिल्ली में इन इकाइयों को बंद करने का आदेश दिया था;

(घ) क्या इंसेक्टिसाइड्स जहरीले होते हैं और कंपनी को पर्यावरणविदों से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस समस्या को हल करने की क्या योजना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी हां। तथापि, दिल्ली यूनिट की क्षमता 1969 में 2744 मी. टन, डी.डी.टी. तकनीकी प्रतिवर्ष तक बढ़ा दी गई थी।

(ख) जी हां, सरकार ने 1989 में कृषि के लिए डी.डी.टी. के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) कीटनाशी, यदि इनका प्रयोग यथा अनुशंसित और निर्धारित खुराक, विधि तथा अवधि के अनुसार किया जाए, तो विषैले नहीं होते। पर्यावरणविद कुछ कीटनाशियों के प्रयोग का विरोध करते रहे हैं। सरकार ने एकीकृत पेस्ट प्रबंधन कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया है जो पर्यावरण संबंधी चिंताओं का दूर करने की दृष्टि से कीटनाशी के प्रयोग को युक्तिसंगत और इष्टतम बनाने का प्रयास करता है।

राजस्थान और मध्य प्रदेश में कापार्ट की परियोजनायें

2290. श्री पुष्प जैन : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राजस्थान और मध्य प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों की कापार्ट को प्राप्त और स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसी परियोजनाओं के लिये स्वैच्छिक संगठनों को राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित और जारी की गयी;

(ग) शेष परियोजनाओं को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है;

(घ) इन राज्यों में इन परियोजनाओं को लागू करने वाली एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या धनराशि को किसी अन्य मद में खर्च किये जाने की बात सरकार की जानकारी में आयी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (छ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्कूली शिक्षा योजना के लिए पर्यावरणीय प्रबोधन

2291. श्री अनंत गंगाराम गीते : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार स्कूली शिक्षा पर्यावरणीय प्रबोधन योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गयी; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी प्रगति हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) एक विस्तृत विवरण संलग्न है।

(ख) विगत में कोई भी मूल्यांकन नहीं किया गया है। इस समय टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुम्बई द्वारा इस योजना का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है। अखिल भारतीय आधार पर योजना की प्रगति सुनिश्चित करने के लिये जुलाई, 2001 तक रिपोर्ट उपलब्ध होने की आशा है।

विवरण

"विद्यालय शिक्षा के पर्यावरणीय प्रबोधन" की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार एवं वर्षवार मुक्त की गई निधियां

(रु० लाखों में)

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठन का नाम	राशि		
		1997-98	1998-99	1999-2000
बिहार:				
1.	ईस्ट एण्ड वेस्ट ऐजूकेशनल सोसोइटी, पटना	—	17.20	5.10
गुजरात:				
2.	पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद	25.57	19.52	46.25
3.	विक्रम ए. साराभाई साम्‌दायिक विज्ञान केन्द्र, अहमदाबाद	1.11	1.11	—
महाराष्ट्र:				
4.	भारतीय विद्यापीठ पर्यावरण शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे	1.24	5.10	0.97
उड़ीसा:				
5.	भूवनेश्वर विज्ञान एवं पर्यावरण फोरम, भुवनेश्वर	—	0.65	—
6.	संकल्प, पुरी	—	—	1.99
तमिलनाडु:				
7.	सी.पी.आर. पर्यावरणात्मक शिक्षा केन्द्र, चेन्नई	17.37	27.37	53.13
उत्तर प्रदेश:				
8.	मयाना ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, खुर्जा	2.64	2.64	—
9.	रूरल लिटीगेशन एंड एंटाइटलमेन्ट केन्द्र, देहरादून	2.06	4.09	—
10.	उत्तराखंड सेवा निधि, अल्मोड़ा	59.73	87.65	89.46
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली:				
11.	विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र, नई दिल्ली	14.00	9.32	—
12.	भारतीय पर्यावरणात्मक सोसाइटी, नई दिल्ली	2.75	2.75	—
13.	कल्प वृक्ष, नई दिल्ली	0.56	1.50	1.50
14	संकल्प, नई दिल्ली	0.63	—	—
	कुल	124.66	178.90	198.40

बहुपरिसरीय विश्वविद्यालय

2292. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बहुपरिसरीय विश्वविद्यालयों को अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या किन्हीं वर्तमान विश्वविद्यालयों ने नया परिसर शुरु करने की अनुमति मांगी है;

(ग) यदि हां, तो विश्वविद्यालयों से इस संबंध में विश्वविद्यालय-वार कितने आवेदन प्राप्त हुये हैं; और

(घ) कितने आवेदनों को मंजूरी मिल गयी है और कितने आवेदन मंजूरी के लिये लंबित पड़े हुए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आयोग को निम्नलिखित तीन सम-विश्वविद्यालयों से अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे :-

(i) बिड़ला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी से दुबई में अध्ययन केन्द्र शुरु करने के लिए।

(ii) बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा, रांची से बहरीन में अध्ययन केन्द्र शुरु करने के लिए।

(iii) मणिपाल उच्चतर शिक्षा अकादमी (माहे), मणिपाल में अध्ययन केन्द्र शुरु करने के लिए।

बिड़ला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी और बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा के प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पहले ही अनुमोदित कर दिए हैं। मणिपाल उच्चतर शिक्षा अकादमी के प्रस्ताव पर आयोग विचार कर रहा है।

भूकम्प के कारण दिल्ली में इमारतों में दरार

2293. डा० रमेशचन्द तोमर : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 26 जनवरी, 2001 को आये भूकम्प के कारण राजधानी में बड़ी संख्या में सरकारी और निजी में इमारतों में बड़ी-बड़ी दरारें आ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इमारतों की मरम्मत कराने में कोई सहायता देने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) के.लो.न.वि. ने बताया है उनके रखरखाव के अंतर्गत आने वाली किसी सरकारी भवन में कोई भारी दरारें नहीं पड़ी हैं। कुछ सरकारी भवनों की विभाजक दीवारों में बारीक दरारें पड़ी हैं। एल बी जैड क्षेत्र के कुछ पुराने बंगलों में मामूली दरारें देखी गई हैं। लोक नायक भवन, जनपथ भवन और उच्चतम न्यायालय भवन की विभाजक दीवारों में गैर संरचनात्मक दरारें देखी गई हैं। कई स्थानों पर विस्तार जोड़ों से भराव (फिलिंग) उखड़ गई है।

पुलिस मुख्यालय के रखरखाव के लिए उत्तरदायी दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने बताया है कि उन्होंने भवन का निरीक्षण किया है और पाया है कि भवन के 5वें तल के लॉबी क्षेत्र और शौचालय को अलग करने वाली स्तंभ दीवार की मार्बल क्लैडिंग के एक टुकड़े पर दरारें आई हैं। यह दरार गंभीर प्रकृति का न होकर केवल सतही था क्योंकि उस भवन का डिजाइन और निर्माण इस प्रकार किया गया है कि यह भूकंप अथवा तेज तूफानी हवाओं जैसी प्राकृतिक आपदाओं को सह सके।

अखिल भरतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने बताया है उन्होंने अपने भवन का निरीक्षण एक संरचना संबंधी परामर्शदाता से करवाया है और कोई गंभीर प्रकृति की दरारें नहीं पाई गई। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन क्षेत्र में ऐसा कोई मामला उनके ध्यान में नहीं आया है।

(ग) और (घ) के.लो.नि.वि. ने बताया है उनके रखरखाव के अंतर्गत आने वाले भवनों की विस्तृत जांच के बाद भवन का उपयोग कर रहे विभागों की सहमति से मरम्मत कार्य शुरू किया जाता है।

शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

2294. डा० रघवंश प्रसाद सिंह : क्या **शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनको राज्य सरकारों द्वारा लागू किये गये शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर चर्चा करने के लिये राज्यों के मंत्रियों से बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई और जो फैसले लिये गये, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना नामक केन्द्र प्रवर्तित शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम के अन्तर्गत निष्पादन की समीक्षा के लिए 27 दिसम्बर, 2000 को राज्य मंत्रियों के साथ एक बैठक हुई थी।

(ख) उसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों/संघ प्रदेशों द्वारा अल्प निष्पादन, उपयोग प्रमाणपत्रों का न मिलना, तिमाही प्रगति रिपोर्ट न मिलना और उनके पास उपलब्ध अप्रयुक्त शेष धनराशि का इस्तेमाल करने हेतु उपायों पर चर्चा हुई। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के विभिन्न घटकों, अर्थात शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी) शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यूडब्ल्यूईपी) और समुदाय संरचना (सीएस) में धन का पुनर्नियतन, शैक्षिक योग्यता की सीमा बढ़ाना तथा साथ ही शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी) के अन्तर्गत प्रशिक्षण लागत आदि के लिए सुझाव दिए गए। ऋणों की मंजूरी में बैंकों के असहयोग पर भी बैठक में चर्चा की गई, जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि बैंकों को समय-समय पर समुचित निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

(ग) बैठक में दिए गए सुझावों पर अनुवर्ती कार्रवाई पहले ही प्रारम्भ कर दी गई है।

चिकित्सा विधिक मामलों में बिचौलिये

2295. श्री रामजी मांझी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के कई कर्मचारी विधिक मामलों में एजेंन्ट और बिचौलिये की तरह काम करते हैं और शल्यक्रिया की फर्जी रिपोर्टों की आपूर्ति करते हैं, जिससे अपराधियों को जेल से बाहर रहने में आसानी हो जाती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा तिहाड़ के बंदियों के लिए जेल के अन्दर ही चिकित्सा सुविधा शुरु करने सहित उक्त घपलेबाजी को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) ऐसा कोई दृष्टांत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) केन्द्रीय कारागार, तिहाड़ ने अपने कैदियों के इलाज के लिए जेल में ही चिकित्सा सुविधाएं विकसित की हुई हैं। केवल जटिल मामले ही दीन दयाल उपाध्याय (डी डी यू) अस्पताल भेजे जाते हैं। अस्पताल में, जेल के रोगियों को देखने के लिए विशिष्ट प्रबंन्ध किए गए हैं।

उद्योगों को दूसरी जगह ले जाना

2296. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली से उद्योगों को दूसरी जगह ले जाने की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समयपुर बादली के औद्योगिक बहुल क्षेत्र में उद्योगों के पुनर्विकास हेतु कोई बाह्य सीमांकन योजना बनायी गयी है;

(ग) यदि हां, तो किस तारीख को और इस संबंध में स्वीकृत सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त औद्योगिक क्षेत्र के पुनर्विकास के लिये कुल कितने हेक्टेयर भूमि की सिफारिश की गयी है;

(ङ) क्या इस औद्योगिक क्षेत्र के पुनर्विकास के लिये लिबासपुर गांव की जमीन को समयपुर की जमीन से मिला दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो दोनों गांवों की मिलायी गई जमीन का अलग-अलग कुल क्षेत्र कितना है और इसका क्या औचित्य है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) दिल्ली सरकार ने बताया है कि अब तक 16.394 औद्योगिक इकाइयों को बवाना, झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र, पटपड़गंज, बादली तथा नरेला में प्लाटों/फ्लैटों का स्थायी आबंटन किया गया है। इसके अलावा 8,367 उद्योगों को दिल्ली सरकार की पुनर्स्थापन योजना के अंतर्गत प्लाटों/फ्लैटों के आबंटन के लिए पात्र पाया गया है।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राभिकरण ने बताया है कि 1996 के सर्वेक्षण नक्शे में एक अनंतिम प्रारंभिक सीमा अंकित की गई थी जिसमें समयपुर बादली औद्योगिक इलाके को दिल्ली मास्टर प्लान 2001/जोन ''सी'' के जोनल प्लान में दर्ज विशाल औद्योगिक क्षेत्र की रूपरेखा के अनुसार निर्धारित किया गया है और इस मामले को दिल्ली विकास प्राधिकरण की तकनीकी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(घ) करीब 62 हेक्टेयर क्षेत्र का विकास करने का प्रस्ताव है।

(ङ) और (च) यह भूमि राजस्व सम्पदा सीमाओं की बजाए दिल्ली मास्टर प्लान-2001 तथा विशाल औद्योगिक क्षेत्र के तहत जोन सी के जोनल प्लान के अनुसार निर्धारित की गई है। कुल रकबा करीब 62 हेक्टेयर है।

अपराधियों का पता लगाना

2297. डा० विजय कुमार मल्होत्रा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ तिपहिये चालक उनके वाहनों में यात्रा करने वाले यात्रियों से ब्रीफकेस, आभूषण और नकदी छीन रहे हैं, और जिसके बारे में नई दिल्ली पुलिस थाने में मामले दर्ज किये गये हैं लकिन नंबर देने के बावजूद उन वाहन चालकों का अब तक पता नहीं लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का दिल्ली के पुलिस स्टेशनों में समय से प्राथमिकी दर्ज करना सुनिश्चित करने और दोषियों का पता लगाने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) और (ख) इस प्रकार के इक्का-दुक्का मामले हुए हैं। तथापि, पिछले वर्ष के दौरान सूचित किए गए 7 मामलों में से, दो मामलों में अभियुक्त गिरफ्तार किए गए।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि एफ आई आर सही ढ़ंग से दर्ज की जाए, पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्टाफ को नियमित रूप से ब्रीफ करना, वरिष्ठ अधिकारियों और सतर्कता शाखा द्वारा अचानक निरीक्षण करना और दोषी कर्मचारियों को निवारक के रूप में सख्त सजा देना शामिल है।

संघ राज्य क्षेत्रों संबंधी विषय का आवंटन

2298. श्री दहयाभाई वल्लभभाई पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी किये गये भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1962 के अन्तर्गत नोडल मंत्रालय को न आवंटित किये गये संघ राज्य क्षेत्रों संबंधी विषय ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को संघ राज्य क्षेत्रों विशेषकर दमन और दीव से संबंधित मामलों से निपटने के संबंध में केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में इससे उत्पन्न भ्रम की स्थिति की जानकारी है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा सर्वोच्च स्तर पर व्याप्त इस भ्रम को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित मामले, जो गृह मंत्रालय द्वारा निपटाए जाने हैं, समय-समय पर यथासंशोधित भारत सरकार कार्य आबंटन नियम, 1961 में निहित अध्याय गृह मंत्रालय के खंड-ख के उपखंड (ग) में दिए गए हैं। शेष मामलों पर भारत सरकार के विषय वस्तु से संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्रवाई की जाती है।

(ख) जी, नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

2299. श्री मोइनुल हसन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यह मांग की थी कि उसे सैनिक और अर्द्ध-सैनिक बलों के न्यायालयों के रिकार्डों की जांच करने की अनुमति दी जाये चूंकि उसके विचार में मानवाधिकार उल्लंघन के दोषियों से निपटने के संबंध में पारदर्शिता का अभाव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक मामले में सीमा सुरक्षा बल के सामान्य सुरक्षा बल न्यायालय की कार्यवाही के कागजात मंगाए थे। सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 19 के उपबंधों के अनुसार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या तो अपने प्रस्ताव पर अथवा कोई याचिका प्राप्त होने पर, केन्द्रीय सरकार से रिपोर्ट मंगा सकता है। रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात्, वह, या तो शिकायत पर आगे कार्रवाई नहीं करेगा अथवा जैसा भी मामला होगा, सरकार को अपनी सिफारिशें देगा। तदनुसार, अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

बाल यौन शोषण पर विधेयक

2300. श्री वाई०वी० राव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान बाल यौन शोषण और बलात्कार के मामलों की संख्या बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बच्चों से बलात्कार और यौन-शोषण के संबंध में अलग-अलग विधेयक बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान पूरे देश में बताये गए अपराधों की घटनाएं (बाल बलात्कार, शिशु हत्या, भ्रूण हत्या, आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने, अनावरण एवं परित्याग, बच्चों के अपहरण एवं उन्हें भगाकर ले जाने, अवयस्क लड़कियों की खरीद से सम्बन्धित मामले) इस प्रकार हैं:-

1998	5802
1999	4881
2000	1576•

•(दिसम्बर, 2000 तक। बलात्कार की शिकार बालिकाओं के आंकड़े नहीं दर्शाये गए हैं)

(ग) और (घ) भारतीय दण्ड संहिता और अनैतिक पणन (निवारण) अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत बच्चों सहित मानवों का अवैध व्यापार निषिद्ध है। तथापि, अनैतिक पणन (निवारण) अधिनियम एवं भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों को अधिक कड़ा और कारगर बनाने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में देशव्यापी परामर्श बैठकें आयोजित की थीं, जिनमें वकीलों, न्यायपालिका, पुलिस बल के सदस्यों, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि ने भाग लिया। इन बैठकों में अनैतिक पणन निवारण अधिनियम और बलात्कार से सम्बन्धित कानूनों में संशोधनों पर विचार किया गया। अनैतिक पणन निवारण अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों का आयोग द्वारा संकलन किया जा रहा है। आयोग ने बलात्कार से सम्बन्धित कानूनों के बारे में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं, जिन्हें उपयुक्त कार्रवाई हेतु गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है :-

(i) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 और 376 के अन्तर्गत की आयु को मौजूदा 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 करने की आवश्यकता है, ताकि इसे बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 के उपअन्धों को अनुरूप बनाया जा सके;

(ii) बलात्कार की परिभाषा को व्यापक बनाना;

(iii) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 के अन्तर्गत वैवाहिक बलात्कार सम्बन्धी अपवाद को हटाना;

(iv) सांविधिक प्रावधान द्वारा बलात्कार की शिकार महिला को प्रतिपूर्ति ;

(v) बलात्कार के मामलों में सुनवाई में होने वाली क्रियाविधि सम्बन्धी देरी को कम करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन; और

(vi) दोषी व्यक्ति द्वारा पीड़ित महिला को जानबूझकर एच० आई० वी० फैलाने के मामले में दण्ड में वृद्धि।

दिल्ली आपदा प्रबंधन योजना

2301. श्री विजय गोयल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में बड़ी मात्रा में हुई तबाही के मद्देनजर दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगर परिषद ने दिल्ली में किसी भूकंप की स्थिति में किसी आपदा प्रबंधन योजना पर विचार किया है;

(ख) ऐसी किसी दुर्घटना में दिल्ली में कितनी ऊंची इमारतें गिर सकती हैं;

(ग) क्या निर्माण मानकों और मानदण्डों का उल्लंघन करने वाले भवन निर्माताओं के खिलाफ किसी कार्रवाई का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं तो, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार भवन उपनियमों में परिवर्तन करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा इस बारे में कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) निर्धारित भवन निर्माण मानदण्डों के उल्लंघन के मामलों में कानून के अनुसार कारवाई की जाती है।

(च) और (छ) सरकार ने, भूकम्प खतरे के विरुद्ध अपेक्षित सुरक्षा उपाय करने के आशय से भवन निर्माण उप नियम, 1983 के भाग-III (ढांचा सुरक्षा और सेवाएं) की धारा 18 में समुचित आशोधन करने हेतु सार्वजनिक सूचना जारी की है।

ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति

2302. श्री मानसिंह पटेल :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के कम मात्रा में उत्पादित होने तथा उसके परिवहन संबंधी समस्या आने की वजह से विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों के पास वर्तमान में केवल कुछ ही दिनों का कोयला भंडार शेष रह गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की नियमित आपूर्ति की समीक्षा करने के लिए कोई समिति कार्यरत है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान, ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में किसी प्रकार की समस्याएं पाई गईं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इन ताप विद्युत संयंत्रों के पास इस समय उपलब्ध कोयला भंडार के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(छ) विद्युत संयंत्रों को कोयले की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैय्द शाहनवाज हुसैन) : (क) दिनांक 7.3.2001 के अनुसार, पावर यूटिलिटिज के पास कोयले का कुल भंडार 12.27 मिलियन टन है जो कि करीब 17 दिन का लिंकेज है।

(ख) और (ग) कोयला मंत्रालय में स्थायी संयोजन समिति पावर हाउसों को कोयला आवंटित करने के लिए प्रत्येक तीन माह में एक बार बैठक करती है। यह समिति आपूर्तियों की भी समीक्षा करती हैं। इसके अलावा, मंत्रिमंडल सचिवालय में सचिव (समन्वय) की अध्यक्षता में एक समिति पावर हाउसों का किए जाने वाले कोयले की आपूर्ति सहित आधारभूत सुविधाओं की बाध्यताओं के मुद्दों की नियमित रूप से समीक्षा करती है।

(घ) और (ङ) कोयला कंपनियों ने गत तीन वर्षों और चालू वर्ष में पावर हाउसों की कोयले की मांग को पर्याप्त रूप से पूरा किया है।

(च) और (छ) दिनांक 7.3.2001 कि स्थिति के अनुसार पावर हाउसों के पास उपलब्ध कोयले का भंडार 12.27 मिलियन टन तक है। कोयला कंपनियों ने पावर हाउसों की पूर्ण मांग को पूरा करने के लिए अपने को तैयार रखा है।

मानव विकास पर यू॰एन॰डी॰पी॰ की रिपोर्ट

2303. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री 28 नवम्बर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1397 के उत्तर के संबंध में यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कब तक एकत्र कर लिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ रीता वर्मा) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र कर ली गई है और आश्वासन को पूरा करने की रिपोर्ट संसदीय कार्य मंत्रालय को 26.2.2001 को प्रस्तुत कर दी गई है।

चंडीगढ़ का पंजाब को अन्तरण

2304. श्री सिमरनजीत सिंह मान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 1985 में हुए राजव-लोंगवाल समझौते के अनुसार, चंडीगढ़ पंजाब को अंतरित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच॰ विद्यासागर राव) : (क) से (ग) इस समय, चंडीगढ़ की संवैधानिक स्थिति बदलने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष नहीं है। भारत सरकार चाहती है कि संबंधित राज्य सरकारें इस मामले में अपने मतभेदों को सोहार्दपूर्ण ढंग से हल कर लें तथा वह मामले में मदद करने को तैयार है।

[हिन्दी]

'सुजाता' पौधे का विकास

2305. डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने 'सुजाता' नामक एक पौधा विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह अफीम की एक प्रजाति है, जिससे प्रति हेक्टेयर 10 से 15 क्विंटल अफीम के बीजों की उपज प्राप्त होने की प्रत्याशा है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह एक तैलीय स्वास्थ्य-वर्धक फसल है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत ''बचदा'') : (क) और (ख) जी हां। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के लखनऊ स्थित घटक संगठन केन्द्रीय औपधीय एवं सगंध पौधा संस्थान (सीआईएमएपी) ने 'सुजाता' नामक खसखस पौधे (पैपेवर सोमनीफेरम) की किस्म विकसित की है। सुजाता के बीज अफीम रहित तथा ऐल्केलॉइड मुक्त हैं। बीजों की पैदावार प्रति हेक्टेयर 10 से 15 क्विंटल होती है।

(ग) और (घ) सुजाता के बीजों में लगभग 50% खाद्य तेल अंश होता है। इस तेल में 75% असंतृप्त वसा अम्ल (ओलिक अम्ल तथा लिनोलीइक अम्ल) और 20 से 23% प्रोटीन होता है।

[अनुवाद]

शुल्क संबंधी विसंगतियों का निदान

2306. डा॰ मन्दा जगन्नाथ : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कृत्रिम रेशा विनिर्माता बहुत क्षुब्ध हैं और शुल्क संबंधी विसंगतियां—जिनसे इस उद्योग पर भार पड़ रहा है—का तत्काल निदान चाहते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दक्षिण-पूर्वी देशों से आयातित सामग्री, वस्तुओं की तुलना में अधिक सस्ती पड़ती है, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि समान अवसर प्राप्त न होने की दशा में, कई इकाइयां बंद होती जा रहीं हैं; और

(घ) घरेलू रेशा-विनिर्माण इकाइयों की दशा सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) और (ख) 2001-2002 के लिए बजट प्रस्ताव में, डी एम टी, पी टी ए, एम ई जी तथा क्रेपोलेक्टम पर बुनियादी सीमा-शुल्क को घटाकर 20% करने का प्रस्ताव है, जो पालिएस्टर फाइबर/यार्न, एक्रीलिक फाइबर तथा नाइलन फिलामेंट यार्न के समान है।

(ग) और (घ) कुल खपत की तुलना में आयात का समानुपात कम है। भारत अन्य देशों को सिंथेटिक फाइबर/यार्न का निर्यात भी कर रहा है। तथापि, ''डंपिंग'' के रूप में आंके गए सस्ते फाइबर/यार्न

के आयात के विशिष्ट मामलों की सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच की जा सकती है।

[हिन्दी]

झारखंड के कोयला खान श्रमिकों को सुविधाएं

2307. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड के कोयला खान श्रमिकों को आवास, जल-आपूर्ति तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोल इंडिया लि० (सी०आई०एल०) द्वारा अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) क्या कोयला खान श्रमिकों को 1994 में जारी किए गए स्वास्थ्य-कार्डों का नवीकरण नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन कार्डों को कब तक नवीकृत किया जाएगा?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) कोल इंडिया लि० (सी०आई०एल०) द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1999-2000 के दौरान झारखंड राज्य में सी०आई०एल० खदानों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को आवास, जल आपूर्ति और चिकित्सा सुविधाएं देने पर सी०आई०एल० द्वारा खर्च की गई राशि निम्नवत है :

(करोड़ रु. में)

1.	आवास	27072
2.	जल आपूर्ति	17.22
3.	चिकित्सा	83.72

(ख) से (घ) स्वास्थ्य कार्डों को अद्यतन नहीं किया जा रहा है। इसे आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि यह कार्य कर्मचारियों के आवधिक चिकित्सा जांच के दौरान किया जा रहा है।

[अनुवाद]

त्वरित ग्रामीण जल-आपूर्ति परियोजना

2308. श्री वरकला राधाकृष्णन् : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राज्यों में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना के विकास के संबंध में, विभिन्न राज्यों की ओर से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय होने की वजह से देश की ग्रामीण बसावटों को पेयजल की आपूर्ति करने वाली योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा उनके निजी संसाधनों में से कार्यान्वित की जाती हैं। केंद्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। अपनी-अपनी ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना करने, उन्हें स्वीकृत करने और उनका कार्यान्वियन करने की शक्तियां राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित कर दी गई हैं। इसीलिए, राज्यों को अपने राज्य की त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना के विकास से संबंधित किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं हैं।

आंध्र प्रदेश के विद्यालयों में पेयजल/स्वच्छता संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था

2309. डा० मन्दा जगन्नाथ : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से राज्य के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पानी और स्वच्छता आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था के संबंध में परियोजना प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य के विद्यालयों में आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) "समन्वित जल एवं स्वच्छता परियोजना" नामक योजना के जरिए विद्यालयों में वर्षा जल हारवेस्टिंग तथा स्वच्छता संबंधी प्रस्ताव आंध्र प्रदेश सरकार से प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में प्राप्त हुआ था जो अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग, यूनाइटेड किंगडम की तकनीकी सहयोग (टीसी) निधियों के इस्तेमाल के लिए है। चूंकि यह पाया गया कि प्रस्तावित प्रस्ताव जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की परिधि में नहीं आता था इसलिए इसे राज्य सरकार को भेज दिया गया है।

पुलिस द्वारा 'थर्ड डिग्री' का प्रयोग

2310. श्री रघुनाथ झा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि सूचना उगलवाने के लिए पुलिस द्वारा 'थर्ड डिग्री' के प्रयोग को रोकने के लिए कानून में अंतर्निहित प्रावधान हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पुलिस सुधारों संबंधी एक समिति ने यह कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धाराओं 330 और 331 को कड़ाई से लागू करने के अतिरिक्त, यातना-विधियों के प्रयोग को अपराध-विशिष्ट बनाया जाना चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 330 और 331 में इकबाल करवाने या अपराधों का पता लगाने के लिए कोई सूचना प्राप्त करने या किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को प्रत्यावर्तित करने हेतु विवश करने के लिए चोट/गंभीर चोट पहूंचाने वाले के विरुद्ध कठोर सजा का प्रावधान है।

(ग) और (घ) पुलिस सुधारों पर पद्मनाभय्या समिति ने सिफारिश की है कि पुलिस द्वारा थर्ड डिग्री उपायों के प्रयोग को भारतीय दंड संहिता, 1860 के अधीन एक विशिष्ट अपराध बनाया जाना चाहिए। ये सिफारिशें आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को भेज दी गई हैं।

आई॰पी॰एस॰ अधिकारियों के विरुद्ध अपराध/भ्रष्टाचार के आरोप

2311. श्री मंजय लाल :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) उन भ्रष्ट आई॰ पी॰ एस॰ अधिकारियों का राज्यवार ब्यौरा और संख्या क्या है, जिनके विरुद्ध सी॰ बी॰ आई॰ अपराध/भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की जांच कर रही है; और

(ख) उन भ्रष्ट आई॰ पी॰ एस॰ अधिकारियों, जिनके विरुद्ध जांच चल रही है, के मामले में क्या विभागीय कार्रवाई की जा रही है/किए जाने प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच॰ विद्यासागर राव) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो निम्नलिखित सात आई॰ पी॰ एस॰ अधिकारियों के विरुद्ध जांच कर रही है :-

1. श्री बी॰एस॰ बोला, (ए॰ जी॰ एम॰ यू॰ : 93) पी॰ ई॰ 14(क)/99-दिल्ली, पूछताछ चल रही है।

2. श्री जे॰के॰ शर्मा, (ए॰ जी॰ एम॰ यू॰ : 82) आर॰ सी॰ 2(क)/2000-दिल्ली। जांच पड़ताल चल रही है।

3. श्री डी॰पी॰ ओझा, (बी॰ एच॰ : 67) आर॰ सी॰ 63(क)/96-पटना। जांच-पड़ताल चल रही है।

4. श्री बिजेन्द्र राय, (एच॰ वाई॰ : 74 आर॰ सी॰ 6(क)/2000 ए॰ सी॰-I नई दिल्ली। जांच-पड़ताल चल रही है।

5. श्री एम॰ए॰ खान, (एच॰ वाई॰ : 70 : सेवा-निवृत्त) आर॰ सी॰ 1(क)/92-ए॰ सी॰ यू॰-VII/नई दिल्ली। जांच-पड़ताल चल रहो है।

6. श्री एल॰ जोगेश्वर सिंह, (एम॰ टी॰ : 69 : सेवा-निवृत्त)। आर॰सी॰ 45(क)/96-कलकत्ता। जांच-पड़ताल चल रही है।

7. श्री संजीव कुमार सिंह, (ओ॰ आर॰ : 96)। पी ई 6(घ)/98-बी॰ बी॰ एस॰ आर॰। पृछताछ चल रही है।

(ख) जांच-पड़ताल/पूछताछ का परिणाम उपलब्ध हो जाने के पश्चात् ही कार्रवाई की जा सकती है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा

2312. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है और इस संबंध में निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अनधिकृत निर्माण का हटाया जाना

2313. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा जून, 2000 में एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि जो फ्लैट मालिक अनधिकृत निर्माण को नहीं हटाएँगे, उनका आबंटन रद्द कर दिया जायेगा और उन मकानों को कब्जे में लेने के लिए सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं जिनमें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों का आबंटन रद्द कर दिया गया तथा उन्हें अधिगृहीत करने के लिए सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के तहत मामला दर्ज किए बिना ही, फील्ड-स्टॉक को उन फ्लैट मालिकों को बाहर निकालकर फ्लैटों को अपने अधिकार में ले लेने तथा उन्हें सील कर देने के आदेश दे दिए गए;

(ग) ऐसे मकानों का अधिग्रहण करने के लिए सार्वजनिक सम्पत्ति अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के वास्ते समुचित अनिवार्य प्रक्रिया न अपनाए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें 1.6.2000 से 31.12.2000 की अवधि के दौरान ऐसे आदेश जारी किए गए और फ्लैट मालिकों को फील्ड-स्टॉक के होथों परेशानी का शिकार होना पड़ा; और

(ङ) बिना अनिवार्य प्रक्रिया अपनाए इस तरह के आदेश जारी करने के लिए जिम्मेवार अकािरियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के फ्लैटों के आबंटियों तथा वेलफेयर एसोसिएशनों की सूचना व मार्गदर्शन हेतु जून, 2000 में एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी कि निम्नलिखित प्रकार के दुरूपयोगों और अनधिकृत निर्माणों को गिरा दिया जाएगा और फ्लैटों के आबंटन पट्टे भी रद्द कर दिए जाएंगे:-

(i) जहां सार्वजनिक स्थान को घेरकर विशेषकर खंबों पर निर्माण किया गया है;

(ii) फ्लैट निर्माण को अंशत: या पूर्णत: वाणिज्यिक कर दिया गया है। (डाक्टर/वास्तुकार/वकील आदि जैसे व्यवसायी जो अपनी सम्पत्ति का उपयोग अपने पेशे के लिए करते हैं, को वाणिज्यिक इकाई नहीं माना जाएगा);

(iii) जहां छज्जे या छत पर अतिरिक्त मंजिल या कमरा बनाया गया है;

(iv) जहां पड़ोसी ने औचित्य के साथ शिकायत की है कि पड़ोस में किए गए अनधिकृत निर्माण से असकी सम्पत्ति को क्षति पंहुची है या अन्यथा नुकसान पहुंचा है;

(v) जहां दो या अधिक फ्लैटों को मिलाकर एक कर दिया गया है।

(ख) और (ग) डी॰ डी॰ ए॰ ने सूचित किया है कि उसकी पट्टा प्रशासन शाखा (आवास) ने 1.6.2000 से 31.12.2000 के दौरान आबंटन के निबंधन व शर्तों के उल्लंघन में 103 फ्लैटों का आबंटन रद्द किया है। साथ ही साथ, संबंधित फील्ड स्टाफ को इन फ्लैटों का कब्जा लेने को कहा गया था क्योंकि आबंटन/पट्टा रद्द होने के बाद आबंटी अनधिकृत दखलकार हो गये। फ्लैटों के कब्जाकारों को दिये गये निर्देशों में यह कहा गया था कि यदि फ्लैट का कब्जा नहीं सौंपा गया तो लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत कार्रवाई की जायेगी। अधिनियमों व नियमों के बाध्यकारी उपबंधों का अनुपालन किया जा रहा है।

(घ) ऐसे किसी मामले में जहां डी॰डी॰ए॰ फ्लैट का आबंटन रद्द किया गया था, डी॰ड॰ए॰ के फील्ड स्टाफ को अनधिकृत दखलकारने फ्लैट का कब्जा नहीं सौंपा। अत: डी॰डी॰ए॰ के फील्ड स्टाफ द्वारा फ्लैटों के दखलकारों को किसी भी प्रकार से परेशान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

तथापि, कुछेक दखलकारों के मामले में जिन्होंने भूमि पर अनधिकृत निर्माण/कब्जे को हटाने के लिए उपाय किए हैं और उनसे इस आशय का अनुरोध मिला है, आबंटन बहाली पर विचार किया जा रहा है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर के आलोक में प्रश्न ही नहीं उठता।

कोयला कंपनियों का पुनरूद्धार

2314. श्री पी॰डी॰ एलानगोवन :
श्री ताराचंद भगोरा :
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश की सर्वाधिक प्रभावित कोयला-कंपनियों के पुनरूद्धार करने हेतु कोई नयी योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक, इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी राशि आबंटित की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान, प्रयोग की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) कोयला खान-श्रमिकों के कल्याण/लाभ के उद्देश्य से सरकार द्वारा जो योजनाएं प्रारंभ की गई, उनका ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान, कामगारों के जीवनयापन स्तर में सुधार के लिए चलाई गई योजनाओं पर राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गई;

(च) क्या सरकार का विचार आगामी वर्षों में कोयला कंपनियों की तकनीकी तथा वित्तीय--दोनों प्रकार से सहायता करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ग) भारत कोकिंग कोल लि॰ (बी.सी.सी.एल.), ईस्टर्न कोलफील्ड्स (ई॰सी॰एल॰) तथा सेंट्रल कोलफील्ड्स लि॰ (सी॰सी॰एल॰), कोल इंडिया लि॰ की तीन सहायक कंपनियां हैं जो घाटे में चल रही हैं।

फरवरी, 1996 में, भारत सरकार द्वारा घाटे में चल रही कंपनियों को पुन: चालू करने के उद्देश्य से सी॰आई॰एल॰ की पूंजीगत पुनर्संरचना का एक पैकेज अनुमोदित किया गया था जिससे 2228.57 करोड़ रु॰

की अतिदेय देनदारियों का, ब्याज के बकाया का अधित्याग करके अंशत: अधिमान्य इक्विटी में बदलकर और अंशत: पुनअदायगी और उद्भूत ब्याज पर ऋण लगाकर, निपटान किया गया था। इन लाभों को ई॰सी॰एल॰ और बी॰सी॰सी॰एल॰ जैसी घाटे में चल रही सहायक कंपनियों को हस्तान्तरित किया गया। इसके अलावा, ई॰सी॰एल॰ और बी॰सी॰सी॰एल॰ की घाटे में चल रही कंपनियों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के उद्देश्य से सी॰आई॰एल॰ ने अपनी सहायक कंपनियों की इक्विटी और ऋण ढांचे की आंतरिक पुनर्संरचना की थी जिससे ई॰सी॰एल॰ के 994 करोड़ रु॰ तथा बी॰सी॰सी॰एल॰ के 1,180.70 करोड़ रु॰ के ऋणों को इक्विटी में बदला गया था।

घाटे में चल रही कंपनियों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए उठाए गए कई कदमों के बाबजूद ये कंपनियां घाटे में चल रही हैं। इसलिए, कोल इंडिया लि॰ धारक कंपनी ने भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश कारपोरेशन लि॰ (आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰) को ई॰ सी॰ एल॰ के पुनर्चालन के लिए उपाय सुझाने के लिए नियुक्त किया। ई॰सी॰एल के पुनर्चालन पर आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰ की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। जहां तक बी॰सी॰सी॰एल॰ और सी॰सी॰एल॰ का संबंध है, सी॰आई॰एल॰ बोर्ड ने बी॰सी॰सी॰एल॰ और सी॰सी॰एल॰ पुर्नचानल योजना का सुझाव देने के लिए क्रमश: आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰ और आई॰डी॰बी॰आई॰ को नियुक्त किया है।

(घ) सी॰आई॰एल॰ के प्रबंधन और ट्रेड यूनियनों के बीच सम्पन्न राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता (एन॰सी॰डब्ल्यू॰ए॰-VI) के अनुसार कोयला उद्योग में कर्मचारियों को निम्नलिखित कल्याणकारी उपाय/लाभ मुहैया कराए जाते हैं :-

1. आवास सुविधाएं
2. जल आपूर्ति का प्रबंध
3. चिकित्सा सुविधाएं/स्वास्थ्य देखरेख
4. सैक्षणिक सुविधाएं
5. कैंटीन सुविधाएं, और
6. खेलकूद आदि।

कर्मचारियों को निम्नलिखित भत्ते भी दिए जा रहे हैं:-

1. भूमिगत भत्ता
2. परिवहन सबसिडी/अतिरिक्त परिवहन सबसिडी अथवा वाहन भत्ते की प्रतिअदायगी
3. एल॰टी॰सी॰ और
4. मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिपूरक भत्ता।

उपर्युक्त के अनावा, श्रमिक सामाजिक सुरक्षा स्कीमों जैसे श्रमिक मुआवजा लाभ, कोयला खान भविष्य निधि, ग्रेज्यूटी, कोयला खान पैंशन स्कीम, लाइफ कवर स्कीम, मृत्यु/स्थायी रूप से अक्षमता के मामले में श्रमिक के आश्रित को रोजगार का प्रावधान के लिए हकदार है।

(ङ) इन स्कीमों में पिछले तीन वर्षों में खर्च की गई धनराशि, सहायक कंपनी-वार निम्नलिखित है :-

(करोड़ रु॰ में)

कंपनी	1997-98	1998-99	1999-2000
ई॰सी॰एल॰ (पं॰ बंगाल और झारखंड)	229.19	205.98	183.52
बी॰सी॰सी॰एल॰ (झारखंड)	226.17	233.92	230.00
सी॰सी॰एल॰ (झारखंड)	141.87	141.78	142.65
डब्ल्यू॰सी॰एल॰ (महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश)	231.73	207.65	203.44
एस॰ई॰सी॰एल॰ (मध्य प्रदेश)	18.69	244.32	259.87
एम॰सी॰एल॰ (उड़ीसा)	84.40	86.28	97.82
एन॰सी॰एल॰ (उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश)	127.86	129.81	152.67
एन॰ई॰सी॰ (असम)	13.06	13.73	15.48
सी॰एम॰डी॰आई॰एल॰ (झारखंड)	7.92	7.70	9.31

(च) और (छ) केन्द्र सरकार की नीति के तौर पर 1996-97 से कोल इंडिया लि॰ (सी॰आई॰एल॰) को बजटीय सहायता रोक दी गई है और सी॰आई॰आई॰एल॰ को निवेश के लिए निधि की आवश्यकता को अपने स्वयं के स्रोतों से पूरा करना होता है।

[हिन्दी]

आंगनबाड़ी केन्द्र

2315. श्री महेश्वर सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकीकृत बाल विकास योजना की परियोजनान्तर्गत, राज्यवार ऐसे कितने आंगबाड़ी केन्द्र हैं, जिनके संबंध में मांगें मंत्रालय की मंजूरी हेतु लंबित हैं;

(ख) हिमाचल प्रदेश के उन विकास खण्डों के बारे में ब्यौरा क्या है जिन्हें बाल विकास योजना की परियोजनान्तर्गत लिया तो गया, किन्तु उनके लिए कार्यक्रम अधिकारी के पद सृजित नहीं किए गए; और

(ग) इन पदों का सृजन अब तक न किए जाने क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) भारत को हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक राज्य सरकारों से इन राज्यों में क्रमशः 2487 और 6655 आँगनवाड़ी केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) इस समय हिमाचल प्रदेश राज्य में 72 आई॰सी॰डी॰एस॰ परियोजनाएं चलायी जा रही हैं और इन सभी परियोजनाओं के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारियों के पदों का सृजन किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गुजरात में स्वयंसेवी संगठनों द्वारा महिला शिक्षा

2316. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में महिला-शिक्षा के प्रसार के क्षेत्र में काम कर रहे स्वयंसेवी संगठनों के बारे में विवरण क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, इस प्रयोजनार्थ इन स्वयंसेवी संगठनों को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई और इसमें से कितनी राशि प्रयुक्त हुई;

(ग) इस कार्यक्रम की समीक्षा करने हेतु क्या नियम हैं; और

(घ) ऐसे कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करने तथा राज्यों को समानुपातिक रूप से राशि का आबंटन करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (घ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय महिलाओं की शिक्षा सहित विभिन्न शैक्षिक कार्यकलापों से सम्बन्धित योजनाओं के तहत गुजरात राज्य सहित पूरे देश के स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एक लाख रुपए और अधिक के ऐसे अनुदानों का ब्यौरा आमतौर पर मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में दिया जाता है। आमतौर पर इन योजनाओं में संस्वीकृति के बाद अनुवीक्षण की व्यवस्था होती है। मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण दौरे भी किए जाते हैं। निधियों के उपयोग का अनुवीक्षण करने के लिए एक कार्यबल भी गठित किया गया है। सामान्यतः संगठनों को वित्तीय सहायता संबंधी इन योजनाओं के तहत राज्यवार कोई आनुपातिक आबंटन नहीं किया जाता है। अलग-अलग संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों पर भारत सरकार की मौजूदा नीतियों और निर्धारित मानदंडों के अनुसार विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

संसद सदस्यों को सुरक्षा प्रदान किया जाना

2317. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने कितने संसद सदस्यों को सुरक्षा प्रदान की है और उसका आधार क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस संबंध में अपने निर्णय की समीक्षा करने का है; और

(ग) समीक्षा कार्य कब तक किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच॰ विद्यासागर राव) : (क) से (ग) सुरक्षा एजेंसियों द्वारा आकलित खतरे की आशंका के आधार पर संसद सदस्यों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। संरक्षितों की संख्या खतरे के आकलन के आधार पर बदलती रहती है। यह एक सतत प्रक्रिया है और इसकी समय-समय पर पुनरीक्षा होती रहती है।

उच्च शिक्षा का निजीकरण

2318. श्री ब्रह्मानन्द मंडल :
श्रीमती सुशीला सरोज :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च शिक्षा के निजीकरण से संबंधित परामर्शदात्री समिति गठित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कौन-कौन से सदस्य हैं और इसके विचारणीय विषय कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या इस समिति में देश के शिक्षाविद् शामिल नहीं किये गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ऐसी किसी समिति का गठन नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की नियुक्ति

2319. श्री एन॰के॰एस॰ विजयन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संसद सदस्यों के मंच' ने सभी विभागों में महत्वपूर्ण पदों/कार्यों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिकारियों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/इसके समकक्ष और व्याख्याता के कितने पद हैं तथा 1.1.1996 को ऐसे पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और कुल पदों की तुलना में उनका प्रतिशत क्या है; और

(ग) दिनांक 1.1.1997 के पश्चात् इन पदों पर कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गयी तथा उनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के थे और इन नियुक्तियों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या था?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं

2320. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में सूचना पाठ्यक्रमों के लिए अतिरिक्त शैक्षिक/प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कितना अनुमानित निवेश किये जाने की आवश्यकता है; और

(ख) इस उद्देश्य के लिए गैर-सरकारी निवेश के साथ-साथ उपलब्ध होने वाली विदेशी सहायता का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास पर कार्यदल ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के लिए पर्याप्त और कोटिपरक जनशक्ति की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 2000 करोड़ रु० के निवेश का अनुमान लगाया है। इसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेजों में सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों के लिए अतिरिक्त शैक्षिक/प्रशिक्षण सुविधाएं सृजित करना भी शामिल है। इस विशिष्ट उद्देश्य के लिए विदेशी सहायता लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली, भूकंप की संभावना वाला क्षेत्र

2321. **श्री राजीव प्रताव रूडी** : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली भूकंप की संभावना वाला क्षेत्र है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी दुर्घटना की स्थिति से निपटने के लिए कोई पूर्ववर्ती योजना है और प्रभावित लोगों को निकालने का कोई तंत्र है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तैयार किए गए आंचलिक नक्शे के अनुसार दिल्ली भूकंपीय अंचल-IV में आता है।

(ख) और (ग) दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि अभी तक ऐसी किसी आकस्मिकता और निकास योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, किन्तु इस पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

छठी अनुसूची को अद्यतन बनाना

2322. **श्री समर चौधरी** : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को त्रिपुरा सरकार से त्रिपुरा जनजातीय स्वायत जिला परिषद को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से छठी अनुसूची में अतिरिक्त अधिकार और प्राधिकार शामिल करके इसे अद्यतन बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को जनजातीय क्षेत्र विकास और बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए राज्य में 25 सूत्रीय विकास कार्यक्रम का वित्तपोषण का भी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

शिक्षा संबंधी कृतिक बल

2323. **मोहम्मद शहाबुद्दीन** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गत वर्ष के दौरान शिक्षा नीति को बेहतर और अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए कृतिक बल गठित किया था;

(ख) यदि हां, तो कृतिक बल ने इस संबंध में क्या सिफारिशें की हैं;

(ग) क्या यह आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि उच्च शिक्षा निम्न और मध्यम वर्गीय लोगों की पहुंच से बाहर हो जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इस संबंध में व्यक्त की गई आशंकाओं को नोट कर लिया गया है।

[अनुवाद]

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

2324. श्री सनत कुमार मंडल :
श्री प्रभुनाथ सिंह :
प्रो० रासासिंह रावत :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम को दो दशक तक कार्यान्वित किए जाने के बावजूद सूखे की स्थिति और पारिस्थितिकीय स्थितियों में कोई खास सुधार नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने सूखा प्रवण क्षेत्रों में कमी लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार ने देश में सूखा प्रवण क्षेत्रों के संबंध में कोई नवीन सर्वेक्षण कराया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार स्थिति से निपटने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों के लिए वृहत विशेष पैकेज पर विचार करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०) और मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी०डी०पी०) विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम हैं जिन्हें क्रमश: वर्ष 1973-74 और 1977-78 से कार्यान्वित किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों को काफी लम्बे समय से कार्यान्वित किए जाने के बावजूद भी अवक्रमण की समग्र प्रक्रिया के प्रतिकूल प्रभाव में कोई खास सुधार नहीं लाया जा सका है। उपरोक्त स्थिति के लिए उत्तरदायी बहुत से कारणों में से दोनों कार्यक्रमों के तहत अत्यधिक महत्वपूर्ण कारण विगत में ऐसे बहुत से कार्यकलापों को व्यापक रूप से फैले हुए क्षेत्र में अपर्याप्त रूप से आरंभ किया जाना था जो इन कार्यक्रमों के मूल उद्देश्यों से अनिवार्य रूप संबंधित नहीं थे। इससे इन कार्यक्रमों के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर पूर्णतया ध्यान नहीं दिया जा सका। लोगों की तकलीफों को दूर करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों में क्षेत्र विकास कार्यक्रमों से वित्त पोषित आय सृजन के कार्यकलापों के जरिए तदर्थ राहत प्रदान करने का लक्ष्य भी शामिल था। तथापि ऐसे कार्यों को भूमि और जल संरक्षण संबंधी कार्यक्रमों के साथ नहीं जोड़ा गया था।

(ग) से (ङ) इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में उपयुक्त संशोधन करने और कार्यक्रम वाले क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से सुधार लाने को ध्यान में रखते हुए सरकार ने योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य, प्रो० सी०एच० हनुमंत राव की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति गठित थी जिसने कार्यक्रमों के विषयों, कार्य प्रणाली वित्तपोषण पद्धति तथा कार्यान्वयन में संस्थागत तंत्र की समीक्षा की थी और उपयुक्त सुधारात्मक उपायों की सिफारिश की थी। समिति ने देश में सूखा प्रवण क्षेत्रों और मरूभूमि क्षेत्रों को अभिज्ञात करने के लिए एक वैज्ञानिक मानदण्ड की भी सिफारिश की थी। इस मानदण्ड के अनुसार सुखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी०डी०ए०पी०) के अंतर्गत 16 राज्यों के 180 जिलों में 961 खण्ड शामिल हैं और मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 7 राज्यों के 40 जिलों में 232 खण्ड शामिल हैं।

(च) और (छ) प्रो० सी०एच० हनुमंत राव की अध्यक्षता वाली तकनीकी समिति की सिफारिशों के आधार पर सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०) और मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी०डी०पी०) को अब 1.4.95 से वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समेकित वाटरशेड विकास के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में कार्यक्रम वाले क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधन आधार को विकसित करने के लिए विस्तृत उपाय दिए गए हैं। वाटरशेड समुदायों को सरकार और गैर सरकारी संगठनों से तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ वाटरशेड विकास परियोजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन और प्रबंधन का उत्तरदायित्व सौंपकर इन कार्यक्रमों को लोगों के कार्यक्रम भी बनाया गया है।

राजस्थान में एन.एस.डी.आई. कार्यक्रम

2325. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1954 के दौरान राजस्थान में एन.एस.डी.आई. कार्यक्रम चालू किया गया था और केन्द्र सरकार ने एन.एस.डी.आई. कार्यक्रम और 'हाउस कीपिंग स्टाफ' के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति की थी;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1972-73 के दौरान राजस्थान को इस योजना का नियंत्रण सौंपने के बावजूद केन्द्र सरकार एन.एस. डी.आई. और हाउस कीपिंग स्टाफ पर होने वाले व्यय को वहन करती रही;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा उक्त राज्य के लिए अभी कितनी राशि की प्रतिपूर्ति की जानी है; और

(घ) देय राशि का भुगतान कब तक कर दिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (घ) महिला एवं बाल विकास विभाग एन.एस. डी.आई. कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं कर रहा है, तथापि, युवक कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय राष्ट्रीय अनुशासन स्कीम अनुदेशक कार्यक्रम चला रहा है।

राष्ट्रीय अनुशासन स्कीम मूल रूप से पुनर्वास मंत्रालय द्वारा युवा पीढ़ी में अनुशासन की भावना पैदा करने और व्यायाम प्रशिक्षण प्रदान करने के एक कार्यक्रम के रूप में 1954 में शुरू की गई थी। इस स्कीम को बाद में 1958 में तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय को अन्तरित कर दिया गया। बाद में, इसे 1965 में एक समेकित स्कीम बना दिया गया, जिसका नाम नैशनल फिटनेस कोर रखा गया। 1965 से, राष्ट्रीय अनुशासन स्कीम अनुदेशक/नैशनल फिटनैस कोर के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों के राज्य सरकारों को अन्तरण के प्रश्न पर संघ सरकार का ध्यान जाना शुरू हुआ। लेकिन, मुख्य रूप से अतिरिक्त वित्तीय दायित्व के कारण कर्मचारियों/अनुदेशकों को लेने की राज्य सरकारों की अनिच्छा की वजह से इस निर्णय को 1972 से पूर्व कार्यान्वित नहीं किया जा सका। इसके पश्चात्, केन्द्र सरकार इस बात पर सहमत हो गई कि सभी समाहृत कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर होने वाले पूरे व्यय को उनकी सेवा अवधि तक वहन करेगी। संघ सरकार अपने सीमित बजट आबंटन से कर्मचारियों/अनुदेशकों के वेतन और भत्तों की यथासंभव राजय सरकारों को प्रतिपूर्ति कर रही है।

राजस्थान सरकार ने वर्ष 2000-2001 में 284.76 लाख रुपए की अनुमानित लागत बतायी है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को 210 लाख रुपए की राशि की प्रतिपूर्ति की है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, राजस्थान सरकार को 15 लाख रुपए का अनुदान निर्मुक्त किया जा रहा है।

द्वारका और रोहिणी में करगिल शहीदों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आवास परियोजनाएं

2326. श्री शिवाजी माने :
श्री सी० कुप्पुसामी :
श्री रघुनाथ झा :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12-2-2001 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "फ्रॉड एलेज्ड इन डी०डी०ए० हाउसिंग प्रोजेक्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) डी०डी०ए० के पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा दर्शायी गयी लागत राशि से ज्यादा लागत राशि के ठेके देने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने डी०डी०ए० से द्वारका और रोहिणी में करगिल शहीदों के परिवारों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए इसकी आवासीय परियोजनाओं से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट की मांग की है;

(ङ) यदि हां, तो डी०डी०ए० द्वारा प्रस्तुत इस रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या मंत्रालय के विशेषज्ञों ने डी०डी०ए० की इस रिपोर्ट और परियोजना की जांच की है;

(छ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ज) क्या सरकार का विचार इस संबंध में सी.बी.आई. द्वारा जांच कराने का है;

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ञ) क्या भवनों को भूकंपरोधी बनाया जायेगा; और

(ट) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार को उक्त समाचार की जानकारी है। इस बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण से विस्तृत रिपोर्ट ली गई है।

(ग) से (ट) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि होलो ब्लाक टेकनॉलाजी एक नई प्रौद्योगिकी है जिसे वैकल्पिक भवन निर्माण सामग्री को बढ़ावा देने और दिल्ली में ईंटों की कमी को देखते हुए प्रारम्भ किया गया है। दिल्ली में ईंटों के भट्टे बंद होने के कारण बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए अधिक मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ईंटें मिलनी कठिन हैं। विकसित देशों होलो ब्लाक टेकनॉलाजी काफी प्रचलित है। डी०डी०ए० ने इस प्रौद्योगिकी को सुरक्षित और विश्वसनीय रूप में लाने के लिए पहल की है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि बड़े पैमाने पर आवास निर्माण में इस प्रौद्योगिकी को अपनाने से पहले उसने वसंत कुंज में अनुसंधान और विकास स्कीम के एक भाग के रूप में एक प्रायोगिक परियोजना चलाई थी और मानकों और विनिर्देशनों को अन्तिम रूप देने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई०आई०टी०) को सहयोगी बनाया था। अन्य परियोजनाओं में जाने से पहले इन पायलट मकानों के परिणाम देखे गये। डी०डी०ए० ने सूचित किया है कि रोहिणी और द्वारका परियोजनाओं हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को संरचनात्मक डिजाइन और गुणवत्ता जांच के लिए सलाहकार के रूप में संबद्ध किया गया था।

यह देखते हुए कि होलो ब्लाक टेकनालाजी का उपयोग करते हुए इस परियोजना का डिजाइन किया गया, निविदाओं के प्रति सीमित संख्या में लोगों ने आवेदन किये और चूंकि निविदायें पारंपरिक प्रौद्योगिकी वाले निर्माण के लिए आमंत्रित नहीं की गई थी। यह गलत धारणा है कि निविदायें पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा दर्शाई गई लागत राशि से ज्यादा

लागत राशि पर दी गई। डी॰डी॰ए॰ के अनुसार निविदायें व्यापक प्रचार के बाद और डी॰डी॰ए॰ में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मांगी गई थी।

जहां तक विलम्ब का संबंध है, डी॰डी॰ए॰ ने सूचित किया है कि इसकी नई प्रौद्योगिकी होने, जटिल, कम्प्यूट्रीकृत और पूर्णत: स्वचालित सीमेंट कंक्रीट होलो ब्लाक विनिर्माण संयंत्रों के आयात और स्थापना संबंधी कार्य, भूमि समस्या, निर्धारित सामग्री की कमी, स्टोनक्रशर संबंधी समस्याओं और संयंत्र हेतु आयातित विनिर्माणन उपस्करों में अन्य प्रचालन और रखरखाव समस्याओं के कारण विलम्ब हुआ था।

डी॰डी॰ए॰ ने यह भी सूचित किया है कि होलो ब्लाक टेकनालाजी प्रीफैब्रीकेटिड टेकनालाजी से भिन्न है और सभी गुणवत्ता डिजाइन, संरचना और सौंदर्यपरकता निर्धारित संहिताओं और भवन निर्माण कानूनों के अनुसार है। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि रोहिणी और द्वारका में मकान प्रचलित भारतीय मानक संहिताओं के मानदण्डों के अनुसार सुरक्षित और भूकंपरोधी है।

चूंकि आई॰आई॰टी॰ परियोजना की शुरुआत से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ था इसलिए सरकार इसे जांच के लिए सी॰बी॰आई॰ को सौंपना आवश्यक नहीं समझती है।

आई॰आई॰टी॰ शुरुआत से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ था, भूकंपरोधी भवनों हेतु दिल्ली क्षेत्र के लिए नूतन भारतीय मानक संहिताओं के अनुसार डिजाइन में भूकंपरोधी आवश्यक प्रावधान शामिल किये गये हैं।

बी.सी.सी.एल. के अंतर्गत आने वाली चीटूडीह खान में दुर्घटना

2327. श्री खारबेल स्वाइं :
श्री सुबोध राय :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागडिगी में घटी खान दुर्घटना के एक सप्ताह बाद बी.सी.सी.एल. के अंतर्गत आने वाली चीटूडीह खान में एक और दुर्घटना हो गयी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या चीटूडीह खान का बी.सी.सी.एल. के किसी भी उच्च अधिकारी ने दौरा नहीं किया और कई घंटों तक बचाव कार्य नहीं किया गया;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) दिनांक 9.2.2001 को लगभग 12.00 बजे बी.सी.सी.एल. के कतरास चीतुडीह कोलियरी में एक दुर्घटना घटी थी, जिसके परिणामस्वरूप एक खनिक की मृत्यु हुई।

(ख) प्रारंभिक जांच से यह संकेत मिला है कि दुर्घटना उसी खान की एक गैलरी से जलप्लावन के कारण हुई।

(ग) कोयला भवन से महा प्रबंधक और क्षेत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, जी.एम. (सुरक्षा) और दो उप मुख्य खनन इंजीनियरों (सुरक्षा) सहित, तथा डी.जी.एम.एस. के पदाधिकारी स्थिति का स्थल पर मुआयना करने के लिए तत्काल घटनास्थल पर गए और तत्काल बचाव और रिकवरी कार्य आरंभ किया।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

विश्वविद्यालयों में सभी धर्मों के बारे में पाठ्यक्रम

2328. श्रीमती जयाबहन बी॰ ठक्कर : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** विश्वविद्यालयों में सभी धर्मों के पाठ्यक्रमों के बारे में 19 दिसम्बर, 2000 के तारांकित प्रश्न संख्या 432 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विश्वविद्यालयों को एक ऐसे वृहत धार्मिक पाठ्यक्रम को आरंभ करने के दिशा-निर्देश जारी किये हैं जिसमें देश के सभी धर्मों का नीति-शास्त्र शामिल हों;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लि॰ (सी.आई.एल.) में कोयला भंडार

2329. कुमारी भावना पुडलिकराव गवली : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि॰ (सी.आई.एल.) की सभी सहायक कंपनियों में कोयला भंडार निरंतर बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो कोयला भंडार में हुई मासिक वृद्धि का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

बंजरभूमि विकास विभाग

2330. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंजरभूमि विकास विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था;

(ख) क्या "आडिट, इकोनॉमिक एंड सर्विस मिनिस्ट्रीज, नई दिल्ली" के प्रधान निदेशक द्वारा लेखा परीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) लेखा परीक्षा कितनी अवधि तक की गई है;

(ङ) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान की गयी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट का राज्यवार विशेषकर गुजरात का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उन संगठनों के प्रति आपत्तियां प्रकट की गयी हैं जिन्हें बंजरभूमि के विकास के लिए वित्तपोषित किया गया था;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गयी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) बंजरभूमि विकास विभाग की स्थापना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अन्तर्गत 1992 में की गई थी। तदनन्तर अप्रैल, 1999 में बंजरभूमि विकास विभाग का नाम बदलकर भूमि संसाधन विभाग कर दिया गया था और मंत्रालय के सभी आधारित कार्यक्रमों को इसके अंतर्गत लाया गया था।

(ख) से (घ) जी, हां। ऑडिट इकोनामिक एण्ड सर्विस मिनिस्ट्रीज, नई दिल्ली के प्रधान निदेशक ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के निम्नलिखित कार्यक्रमों के संबंध में लेखा परीक्षा की थी:-

(i) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.)

(ii) गैर सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता योजना (सहायता-अनुदान)

(iii) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)

1. समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) : लेख परीक्षा दिसम्बर, 1997 से अप्रैल, 1998 तक की अवधि के दौरान की गई थी। लेख परीक्षा का ब्यौरा 2000 की रिपोर्ट संख्या 4 (सिविल) के पैरा 10.4 तथा 2000 की रिपोर्ट संख्या 2 (सिविल) के पैरा 15 में समाविष्ट किया गया था।

2. गैर सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता योजना (सहायता-अनुदान) : लेखा परीक्षा 1997-98 की अवधि के लिए की गई थी और लेखा परीक्षा का ब्यौरा 2000 की रिपोर्ट संख्या 2 (सिविल) के पैरा 15 में समाविष्ट किया गया है।

3. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) : लेख परीक्षा अप्रैल, 1998 की अवधि के दौरान की गई थी। लेखा परीक्षा का ब्यौरा 1999 की रिपोर्ट संख्या 3 (सिविल) के पैरा 3 में समाविष्ट किया गया है।

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान लेख परीक्षा रिपोर्ट का ब्यौरा कार्यक्रम/राज्यवार नीचे दिया गया है:-

I. समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.)

(i) **राजस्थान:** भारत सरकार की स्वीकृति किए बिना सीकर जिले में बलेश्वर बंजरभूमि विकास परियोजना का कार्य आरंभ किए जाने से 125.26 लाख रुपये का अप्राधिकृत व्यय किया गया और 14.74 लाख रुपये की खर्च न की गई राशि तब तक की रही (जब तक इसे वापस नहीं किया गया था)।

(ii) **महाराष्ट्र:**

(क) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के संबंध में स्वीकृति के लिए पूर्व निर्धारित शर्तों की ओर ध्यान नहीं दिया गया था तथा एग्रो फोरेस्ट्री फेडरेशन (ए.एफ.एफ.), नासिक प्रत्यक्ष रूप से बंजरभूमि विकास में शामिल नहीं था।

(ख) सेना की भूमि पर वृक्षारोपण किए जाने के कारण स्थानीय समुदाय को शामिल करने तथा भोगाधिकार को स्थानीय लोगों के बीच बांटने की शर्त की ओर भी ध्यान नहीं दिया गया था।

II. गैर सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता योजना (सहायता—अनुदान)

(i) **महाराष्ट्र:**

(क) आर्मी फाउंडेशन फॉर इन्वायरनमेंट कन्जरवेशन (ए.एफ.ई.सी.), नई दिल्ली को परियोजनायें स्वीकृत करने में स्वीकृति से पूर्व निर्धारित शर्तों की ओर ध्यान नहीं दिया गया था तथा एग्रो फोरेस्ट्री फेडरेशन (ए.एफ.एफ.), नासिक बंजरभूमि के विकास में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं था।

(II) हरियाणा

ए.एफ.ई.सी. की उत्तरजीविता दर बहुत कम है और यह 5 से 15 प्रतिशत तक मौजूद है।

III. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)

लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कार्यक्रम वाले राज्यों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में कुछेक कमियों को उजागर किया गया है और ये कमियां निम्नानुसार है:-

(क) लगभग दो दशकों से कार्यक्रम को कार्यान्वित किए जाने के बाद भी सूखा प्रवण क्षेत्र में वृद्धि हुई है।

(ख) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की बहुलता होने के कारण इनके उद्देश्यों का परस्पर अतिव्यापी होना, उत्तरदायित्व निर्धारित न किया जाना, एक समान कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करने के लिए केन्द्र स्तर पर कार्रवाई न करना, आदि।

(ग) वाटरशेड का संपूर्ण विकास तथा संतृप्तिकरण प्राप्त नहीं किया गया था और कार्यक्रम के प्रभाव का पता लगाने के लिए मूल्यांकन नहीं किया गया था।

(घ) हवाई फोटोग्राफी तथा दूर संवेदी जैसी वैज्ञानिकी तकनीकों का प्रयोग नहीं किया गया था।

(ङ) जल तथा जल संसाधनों की संरक्षण हेतु कार्यकुशलता का अंदाजा नहीं लगाया गया था।

(च) फसलों का प्रदर्शन नहीं किया गया था।

(छ) निधियों को कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र के बाहर के कार्य-कलापों और स्कीमों के लिए अपवर्तित कर दिया गया था।

(ज) वृक्षारोपण के पश्चात् वृक्षों के बचे रहने की दर बहुत कम थी।

(झ) कार्यक्रम के अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियों की सूची नहीं रखी गई थी; और

(ञ) भूमि विकास की प्रति यूनिट लागत अलग-अलग राज्य में व्यापक रूप से भिन्न-भिन्न होना।

गुजरात के मामलें में यह स्थिति मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से थी:-

(क) अभिज्ञात किए गए जिलों में निधियां ऐसी अन्य योजनओं/कार्यकलापों के लिए अपवर्तित कर दी गई थी जो इस कार्यक्रम से संबंधित नहीं थे; और

(ख) निधियां खजाने में वैयक्तिक खाता लेखा में की पड़ी रही थीं।

(च) मे (ज) वे संगठन, जिनके संबंध में आपत्तियां की गई हैं, एग्रो फोरेस्ट्री फेडरेशन (ए.एफ.एफ.) नासिक तथा आर्मी फाउंडेशन फार इन्वायरनमेंट कंजरवेशन (ए.एफ.ई.सी.) थे। लेखा परीक्षा द्वारा यह पाया गया था कि ए.एफ.ई.सी. को कोई विगत का अनुभव प्राप्त नहीं था और ए.एफ.एफ. बंजरभूमि के विकास में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं था।

14.74 लाख रुपये की बिना खर्च किए शेष पड़ी राशि तथा इस पर प्राप्त ब्याज की राशि सहित जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, सीकर से वसूल कर ली गई थी और मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किए गए व्यय का पता लगाने के लिए मूल्यांकनकर्त्ता को नियुक्त कर दिया गया है। गैर सरकारी संगठनों के अनुभव और विशेषज्ञता की गहन संवीक्षा करने के लिए सभी चालू परियोजनाएं लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट), नई दिल्ली को अंतरित कर दी गई है। गैर सरकारी संगठनों तथा स्वयंसेवी एजेंसियों को परियोजनाएं स्वीकृत करने संबंधी सभी नये प्रस्तावों पर निर्णय अब कपार्ट द्वारा लिया जाता है। लेखा परीक्षा को आवश्यक सूचना/स्पष्टीकरण दे दिये गये हैं।

सुधारात्मक उपाय करने के लिए लेखा परीक्षा टिप्पणियों को संबंधित राज्य सरकारों/संगठनों को भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर में निर्माण कार्य

2331. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू॰जी॰सी॰) ने छठी पंचवर्षीय योजना के आरंभ होने से लेकर अब तक खेल परिसर के निर्माण सहित अन्य निर्माण कार्यों कि लिए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर को कितना अनुदान प्रदान किया है;

(ख) अब तक कितना निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है; और

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू॰जी॰सी॰) द्वारा अनुदान प्रदान किये जाने के बावजूद कितना निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में मारे गए व्यक्तियों के निकट संबंधियों को मुआवजा

2232. श्री रमेश चेन्नितला : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और आज की तिथि तक जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा कितने सुरक्षा कार्मिक/नागरिक मारे गए हैं तथा कितने घायल हुए हैं; और

(ख) अब तक मारे गए सुरक्षा कार्मिकों और नागरिकों के निकट संबंधियों को भुगतान किए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी॰एच॰ विद्यासागर राव) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार:

	1998	1999	2000	2001 (फरवरी के अंत तक)
मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	232	356	397	61
जख्मी सुरक्षा बल कार्मिक	479	741	864	182
मारे गए सिविलियन	867	821	762	151
जख्मी हुए सिविलियन	1187	1119	1258	387

(ख) आतंकवादी घटनाओं में हुई मृत्यु, विशिष्ट प्रकार की चोटों और सम्पत्ति को हुए विशिष्ट नुकसान के मामले में राज्य सरकारों द्वारा अनुग्रहपूर्वक अदायगी उनके द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार की जाती है। इन राशियों की प्रतिपूर्ति, प्रतिपूर्ति के दावों की स्वीकार्यता के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है।

इसके अतिरिक्त सेना/केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के कार्मिकों के नजदीकी रिस्तेदार उनके संबंधित संगठनों से भी अनुग्रहपूर्वक राहत प्राप्त करते हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पेयजल और जल-मल व्ययन योजना

2333. श्रीमती शीला गौतम : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में पेयजल और जल-मल व्ययन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं के अंतर्गत परियोजनावार किन-किन शहरों/कस्बों को शामिल किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार इन योजनओं को चालू पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या विश्व बैंक अथवा कोई अन्य एजेंसी इन परियोजनाओं हेतु सहायता देने पर सहमत हो गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ङ) जल आपूर्ति और जल-मल व्ययन राज्य के विषय हैं, राज्य सरकारें जलआपूर्ति और जल-मल व्ययन सुविधाओं की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रचालन और रखरखाव तथा इस प्रयोजन के लिए अपने राज्य की योजनाओं में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान करने के लिए उत्तरदायी हैं। तथापि, 20,000 से कम आबादी (वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार) वाले कस्बों में जल आपूर्ति सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करने के लिए, केन्द्र और राज्य के बीच 50 : 50 समकक्ष आधार पर राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता मुहैया कराने के लिए वर्ष 1993-94 के दौरान एक केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) शुरू किया गया था। ए॰यू॰डब्ल्यू॰एस॰पी॰ के तहत उत्तर प्रदेश के 190 कस्बों हेतु 14,924.86 लाख रुपये की अनुमानित लागत की जल आपूर्ति स्कीमें मंजूर की गई हैं और केन्द्रीय अंश के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार को 5614.97 लाख रुपये जारी किए गए हैं। इस स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है। ऐसी कोई केन्द्रीय स्कीम नहीं है जिसके तहत मल-जल व्ययन सुविधाओं को मुहैया कराने हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जा सके।

भारत सरकार द्वारा 263.40 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की गंगा नदी पर बेराज निर्माण की एकीकृत परियोजना मंजूर की गई है और यह निर्णय किया गया है कि इस धनराशि का 50% केन्द्र द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को ऋण के रूप में दिया जाए। परियोजना में गंगा नदी के अपने दाहिने किनारे अर्थात् कानपुर से धीरे-धीरे हटने को सुधारने और पेयजल की समस्या को सुलझाने की संकल्पना की गई है।

131.70 करोड़ रुपये के केन्द्रीय अंश की तुलना में, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार को ऋण के रूप में जारी किया जाना है, आज तक 70.49 करोड़ रूपये जारी किए गए हैं।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

मंजूर स्कीमें

क्र.सं.	कस्बे का नाम	जिला
1	2	3
1.	करहल	मैनपुरी
2.	हस्तिनापुर	मेरठ
3.	जलाली	अलीगढ़
4.	जत्तारी	अलीगढ़
5.	हरदुआगंज	अलीगढ़
6.	खेरागढ़	आगरा
7.	हल्दौर	बिजनौर
8.	उमारीकलन	मुरादाबाद
9.	निधौनीकलन	ऐटा
10.	राया	मथुरा
11.	मरेहरा	ऐटा
12.	अचनेरा	आगरा
13.	ससनी	अलीगढ़
14.	धिरौर	मैनपुरी
15.	तुलसीपुर	गोंडा
16.	गोलाबाजार	गोरखपुर
17.	मेहनागढ़	आजमगढ़
18.	जियानापुर	आजमगढ़
19.	अजमतगढ़	आजमगढ़
20.	घुघुली	महराजगंज
21.	रियोति	बलिया
22.	सिकंदरपुर	बलिया
23.	करारी	इलाहाबाद
24.	बांसदी	बलिया
25.	चंदौली	वाराणसी
26.	बेकवाड़	इटावा
27.	लखना	इटावा
28.	कुल्पहर	हमीरपुर
29.	झिंझक	कानपुर
30.	बिथूर	कानपुर
31.	नरैनी	बांदा
32.	तिरवागंज	फरूखाबाद
33.	तलग्राम	फरूखाबाद
34.	नवाबगंज	उन्नांव
35.	नियोतिनी	उन्नांव
36.	मोहन	उन्नांव
37.	समदी	हरदोई
38.	पाली	हरदोई
39.	इस्लामनगर	बदायूं
40.	सिंघाई बरोरा	लखीमपुर-खेरी
41.	कटरा	शाहजहाँपुर
42.	जिलारियागंज	आजमगढ़
43.	रामनगर	बाराबंकी
44.	शंकरगढ़	इलाहाबाद
45.	चोरावल	सोनभद्र
46.	सिधौर	बारबंकी
47.	चोपन	सोनभद्र
48.	बी.बी. नगर	बुलंदशहर
49.	दौराला	मेरठ
50.	फरीदपुर	बरेली
51.	ऊसाँवन	बदायूं

1	2	3
52.	सौरिक	फरुखाबाद
53.	हरिया	बस्ती
54.	हरिहरपुर	बस्ती
55.	बांसगांव	गोरखपुर
56.	बीकापुर	फैजाबाद
57.	सराय अकील	इलाहाबाद
58.	दुधी	सोनभद्र
59.	पाली	ललितपुर
60.	ओरन	बांदा
61.	रिसीया बाजार	बहराइच
62.	झालू	बिजनौर
63.	अदरी	मऊ
64.	अत्सू	इटावा
65.	हरगांव	सीतापुर
66.	पुरवा	उन्नाव
67.	पुखरायन	कानपुर (देहात)
68.	बिसारतगंज	बरेली
69.	नरौरा	बुलंदशहर
70.	जहांगीरपुर	बुलंदशहर
71.	चेत्तारी	बुलंदशहर
72.	बिलासपुर	बुलंदशहर
73.	ककोर	बुलंदशहर
74.	एलम	मुजफ्फरनगर
75.	बनत	मुजफ्फरनगर
76.	असरफपुर	अम्बेडकरनगर
77.	ज्योति-खुरिया	मैनपुरी
78.	नई बाजार	भदोई
79.	रसूलाबाद	उन्नाव
80.	सिवलखास	मेरठ
81.	कटेरा	झांसी
82.	जहांनाबाद	पीलीभीत
83.	कालीनगर	पीलीभीत
84.	बारबर	लखीमपुर
85.	उसेहत	बदायूँ
86.	फैजगंज बेहाटा	बदायूँ
87.	मदौन्ध	बांदा
88.	करनावल	मेरठ
89.	फरिहा	फिरोजाबाद
90.	मंझौलीराज	देवरिया
91.	इत्तीफतगंज	अम्बेडकरनगर
92.	भदरसा	फैजाबाद
93.	मोहम्मदाबाद	फरुखाबाद
94.	छर्रा	अलीगढ़
95.	पिलखना	अलीगढ़
96.	साहपौ	हाथरास
97.	सहनपुर	बिजनौर
98.	भारतगंज	इलाहाबाद
99.	शेरगढ़	बरेली
100.	सिरौली	बरेली
101.	अकबरपुर	कानपुर (देहात)
102.	शाहगंज	जौनपुर
103.	गोहंद	हमीरपुर
104.	खरेला	महोबा
105.	फतेहपुर चौरासी	उन्नाव

1	2	3
106.	टिंडवारी	बांदा
107.	सरिला	हमीरपुर
108.	बिधुना	औरइया
109.	खितौड़	मेरठ
110.	सूरियावन	रविदासनगर
111.	मानकपुर	गोंडा
112.	रानीपुर	झांसी
113.	चिरगांव	झांसी
114.	महरौनी	ललितपुर
115.	अमीलानगर	मऊ
116.	अलीगंज	ऐटा
117.	बाड़पुर	बिजनौर
118.	तलबेहड़	ललितपुर
119.	अहरौड़ा	मिर्जापुर
120.	राजा का रामपुर	ऐटा
121.	सतरीख	बाराबंकी
122.	जसराना	फिरोजाबाद
123.	फतेहगंज पश्चिम	बरेली
124.	पुरदिल नगर	महामाया नगर
125.	फूलपुर	आजमगढ़
126.	पिपराइच	गोरखपुर
127.	बराहनीबाजार	सिद्धार्थ नगर
128.	छपरौली	बागपत
129.	सोंख	मथुरा
130.	पटियाली	ऐटा
131.	बिजयगढ़	अलीगढ़
132.	स्वार	रामपुर
133.	शमसाबाद	फरुखाबाद
134.	अच्छलदा	औरइया
135.	केराकट	जौनपुर
136.	रामकोला	कुशीनगर
137.	मुसाफिरखाना	सुल्तानपुर
138.	बरहलगंज	गोरखपुर
139.	कच्छवा	मिर्जापुर
140.	सोहरतगढ़	सिद्धार्थ नगर
141.	तरलमीर	आजमगढ़
142.	मौरावन	उन्नांव
143	चौमुहां	मथुरा
144.	खानपुर	बुलंदशहर
145.	भींगा	शरावस्ती
146	औरस	उन्नांव
147	दिबीयापुर	औरइया
148.	मुन्दराबाजार	गोरखपुर
149.	सेवराही	कुशीनगर
150.	कैप्टनगंज	कुशीनगर
151.	कौरियागंज	अलीगढ़
152.	सिसौली	मुजफ्फरनगर
153.	भरापररानी	देवरिया
154.	बुगरासी	बुलंदशहर
155.	इकौना	शरावस्ती
156.	कपला	बदायूं
157.	हाता	कुशीनगर
158.	गोंसाईंगंज	फैजाबाद
159.	दोहरीघाट	मऊ

1	2	3
160.	सैंथना	बरेली
161.	मंदकंड	बिजनौर
162.	खड्डा	कुशीनगर
163.	सैदपुर	बदायूं
164.	नवाबगंज	गोंडा
165..	कोइरीपुर	सुलतानपुर
166.	मोहम्मदाबाद-गोहाना	मऊ
167.	सफीपुर	उन्नाव
168.	हसियन	हाथरस
169.	उंचाहार	रायबरेली
170.	शाहपुर	मुजफ्फरनगर
171.	राबूपुरा	जी.बी. नगर
172.	बेहट	सहारनपुर
173.	गंज मुरादाबाद	उन्नाव
174.	अफजलगढ़	बिजनौर
175.	सुलतानपुर	सहारनपुर
176.	मलिहाबाद	लखनऊ
177.	इगलास	अलीगढ़
178.	पीपीगंज	गोरखपुर
179.	दरियाबाद	बारबंकी
180.	मुरसन	हाथरस
181.	अमीनगर सराय	बागपत
182.	फाफुड़	औरइया
183.	देओरनिया	बरेली
184.	बाबरपुर-अजीतमल	औरइया
185.	हैदराबाद	उन्नाव
186.	सिंथौली	सीतापुर
187.	रिथौड़ा	बरेली
188.	लालगंज	रायबरेली
189.	पारीखितगढ़	मेरठ
190.	अंबेहटा	सहारनपुर

[अनुवाद]

मूलभूत आविष्कार

2334. श्री पवन कुमार बंसल : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दैनिक जीवन में सहायक होने वाले स्थानीय मूलभूत आविष्कारों को प्रोत्साहित करने संबंधी कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) जी, हां। सरकार द्वारा मार्च 2000 में राष्ट्रीय नवप्रवर्तन संस्था की स्थापना कर दी गई है।

(ख) इस संस्था के उद्देश्य ये हैं:-

(i) आधारभूत नवप्रवर्तनों का पता लगा कर, उन्हें उद्‌भिद करके स्थायित्व प्रदान कर तथा उन्हें बढ़ावा देकर भारत को वहनीय प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में एक आविष्कारशील एवं सृजनात्मक सोसाइटी तथा विश्व में अग्रणेता बनाने में सहायता करना।

(ii) एक चुनिंदा, समयबद्ध तथा मिशन उन्मुख आधार पर हरित आधारभूत नवप्रवर्तनों का विकास एवं प्रचार सुनिश्चित करना ताकि हमारे समाज की सामाजिक-आर्थिक तथा पर्यावरणीय आवश्यकताओं को सावधानीपूर्वक पूरा किया जा सके जिससे नवप्रवर्तकों की बौद्धिक सम्पदा तथा अन्य अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके ताकि वे नवप्रवर्तनों के प्रसार के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भागीदार रह सकें।

(iii) आधारभूत हरित नवप्रवर्तनों का पता लगाने, उनका उद्‌भवन करने, उन्हें स्थायित्व प्रदान करने तथा उनकी स्केलिंग करने में सांस्थनिक सहायता उपलब्ध कराना तथा उसे आसान बनाना और उन्हें स्वयं के लिए सहायक गतिविधियों में परिवर्तित करना, नवप्रवर्तनों पर आधारित उद्यमों के

प्रतिस्पर्धात्मक लाभों के माध्यम से तथा/अथवा लोगों के द्वारा सृजित वहनीय प्रौद्योगिकियों को आधारभूत स्तर पर लागू करके आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।

(iv) आधारभूत नवप्रवर्तनों के बारे में रणनीतियां तैयार करना और देश में अनुसंधान, डिजाइन एवं विकासात्मक प्रयासों का आयोजन, समन्वयन कर उन्हें सहायता प्रदान करना ताकि प्रौद्योगिकीय सुयोग्यता प्राप्त कर उसे बनाए रखा जा सके और आत्मनिर्भरता बढ़े। औपचारिक वैज्ञानिक प्रणालियों एवं अनौपचारिक जानकारी प्रणालियों की श्रेष्ठता के बीच सम्पर्क स्थापित करना और सूचना प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग एवं अन्य तरीकों से विभिन्न स्टेकधारकों को जोड़ने के लिए जानकारियों का एक नेटवर्क सृजित करना।

(v) उपरोक्त (i) और (iv) तक उल्लिखित कार्यों के परिणामस्वरूप उत्पन्न जानकारी के बारे में व्यापक सामाजिक जागरूकता और उसके सम्भावित वाणिज्यिक तथा अवाणिज्यिक अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना जिसमें नवप्रवर्तकों के बौद्धिक सम्पदा तथा अन्य अधिकारों को भी ध्यान में रखना होगा, जिनमें लाभदायक हिस्सेदारी भी शामिल है तथा उन्हें शैक्षणिक कार्यक्रमों, विकासात्मक नीतियों एवं कार्यक्रमों में शामिल किए जाने को प्रोत्साहित करना।

(vi) कोई भी ऐसी अन्य गतिविधियां जिन्हें समाज ऊपर (i) से (v) तक उल्लिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त समझता हो, उन्हें आरम्भ करना।

(ग) सरकार ने इस संस्था को चलाने के लिए एक संग्रह निधि सृजित करने हेतु 20.00 करोड़ रुपए की एकमुश्त अनुदान-राशि प्रदान कर दी है। प्रथम वर्ष के खर्चों को पूरा करने के लिए 1.00 करोड़ रुपये की एक अनुदान राशि भी प्रदान की गई थी।

इस्पात की कम खपत और निर्यात

2335. श्री टी०टी०वी० दिनाकरन : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में इस्पात का कुल उत्पादन इसकी कुल खपत और निर्यात से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस्पात की कम खपत के क्या कारण हैं; और

(घ) इस्पात की खपत और निर्यात को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) इस्पात की प्रत्यक्ष खपत उत्पादन में आयात को जोड़कर उसके योगफल में से निर्यात और स्टॉक में अंतर को घटाकर ज्ञात की गई है। 1999-2000 के परिसज्जित इस्पात के उत्पादन, खपत, निर्यात और आयात संबंधी तुलनात्मक आंकड़े निम्नानुसार हैं :-

(हजार टन)

उत्पादन	खपत	निर्यात (अनंतिम)	आयात (अनंतिम)
26711	25015	2670	1600

(ग) इस्पात की कम खपत के मुख्य कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :-

(1) इस्पात की खपत करने वाले क्षेत्रों में मांग में कमी।

(2) देश में समग्र आर्थिक मंदी।

(3) इस्पात के भिन्न-भिन्न उपयोगों की जानकारी का अभाव।

(4) अवसंरचना क्षेत्र में निवेश का अभाव और अवसंरचना में प्रमुख परियोजनाओं को विलंब से शुरू करना।

(घ) देश में इस्पात की खपत और निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जो निम्नलिखित हैं :-

(1) इस्पात की मांग और खपत में वृद्धि करने के लिए विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात ने गैर-परंपरागत क्षेत्रों, विशेष रूप से ग्रामीण और कृषि आधारित औद्योगिक क्षेत्रों में इस्पात की मांग में वृद्धि करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है।

(2) निर्यात संबंधी अड़चनों को दूर करने में इस्पात निर्यातकों की सहायता करने के लिए एक इस्पात निर्यातक मंच का गठन किया गया है।

(3) मुख्य उत्पादक बाजार आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद मिश्र को उन्मुखी बना रहे हैं और उत्पादन को परिवर्तित बाजार मांग के अनुसार समायोजित कर रहे हैं।

(4) उत्पादक ग्राहकों के साथ समझौता ज्ञापन/आपूर्ति व्यवस्था करके दीर्घकालीन ग्राहक संबंध विकसित और पोषित कर रहे हैं।

(5) इस्पात उत्पादकों ने लागत में कमी करने और प्रौद्योगिक-आर्थिक प्राचलों में सुधार करने के लिए कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

भूकंप संवेदी जोनों का पुनर्वीकरण

2336. श्री तूफानी सरोज : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने भूकंप संवेदी जोनों का पुनर्वर्गीकरण किए जाने के सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या देश के विभिन्न भागों में हाल ही में भूकंपीय हलचल में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) और (ख) महोदय, भारत का भूकम्पीयता जोनिंग सम्बन्धी मानचित्र भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें भारत मौसम विज्ञान विभाग सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारियों को शामिल करते हुए ब्यूरो द्वारा इस प्रकाशन को आवधिक तौर पर अद्यतन किया जाता है। नवीनतम मानचित्र 1986 में प्रकाशित किया गया था। इस मानचित्र को संशोधित कर इसे अद्यतन बनाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है।

(ग) और (घ) भूकम्पों का आना एक विशुद्ध यादृच्छिक घटना है। हाल ही में हल्के से लेकर मध्यम तीव्रता वाले भूकम्प देश के विभिन्न हिस्सों में महसूस किए गए जिनमें महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू तथा कश्मीर और अण्डमान द्वीपसमूह क्षेत्र शामिल हैं।

[अनुवाद]

कोयले की उत्पादन लागत और मूल्य

2337. श्री बसुदेव आचार्य : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले की ग्रेडवार उत्पादन लागत और मूल्य क्या है;

(ख) क्या मजदूरी की प्रतिशतता में कमी के साथ उत्पादन में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) कोल इंडिया लि० (सी.आई.एल.) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० (एस.सी.सी.एल.) का प्रति टन औसत उत्पादन लागत निम्न प्रकार हैं :-

वर्ष	सी.आई.एल. में प्रति टन उत्पादन लागत	एस.सी.सी.एल. में प्रति टन उत्पादन लागत
1999-2000	540.08 रु.	803.60 रु.

सी.आई.एल. और इसकी सहायक कंपनियों तथा एस.सी.सी.एल. द्वारा उत्पादित कोयले के ग्रेड-वार मूल्य, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) निम्नलिखित कारणों से उत्पादन की लागत में वृद्धि होती रही है :-

(1) डीजल, पेट्रोल, तेल, लुब्रिकेंट, अतिरिक्त पुर्जे, स्टोर की उपभोज्य वस्तुओं, टिम्बर, स्टील, विद्युत आदि जैसी कुछ बुनियादी आदानों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि।

(2) राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-VI के अंतर्गत वेतन संशोधन के कारण वेतन-बिल में वृद्धि।

विवरण

1.2.2001 से आर ओ एम कोयले का मूल्य

1.क. अकोककर कोयला (रु० प्रति टन में)

ग्रेड	डब्ल्यूसीएल		एसईसीएल			सीसीएल			एनईसीएल			एमसीएल	
	एलएफ	एनएलएफ	कुछ विनिर्दिष्ट	एलएफ	एनएलएफ	एलएफ	एनएलएफ	एलएफ	एनएलएफ	एलएफ	एनएलएफ	एलएफ	एनएलएफ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ए												979	912
बी	1022	956	1034	939	872	1065	989	1014	942	1039	964	885	819
सी	955	890	862	784	717	890	813	847	774	867	792	740	674
डी	902	835	736	669	600	758	680	722	648	740	664	633	566

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ई		708			497		539		514		527		445
एफ		590			396		431		410		420		351
जी		445			283		308		294		300		250

नोट : "एलएफ" का आशय ऊंची लपटों (लौंग फलैम) से है।

"एनएलएफ" का आशय है : ऊंची लपटों का न होना। उक्त सूची केवल अप्रसाधित कोयला अयस्क के लिए है। स्टीम, रबल (मलवा) और स्लैम कोयले के लिए अलग दरें विद्यमान है :

1.2.2001 से ईसीएल हेतु अप्रसाधित अयस्क (आरओएम) कोयले का मूल्य

1. ख. गैर कोककर कोयला (रु० प्रति टन में)

ग्रेड	कुछ विनिर्दिष्ट एसपी खानों में दरें	रानीगंज की कुछ विनिर्दिष्ट खानों में दरें	एसपी खाने एवं मुगमा		राजमहक परियोजना		सालनपुर-एनएलएफ	रानीगंज की अन्य कोलियरियों में उत्पादित कोयला	
			एलएफ	एनएलएफ	एलएफ	एनएलएफ		एलएफ	एनएलएफ
ए	1319	1388	1199	1120			1177	1263	1184
बी	1192	1312	1085	1007			1059	1192	1115
सी	996	1118	905	828			870	1018	939
डी	810	905	735	660	915		694	824	748
ई				524		703	524		524
एफ				417		597	417		417
जी				298		479	298		298

"ईसीएल" का आशय है ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड।

1.2.2001 से कोयला (अप्रसाधित अयस्क) का मूल्य

2. कोककर कोयला (रु०/प्रतिटन)

ग्रेड	बीसीसीएल		ईसीएल मुगमा	सीसीएल	एसईसीएल	डब्ल्यूसीएल	बीसीसीएल, ईसीएल और सीसीएल के अलावा सहायक कंपनियां
	कुछ विनिर्दिष्ट खानों में दरें	विनिर्दिष्ट खानों के अलावा					
1	2	3	4	5	6	7	8
स्टील ग्रेड-I	1914	1695					
स्टील ग्रेड-II	1598	1416					
वाशरी ग्रेड-I	1385	1227	1312	1287	1096	1075	

1	2	3	4	5	6	7	8
वाशरी ग्रेड-II	1147	1016	1087	1067	907	890	
वाशरी ग्रेड-III	848	751	803	789	671	803	
वाशरी ग्रेड-IV	789	699	747	734	625	659	
अर्द्ध-कोककर ग्रेड-I	1335	1183	रानीगंज 1360	1241			1096
अर्द्ध-कोककर ग्रेड-II	1106	979	रानीगंज 1126	1027			907

3. कुछ विनिर्दिष्ट खानों खानों में कोककर कोयले की सीधी आपूर्ति (फीड) 1899 (राख 20 प्रतिशत से अधिक लेकिन 21 प्रतिशत से अधिक नहीं)

4. नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स

असम का कोयला	कोयला ग्रेड और यूएचवी रेंज (कि.कैला./कि.ग्रा.)	अप्रसाधित अयस्क रु०/प्रतिटन
ए	6200-6299	998
बी	5600-6199	741

टिप्पणी

1. ग्रेड ए, में प्रति कि.ग्रा. 6299 किलो कैलोरी से अधिक प्रति कि.ग्रा. 100 किलो कैलोरी की प्रत्येक युनिवर्सल उष्मा मान (यूएचवी) के लिए ग्रेड के मूल्य में प्रति मीट्रटन अतिरिक्त 65 रु० जोड़ा जाता है।

2. 7099 किलो कैलारी प्रति कि.ग्रा. से अधिक युनिवर्सल उष्मा मान (यूएचवी) के लिए अप्रसाधित कोयला अयस्क (आरओएम) के लिए मूल्य 1836 रु० है।

5. सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० (रु० प्रति टन)

ग्रेड	स्टीम कोयला	स्लैक कोयला	आर.ओ.एम. कोयला	क्रश्ड रन-आफ-माइन कोयला
ग्रेड-बी	1224.00	1174.00	1164.00	1209.00
ग्रेड-सी	1107.00	1057.00	1047.00	1092.00
ग्रेड-डी	987.00	937.00	927.00	972.00
ग्रेड-ई	761.00	747.00	741.00	786.00
ग्रेड-एफ	638.00	624.00	618.00	663.00
ग्रेड-जी	485.00	471.00	456.00	510.00

विद्यालय स्तर पर विज्ञान पाठ्यक्रम

2338. **श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन नेशनल सांइस एकेडमी (आई.एन.एस.ए) ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एंव प्रशिक्षण परिषद् को विद्यालय स्तर पर विज्ञान पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आकदमी द्वारा इसके विभिन्न क्रियाकलापों के लिए निगमित क्षेत्र से वित्तीय तथा अन्य सहायता मांगी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी उद्देश्य क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने वर्ष 1999 में शिक्षा के उच्च प्राइमरी तथा सैकेन्डरी स्तरों में विज्ञान तथा गणित के विभिन्न तथ्यों तथा नई प्रवृत्तियों के बारे में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् को एक प्रस्ताव दिया था। उन्होंने कुछ ऐसे विषयों का पता लगाया जो स्कूली शिक्षा के उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर पाठ्यचर्या से बाहर से हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने अगली पीढ़ियों के लिए शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए नवम्बर, 2000 में स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे का प्रकाशन कराया है। उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों के लिए पाठ्यक्रम तथा अन्य पाठ्यचर्या विवरण तैयार करते समय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के प्रस्ताव के विषयों को देखा और एस.सी.ई.आर.टी., के.वी.एस., निजी तथा सहायता प्राप्त स्कूलों, विश्वविद्यायलों और कालेजों के प्रतिनिधि विशेषज्ञों/सेवारत शिक्षकों के समक्ष उन्हें रखा ताकि वे इस पर विचार कर सकें और शामिल कर सकें।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जैव प्रौद्योगिकी का विकास

2339. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में जैवप्रौद्योगिकी का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा की गई सहायता सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कतिपय राज्य सरकारों द्वारा भी इस संबंध में कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कर्नाटक में कोई जैव प्रौद्योगिकी विकास परियोजना शुरू की गई है; और

(च) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु राज्य को कितनी सहायता दी गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न राज्यों के अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों और अन्य अभिकरणों में जैवप्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों को सहायता प्रदान की जाती है। ये परियोजनाएं कृषि, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्रों में हैं। कुछ राज्यों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों के जरिए भी कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने 52 प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सहायता प्रदान की है और कर्नाटक सहित देश भर में 55 जैवसूचनाप्रणाली केन्द्रों की स्थापना की है।

(ग) और (घ) आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उत्तर-पूर्वी राज्य बायोटेक पार्कों, केन्द्रों की स्थापना करने और कई अन्य कार्यक्रमों को शुरू करने की दिशा में पहल कर रहे हैं।

(ङ) और (च) कर्नाटक सरकार एक जैवसूचनाप्रणाली और अनुप्रयुक्त जैवप्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कर रही है। इसके अतिरिक्त, कई अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा सहायता दी गई है। अनुसंधान संस्थानों जैसे भारतीय विज्ञान संस्थान, जवाहर लाल नेहरू केन्द्र और कर्नाटक के विश्वविद्यालयों को प्रमुख सहायता मिली है। पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य को विभिन्न कार्यक्रमों के लिए लगभग 30 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

विश्व व्यापार संगठन के साथ हुए समझौतों का उर्वरक उद्योग पर प्रभाव

2340. **श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरक उद्योग पर विश्व व्यापार संगठन के साथ हुए समझौतों के कारण पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने हेतु कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी गई है;

(ग) समिति की क्या-क्या मुख्य सिफारिशें हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो समिति द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट पेश कर दिए जाने की सम्भावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) टास्क फोर्स की रिपोर्ट की सिफारिशों को प्रकट करने से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में देश की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इस अवस्था में इन्हें प्रकट करना वांछनीय नहीं होगा। तथापि टास्क फोर्स की सिफारिशों का उपयोग अन्य बातों के साथ-साथ घरेलू उर्वरक उद्योग के हित की रक्षा करने के लिए आयातों पर शुल्क लगाने और/या अन्य आवश्यक उपाय करने के साथ-साथ सरकार द्वारा आगामी कार्रवाई का आधार तैयार करने के लिए किया जायेगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आदर्श विद्यालयों का विकास

2341. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश मे केन्द्रीय विद्यालयों और अन्य संस्थानों को आदर्श विद्यालयों के रूप में विकसित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के अंतर्गत स्कूलों को मॉडल स्कूलों और गति नियामक स्कूलों के रूप में विकसित किया गया है। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे इन दो प्रकार के स्कूलों की विशिष्ट विशेषताओं में कम्प्यूटर शिक्षा आरंभ करना, पुस्तकालयों को समृद्ध बनाना, प्रयोगशालाओं को उन्नत बनाना, खेलकूद कार्यकलापों को बढ़ावा देना, निर्देशन और परामर्श सेवायें, स्थानांतरण के माध्यम से राष्ट्रीय संघटन को प्रोन्नत करना, त्रिभाषा सूत्र का कार्यान्वयन शामिल है।

दिल्ली पुलिस का कार्य निष्पादन

2342. डा० संजय पासवान :
श्री मोइनुल हसन :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस अपर्याप्त पुलिस बल आधुनिक उपकरणों के अभाव और अतिरिक्त ड्यूटी भार के कारण अपने कार्य का निष्पादन उचित प्रकार से नहीं कर पा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली पुलिस के कार्यकरण की जांच करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त बल के मूल्यांकन हेतु सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक उपाए किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्। तथापि, पुलिस बल का उन्नयन एक सतत प्रक्रिया हैं।

(ग) से (ङ) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को पिछले वर्ष, दिल्ली पुलिस की जनशक्ति और आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं का अध्ययन काने का कार्य सौंपा गया था। ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

[अनुवाद]

बी०एम०टी०पी०सी० द्वारा आपदा प्रबंधन संबंधी अध्ययन

2343. श्री विनय कुमार सोराके : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा बिल्डिंग मैटेरियल एण्ड टेक्नॉलॉजी प्रोमोशन काउंसिल (बी०एम०टी०पी०सी०) के माध्यम से आपदा प्रबंधन के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या इसके सुझावों में शहरी क्षेत्रों में भवनों के निर्माण में संहिता और दिशा-निर्देशों में संशोधन किए जाने को एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन सुझावों पर विचार किया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन दिशा-निर्देशों/संहिता को भूकंम्प प्रवण राज्यों/जोनों में लागू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां। प्राकृतिक आपदा की रोकथाम, तैयारी तथा शमन हेतु संगत नीतियां विकसित करने की बढ़ती हुई चिन्ता को ध्यान में रखकर शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय ने भूकंप, तूफान और बाढ़ के संदर्भ में नाजुक क्षेत्रों का पता लगाने तथा आपदा शमन के समुचित उपाय तलाशने से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने के लिये एक विशेषज्ञ ग्रुप का गठन किया था।

(ख) विशेषज्ञ दल ने भारत का राज्य-वार नाजुक क्षेत्र एटलस तैयार की, राज्य और नगर निकाय स्तर पर प्रौद्यो-कानूनी तंत्र के गठन

की सिफारिश की तथा नये भवनों के निर्माण के साथ-साथ मौजूदा भवनों की मजबूती व रेट्रोफिटिंग के लिए डिजाइन तथा निर्माण दिशानिर्देश तैयार किए। ग्रुप द्वारा तैयार नाजुक क्षेत्र एटलस और की गई अन्य सिफारिशें राज्यों तथा स्थानीय प्राधिकरणों को निवारक कार्रवाई योजना बनाने के लिए तत्काल संदर्भ प्रदान करने वाली हैं।

(ग) और (घ) विशेषज्ञ ग्रुप ने भवनों के निर्माण में तकनीकी दिशानिर्देशों के लागू करने के लिए भवन उप-नियमों, विनियमों भूउपयोग जोनिंग तथा वृहत नियोजन विनियमों में संशोधन की सिफारिश की किन्तु ग्रुप ने कोटियों (कोडों) के संशोधन बावत कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की, क्योंकि यह नियामक कार्य है जो भारतीय मानक ब्यूरो के दायरे में आता है।

(ङ) और (च) सरकार ने आपदा शमन बावत विशेषज्ञ ग्रुप की सिफारिशें पूर्वोत्तर राज्यों सहित सभी राज्यों के ध्यान में पहले से ही ला दी हैं। सभी राज्यों को मई, 1998 में परामर्श दिया गया था कि वे अधिक सुरक्षित भवनों के निर्माण के लिए अपने मौजूदा भवन उपनियमों में भूकम्प सुरक्षा उपायों को शामिल करते हुए उनमें संशोधन करें। राज्यों को इस संबंध में शीघ्रता से कार्रवाई करने के लिए स्मरणपत्र भी भेजा गया है।

सी॰जी॰ई॰डब्ल्यू॰एच॰ओ॰ द्वारा निर्मित फ्लैट

2344. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवास संगठन (सी॰जी॰ई॰डब्ल्यू॰एच॰ओ॰) द्वारा देश के विभिन्न भागों में निर्मित उन फ्लैट का ब्यौरा क्या है जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं अथवा जिनमें हाल के भूकम्प के कारण दरारें आ गई हैं;

(ख) क्या सी॰जी॰ई॰डब्ल्यू॰एच॰ओ॰ द्वारा निर्माणाधीन कतिपय भवनों/फ्लैटों में भी दरारें आ गई हैं;

(ग) यदि हां, तो गुड़गांव आवास योजना चरण एक और चरण दो में निर्माणधीन बहुमंजिले भवनों सहित कितनी क्षति/हानि का आकलन किया गया है;

(घ) सरकार द्वारा भूंकप रोधी भवनों के लिए निर्धारित मानक आवश्यकताओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण आवास संगठन ने गुड़गांव और अन्य स्थानों में बहुमंजिली इमारतों के निर्माण के लिए आवश्यक मानदंडों का अनुसरण किया है;

(च) यदि हां, तो क्या बहुमंजिलीय फ्लैटों के आबंटियों के इसके भूकंप से सुरक्षित होने प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे; और

(छ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जाएंगे?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन (सी.जी.ई.डब्ल्यू.एच.ओ.) ने सूचित किया है कि हाल में आए भूकम्प में सी.जी.ई.डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन कोई भी फ्लैट न तो क्षतिग्रस्त हुआ है और न ही किसी में दरारें आई हैं।

(घ) भारतीय मानक ब्यूरो ने भवनों के डिज़ाइन और निर्माण के लिए विशेष कोडल प्रावधान बनाए हैं।

(ङ) जी, हां।

(च) और (छ) यदि आबंटिति इच्छुक हो तो उन्हें यह प्रमाणपत्र दिए जा सकते हैं कि निर्माण बीएसआई मानकों के अनुसार किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला

2345. श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति:
श्री शिवाजी माने:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राथमिक शिक्षा कार्मिकों के व्यावसायिक विकास के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विषय पर दिल्ली में हाल ही में एक त्रिदिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके दौरान हुई चर्चा और प्रतिनिधियों द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

मानव ससांधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) कार्यशाला का लक्ष्य सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के विभिन्न महत्वपूर्ण घटकों के संबंध में ज्ञान तथा अनुभवों का आदान-प्रदान करना और प्राथमिक शिक्षा कार्मिकों के व्यावसायिक विकास में इसके उपयोग के लिए कार्यनीति विकसित करना है। इन सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ स्टेक होल्डर्स की जरूरत तथा सहभागिता का मूल्याकंन, प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा के बीच तालमेल, इलैक्ट्रोनिक साक्षरता से संबद्ध घटकों के संबंध में सामग्री का विकास, आदर्श मल्टी मीडिया प्रशिक्षण पैकेज तैयार करना और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (डी ई पी) को संस्थागत बनाना शामिल हं।

(ग) योजनाओं का वार्षिक कार्यक्रम तैयार करते समय सिफारिशें को ध्यान में रखा जाएगा।

पाठ्यक्रम में नैतिक और धार्मिक विषय

2346. श्री सुरेश कुरूप : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व के किसी प्रसिद्ध उच्च शिक्षा प्रौद्योगिकी शिक्षा संस्थान द्वारा पाठ्यक्रम में नैतिक अथवा धार्मिक विषय शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन संस्थाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में इन सुविधाओं को किस आधार पर शामिल किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) यह सामान्य तौर पर ज्ञात है कि विश्व में ख्याति प्राप्त प्रौद्योगिकी संस्थानों में उनकी पाठ्यचर्या के एक अभिन्न अंग के रूप में व्यावसायिक नीति शास्त्र पर पाठ्यक्रम हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में वर्तमान पहल का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के साथ मानवीय मूल्यों को जोड़ना है ताकि इंजीनियरिंग स्नातक वास्तविक मानव कल्याण तथा अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में मूल्यपरक नीतिशास्त्र की आवश्यकताओं के प्रति अधिक जिम्मेदार हों।

प्रौद्योगिकी शिक्षा का उन्नयन

2347. श्री अनंत गुढे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थाओं के कार्यकरण की गहन समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें क्या-क्या त्रुटियां पायी गई; और

(ग) विश्वव्यापीकरण के मद्देनजर महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में प्रौद्योगिकी शिक्षा के विस्तार/उन्नयन/आधुनिकीकरण/विशेषीकरण हेतु क्या कार्य-योजना तैयार की गई है अथवा विचाराधीन है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने महाराष्ट्र राज्य में तकनीकी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यकर्मों के कार्यकरण की समीक्षा विशेषज्ञ समिति के दौरों के माध्यम से की है।

(ख) उन तीन तकनीकी संस्थाओं को जिन्होंने शिक्षकों के लिए वेतनमानों के कार्यान्वयन, अपर्याप्त प्रयोगशाला उपस्कर आदि के सम्बन्ध में समिति द्वारा बताई गई कमियों को पूरा नहीं किया है उन्हें शैक्षिक सत्र 2000-2001 के लिए "दाखिले में कमी" क्षेणी में रखा है।

(ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नए तकनीकी संस्थानों की स्थापना, अतिरिक्त पाठ्यक्रमों, विद्यमान संस्थानों में दाखिले में वृद्धि के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करती है। आधुनिकीकरण तथा कमियों को दूर करना, अनुसंधान तथा विकास, तकनीकी शिक्षा में लक्षित क्षेत्र कार्यक्रम उद्योग संस्थान सम्पर्क आदि जैसी विभिन्न योजनाएं तकनीकी संस्थाओं के आधुनिकीकरण के अन्तर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा चलाई जा रही है। इसके अलावा, शिक्षकों के विकास के लिए शीघ्र संकाय प्रवेश कार्यक्रम, कोटि सुधार कार्यक्रम आदि जैसी योजनाएं भी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा चलाई जा रही है।

उपनगर परियोजनाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2348. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार उपनगर परियोजनाओं और भवन निर्माण सामग्री के विकास के लिए शत-प्रतिशत, औद्योगिक और वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए 51% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा केवल आवास परियोजनाओं में 45% विदेशी भागीदारी के प्रस्ताव पर विचार कर रही है/को स्वीकृत कर चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों से पड़ने वाले प्रभाव तथा पहले से ही प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में विशेषकर महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में आगामी तीन वर्षों के दौरान होने वाले अनुमानित निवेश का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकारें निर्माण गतिविधियों में उछाल पर सहमत हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

2349. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को लागू करने के बाद से सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार आया है;

(ख) यदि हां, तो ततसंबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय इस्पात निगम लि॰ द्वारा अभी तक स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वी.आर.एस.) शुरू नहीं की गई है।

सेल ने अपनी जनशक्ति में कमी करने के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना कार्यान्वित की थी। कंपनी का वित्तीय निष्पादन अधिशेष जन-शक्ति सहित अनेक घटकों पर निर्भर करता है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के माध्यम से जनशक्ति में कमी करने और सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्सरचना पैकेज सहित सेल द्वारा किए गए अन्य उपायों से चालू वर्ष के दौरान सेल के वित्तीय निष्पादन में सुधार हुआ है।

गुजरात तट के निकट महासागर विकास संबंधी गतिविधियां

2350. श्री पी०एस० गढ़वी : क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक के दौरान गुजरात तट के निकट महासागर विकास के संबंध में की गई गतिविधियां का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान पानी के भीतर खोज करने संबंधी कार्यों की गति धीमी पड़ गई;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा महासागर में जल के भीतर खोज के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क), (ख) और (ङ) आरम्भ किए गए कुछ समुद्री कार्यकलापों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

— कांडला, वाडीनार, ओखा, द्वारका, पोरबन्दर, वीरावल, हजीरा, पीपात, मिन्डोली तथा जाफराबाद को शामिल करते हुए गुजरात के तटीय समुद्र में समुद्र प्रदूषण का मानीटरन। तट से 2 कि.मी. से आगे का समुद्र स्वच्छ है।

— उपग्रह प्रेक्षण से प्राप्त संभाव्य मत्स्यन क्षेत्रों की सूचनाएं गुजरात तट पर फैले 13 नोडल बिन्दुओं के माध्यम से तटीय मछुआरों को उपलब्ध करवायी जाती हैं। गुजरात के मछुआरे अपने मत्स्य कार्यकलाप में सूचनाओं का उपयोग कर रहे हैं।

— खनिजों का पता लगाने के लिए प्रारम्भ किए गए सर्वेक्षणों से 180 से 1200 मीटर जल गहराई में उच्च श्रेणी के चूना पंक निक्षेप, 200 से 1000 मीटर जल गहराई में फास्फेटित तलछट, 50 से 200 मीटर जल गहराई में ऊओलाइट एवं कैल्सियमी बालू की मौजदगी का पता चलता है।

— तटीय समुद्री मात्स्यिकी के विकास हेतु, 20 मीटर से कम लम्बे यंत्रीकृत मत्स्यन जलयानों को आपूर्तित एचएसडी तेल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति एवं परंपरागत जलयानों का मोटरीकरण।

— द्वारका, बेट द्वारका एवं सोमनाथ के पास समुद्री पुरातत्व अनुसंधान कार्य। यह कार्य प्रगति पर है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

शहरों/नगरों का विकास

2351. प्रो॰ दुखा भगत : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा नवगठित राज्यों, विशेषकर झारखण्ड से केन्द्रीय सहायता से शहरों/नगरों के विकास के लिए प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वीकृत/अस्वीकृत/लम्बित परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) लम्बित परियोजनाओं को स्वीकृति देने में हुए विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) प्रत्येक परियोजना के अन्तर्गत विकसित किए जाने वाले शहरों और नगरों और नगरों के राज्य-वार नाम क्या हैं और उनकी अनुमानित लागत कितनी हैं; और

(ङ) लम्बित परियोजनाओं को कब तक स्वीकृत कर दिये जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ङ) नए राज्यों से निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

I. छत्तीसगढ़

1. छोटे एवं मझोले कस्बों का एकीकृत विकास की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम के अन्तर्गत रायपुर कस्बे की परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है और वर्ष 2000-2001 के दौरान 90.00 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है।

2. सीवर लाइन तथा नगरपालिका परिषद् जगदलपुर की अवस्थापना विकास परियोजना का प्रस्ताव। इस प्रस्ताव को राज्य सरकार को वापस भेज दिया गया है और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जीवनबीमा निगम/हडको से ऋण सहायता लेने के लिए कहा गया है क्योंकि जगदलपुर जैसे शहरों में सीवरेज स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता मुहैया कराने की कोई केन्द्रीय/केन्द्र प्रवर्तित स्कीम नहीं है।

II. उत्तरांचल

1. त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) के अन्तर्गत निम्नलिखित तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:-

क्र. सं.	कस्बे/जिले का नाम	अनुमानित लागत	अनुमोदित लागत (लाख रु० में)
1.	नंद प्रयाग जिला चमोली	80.43	52.15
2.	देव प्रयाग जिला टिहरी गढ़वाल	166.31	172.91
3.	बागेश्वर जिला बागेश्वर	704.30	जांच अधीन

झारखण्ड राज्य के संबंध में कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि नए बने राज्य में कार्यान्वयनाधीन विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(1) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम-संलग्न विवरण-I। उत्तरांचल राज्य के लिए स्वीकृत उपर्युक्त तीन स्कीमों सहित।

(2) विश्व बैंक/द्विपक्षीय सहायता से जल आपूर्ति और सफाई परियोजनाएं विवरण-II

(3) हडको के जरिए कार्यान्वित की जा रही आवास परियोजनाएं और शहरी अवस्थापना स्कीमें-विवरण-III

विवरण-I

(क) राज्य : झारखंड 07.03.2001 की स्थिति के अनुसार

स्वीकृत परियोजनाएं (रुपये लाख में)

क्र० सं०	कस्बे का नाम	जिला	स्वीकृति की तारीख माह/वर्ष	अनुमोदित परियोजना लागत (लाख रुपये में)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6
1.	बरवाडीह	पलामू	नवम्बर, 98	82.68	उक्त योजनाओं के लिए, वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार राशियां उन मूल राज्यों को जारी की गई हैं जिनसे झारखंड, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ नए राज्य बनाए गए हैं।
2.	राजमहल	साहिबगंज	फरवरी, 99	119.86	
3.	निस्सा	धनबाद	अप्रैल, 99	197.42	
4.	चकुलिया	प. सिंहभूम	अप्रैल, 99	48.61	
5.	सरायकेला	प. सिंहभूम	मई, 99	76.81	
6.	लातेहार	पलामू	सितम्बर, 99	122.32	
7.	जामतारा	दुमका	दिसम्बर, 99	195.63	
8.	कोडरमा	कोडरमा	फरवरी, 2000	498.76	
9.	मुरी	रांची	मई, 2000	148.55	

(ख) योजनाएं जिनकी जांच की जा रही है।

क्र.सं.	कस्बे का नाम	जिला	परियोजना लागत	अभ्युक्तियां
	शून्य	शून्य	शून्य	

(क) राज्य छत्तीसगढ़ 7.3.2001 की स्थिति के अनुसार

स्वीकृत परियोजनाएं

क्र० सं०	कस्बे का नाम	जिला	स्वीकृति की तारीख माह/वर्ष	अनुमोदित परियोजना लागत (लाख रुपये में)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6
1.	भारतगांव	रायपुर	मार्च, 94	56.00	उक्त योजनाओं के लिए, वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार राशियां उन मूल राज्यों को जारी की गई हैं जिनसे उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़ नए राज्य बनाए गए हैं।
2.	बागबेहरा	रायपुर	मार्च, 94	56.00	
3.	पिथौरा	रायपुर	मार्च, 94	51.00	
4.	गारियाबंद	रायपुर	मार्च, 94	42.00	
5.	अहिवारा	दुर्ग	मार्च, 94	56.00	
6.	डोंगरगांव	राजनंदगांव	मार्च, 94	63.00	
7.	गंडइ-पंडयाना	राजनंदगांव	मार्च, 94	55.00	
8.	कुरूड	रायपुर	जनवरी, 96	61.20	
9.	पाटन	दुर्ग	फरवरी, 99	94.24	
10.	बालोद	दुर्ग	मार्च, 99	131.61	
11.	पेंडरा	विलासपुर	मार्च, 99	55.06	
12.	रतनपुर	विलासपुर	मई, 99	71.18	
13.	सक्ति	विलासपुर	मई, 99	125.34	
14.	शेओरिनारायन	विलासपुर	फरवरी, 2000	72.69	
15.	सारंगगढ	रायगढ़	मार्च, 2000	42.53	
	योग			1032.85	

*लागू योजनाएं।

"ख" योजनाएं जिनकी सीपीएचईईओ में जांच की जा रही है।

क्र.सं.	कस्बे का नाम	जिला	परियोजना लागत	अभ्युक्तियां
	शून्य	शून्य	शून्य	

(क) राज्य उत्तरांचल 7.30.2001 की स्थिति के अनुसार

अनुमोदित परियोजनाएं (रुपये लाख में)

क्र० सं०	कस्बे का नाम	जिला	स्वीकृति की तारीख माह/वर्ष	अनुमोदित परियोजना लागत (लाख रुपये में)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6
1.	बाजपुर	नैनीताल	मार्च, 94	86.20	उक्त योजनाओं के लिए वित्त मंत्रालय

1	2	3	4	5	6
2.	नरेन्द्र नगर	टिहरी गढ़वाल	मार्च, 96	240.50	के दिशानिर्देशों के अनुसार राशियां उन मूल राज्यों को जारी की गई हैं जिनसे झारखण्ड उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ नए राज्य बनाए गए हैं।
3.	चम्बा	टिहरी गढ़वाल	मार्च, 96	537.80	
4.	कालाढूंगी	नैनीताल	मार्च, 96	121.90	
5.	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	अगस्त, 99	410.78	
6.	लालकुंआ	नैनीताल	मार्च, 2000	65.75	
7.	जोशीमठ	चमोली	जुलाई, 2000	166.63	
8.	दिनेशपुर	यू.एस. नगर	अगस्त, 2000	183.42	
9.	श्रीनगर	गढ़वाल	अक्टूबर, 2000	604.35	
10.	नन्दप्रयाग	चमोली	जनवरी, 2001	52.15	
11.	देवप्रयाग	टिहरी गढ़वाल	जनवरी, 2001	172.91	
	योग			2642.39	

"ख" योजनाएं जिनकी सीपीएचईईओ जांच की जा रही है।

क्र.सं.	कस्बे का नाम	जिला	परियोजना लागत	अभ्युक्तियां
1	बागेश्वर	बागेश्वर	704.30 लाख रु०	जांच की गई, अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया, उत्तर अपेक्षित है।

विवरण-II

विश्व बैंक/द्विपक्षीय सहायता के लिए जल आपूर्ति और सफाई परियोजनाओं की स्थिति

18.02.2001 के अनुसार

क्र. सं.	परियोजना का नाम	सीपीएचईईओ द्वारा प्राप्ति की तारीख	अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)	विदेशी वित्तपोषण एजेंसी	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
	बिहार और झारखण्ड				
1.	जल आपूर्ति, सीवरेज और सफाई की एकीकृत परियोजना पटना रांची गया और बोधगया	अगस्त 1995	 158.80 211.10 58.14 ——— 423.04	ओ.ई.सी.एफ. जापान	ओईसीएफ की तथ्यों का पता लगाने वाली मिशन ने इस इस बात की इच्छा जाहिर की कि बिहार सरकार पटना परियोजना को गया और बोधगया परियोजनाओं के साथ जोड दे। इसके बाद गया और बोध गया परियोजनाएं प्राप्त हुई और इनकी जांच की गई। मई, 1996 में मंत्रालय ने राज्य सरकार से ओईसीएफ और सीपीएचईईओ की टिप्पणियों के अनुसार परियोजना में संशोधन कर रिपोर्ट की 4 प्रतियां प्रस्तुत

1	2	3	4	5	6
					करने का अनुरोध किया। ओईसीएफ सहायता 1997-98 के लिए परियोजना को शामिल नहीं किया जा सका। ओईसीएफ ने सलाह दी कि अद्यतन की गई परियोजना ओईसीएफ लोन पैकेज 1998-99 के लिए पुन: प्रस्तुत की जाए। हडको से भी वित्तीय सहायता प्राप्त करने के विकल्प पर विचार करने की सलाह देते हुए मंत्रालय ने इस की सूचना राज्य सरकार को दे दी। संशोधित परियोजना 5.5.98 तक पेश करने की अंतिम तिथि देते हुए 24.4.98 को अनुस्मारक भेजा गया। आखिरी बार 2/2001 को स्मरण पत्र भेजा गया। उत्तर प्रतीक्षित है। फिलहाल जेबीआईसी सहायता हेतु किसी नई योजना पर विचार नहीं कर रहा है।
उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल					
2.	वर्ष 1998-99 के दौरान जापान से 15 शहरों के लिए सहायता प्राप्त करने का परियोजना प्रस्ताव (झांसी, देहरादून, मेरठ, बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, रुड़की, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर, शक्तिनगर और नैनीताल)	जनवरी 97	2448.78	ओईसीएफ जापान	7 शहरों के लिए परियोजना प्रस्तावों की जांच की गई थी। सैद्धांतिक रूप में स्वीकारे गए और 5/98 में मंत्रालय और उत्तर प्रदेश जल निगम को टिप्पणियां भेजी गई। 7/98 में 6 और शहरों के लिए परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए और इनकी जांच कर जुलाई, 98 में मंत्रालय को टिप्पणियां भेजे गए। 11/99 में प्राप्त दो अन्य परियोजनाओं की जांच की गई और 12/99 में मंत्रालय को सिफारिश की गई। 10/98 में मंत्रालय द्वारा 13 शहरों की परियोजना रिपोर्ट विश्व बैंक वित्तीय सहायता के लिए डीईए को भेजी गई। विश्व बैंक सहायता के लिए इच्छुक नहीं था। अत: 7/2000 में राज्य सरकार से अनुरोध किया गया कि वह हडको, आईसीआईसी आई और आईडीएफसी के द्वारा एडीबी द्वारा शहरी पर्यावरणीय अवस्थापना सुविधा निधि के तहत उपलब्ध की जाने वाली वित्तीय सहायता का लाभ उठाने के लिए अपनी मंजूरी जताएं।

विवरण-III

(क) प्रारंभ से लेकर 31.1.2001 तक हडको द्वारा स्वीकृत आवास परियोजनाएं

राज्य का नाम	स्वीकृत आवास परियोजनाएं	परियोजना लागत (करोड़ रु० में)	हडको की ऋण वचनबद्धता (करोड़ रु० में)	रिहायशी यूनिटों की संख्या	विकसित प्लाटों की संख्या
छत्तीसगढ़	180	211.39	143.55	30115	18635
झारखण्ड	55	72.98	43.19	32895	1852
उत्तरांचल	67	105.63	70.81	55108	515

(ख) हडको द्वारा वित्त पोषित शहरी अवस्थापना स्कीमें

राज्य का नाम	स्वीकृत स्कीमें की सं०	परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	ऋण राशि (करोड़ रु० में)
छत्तीसगढ़	5	50.08	21.96
झारखंड	1	2.18	1.53
उत्तरांचल	1	4.67	3.11

[अनुवाद]

देश में निरक्षरता बहुल क्षेत्र

2352. श्री ए०पी० जितेन्द्र रेड्डी :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात का पता है कि देश में अभी भी निरक्षरता बहुल क्षेत्र हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस सबंध में राज्य सरकारों से रिर्पोट मांगी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा देश से निरक्षरता के उन्मूलन के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाएं अप्रभावी साबित हुई; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (ग) निरक्षरता बहुल क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए राज्यों में साक्षरता अभियान की प्रगति की आलोचनात्मक समीक्षा करने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर मासिक मॉनिटरिंग बैठक आयोजित की जाती है।

(घ) साक्षरता अभियानों का प्रभाव इस तथ्य से स्थापित होता है कि 1991 की जनगणना में साक्षरता दर 52.21 प्रतिशत थी। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के 53वें चक्र के अनुसार 1997 में साक्षरता दर 62 प्रतिशत थी। नवम्बर,2000 में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2 (1998-99) के अनुसार 15-39 आयु वर्ग में साक्षरता दर 66.9 प्रतिशत थी।

(ङ) उठाए गए गदमों में सम्मिलित हैं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के मानदंडों तथा वित्तीय प्रतिमानकों में वृद्धि, संपूर्ण साक्षरता अभियान एवं उत्तर साक्षरता कार्यक्रम के चरणों का समेकन, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों को अधिकार सौंपना, सतत् शिक्षा कार्यक्रम के कार्य-क्षेत्र को विस्तृत करना, जन शिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण और ग्रामीण क्षेत्रों में उनके कार्यकलापों को शुरू करना, बेहतर अध्ययन-अध्यापन सामग्रियों के निर्माण तथा समुन्नत-गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण के लिए राज्य संसाधन केन्द्रों को जीवंत बनाना।

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता

2353. श्री जयभान सिंह पवैया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अनिवासी भारतीयों से दोहरी नागरिकता देने के सबंध में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने भारतीय मूल के ऐसे व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता नहीं देने का निर्णय लिया है, जो किसी अन्य देश की नागरिकता रखते हों। भारतीय मूल के व्यक्ति को (पी.आई.ओ.) कार्ड जारी करने की स्कीम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों जैसे आर्थिक, वित्तीय और शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्ध कराई गई सुविधाओं को पर्याप्त समझा जाता है।

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बुनियादी ढांचा संबंधी सुधार के लिए धनराशि

2354. श्री टी०एम० सेल्वागनपति : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार "फिस्ट फॉर स्पेशल रिसर्च वर्क" नामक कार्यक्रम चला रही है;

(ख) इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को जारी की गई अनुदान की कुल राशि का ब्यौरा क्या है और यह किन कार्यों के लिए दी गई थी;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को तमिलनाडु के विभिन्न भागों में भूमिगत जल में नाइट्रेट और फ्लूओराइड की मात्रा पाये जाने के सबंध में अनुसंधान करने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) जी, हां। सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से वर्ष 2000-2001 में "विश्वविद्यालयों एवं उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बुनियादी ढांचा संबंधी सुधार के लिए निधि (एफ आई एस टी)" नामक एक कार्यक्रम की शुरूआत की गई है।

(ख) उपस्करों का प्रापण और 17 राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों एवं आकादमिक संस्थानों के 61 विभागों में बुनियादी सुविधाओं के सृजन के लिए इस वर्ष 19 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। यह सहयोग मुख्यत: बुनियादी सुविधाओं, जैसे अधुनातन उपस्करों

के प्रापण, कम्प्यूटेशनल एवं संजालीकरण सुविधाओं को सुदृढ़ कर स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान में सुधार लाने के लिए है।

(ग) से (ङ) जी, हां। सरकार को तमिलनाडु और पड़ोसी राज्यों के कुछ भागों में भूमिगत जल में नाइट्रेट और फ्लूओराइड की मात्रा के बारे में छिटपुट रिपोर्टों की जानकारी है। इन आंकड़ों को समुचित कार्रवाई हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मॉनीटर किया जा रहा है।

राष्ट्रीय पुस्तक नीति

2355. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय प्रकाशक संघ, नई दिल्ली से राष्ट्रीय पुस्तक नीति बनाने, बुक पोस्ट और वी.पी.पी. के प्रभारों में कमी करने तथा इसके लिए राजसहायता देने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) राष्ट्रीय पुस्तक नीति और पुस्तकों के लिए बुक पोस्ट और वी.पी.पी प्रभारों में कमी करने तथा इसके लिए आर्थिक सहायता देने पर भारतीय प्रकाशक संघ के सुझावों पर माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में पठन अभ्यासों को प्रोत्साहन देने तथा पुस्तक प्रकाशन उद्योग के विकास पर सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा विचार किया गया। समिति द्वारा राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत को मुख्य एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया गया है जो व्यापक विचार-विमर्श के बाद पुस्तक प्रकाशन के सभी पहलुओं के लिए नीति और कार्यक्रमों पर प्रारूप तैयार करेगी।

[हिन्दी]

बहुमंजिले भवनों के लिए अल्ट्रासाउण्ड परीक्षण

2356. श्री ताराचन्द भगोरा :
श्री रामजी मांझी :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महानगरों में विशेषकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अल्ट्रासाउण्ड/सोनिक रेंज के माध्यम से भवनों की भूकम्प प्रतिरोधी क्षमता का पता लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) क्या उक्त सुविधा हर उस व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि अपने भवन की प्रतिरोधक क्षमता की जांच करवाना चाहता है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) दिल्ली में 10 मंजिलों से अधिक मंजिलों वाले भवनों का ब्यौरा क्या है और उनकी भूकंप प्रतिरोधी क्षमता कितनी है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह प्रशन नही उठता। तथापि सरकार ने पहले ही सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि भूकंप प्रतिरोधक प्रौद्योगिकी को सभी निर्माण विनियमों का अनिवार्य अंग बनाया जाए। उन्हें इस मामलें पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए पुनः स्मरण भी कराया गया है।

(च) अब तक ऐसा सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा

2357. डा॰ जसवंतसिंह यादव : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सरकार ने सभी स्नातक पूर्व अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना को सभी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों/संस्थानों में कार्यान्वित किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह योजना कब तक आरंभ होगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ङ) सरकार द्वारा सभी अवरस्नातक इंजीनियरी पाठ्यक्रमों में दाखिला हेतु सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की संभावना पर विचार किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2002 से शुरु होने वाले शैक्षिक सत्र से कुछ निर्धारित मानदंडों का पालन करने वाले अन्य संस्थाओं को आई॰आई॰टी॰ प्रणाली हेतु आयोजित की जाने वाली सामान्य प्रवेश परीक्षा में शामिल किया जाए।

प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत पेयजल के लिए धनराशि

2358. श्री रतन लाल कटारिया : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत पेयजल के लिए विभिन्न राज्यों को धनराशि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन धनराशियों को कब तक जारी किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस योजना में केन्द्र/राज्य का हिस्सा किस अनुपात में हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) इस वर्ष शुरू की गई प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के पांच घटक हैं जिनमें ग्रामीण पेयजल भी शामिल है। प्रत्येक घटक के लिए राज्य के कुल आबंटन की 15% निधियां निर्धारित की गई हैं तथा शेष 25% निधियों के बारे में राज्य अपनी प्राथमिकता के अनुसार पांचों घटकों में से आबंटन करने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार ग्रामीण पेयजल घटक के लिए प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत आबंटन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) भारत सरकार ने प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल क्षेत्र के लिए पहली किस्त के रूप में राज्यों को निर्धारित 15% आबंटन का 50% रिलीज कर दिया है। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में निधियां अभी रिलीज की जानी हैं। शेष निधियों के चालू वित्त वर्ष के दौरान रिलीज कर दिये जाने की संभावना है बशर्ते कि निधियों की रिलीज के लिए निधारित शर्तें पूरी की जाएं।

(घ) योजना के अंतर्गत भारत सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराती है जिसका अर्थ यह है कि सामान्य श्रेणी वाले राज्यों के मामले में 70% ऋण और 30% अनुदान तथा विशेष श्रेणी वाले राज्यों में 10% और 90% अनुदान।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पी॰एम॰जी॰वाई॰ के तहत कुल आवंटन	पी॰एम॰जी॰वाई॰-आर॰डी॰डब्ल्यू॰ हेतु 15% निर्धारित आवंटन	*शेष 25% में से आर॰डी॰डब्ल्यू॰ के लिए आवंटन	*पी॰एम॰जी॰वाई॰ आर॰डी॰डब्ल्यू॰ हेतु कुल आवंटन	पी॰एम॰जी॰वाई॰ के तहत आर॰डी॰डब्ल्यू॰ हेतु रिलीज की की गई निधियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	14206.00	2130.90	710.00	2840.90	1065.45
2.	अरुणाचल प्रदेश	6817.00	1022.55	1527.45	2550.00	511.28
3.	असम	17957.00	2693.55	एन.आर.	2693.55	1346.78
4.	बिहार	21946.00	3291.90	एन.आर.	3291.90	2154.37
5.	छत्तीसगढ़	3140.00	471.00	0.00	471.00	0.00
6.	गोवा	78.00	11.70	19.50	31.20	5.85
7.	गुजरात	6479.00	971.85	1619.00	2590.85	485.92
8.	हरियाणा	1678.00	251.70	219.50	471.20	125.85
9.	हिमाचल प्रदेश	7061.00	1059.15	2017.85	3077.00	529.58
10.	जम्मू व कश्मीर	17158.00	2573.70	एन.आर.	2573.70	1286.85
11.	झारखण्ड	6779.00	1016.85	एन.आर.	1016.85	0.00

1	2	3	4	5	6	7
12.	कर्नाटक	7513.00	1127.00	0.00	1127.00	563.47
13.	केरल	6908.00	1036.20	1400.00	2436.20	518.10
14.	मध्य प्रदेश	8237.00	1235.55	471.00	1706.55	853.27
15.	महाराष्ट्र	9913.00	1486.95	927.05	2414.00	743.47
16.	मणिपुर	4856.00	728.40	एन.आर.	728.40	364.20
17.	मेघालय	4059.00	608.85	391.15	1000.00	304.43
18.	मिजोरम	4041.00	606.15	399.85	1006.00	303.08
19.	नागालैंड	4113.00	616.95	705.05	1322.00	308.48
20.	उड़ीसा	9855.00	1478.25	1000.00	2478.25	2478.00
21.	पंजाब	4040.00	606.00	1010.00	1616.00	1616.00
22.	राजस्थान	9640.00	1446.00	712.00	2158.00	723.00
23.	सिक्किम	2811.00	421.65	178.35	600.00	210.83
24.	तमिलनाडु	10479.00	1571.85	0.00	1571.85	785.92
25.	त्रिपुरा	5083.00	762.45	565.55	1328.00	381.22
26.	उत्तर प्रदेश	33635.00	5045.25	420.45	5465.70	2616.82
27.	उत्तरांचल	1256.00	188.40	एन.आर.	188.40	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	16782.00	2517.30	3355.70	5873.00	1258.65
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	1027.00	154.00	0.00	154.00	0.00
30.	चण्डीगढ़	456.00	68.40	50.80	119.20	0.00
31.	दिल्ली	1105.00	165.75	34.25	200.00	0.00
32.	दादरा व नगर हवेली	132.00	19.80	18.00	37.80	0.00
33.	दमन व दीव	106.00	15.90	एन.आर.	15.90	0.00
34.	लक्षद्वीप	177.00	26.55	एन.आर.	26.55	0.00
35.	पांडिचेरी	477.00	71.55	0.00	71.55	0.00
	कुल	250000.00	37500.00	17752.50	55252.50	21540.87

आर.डी.डब्ल्यू. — ग्रामीण जल आपूर्ति।

एन.आर. — असूचित।

* - अनंतिम आंकड़े।

** - हिमाचल प्रदेश के मामले में आर॰डी॰डब्ल्यू के लिए अतिरिक्त आवंटन को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार स्वीकार कर लिया गया है।

प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी

2359. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी की विशेष जानकारी का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व और प्रासंगिकता से उन्हें परिचित कराने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (घ) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को सक्षम बनाने हेतु बहु-संचार माध्यमों का सहयोग प्रदान करके राज्यों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रयासों में तेजी लाने के लिए विश्वविद्यालय के तत्वावधान में तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के एक अभिन्न अंग के रूप में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस प्रक्रिया में व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए दूरस्थ शिक्षा के वास्ते अध्ययन सामग्री तैयार करना शामिल है और 15 राज्यों को शैक्षिक सामग्री प्रदान की जा रही है। शिक्षकों, प्रस्तुतकर्ताओं तथा संसाधन व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत टेलिकानफ्रेसिंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। हाल ही में इन्दिरा गांधी, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में "प्राथमिक शिक्षा कार्मिकों के व्यावसायिक विकासार्थ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग" विषय पर एक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

बाल शिक्षा के लिए धनराशि

2360. श्री रामदास आठवले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों द्वारा बाल शिक्षा के लिए कितनी धनराशि की मांग की गई है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या-क्या हैं जिनका उपरोक्त प्रयोजन हेतु अतिरिक्त आबंटन का प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है; और

(घ) इस संबंध में राज्य-वार नवीनतम स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य

2361. श्री बिक्रम केशरी देव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य के नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों के चहुमुखी विकास के लिए कोई व्यापक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव): (क) से (ग) उग्रवादी गतिविधियों से प्रभावित उड़ीसा के पहचाने गए क्षेत्रों में संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, ग्रामीण विद्युतीरिण, साफ पेय जल आदि उपलब्ध कराए जाने हेतु 268.84 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता राशि प्राप्त करने के लिए उड़ीसा सरकार की एक कार्य योजना की संस्तुति इस प्रयोजन के लिए अलग से कोष रखने के लिए दिसम्बर, 1998 में योजना आयोग को की गई थी। योजना आयोग ने, लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी के जरिये प्रशासन को जिम्मेदार बनाने और सुपुर्दगी तंत्र को सुदृढ़ बनाने के संस्थागत उपायों से संबंधित कुछेक मुद्दे उठाए थे और इस बारे में एक व्यापक रणनीति जिसके कुछ पहलुओं का समर्थन किया जा सकता है, के ब्यौरे तैयार किए जाने का सुझाव दिया था। राज्य सरकार को तदनुसार सूचित किया गया है।

उड़ीसा में आदिवासी क्षेत्रों में विद्यालय/छात्रावास

2362. श्रीमती हेमा गमांग : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के आदिवासी जिलों विशेषकर रायगढ़ और कोरापुट जिलों में विद्यालयों/छात्रावासों की स्थिति बहुत खराब है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गरीब आदिवासी विद्यार्थियों और विद्यालयों/छात्रावासों के उचित कार्यकरण की कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तिथि तक उक्त राज्य में छात्रावासों/विद्यालयों के लिए आई०टी०डी०ए० मे कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ङ) क्या इन क्षेत्रों के विद्यालयों/छात्रावासों के विकास के लिए आवंटित धनराशि का उचित रूप से उपयोग किया गया है;

(च) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान धनराशि के उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) उक्त क्षेत्र में कन्या आश्रमों और छात्रों के छात्रावासों की संख्या कितनी है;

(झ) क्या केन्द्र सरकार का विचार आदिवासियों की बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर कुछ नए बड़े कन्या आश्रमों और छात्रों के लिए छात्रावासों को खोलने का है; और

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) से (ग) सरकार द्वारा कोई ऐसी रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है।

(घ) से (छ) सरकार द्वारा केवल राज्य सरकार को निधियां निर्मुक्त की जाती हैं समेकित जनजातीय विकास एजेंसी (आई टी डी ए) को नहीं। उड़ीसा राज्य सरकार लड़कों के छात्रावासों/लड़कियों के छात्रावासों और आश्रम स्कूलों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त की गई कुल राशि 217.96 लाख रु० थी। इसमें से राज्य सरकार ने 147.50 लाख रु० के संबंध में उपयोग पहले ही भेज दिया है।

(ज) रायगढ़ और कोरापुट में स्वीकृत आश्रम स्कूलों, अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए शैक्षिक परिसरों तथा लड़कों के छात्रावासों की संख्या क्रमशः 5, 14 तथा 13 है।

(झ) और (ञ) इस योजना के प्रावधानों के अनुसार, प्रस्तावों को राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ करना पड़ता है। यदि ऐसे प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त होते हैं तो इन पर योजना के प्रावधानों और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन विचार किया जाएगा।

महाराष्ट्र के गांवों में मूलभूत सुविधाएं

2363. श्री उत्तमराव पाटील : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में जिले-वार गांवों का ब्यौरा क्या है,

(ख) ऐसे कितने गांव हैं जहां पेयजल, शौचालय, बिजली आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं भी अब तक उपलब्ध नहीं है; और

(ग) इन गांवों में मूलभूत सुविधाओं को कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वेंकय्या नायडू) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय शहरी विकास संस्थान

2364. श्री राम नायडू दग्गुबाटि : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हैदराबाद में राष्ट्रीय शहरी विकास संस्थान की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) अर्बन एकेडेमी की स्थापना पर विचार किया जा रहा है। एक नये संस्थान की स्थापना करना अथवा कुछेक मौजूदा संस्थानों का सुदृढ़ीकरण जैसे विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड

2365. डा० बलिराम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड पांच वर्ष की अवधि के लिए गठित किया गया था और इसकी कार्य अवधि अब समाप्त हो चुकी है;

(ख) क्या अभी तक नए प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड का गठन नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) नए बोर्ड का गठन कब तक कर लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) श्री एस० रमैया की अध्यक्षता में 4 जनवरी, 1996 से पांच वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठित प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड का कार्यकाल 3 जनवरी, 2001 को समाप्त हो गया।

(ख) श्री बी.के. शर्मा की अध्यक्षता में 22 फरवरी, 2001 से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सरकारी आवास की कमी

2366. वैद्य विष्णु दत्त शर्मा : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों, विशेषत: जम्मू-कश्मीर में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को सरकारी आवास आबंटित किए गए हैं; और

(ग) वर्ष 1999-2000 और चालू योजना अवधि के दौरान भी केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए राज्य-वार कितनी आवासीय इकाइयां बनाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) श्रीनगर में केन्द्र सरकार कर्मचारियों को 30 टाइप-I सामान्य पूल क्वार्टर आबंटित किए गए हैं। अन्य राज्यों के बारे में सूचना इस उत्तर के विवरण-I में दी गई है।

(ग) 1999-2000 में के.लो.नि.वि.ने 773 रिहायशी मकानों का निर्माण किया। नौवीं योजना अवधि के दौरान राज्यवार बनाए जाने वाले मकानों की सूचना विवरण-II में है।

विवरण-I

विभिन्न (स्टेशनों) शहरों में सामान्य पूल आवास की उपलब्धता

क्रम संख्या	स्टेशन	क्वार्टरों की संख्या
1	2	3
1.	मुम्बई	9395
2.	कोलकाता	5951
3.	चेन्नई	2639
4.	शिमला	1109
5.	चण्डीगढ़	2419
6.	फरीदाबाद	1822
7.	गाजियाबाद	820
8.	नागपुर	1710
9.	इन्दौर	431
10.	लखनऊ	1070
11.	हैदराबाद	924
12.	कोचीन	244
13.	बगंलौर	1423
14.	शिलाँग	87
15.	अगरतला	68
16.	इम्फाल	72
17.	कोहिमा	64
18.	कानपुर	1029
19.	अहमदाबाद (राजकोट)	140
20.	इलाहाबाद	696
21.	भोपाल	166
22.	श्रीनगर	30
23.	जयपुर	141
24.	त्रिवेन्द्रम	148
25.	देहरादून	22
26.	मैसूर	136
27.	गंगटोक	100
28.	वाराणसी	198
29.	दिल्ली	65522

विवरण-II

नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राज्यवार बनाये जाने वाले मकानों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	I	II	III	IV	V	VI	कुल
1.	दिल्ली	—	—	—	98	295	—	393
2.	राजस्थान	28	42	52	18	4	—	144
3.	महाराष्ट्र	16	180	132	32	52	—	412
4.	मध्य प्रदेश	—	42	60	10	—	—	112
5.	उत्तर प्रदेश	320	442	344	108	63	3	1280
6.	तमिलनाडु	—	48	200	44	16	4	312
7.	हिमाचल प्रदेश	24	78	132	18	—	—	252
8.	केरल	16	16	80	24	12	—	148
9.	आन्ध्र प्रदेश	—	72	32	—	—	—	104
10.	कर्नाटक	128	240	200	56	14	3	641
11.	सिक्किम	24	24	40	12	—	—	100
	कुल	556	1184	1272	420	456	10	3898

डीडीए द्वारा दुकानों का निर्माण

2367. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डीडीए ने दुकानों, आदि को बेचने/किराए पर देने की व्यावहारिकता का मूल्यांकन किये बिना बड़ी संख्या में इनका निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसी दुकानों की संख्या कितनी है जिन्हें अभी तक आबंटित/नीलामी/किराए पर नहीं उठाया जा सका है;

(ग) इनमें कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है;

(घ) क्या सरकार ने इन दुकानों के निर्माण की जांच की है और इसके लिए जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि व्यावसायिक केन्द्रों की विभिन्न श्रृंखलाओं यथा सुविधाजनक शॉपिंग सेंटर, स्थानीय शॉपिंग सेंटर, सामुदायिक केन्द्र तथा दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में जिला केन्द्रों में इसके द्वारा मास्टर प्लान के मानदंडों के अनुसार बनायी जातीं हैं जिसमें जनसंख्या मानकों के अनुसार संख्या की व्यवहार्यता का ध्यान रखा जाता है। तदनुसार विन्यास योजना में शॉपिंग सेंटर दर्शाए जाते हैं।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि अभी भी 907 दुकानों को बेचा जाना है। इन 907 दुकानों की कुल लागत लगभग 48.00 करोड़ रूपए है।

(घ) और (ङ) चूंकि ये दुकानें जनसंख्या मानकों के अनुसार बनाई जाती हैं, इसलिए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हिन्दी लेखकों को पुरस्कार

2368. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दी पुस्तकों की पुरस्कार योजना के लिए अपनाई जा रही चयन प्रक्रिया के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते। तथापि स्वाभाविक मानवीय भूल से एक अध्येता जिसे वर्ष 1981-82 में एकबार पुरस्कार प्रदान किया जा चुका था और जो वर्तमान योजना के अंतर्गत दूसरे पुरस्कार का पात्र नहीं था, के नाम पर भी विचार किया गया था। अब ऐसा प्रस्ताव है कि ऐसे पूर्व पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं के नाम पर विगत पुरस्कार के 10 वर्ष के बाद किसी अन्य नई कृति के लिए फिर से विचार किया जा सकता है।

[अनुवाद]

रुग्ण उर्वरक इकाइयां

2369. श्रीमती कान्ति सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में रुग्ण और बंद पड़ी उर्वरक इकाइयां कौन-कौन सी हैं;

(ख) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना में इनके पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण की व्यवस्था की गई है;

(ग) यदि हां, तो योजना अवधि के दौरान आधुनिक बनाई जाने वाली/पुनरुद्धार की जाने वाली प्रत्येक इकाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा ऐसी किसी इकाई को बेचे जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी इकाई-वार ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (ङ) इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के 9 उर्वरक उपक्रमों तथा 2 सहकारी समितियों में से औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि० (एफसीआई), हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन (एचएफसी), प्रोजेक्टस ऐण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि०, (पीडीआईएल), पाइराइट्स फॉस्फेट्स एण्ड केमिकल्स लि० (पीपीसीएल) को रुग्ण घोषित किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों के निम्नलिखित संयंत्रों में सुरक्षा कारणों/फीड स्टाक नियंत्रणों की वजह से या अव्यवहार्य प्रचालनों के कारण उत्पादन निलंबित करना पड़ा था :-

1. एफसीआई के गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), राममागुण्डम (आन्ध्र प्रदेश) और तालचर (उडीसा) स्थित अमोनिया-यूरिया संयंत्र।
2. एचएफसी के दुर्गापुर स्थित अमोनिया-यूरिया एकक तथा हल्दिया उर्वरक परियोजना (पश्चिम बंगाल), बरौनी (बिहार) और नामरूप I तथा II (आसाम)।
3. पीपीसीएल के देहरादून (मसूरी फॉस) (उत्तरांचल), अमझोर (बिहार) और सलादीपुरा (एसएसपी), (राजस्थान) एकक।
4. राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० का ट्राम्बे (महाराष्ट्र) स्थित यूरिया-I एकक।

सरकार ने अनुमानतः 350 करोड़ रुपये के नवनिवेश से एचएफसी के नामरूप एककों के पुनरुद्धार को अनुमोदित किया है, जिसमें 131.69 करोड़ रुपये की धनराशि वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के दौरान रिलीज कर दी गई है। नामरूप-I के अमोनियम सल्फेट संयंत्र को स्क्रेप किया जाना है क्योंकि इसके प्रचालन को अव्यवहार्य तथा असुरक्षित पाया गया है।

सरकार द्वारा एचएफसी की हल्दिया उर्वरक परियोजना तथा एफसी आई के गोरखपुर संयंत्र को बन्द करने/पृथक करने का निर्णय पहले ही लिया गया है क्योंकि इन्हें प्रौद्यो-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया है। गोरखपुर में मौजूदा स्थल पर एक नया उर्वरक संयंत्र स्थापित करने में कृभको को समर्थ बनाने के प्रयास चल रहे हैं।

एकक-वार प्रौद्यो-आर्थिक व्यावहार्यता के आधार पर रामागुण्डस और तालचर एककों (एफसीआई), दुर्गापुर और बरौनी एककों (एचएफसी) के लिए विस्तृत पुनर्वास प्रस्ताव तथा पीपीसीएल के देहरादून, अमझोर और सलादीपुरा एककों और पीडीआईएल के पुनर्गठन प्रस्ताव शीघ्र ही सरकार में सक्षम प्राधिकारी को और तत्पश्चात बीआईएफआर की अन्तिम अनुमति हेतु प्रस्तुत किए जाने हैं।

आरसीएफ के ट्राम्बे-1 यूरिया संयंत्र के पुनःप्रारम्भण को प्रौद्यो-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया है और कंपनी ने इस संयंत्र को न चलाने का निर्णय लिया है।

स्व-रोजगार हेतु दी गई राशि का उपयोग

2370. श्री वाई॰एस॰ विवेकानन्द रेड्डी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों को केन्द्र द्वारा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत की गई 470 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता खर्च नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्यों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में उन्हें चालू वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही हेतु देय निधियां जारी नहीं की जाएंगी;

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अभी तक उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं; और

(ङ) सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) 30 नवम्बर, 2000 तक राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के पास (लगभग) 470 करोड़ रुपए (केन्द्रीय+राज्य निधि) की जो धनराशि खर्च नहीं होने के कारण बची हुई थी, जनवरी, 2001 के अंत तक घटकर 429 करोड़ रुपए रह गई हैं ब्यौरे संलग्न है। (विवरण-I)।

(ग) और (घ) वित्त मंत्रालय के नवीनतम निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय निधियों का जारी होना गत वर्षों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र के प्राप्त होने से जुड़ा हुआ हैं यद्यपि राज्य उपयोगिता प्रमाण-पत्र देते रहे हैं, ये प्रमाणपत्र अधिकांश मामलों में मार्च, 2000 तक पहले जारी की गई राशि से कम राशि के हैं। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न हैं (विवरण-II)।

(ङ) चूककर्त्ता राज्यों को तत्काल निवारक उपाय करने के लिए कहा जा रहा है।

विवरण-I

एस जे एस आर वाई के तहत राज्य-वार निधियों की स्थिति (31.1.2000 तक)

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	पुरानी स्कीमों में शेष बताई गई राशि (केन्द्र+राज्य)	1.12.97 से 31.3.2000 तक एसजेएस आरवाई के तहत जारी केन्द्रीय अंश	1.12.97 से जारी किया गया राज्य अंश	कुल (3+4+5)	सूचित खर्च	राज्य/संघ शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध राशि	खर्च का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	3953.26	3602.02	386.61	7941.89	6611.48	1330.41	83.25%
2.	अरुणाचल प्रदेश	458.65	204.65	138.79	802.09	164.89	637.20	20.56%
3.	असम	1773.96	1554.53	237.35	3565.84	455.42	3110.42	12.77%
4.	बिहार	5197.46	1693.94	201.43	7092.83	861.85	6230.98	12.15%
5.	गोवा	221.90	84.06	20.61	326.57	167.38	159.19	51.25%
6.	गुजरात	2728.98	1650.76	1073.80	5453.54	2059.45	3394.09	37.76%
7.	हरियाणा	544.10	403.89	179.12	1127.11	698.46	428.65	61.97%
8.	हिमाचल प्रदेश	698.04	196.39	74.54	968.97	885.24	83.73	91.36%
9.	जम्मू व कश्मीर	939.20	233.61	10.68	1183.49	304.84	878.65	25.76%
10.	कर्नाटक	4888.75	3190.65	2258.01	10337.41	4463.11	5874.30	43.17%
11.	केरल	846.82	1028.40	342.79	2218.01	1876.83	341.18	84.62%
12.	मध्य प्रदेश	3054.65	4275.16	1000.13	8329.94	5780.64	2549.30	69.40%
13.	महाराष्ट्र	4860.44	4160.89	1387.97	10409.30	5417.39	4991.91	52.04%
14.	मणिपुर	543.38	358.31	40.98	942.67	0.00	942.67	0.00%
15.	मेघालय	311.47	218.99	73.00	603.46	125.99	477.47	20.88%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	मिजोरम	89.77	341.57	168.81	600.15	469.16	130.99	78.17%
17.	नागालैंड	641.10	219.83	85.50	946.43	178.52	767.91	18.86%
18.	उड़ीसा	1116.34	1044.38	386.30	2547.02	1804.86	742.16	70.86%
19.	पंजाब	1541.47	364.54	122.51	2028.52	1327.74	700.78	65.45%
20.	राजस्थान	3160.17	1280.66	390.25	4831.11	2681.51	2149.60	55.51%
21.	सिक्किम	106.16	81.51	20.81	208.48	106.40	102.08	51.04%
22.	तमिलनाडु	7514.65	2913.27	971.09	11399.01	9678.59	1720.42	84.91%
23.	त्रिपुरा	151.20	334.24	93.67	579.11	492.72	86.39	85.08%
24.	उत्तर प्रदेश	7372.06	5513.47	1707.50	14593.03	11650.04	2942.99	79.83%
25.	पश्चिम बंगाल	2679.15	1626.16	542.14	4847.45	4107.70	739.75	84.74%
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	120.31	261.06	एन.ए.	381.37	101.03	280.34	26.49%
27.	चंडीगढ़	77.70	129.40	एन.ए.	207.10	20.41	186.69	9.86%
28.	दादरा व नगर हवेली	73.31	104.23	एन.ए.	177.54	181.46	-3.92	102.21%
29.	दमन व दीव	81.65	161.63	एन.ए.	243.28	35.69	207.59	14.67%
30.	दिल्ली	184.24	235.31	58.62	478.17	48.37	429.80	10.12%
31.	पांडिचेरी	259.13	119.65	42.16	420.94	110.30	310.61	26.21%
	कुल	56189.47	37587.16	12015.20	105791.83	62867.50	42924.33	59.43%

विवरण-II

एस जे एस आर वाई के तहत राज्य-वार लंबित उपयोग (31.1.2001 तक)

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	30/11/97 को पुरानी स्कीमों में शेष बताई गई राशि (केन्द्रीय अंश)	1/12/97 से 31/3/2000 तक एस जे एस आर वाई के तहत जारी केन्द्रीय अंश	कुल (3+4)	सूचित खर्च	प्राप्त उपयोग प्रमाण-पत्र	राज्य/संघ शासित प्रदेश से अपेक्षित उपयोग प्रमाण-पत्र (5-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	944.71	3602.02	4546.73	3245.45	3150.01	1396.72
2.	अरुणाचल प्रदेश	290.41	204.65	495.06	150.36	34.49	460.57
3.	असम	1242.00	1554.53	2796.53	455.42	19.50	2777.03

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बिहार	4012.21	1693.94	5706.15	861.85	0.00	5706.15
5.	गोवा	138.84	84.06	222.90	167.38	87.55	135.35
6.	गुजरात	1685.26	1650.76	3336.02	2022.22	1669.88	1666.14
7.	हरियाणा	257.77	403.89	661.66	488.50	259.48	402.18
8.	हिमाचल प्रदेश	257.10	196.39	453.49	360.23	333.64	119.85
9.	जम्मू व कश्मीर	603.68	233.61	837.29	294.46	241.05	596.24
10.	कर्नाटक	2071.86	3190.65	5262.51	4222.14	3784.11	1478.40
11.	केरल	353.75	1028.40	1382.15	1126.26	921.08	461.07
12.	मध्य प्रदेश	1390.47	4275.16	5665.63	4250.14	4129.16	1536.47
13.	महाराष्ट्र	2535.04	4160.89	6695.93	5294.91	3448.91	3247.02
14.	मणिपुर	299.66	358.31	657.97	0.00	0.00	657.97
15.	मेघालय	196.76	218.99	415.75	106.26	0.00	415.75
16.	मिजोरम	53.67	341.57	395.24	329.60	308.21	87.03
17.	नागालैंड	363.27	219.83	583.10	176.56	74.56	508.54
18.	उड़ीसा	422.55	1044.38	1466.93	1695.25	801.67	665.26
19.	पंजाब	847.37	364.54	1211.91	957.42	954.86	257.05
20.	राजस्थान	1328.56	1280.66	2609.22	2011.13	1495.88	1113.34
21.	सिक्किम	37.80	81.51	119.31	102.68	65.33	53.98
22.	तमिलनाडु	3268.38	2913.27	6181.65	9615.60	4437.91	1743.74
23.	त्रिपुरा	89.65	334.24	423.89	342.85	317.55	106.34
24.	उत्तर प्रदेश	3257.94	5513.47	8771.41	7477.20	6443.90	2327.51
25.	पश्चिम बंगाल	1035.93	1626.16	2662.09	2442.42	2256.16	405.93
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	120.31	261.06	381.37	101.03	0.00	381.37
27.	चंडीगढ़	77.70	129.20	207.10	20.41	1.66	205.44
28.	दादरा व नगर हवेली	73.31	104.23	177.54	181.46	97.58	79.96
29.	दमन व दीव	81.65	161.63	243.28	35.69	0.00	243.28
30.	दिल्ली	177.51	235.31	412.82	38.00	0.00	412.82
31.	पांडिचेरी	85.83	119.65	205.48	67.31	90.32	115.16
	योग	27600.95	37587.16	65188.1	48640.19	35424.45	29763.66

अलॉय स्टील संयंत्र, दुर्गापुर

2371. श्री सुनील खां : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसर्स एम॰एन॰ दस्तूर को दुर्गापुर के अलॉय स्टील संयंत्र को पुनः चालू करने का काम सौंपा गया था;

(ख) क्या अलॉय स्टील के श्रमिक संघ और प्रबंधकों ने भी उक्त संयंत्र को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए एक योजना प्रस्तुत की है; और

(ग) सरकार ने इस मुद्दे पर दोनों दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए संयंत्र को पुनः चालू करने के लिए क्या निर्णय लिया है?.

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) जी, नहीं। मिश्र इस्पात संयंत्र (ए एस पी) की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए मैसर्स दस्तूर एंड कंपनी को नियुक्त किया गया है। इसकी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की जानी है।

(ख) जी, हां।

(ग) मैसर्स दस्तूर एंड कंपनी से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् इस मामले में निर्णय लिया जाएगा।

कर्नाटक में महिलाओं की अनौपचारिक शिक्षा हेतु दी गई निधियों का उपयोग

2372. श्री जी॰एस॰ बसवराज:
श्री जी॰ मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में महिला अधिकारिता संबंधी कृतिक बल ने कहा है कि शिक्षा विभाग राज्य में महिलाओं को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने हेतु केन्द्र द्वारा दिए जाने वाले 100 करोड़ रुपये के अनुदान का लाभ उठाने में विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्र सरकार ने राज्य में महिलाओं को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को अब तक कुल कितनी राशि प्रदान की है;

(घ) क्या सरकार ने राज्य सरकार से निधियों का उपयोग करने के लिए आवश्यक उपाय करने का आग्रह किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (ङ) मंत्रालय को ऐसी किसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है। अनौपचारिक शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के बिना दाखिला वाले, स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना है। कर्नाटक सरकार राज्य क्षेत्र में इस योजना का कार्यान्वयन नहीं कर रही है। अतः राज्य सरकार को कोई धन नहीं दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में "कपार्ट"

2373. श्री जय प्रकाश : क्या ग्रामीण विकास मंत्री 5 दिसम्बर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2522 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक एकत्र कर लिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) जी, हां।

(ख) लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2522 दिनांक दिसम्बर 5, 2000 के संदर्भ में एकत्र की गई जानकारी क्रमशः विवरण-I, II और III में दी गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2522, दिनांक 5.12.2000 के भाग (क) और (ख) के संदर्भ में विगत 3 वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष (वर्षवार) के दौरान उत्तर प्रदेश में स्वीकृत/कार्यान्वित परियोजनाओं की संख्या तथा गैर सरकारी संगठनों को आबंटित राशि तथा उपयोग की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	उपयोग की गई राशि
1997-98	208	4.69	2.12
1998-99	29	2.16	0.50
1999-2000	36	2.47	1.59
2000-2001	60	2.29	0.07

विवरण-II

1. पेयजल के प्रयोजनार्थ 396 हैण्डपम्प लगाए गए।
2. 7337 कम लागत के शौचालय निर्मित कराए गए।
3. 62.21 एकड़ में भू-समतलीकरण किया गया।
4. सिंचाई के लिए 26 गहरे ट्यूबवेल लगाए गए।
5. उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में भूकम्प के कारण 215 अस्थायी आवास एवं 8 स्थायी आवास तैयार किए गए।
6. 5 कम ईंधन लगने वाले शवदाह गृह बनाए गए।

7. 1500 जल फिल्टर लगाए गए।

8. 75 वर्षा जल एकत्रण टैंक बनाए गए।

9. एक कृमि खाद बनाने वाली प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई और कृमि खाद बनाने के लिए 13 टैंक बनाए गए।

10. नर्सरी लगाने के लिए 25 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया।

11. आर्गेनिक कृषि का प्रदर्शन करके लगभग 200 किसानों को प्रशिक्षित किया गया।

12. वाटरशेड संरक्षण दल के सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जिसमें 1468 प्रशिक्षुदिवसों का सृजन किया गया।

13. एक कार्यशाला चलाई गई और 10 गांवों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया।

14. 10 गांवों के 251 ग्रामीण अक्षम लोगों वाले 10 स्व-सहायतां समूह बनाए गए गैर सरकारी संगठनों के स्टाफ को समुदाय आधारित पुनर्वास (सी.बी.आर.) कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया।

15. खाद्य प्रसंस्करण में प्रशिक्षुओं और महिलाओं के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

16. 50 गांवों के 240 किसानों को सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए छोटी-छोटी सिंचाई इकाइयों, उच्चक्षमता के बीजों, फलदार वृक्षों का पौधरोपण, सामुदायिक स्वामित्व वाली तालाब सिंचाई इकाई के द्वारा लाभान्वित किया गया।

17. 790 लाभार्थियों के लिए शौचालय और धुवांरहित चूल्हा वाले 790 कम लागत के मकान बनवाए गए।

विवरण-III

कपार्ट द्वारा गैर सरकारी संगठनों द्वारा कथित रूप से अनियामिततायें बरतने के लिए की गई जांच और कपार्ट द्वारा इनके विरुद्ध की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण

1997-98	शून्य
1998-99	शून्य

1999-2000

क्र. सं.	गैर-सरकारी संगठन का नाम व पता	की गई कार्रवाई
1.	जन कल्याण संस्थान, बलदेव भवन, जलकल वैराड, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश	कापार्ट द्वारा काली सूची में डाल दिया गया
2.	युवा एवं बाल विकास समिति, राम गुलाम तोलाई, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश	कापार्ट द्वारा काली सूची में डाल दिया गया

2000-2001

क्र. सं.	गैर-सरकारी संगठन का नाम व पता	की गई कार्रवाई
1.	जन उद्योग ग्रामीण विकास कल्याण समिति, अम्बेडर कालोनी, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश	कापार्ट द्वारा काली सूची में डाल दिया गया

पाठ्य पुस्तकों की कमी

2374. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पाठ्य पुस्तकों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पाठ्यक्रम बदलने के बाद विद्यार्थियों को बाजार या पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई जाती;

(घ) यदि हां, तो क्या पाठ्य पुस्तकों की कमी के कारण विद्यार्थियों को, विशेषत: स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम पूरा करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार उन्हें पाठ्य पुस्तकें तुरन्त उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

शिक्षा का प्रसार

2375. **श्री राजो सिंह :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान बिहार और अन्य राज्यों को शिक्षा के प्रसार के लिए दी जाने वाली प्रस्तावित वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे राज्य-वार सामाजिक संगठन कौन-कौन से हैं जिनका अपने स्रोतों से शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) पिछले एक वर्ष से अनुमोदन हेतु लंबित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी शिक्षण संस्थाओं के प्रस्तावों के अनुमोदन में केन्द्र सरकार की भूमिका क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दहेज के मामले

2376. **श्री राजनारायण पासी :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस दहेज के मामलों को दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण समाधान होने पर बंद कर देती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज तक ऐसे कितने मामले बंद किए गए हैं और कितने मामले विचाराधीन हैं;

(ग) क्या सरकार को गत वर्ष के दौरान दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण समाधान होने के बाद न्यायालयों से मामलों को वापस लेने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की है/किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) जी हां, श्रीमान। तथापि, केवल वे ही मामले, जिनमें आरोप दहेज की मांग और साधारण उत्पीड़न तक ही सीमित होते हैं, दिल्ली पुलिस द्वारा तब बंद किए जाते हैं जब दोनों पक्ष सौहार्दपूर्ण ढंग से समझौता कर लेते हैं।

(ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई:-

वर्ष	कुल प्राप्त शिकायतों की संख्या	कुल दायर शिकायतों की संख्या
1998	7500	5732
1999	6732	4933
2000	7386	5162

(ग) दिल्ली पुलिस को गत वर्ष के दौरान ऐसा कोई भी अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

[अनुवाद]

औषध उद्योग हेतु विनियमन प्राधिकरण

2377. श्री सुबोध मोहिते : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार औषध उद्योग हेतु विनियमन प्राधिकरण बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कतिपय औषधियों को "सर्वप्रिय योजना" के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार वितरित की जाने वाली औषधियां कौन-कौन सी हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) और (ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय का केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सी डी एस सी ओ) तथा राज्यों के औषध नियंत्रण संगठन (डी सी ओ) इस समय औषध तथा सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 तथा इसके अंतर्गत बने नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत औषध उद्योग को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार हैं। गरीब लोगों को आक्रान्त करने वाले प्राथमिक रोग, अधिकांशतः स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में शामिल हैं, जिनके लिए सरकार द्वारा राज्य सरकारों के जरिए आवश्यक औषधियां निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मध्याह्न भोजन योजना

2378. श्री अनन्त नायक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों में मध्याहन भोजन योजना बन्द कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो ये राज्य कौन-कौन से हैं और योजना बंद किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में राज्यों को निदेश जारी करने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, प्राथमिक शिक्षा का राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (मध्याहन भोजन योजना) इस समय जम्मू व कश्मीर में कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। जम्मू व कश्मीर राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अनेक आन्तरिक समस्याओं के कारण यह कार्यक्रम मृतप्राय पड़ा है। अप्रैल, 2001 से इस कार्यक्रम को आरम्भ करने के लिए राज्य सरकार ने नए दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

मंत्रालय ने जम्मू व कश्मीर राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वह पका हुआ भोजन प्रदान करने वाले इस कार्यक्रम को शीघ्र आरंभ करने के लिए संस्थागत व्यवस्था बनाने हेतु अपने संसाधनों को जुटाए।

1984 के दंगा पीड़ितों को राहत

2379. श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना० मोहोल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के 1988 के फैसले के बावजूद 1984 के दंगा पीड़ितों को राहत राशि नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख के अनुसार मुआवजा भुगतान से संबंधित राज्य-वार कितने मामले लम्बित हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सभी पीड़ितों को मुआवजा कब तक दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (घ) भारत के उच्चतम न्यायालय ने, सिविल अपील सं० 1988 का 465 (एस०एल०पी०सं० 7783/1987) में अपने दिनांक 1 फरवरी, 1988 के आदेश में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को इस निर्देशों के साथ रद्द कर दिया कि मामले का गुण-दोष के आधार पर फिर से निर्णय करें और 6 महीने के भीतर आख्यापक आदेश जारी करे। सिविल याचिका सं० 1807/87 में, 30.8.1988 के अपने आदेश में दिल्ली प्रशासन को, निर्देश दिए कि दंगा राहत और पुनर्वास सोसायटी के सदस्यों से प्राप्त फ्लेटों के आवंटन के व्यक्तिगत दावों के समर्थन में मृत्यु प्रमाणपत्र, स्वामित्व/किरायेदारी दस्तावेज, राशन कार्ड, मतदाता सूची और प्रथम सूचना रिपोर्ट, यदि कोई हो, का सत्यापन करने के बाद ही विचार किया जाय। इन आदेशों में, अन्य राज्य सरकारों के लिए कोई निदेश नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को, इन आदेशों के अनुसरण में 1107 दावे प्राप्त हुए और सभी दावों पर विचार किया गया और उन पर निर्णय लिया गया। फ्लेटों के आबंटन के लिए केवल 42 मामले संस्तुत किए गए जबकि 1065 मामले रद्द कर दिए गए।

सड़क दुर्घटनाएं

2380. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **गृह मंत्री** सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों का प्राथमिक उपचार के बारे में 25 जुलाई, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 333 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह कब तक एकत्रित कर ली जाएगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (घ) जी नहीं, श्रीमान। अपेक्षित सूचना चारों राज्यों से अभी भी प्रतीक्षित है। जैसे ही सूचना उपलब्ध हो जाएगी, सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में महासागर विकास गतिविधियां

2381. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में महाराष्ट्र से लगते हुए समुद्री तट की लम्बाई कितनी है;

(ख) क्या सरकार का राज्य में समुद्र तट पर कोई महासागर विकास गतिविधियां चलाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसमें कितनी धनराशि लगेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत "बचदा") : (क) महाराष्ट्र राज्य की तटरेखा लगभग 650 किलोमीटर है।

(ख) से (घ) जी, हां। कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण नीचे दिया गया है:-

- महाराष्ट्र के तटीय सागर में समुद्री प्रदूषण का मानीटरन वर्ष 1990-91 से चल रहा है। समुद्री प्रदूषण अध्ययन ट्राम्बे, बेसिन, माहीम, थाणे, मुंबई बंदरगाह, वरसोवा, उल्हास क्रीक, मुरुड, रत्नगिरि एवं मालवन में किए जाते हैं।
- उपग्रह प्रेक्षण से प्राप्त संभाव्य मत्स्यन क्षेत्र संबंधी सूचनाएं महाराष्ट्र तट पर फैले 11 नोडल बिन्दुओं के माध्यम से तटीय मछुआरों को दी जाती हैं।
- खनिजों का पता लगाने के लिए प्रारम्भ किए गये सर्वेक्षण से महाराष्ट्र तट के पास 50 से 200 मीटर जल गहराई में कैल्सियमी बालू की विद्यमानता का पता चला है।
- महाराष्ट्र तट के समुद्र सहित भारतीय समुद्र में हाइड्रोकार्बन भण्डारों का पता लगाने के लिए विभिन्न उपाय भी किये गये हैं।
- तटीय समुद्री मात्स्यिकी के विकास के लिए, 20 मीटर से कम लम्बे यंत्रीकृत मत्स्यन जलयान को आपूर्तित एचएसडी तेल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है एवं परंपरागत मत्स्यन क्षेत्र के उन्नयन हेतु परंपरागत जलयानों में मोटर लगाई जा रही है। महाराष्ट्र तट के पास अन्वेषी एवं प्रयोगात्मक मत्स्य सर्वेक्षण भी किए जाते हैं।

इन सभी कार्यकलापों को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में प्रारम्भ किया गया है एवं महाराष्ट्र हेतु व्यय का अलग से अनुमान लगाना व्यवहार्य नहीं है।

उर्वरकों के लिए कोयला आधारित प्रौद्योगिकी

2382. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरक क्षेत्र के लिए कोयला आधारित प्रौद्योगिकी की संभावना का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोयला आधारित नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन की संभावना का भी पता लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) से (घ) नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक के उत्पादन के लिए कोल आधारित प्रौद्योगिकी की सम्भावना का पता लगाने हेतु उर्वरक विभाग ने एक टॉस्क फोर्स का गठन किया है। टॉस्क फोर्स द्वारा अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की जानी है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

2383. श्री अनंत गंगाराम गीते : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत साक्षरता उपरांत तथा अनवरत शिक्षा संबंधी परियोजना की प्रगति क्या रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : उत्तर साक्षरता कार्यक्रम तथा सतत शिक्षा परियोजनओं में हुई प्रगति को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। संपूर्ण साक्षरता अभियान में सभी जिलों को शामिल किया गया है।

विवरण

परियोजनाओं की प्रगति

क्र. सं.	जिले/परियोजना का नाम	उत्तर साक्षरता कार्यक्रम	सतत शिक्षा
1	2	3	4
1.	अहमदनगर	जारी	
2.	अकोला	जारी	
3.	अमरावती	जारी	
4.	औरंगाबाद	पूर्ण	जारी
5.	भंडारा	जारी	
6.	बीड	जारी	
7.	मुम्बई (फेज-I)	जारी	
8.	बृहन मुम्बई (फेज-II)	जारी	
9.	चन्द्रपुर	जारी	
10.	गोंडिया	जारी	
11.	गडचिरौली	जारी	
12.	जलगांव	जारी	
13.	जालना	पूर्ण	जारी
14.	कोल्हापुर	जारी	
15.	लातूर	पूर्ण	जारी
16.	नागपुर	जारी	
17.	नासिक	जारी	
18.	नांदेड	पूर्ण	जारी
19.	उस्मानाबाद	जारी	
20.	परभनी	पूर्ण	जारी
21.	पुणे (ग्रामीण)	पूर्ण	जारी
22.	पुणे (नगर)	जारी	
23.	रागयढ	जारी	
24.	रत्नागिरी	पूर्ण	जारी
25.	सोलापुर	जारी	
26.	सतारा	जारी	
27.	सांगली	जारी	
28.	सिंधुदुर्ग	पूर्ण	जारी
29.	यवतमाल	जारी	
30.	वर्धा	पूर्ण	जारी

विश्वविद्यालयों को निधियां जारी करना

2384. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 फरवरी, 2001 'दि पायनियर' में प्रकाशित समाचार "यूजीसी सिट्स ओवर अनयुटिलाइज्ड ग्रांट्स" की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले की तथ्य क्या हैं;

(ग) विश्वविद्यालयों को और विशेषकर जे.एन.यू. तथा आन्ध्र प्रदेश के विश्वविद्यालयों को आज की तिथि के अनुसार कितनी निधियां जारी नहीं की गई हैं;

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निधियों के धीमी गति से संवितरण के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस व्यवस्था में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम

2385. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत शुरु किए गए विभिन्न कार्यक्रमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य के लिए स्वीकृत तथा जारी की गई राशि का राज्य-वार तथा कार्यक्रम-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या राजस्थान सरकार ने इस संबध में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह प्रस्ताव किस स्तर पर लम्बित पड़ा है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) और (ख) विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) परियोजनाओं का वित्तपोषण करके कई कार्यक्रमों को सहायता प्रदान की जाती है। उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार विभिन्न राज्यों में वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान वित्तपोषित आर एण्ड डी परियोजनाओं की संख्या क्रमश: 1716, 1795 तथा 1780 है जिनकी कुल अनुमोदित लागत क्रमश: 161.98 करोड़ रुपये, 186.48 करोड़ रुपये तथा 218.57 करोड़ रुपये है। इन वर्षों के दौरान आर एण्ड डी परियोजनाओं की कुल राज्यवार संख्या तथा उनकी कुल अनुमोदित लागत को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर कई कदम उठाए गए हैं जैसे :

- पंचवर्षीय योजनाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए परिव्यय में बढ़ोतरी करना।
- नए वैज्ञानिकी विभागों/संगठनों का सृजन करना।
- विश्वविद्यालयों तथा शिक्षण संस्थानों में उन्नत/अग्रगत अध्ययन कार्यों के लिए और केन्द्रों की स्थापना करना।
- विभिन्न सहायता उपायों तथा राजकोषीय प्रोत्साहनों के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं को सशक्त बनाना।
- उद्यमवृत्ति विकास हेतु एस एण्ड टी आधारित प्रशिक्षण।
- सहभागिता/अध्येतावृत्तियों, ग्रीष्म पाठशालाओं इत्यादि के माध्यम से जनशक्ति विकास प्रशिक्षण/पुन: प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- युवा वैज्ञानिकों के लिए आर एण्ड डी परियोजनाएं।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा संस्थानों का भ्रमण करने के लिए बायज़कास्ट अध्येतावृत्तियां।
- स्वर्णजयन्ती अध्येतावृत्तियां।
- विलक्षण युवा वैज्ञानिकों को आर एण्ड डी को अपना कैरियर के रूप में चुनने के लिए आकर्षित एवं प्रोत्साहित करने हेतु सम्पर्क करने हेतु कार्यक्रम।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्यवार प्रायोजित आर एण्ड टी परियोजनाएं

(लाख रुपये में)

राज्य	1995-96		1996-97		1997-98	
	परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित लागत	परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित लागत	परियोजनाओं की की संख्या	अनुमोदित लागत
1	2	3	4	5	6	7
अण्डमान तथा निकोबार	3	40.96	1	5.70	4	42.22
आन्ध्र प्रदेश	115	1669.22	182	1952.85	130	1696.13
अरूणाचल प्रदेश	3	15.72	7	41.71	8	39.93
असम	17	78.26	22	283.34	33	286.56
बिहार	40	316.12	55	463.68	47	1132.47
चण्डीगढ़	43	387.79	44	416.78	29	272.67

1	2	3	4	5	6	7
दिल्ली	183	1749.87	170	2031.61	187	3119.75
गोवा	13	138.17	7	67.57	16	210.16
गुजरात	42	341.25	38	240.27	55	492.90
हरियाणा	16	104.93	13	311.17	31	490.37
हिमाचल प्रदेश	22	203.79	17	127.95	15	126.99
जम्मू तथा कश्मीर	6	36.79	8	59.30	8	40.33
कर्नाटक	194	2394.19	193	1872.54	163	1724.49
केरल	57	363.52	71	677.28	74	919.72
लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2	16.97
मध्य प्रदेश	43	242.13	59	571.64	47	800.99
महाराष्ट्र	207	2767.86	166	2315.58	172	3710.45
मणिपुर	6	34.60	6	43.87	16	155.52
मेघालय	10	57.92	4	43.59	10	70.17
मिज़ोरम	शून्य	शून्य	1	4.37	शून्य	शून्य
नागालैण्ड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1	8.46
उड़ीसा	22	149.61	24	195.72	22	160.56
पाण्डिचेरी	7	56.58	13	88.50	8	35.02
पंजाब	36	245.72	30	147.71	34	287.52
राजस्थान	36	291.72	50	329.45	42	503.58
सिक्किम	1	4.81	1	5.00	5	86.34
तमिलनाडु	173	1284.65	184	1254.87	189	1334.02
त्रिपुरा	शून्य	शून्य	2	13.72	6	31.99
उत्तर प्रदेश	233	1657.73	231	1853.97	249	2294.19
पश्चिम बंगाल	188	1564.48	196	3228.46	177	1766.14
जोड़	1716	16198.39	1795	18648.20	1780	21856.61

[अनुवाद]

दिल्ली में पेयजल की कमी

2386. डा० विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री एस॰डी॰एन॰आर॰ वाडियार :

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गर्मी के मौसम में दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पेयजल की भारी कमी होगी;

(ख) यदि हां, तो गर्मी में पेयजल की कमी से निबटने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बढ़ती हुई आबादी को पेयजल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कोई दीर्घावधि योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) दिल्ली जल बोर्ड का कथन है कि फिलहाल दिल्ली में सभी प्रकार के कार्यों के लिए पानी की मांग 800 मिलियन गैलन दैनिक (एमजीडी) है। जिसकी तुलना में दिल्ली जल बोर्ड इष्टतम साधनों औसतन 630 एमडीजी जल की आपूर्ति कर रहा है। मांग और आपूर्ति के बीच 170 एमजीडी का अंतर है। इस कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने चालू वर्ष में 152 अतिरिक्त नलकूप लगाए हैं इससे जल आपूर्ति में करीब 7.5 एमजीडी की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा प्रदत्त ब्यौरे के अनुसार 94 शहरी केन्द्रों में से 74 कस्बों में नलकूपों, कुओं और नहरों से जल आपूर्ति की व्यवस्था शुरू की है। प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति 45 से 180 लीटर दैनिक के बीच है।

(ग) और (घ) दिल्ली जल बोर्ड ने सूचित किया है कि नांगलोई, बवाना और सोनिया विहार में, तथा हिमाचल प्रदेश में रेणुका बांध, उत्तर प्रदेश के किशाऊ बांध और लखवार व्यासी बांध में जल शोधन संयंत्र की विभिन्न परियोजनाएं निर्माण के चरण में हैं। राष्ट्रीय क्षेत्र योजना बोर्ड के अनुसार पर्यावरण (संरक्षा) अधिनियम 1986 के खंड-4 के तहत गठित केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण ने भूगर्भीय जल स्रोतों के विनियमन एवं विकास हेतु कई इलाकों को नोटिफाइड एरिया घोषित किया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के इन नोटीफाइड एरिया में केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण के विशिष्ट अनुमोदन के बिना भूगर्भीय जल की निकासी के लिए किसी प्रकार का निर्माण करने और मशीन लगाने पर प्रतिबंध है।

मृदा एवं जल प्रबंधन

2387. श्री माधवराव सिंधिया :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी०एस० बसवराज:
श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 88वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की बैठक नई दिल्ली में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई;

(ग) क्या सम्मेलन में किसी सुझाव की सिफारिश की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त सुझावों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है; और

(च) उक्त सुझावों के कार्यान्वयन में कितना अनुमानित खर्च होगा?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय विज्ञान कांग्रेस परिसंघ के विभिन्न विषयक अनुभागों, समितियों तथा मंचों ने "खाद्य, पोषण एवं पर्यावरणीय सुरक्षा" नाम के केन्द्रीय विषय से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया था।

(ग) से (च) 88वीं विज्ञान कांग्रेस की प्रारूप सिफारिशों को भारतीय विज्ञान कांग्रेस, कलकत्ता के पास भेज दिया गया है जो कि अन्तिम प्रक्रिया के लिए विज्ञान कांग्रेस सत्रों के आयोजक हैं। विज्ञान कांग्रेस की सिफारिशें सरकार के नीति एवं कार्यक्रम निरूपण कार्यों के लिए महत्वपूर्ण जानकारियों का आधार तैयार करते हैं और 88वीं विज्ञान कांग्रेस के मामले में भी करते रहेंगे। कार्यान्वियन के चरण पर खर्चों का अनुमानन किया गया है।

उर्वरकों की खपत

2388. श्री किरीट सोमैया : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999-2000 के दौरान पोषक तत्व के रूप में राज्य-वार उर्वरकों की अनुमानित प्रति हेक्टेयर खपत कितनी थी;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख उर्वरकों की आकलित/अनुमानित आवश्यकता/उपलब्धता तथा बिक्री संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान में विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की मात्रा कितनी है और उनका बाजार मूल्य कितना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) वर्ष 1999-2000 के दौरान उर्वरक पोषकों की राज्यवार अनुमानित प्रति हेक्टेयर खपत दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रमुख उर्वरकों अर्थात् यूरिया, डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और म्यूरिएट ऑफ पोटाश की राज्यवार, मौसमवार आकलित मांग, उपलब्धता और बिक्री के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) यूरिया एक मात्र उर्वरक है जो भारत सरकार के सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अधीन है। अन्य सभी उर्वरक नियंत्रणमुक्त हैं। नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों को कृषकों को वहनीय मूल्यों तक रखने के लिए भारत सरकार रियायत योजना कार्यान्वित कर रही है जिसके तहत एसएसपी को छोड़कर इन उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए

जाते हैं। नीचे दी गई सारणी में यूरिया, एमओपी, डीएपी और मिश्रित उर्वरकों के आज की तारीख को लागू मौजूदा अधिकतम खुदरा मूल्य नीचे दिए गए हैं :-

उर्वरक	अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी)
यूरिया	4600
डीएपी	8900
एमओपी	4255
मिश्रित	
10:26:26	7880
12:32:16	7960
14:28:14	7820
14:35:14	8100
15:15:15	6600
16:20:0	6740
17:17:17	7680
19:19:19	7840
20:20:0	6880
23:23:0	7540
28:28:0	8520

विवरण-I

वर्ष 1999-2000 के दौरान फसल सत्र के पोषकों के लिए उर्वरक पोषकों की राज्य-वार अनुमानित प्रति हेक्टेयर खपत

क्र०सं०	राज्य/रा० राजधानी क्षेत्र	(कि.ग्रा./हेक्टेयर)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	157.99
2.	कर्नाटक	103.11
3.	केरल	69.99
4.	तमिलनाडु	162.92
5.	गुजरात	87.77
6.	मध्य प्रदेश	47.19
7.	महाराष्ट्र	88.87
8.	राजस्थान	39.49
9.	गोवा	44.12
10.	हरियाणा	148.47
11.	पंजाब	184.57
12.	उत्तर प्रदेश	125.38
13.	हिमाचल प्रदेश	38.43
14.	जम्मू और कश्मीर	58.23
15.	दिल्ली	416.96
16.	बिहार	97.19
17.	उड़ीसा	43.83
18.	वेस्ट बंगाल	135.97
19.	आसाम	27.66
20.	त्रिपुरा	19.45
21.	मणिपुर	91.98
22.	मेघालय	16.28
23.	नागालैंड	3.54
24.	अरूणाचल प्रदेश	2.53
25.	मिजोरम	9.39
26.	सिक्किम	6.19
27.	समस्त भारत	95.32

विवरण-II

1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 (31-1-2001 तक) के दौरान यूरिया की राज्य-वार आकलित मांग, उपलब्धता और बिक्री

(000 टन)

क्र. सं.	राज्य	खरीफ 1998			रबी 1998-99			खरीफ 1999			रबी 1999-2000			खरीफ 2000			रबी 2000-01		
		आकलित आव०	उपलब्धता	बिक्री	आकलित आव०	उपलब्धता	बिक्री	आकलित आव०	उपलब्धता	बिक्री	आकलित आव०	उपलब्धता	बिक्री	आकलित आव०	उपलब्धता	बिक्री	आकलित आव०	उपलब्धता	बिक्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	960.00	1080.73	955.57	1050.00	1212.03	1058.59	1000.00	1148.64	1032.54	1101.50	1174.02	984.23	1083.60	1186.99	1044.61	1047.00	983.24	681.21
2.	कर्नाटक	590.00	595.91	544.82	360.00	438.15	360.54	600.00	651.39	592.19	396.00	438.56	362.79	640.00	704.45	651.04	390.00	362.08	229.59
3.	केरल	72.00	77.73	58.34	65.00	66.71	54.85	70.00	68.44	60.69	60.00	66.19	55.88	65.00	59.66	48.00	60.00	44.02	29.40
4.	तमिलनाडु	375.00	400.72	333.06	525.00	581.11	480.60	360.00	408.91	355.74	510.00	566.66	521.42	365.00	404.83	362.19	515.00	441.34	335.06
5.	गुजरात	600.00	611.61	554.95	700.00	721.14	675.09	600.00	653.44	569.16	690.00	565.00	484.82	548.00	511.20	473.90	500.00	302.68	242.41
6.	मध्य प्रदेश	700.00	780.95	633.52	780.00	828.74	628.70	675.00	730.26	529.30	700.00	725.89	588.04	660.00	824.54	583.28	350.00	417.65	259.75
7.	चंडीगढ़																50.00	59.54	10.81
8.	महाराष्ट्र	1125.00	1207.03	1038.23	650.00	748.55	669.24	1100.00	1285.92	1135.79	730.00	855.99	740.76	1180.00	1189.81	1051.60	610.00	473.43	282.44
9.	राजस्थान	485.00	552.43	411.20	800.00	785.52	600.00	450.00	537.70	453.81	650.00	664.44	578.29	475.00	530.10	463.52	450.00	478.01	386.51
10.	गोवा	4.50	2.29	2.33	2.00	2.00	1.99	4.20	2.17	2.14	2.20	2.35	2.35	3.00	3.25	1.23	1.70	2.02	1.00
11.	हरियाणा	600.00	671.44	525.65	760.00	916.24	766.50	580.00	662.06	504.50	800.00	920.66	743.26	560.00	603.06	488.06	800.00	782.91	709.09
12.	हिमाचल प्रदेश	30.00	33.89	29.77	22.00	20.93	19.01	30.00	33.96	33.34	22.00	14.27	9.63	32.00	31.54	28.07	22.00	13.98	13.34
13.	जम्मू और कश्मीर	75.00	61.82	51.09	45.00	53.36	44.97	60.00	52.89	41.08	44.96	67.30	53.14	55.00	66.70	57.18	47.81	18.56	5.23
14.	पंजाब	1000.00	1164.09	983.57	1050.00	1185.40	1081.80	1055.00	1083.54	935.03	1125.00	1143.69	1039.42	1000.00	1103.92	971.91	1110.00	948.12	774.74
15.	उत्तर प्रदेश	2225.00	2769.20	2308.88	2730.00	3037.04	2577.22	2400.00	2756.08	2369.32	2700.00	2810.46	2321.60	2410.00	2578.75	2126.01	2248.00	2010.89	1749.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16.	उतरांचल																67.00	47.41	26.97
17.	दिल्ली	13.50	13.22	10.80	30.00	27.99	24.67	13.00	15.27	10.72	20.00	22.93	16.52	10.00	9.52	3.20	20.00	6.47	4.67
18.	बिहार	700.00	924.27	688.82	630.00	787.41	616.99	725.00	861.65	692.11	650.00	796.21	663.56	700.00	823.43	731.02	620.00	655.76	569.66
19.	झारखण्ड																80.00	30.11	15.91
20.	उड़ीसा	325.00	372.00	250.65	145.00	192.76	73.00	300.00	375.85	304.68	120.00	176.91	113.87	360.00	389.59	297.99	140.00	116.38	20.47
21.	वैस्ट बंगाल	460.00	534.25	383.94	600.00	669.70	566.40	450.00	533.61	474.55	675.00	704.88	615.06	470.00	512.24	399.52	690.00	503.40	352.17
22.	असम	50.00	61.85	44.27	50.00	69.54	44.26	60.00	90.82	70.05	65.00	90.42	73.41	90.00	106.17	62.94	82.00	62.47	21.97
23.	मनीपुर	23.00	24.72	22.46	7.50	10.63	8.51	24.00	26.52	25.85	7.50	7.35	7.17	25.00	31.33	30.91	8.50	6.10	4.15
24.	मेघालय	3.00	2.73	2.44	3.00	3.42	2.86	3.00	3.56	3.04	2.75	2.15	1.94	3.00	2.43	2.12	2.75	1.22	0.91
25.	नागालैंड	0.50	0.62	0.08	0.55	1.10	0.00	0.50	1.40	0.00	0.50	0.53	0.00	0.50	1.07	0.02	0.32	0.03	0.03
26.	सिक्किम	0.50	0.55	0.20	0.55	0.93	0.35	0.65	1.18	0.30	0.55	0.61	0.35	0.55	0.60	0.10	0.55	0.20	0.11
27.	त्रिपुरा	12.00	9.30	9.29	13.00	8.13	5.60	10.00	8.06	6.86	13.00	8.43	7.83	13.00	12.49	5.61	16.35	11.38	3.17
28.	अरूणाचल प्रदेश	0.35	0.46	0.01	0.50	0.96	0.09	0.50	1.42	0.03	0.35	0.37	0.08	0.27	0.30	0.02	0.38	0.41	0.26
29.	मिजोरम	0.40	0.73	0.00	0.50	1.28	0.33	0.50	1.45	0.08	0.50	0.55	0.00	0.60	0.70	0.15	0.50	0.09	0.08
30.	अन्य	49.94	33.38	31.59	54.47	31.28	28.21	47.92	13.80	11.50	12.06	13.53	10.58	10.95	11.46	9.89	11.70	8.75	4.99
	अखिल भारतीय	10479.69	11987.92	9875.53	11074.07	12402.05	10390.37	10619.27	12009.99	10214.40	11098.87	11840.36	9996.01	10760.47	11700.12	9894.09	9941.56	8788.63	6735.69

*यूरिया का आकलन खरीफ 99 से प्रारम्भ हुआ।

1998-99, 1999-2000 और 2000-01 (31-3-2001 तक) के दौरान डी.ए.पी. की राज्य-वार आकलित मांग, उपलब्धता और बिक्री

(000 टन)

क्र. सं.	राज्य	खरीफ 1998		रबी 1998-99		खरीफ 1999			रबी 1999-2000			खरीफ 2000			रबी 2000-2001		
		आकलित आक	बिक्री	आकलित आक	बिक्री	आकलित आक	उपलब्ध	बिक्री	आकलित आक	उपलब्धता	बिक्री	आकलित आक	उपलब्धता	बिक्री	आकलित आक	उपलब्धता (31.1.2001)	बिक्री (31.1.2001)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	419.99	399.85	317.90	267.43	440.00	486.97	414.17	300.00	336.23	280.56	450.00	419.02	353.08	325.00	259.06	166.42
2.	कर्नाटक	260.91	258.54	166.75	127.50	280.00	304.57	283.59	85.00	179.03	155.54	300.00	274.01	242.46	140.00	114.40	72.03
3.	केरल	6.66	5.10	6.65	4.56	6.00	6.47	4.47	6.00	4.77	4.02	5.00	6.22	4.20	5.00	4.29	2.28
4.	तमिलनाडु	132.38	106.22	144.48	117.71	110.00	134.88	113.08	120.00	169.32	163.66	120.00	117.55	95.68	140.00	116.25	95.14
5.	गुजरात	318.64	271.89	364.08	296.85	300.00	267.43	244.20	240.00	325.47	296.64	272.00	220.95	172.45	260.00	121.76	44.64
6.	मध्य प्रदेश	304.64	274.41	305.82	239.34	300.00	347.77	269.12	340.00	363.46	232.84	350.00	351.19	244.12	360.00	177.33	95.62
7.	चण्डीगढ़														0.00	2.92	1.00
8.	महाराष्ट्र	303.63	290.09	252.99	213.83	315.00	387.07	312.44	220.00	299.83	256.90	350.00	299.12	210.32	230.00	170.77	72.80
9.	राजस्थान	192.37	162.14	201.44	165.59	210.00	293.45	247.09	200.00	249.70	199.47	260.00	237.62	162.35	210.00	170.23	115.81
10.	गोवा	0.36	0.35	0.38	0.38		0.60	0.60	0.40	0.16	0.16	0.50	0.26	0.26	0.20	0.15	0.11
11.	हरियाणा	195.54	146.42	224.54	206.93	130.00	230.03	176.85	270.00	357.86	316.80	160.00	247.93	163.54	280.0	295.10	240.30
12.	हिमाचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.44	0.00	0.50	0.44	0.44	0.20	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
13.	जम्मू और कश्मीर	19.36	16.37	24.61	20.89	25.00	15.10	14.10	27.33	27.22	23.51	20.00	21.13	18.67	29.23	15.77	10.33
14.	पंजाब	333.97	281.96	361.48	334.72	200.00	437.31	361.67	420.00	375.36	310.90	300.00	427.99	317.81	430.00	295.68	237.11
15.	उत्तर प्रदेश	412.84	273.95	729.75	628.30	425.00	672.50	432.29	700.00	1066.54	944.91	450.00	503.00	242.89	900.00	938.54	746.27
16.	उत्तरांचल														0.00	0.98	0.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17.	दिल्ली	0.77	0.95	1.62	1.62	2.50	3.58	3.58	10.30	4.22	4.22	2.00	0.06	0.06	8.00	0.70	0.68
18.	बिहार	160.08	111.88	216.79	187.62	150.00	240.80	186.67	200.00	238.14	201.95	200.00	199.53	154.89	200.00	186.75	153.22
19.	झारखण्ड														0.00	13.91	8.77
20.	उड़ीसा	65.05	51.08	26.56	15.97	70.00	78.07	69.88	25.00	46.15	26.92	100.00	87.14	67.99	50.00	20.89	5.60
21.	वैस्ट बंगाल	153.53	132.08	286.97	253.33	170.00	211.94	145.95	270.00	309.77	272.99	175.00	142.45	60.80	320.00	228.85	167.14
22.	असम	10.94	7.61	14.59	7.65	20.00	21.17	12.83	15.00	24.28	17.15	37.88	25.20	10.32	34.97	15.65	6.00
23.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.55			4.00			1.50	0.00	0.00
24.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.80			1.00			0.80	0.00	0.00
25.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.49			0.60			0.37	0.00	0.00
26.	सिक्किम*	4.57	4.54	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.46			0.45			0.45	0.35	0.35
27.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00							1.00	0.00	0.00
28.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13			0.05			0.15	0.00	0.00
29.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.65			1.00			0.85	0.00	0.00
30.	अन्य	3.42	2.50	4.63	3.77	6.26	3.48	3.38	4.34	3.88	3.86	4.57	2.96	2.60	5.17	2.86	2.47
	अखिल भारतीय	3299.65	2797.83	3652.43	3093.99	3168.65	4143.63	3295.96	3456.94	4381.82	3713.45	3564.25	3583.37	2524.49	3933.19	3152.58	2245.07

*डो.ए.पी. का आकलन खरीफ 1999 से प्रारम्भ हुआ।

1998-99, 1999-2000 और 2000-01 (31-1-2001) के दौरान एम.ओ.पी. की राज्य-वार आकलित मांग उपलब्धता और बिक्री

(000 टन)

क्र० सं०	राज्य	खरीफ 1998 उपलब्धता	खरीफ 1998 बिक्री	रबी 1998-99 उपलब्धता	रबी 1998-99 बिक्री	खरीफ 1999 आकलित आवश्यकता	खरीफ 1999 उपलब्धता	खरीफ 1999 बिक्री	रबी 1999-2000 आकलित आवश्यकता	रबी 1999-2000 उपलब्धता	रबी 1999-2000 बिक्री	खरीफ 2000 आकलित आवश्यकता	खरीफ 2000 उपलब्धता	खरीफ 2000 बिक्री	रबी 2000-2001 आकलित आवश्यकता	रबी 2000-2001 उपलब्धता	रबी 2000-2001 बिक्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	44.30	43.14	123.81	112.73	80.00	143.03	122.52	115.00	134.96	105.65	125.00	133.04	115.92	120.00	106.41	93.71
2.	कर्नाटक	56.10	53.85	130.82	110.09	135.00	171.39	151.33	95.00	88.60	73.47	145.00	163.14	151.24	100.00	59.09	46.20
3.	केरल	21.52	21.50	67.64	58.47	80.00	84.41	75.42	65.00	73.87	48.80	100.00	67.59	51.68	65.00	43.30	26.90
4.	तमिलनाडु	105.07	99.39	252.03	197.01	160.00	167.58	150.78	184.00	261.30	230.89	160.00	131.09	109.07	215.00	136.04	118.09
5.	गुजरात	43.55	37.31	64.28	55.13	40.00	63.96	38.68	55.00	93.05	63.85	40.00	50.61	36.71	65.00	51.08	27.17
6.	मध्य प्रदेश	20.25	20.14	35.08	27.13	45.00	43.99	33.82	20.00	36.46	24.73	50.00	45.95	35.69	30.00	20.16	5.98
7.	चण्डीगढ़														0.00	0.33	0.28
8.	महाराष्ट्र	67.11	66.39	168.01	131.59	125.00	148.43	123.87	125.0	118.14	106.93	150.00	159.94	130.82	125.00	84.79	56.91
9.	राजस्थान	3.14	2.92	4.02	3.29	4.00	3.37	2.77	4.00	6.01	4.62	4.00	5.72	3.29	5.00	3.44	2.86
10.	गोवा	0.70	0.65	0.61	0.49	0.80	0.53	0.52	0.50	0.27	0.27	0.80	0.46	0.46	0.40	0.13	0.10
11.	हरियाणा	0.94	0.94	5.14	4.65	5.00	5.28	3.99	5.00	6.78	2.63	7.50	14.50	9.17	7.50	6.25	4.36
12.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	3.23	3.23	0.20	0.20	4.00	4.00	2.74	2.74	0.20	0.00	0.00	4.00	2.33	2.33
13.	जम्मू और कश्मीर	0.51	0.51	3.62	3.20	1.50	0.49	0.46	6.69	2.86	0.68	6.00	1.85	0.83	7.10	1.02	0.45
14.	पंजाब	14.88	7.72	27.02	20.52	20.00	35.79	30.58	20.00	12.55	7.78	30.00	39.35	22.01	10.00	18.88	10.45
15.	उत्तर प्रदेश	39.72	25.86	124.16	86.23	60.00	109.17	59.38	90.00	93.54	82.26	65.00	55.07	16.00	90.00	89.87	79.74
16.	उत्तरांचल														0.00	0.41	0.41
17.	दिल्ली	0.49	0.49	0.30	0.30	0.10	0.07	0.07	0.28	0.06	0.06	0.10	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
18.	बिहार	16.03	7.95	87.45	77.80	50.00	55.00	37.23	80.00	77.29	64.15	60.00	43.54	29.74	80.00	69.02	54.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19.	झारखंड																
20.	उड़ीसा	22.23	22.03	51.45	43.57	50.00	49.51	39.52	40.00	41.67	36.77	60.00	43.58	48.37	40.00	13.12	7.20
21.	वैस्ट बंगाल	44.16	34.73	237.31	215.17	120.00	124.06	82.77	225.00	268.00	206.35	100.00	75.46	49.78	225.00	163.56	130.65
22.	असम	3.46	3.42	35.78	28.24	33.00	26.02	18.32	45.00	49.92	42.68	37.20	24.62	10.29	34.34	25.34	9.97
23.	मणिपुर	0.34	0.34	0.00	0.00	1.30	0.05	0.05	0.25	0.00	0.00	2.00	0.02	0.02	1.00	0.00	0.00
24.	मेघालय	0.20	0.20	0.10	0.10	0.25	0.06	0.06	0.25	0.03	0.03	0.21	0.03	0.03	0.25	0.07	0.07
25.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
26.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
27.	त्रिपुरा	0.15	0.15	0.00	0.00	2.30	0.97	0.97	2.50	0.50	0.50	2.80	0.00	0.00	2.57	0.67	0.67
28.	अरूणाचल प्रदेश	0.22	0.22	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
29.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.14	0.14	0.40	0.00	0.00	0.50	0.01	0.01	0.70	0.02	0.02
30.	अन्य	2.99	2.98	3.46	2.58	23.71	3.72	3.26	3.44	4.53	4.13	3.41	2.65	2.32	4.45	2.87	2.06
कुल (राज्य)		508.06	452.83	1425.32	1181.52	1037.52	1237.22	976.71	1186.62	1373.13	1109.97	1150.03	1063.22	818.45	1233.04	898.20	681.23

सैंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल आर्गेनाइजेशन

2389. श्री ए० नरेन्द्र : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने भारत में निर्मित औषधियों के हानि रहित होने और उनकी गुणवत्ता तथा प्रभोवोत्पादकता पर निगरानी रखने के लिए अमरीकी एफ डी ए तर्ज पर 'सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल आर्गेनाइजेशन' की स्थापना करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा इसे सभा के पटल पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

दिल्ली में मेट्रो रेल परियोजना

2390. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में सरकार को कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में घाटा

2391. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री संदर लाल तिवारी :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में लगातार घाटा हुआ है और इसे कितना घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को इसे सहकारिता के आधार पर चलाने की अनुमति देने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय इस्पात निगम लि० को हुई हानि निम्नानुसार है :-

वर्ष	करोड़ रुपए
1997-98	176.73
1998-99	457.00
1999-2000	561.00

हानि मुख्यत: ब्याज और मूल्यह्रास, जिन्हें कंपनी को अपनी स्थापना के समय से ही वहन करना पड़ा है, के संबंध में उच्च संबद्ध पूंजी-प्रभार, हाल में इस्पात बाजार में मंदी और निर्यात बाजार में कम मूल्यों के कारण हुई है।

(ग) से (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

कोयला खान भविष्य निधि कार्यालयों का स्थानान्तरण

2392. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा कोयला खान भविष्य निधि क्षेत्रीय कार्यालयों का स्थानान्तरण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्रीय कार्यालय-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (ग) जी, हां। कोयला खान भविष्य निधि के क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद को गोदावरी खानी, करीमनगर स्थानान्तरित किए जाने का प्रस्ताव है। किन्तु, इसे अभी तक मूर्त रूप नहीं दिया जा सका है, चूंकि यह मामला माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद के

निर्णयाधीन है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, कोयला खान भविष्य निधि संगठन के अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों को स्थानान्तरित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आवास क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2393. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आवास क्षेत्र में विभिन्न सुधारों यथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इत्यादि के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) मौजूदा नीति के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय/मूल के प्रवासियों और ऐसे विदेशी निगमित निकायों (ओसीबी) जिनका स्वामित्व मुख्यत: भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के प्रवासियों के पास है और यदि वे प्रवासी इन निकायों में कम से कम 60% लाभकारी हिस्सा रखते हैं, तो उन्हें आवास और स्थावर संपदा विकास क्षेत्र में निवेश करने की अनुमति है। सरकार ने नीति के और अधिक उदारीकरण के संबंध में अलग-अलग पक्षों से प्राप्त विभिन्न सुझावों की ध्यानपूर्वक जांच की और यह निष्कर्ष निकाला कि आवास और स्थावर संपदा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में और अधिक उदारीकरण करने का समय अभी नहीं आया है।

महानदी कोलफील्ड्स लि॰ में सामुदायिक विकास योजना

2394. श्री भर्तृहरि महताब : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में महानदी कोलफील्ड्स लि॰ द्वारा चलाई जा रही कोयला खानों के 10 कि॰मी॰ की परिधि में विकास के लिए किन-किन गांवों का चयन किया गया है;

(ख) क्या महानदी कोलफील्ड्स लि॰ द्वारा इन गांवों की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर अब तक परियोजना-वार कितना खर्च किया गया है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में इन खानों के खनन तथा विकास हेतु कितनी राशि स्वीकृत तथा उपयोग की गई?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) एम॰सी॰एल॰ द्वारा उसकी कोयला खानों के 10 किलोमीटर की परिधि में किसी विशिष्ट गांव का चयन नहीं किया गया है। परन्तु, सामुदायिक विकास पेरिफेरल विकास कार्यक्रम के तहत जो भी सामुदायिक विकास के कार्य किए जाते हैं, सामान्य रूप से पेरिफेरल विकास समिति की सिफारिशों पर कोयला खानों के 8 किलोमीटर की परिधि के अंदर किए जाते हैं।

(ख) समस्त प्राथमिक आवश्यकताओं पर विचार नहीं होता परन्तु पेरिफेरल विकास समिति की सिफारिशों पर कुछ आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है और यह उस वर्ष के ऐसे शीर्ष में निर्धारित बजट के भीतर निधि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वित्तीय वर्ष में कोलफील्ड-वार और एम॰सी॰एल॰ मुख्यालय में किया गया व्यय नीचे दिए अनुसार है :-

(रु॰ लाख में)

कोयला खान क्षेत्र का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
वसुन्धरा	113.48	120.01	76.66	36.69
तालचर	171.04	174.39	164.26	134.71
ईब-वैली	159.98	120.17	12.94	49.29
एम॰सी॰एल॰ मुख्यालय	86.81	78.83	36.06	52.37
योग	531.31	493.40	289.92	273.06

(घ) पिछले तीन वर्षों की अवधि में तथा वर्तमान वर्ष में इन खानों के खनन कार्य एवं विकास हेतु स्वीकृत की गई और खर्च हुई राशि नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार है :-

(रु. करोड़ में)

1997-98		1998-99		1999-2000		2000-2001 जनवरी, 2001 तक	
बजट	वास्तविक	बजट	वास्तविक	बजट	वास्तविक	बजट	वास्तविक
240.60	75.33	266.89	263.28	233.37	292.99	128.09	101.21

[हिन्दी]

औषध विनिर्माण कंपनियों को लाइसेंस

2395. डा० सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उदारीकृत औद्योगिक नीति की घोषणा के पश्चात् देश में औषधि विनिर्माण कंपनियों को लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को उदार/सरल तथा पारदर्शी बनाने के लिए कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उसके परिणामस्वरूप इस उद्योग में कितनी नई स्वदेशी कंपनियों ने प्रवेश किया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) से (घ) वर्तमान औषध नीति उपबंधों के अंतर्गत औषध नियंत्रक (भारत) द्वारा स्वीकृत सभी प्रपुंज औषधों तथा उनके सभी मध्यवर्तियों के औद्योगिक लाइसेंस समाप्त कर दिए गए हैं। इनमें कुछ प्रपुंज औषधों जिनका उत्पादन रिकम्बिनेट डी०एन०ए० टेक्नालॉजी के प्रयोग द्वारा किया जाता है और ऐसे प्रपुंज औषधें जिनमें न्युक्लिक एसिड का इन्विवा प्रयोग सक्रिय सिद्धांतों के रूप में अपेक्षित होता है, शामिल नहीं है। विशिष्ट सैल/टिश्यु लक्षित सूत्रयोगों को छोड़कर सूत्रयोगों के लिए भी लाइसेंस समाप्त कर दिया गया है। इन उदारीकृत प्रावधानों से अनेक कंपनियों को भेषज सेक्टर में इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिला है।

राजस्थान में शहरी विकास योजनाएं

2396. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष केन्द्र सरकार को राज्य के शहरी विकास हेतु राजस्थान सरकार से प्राप्त योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके लिए योजना-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या विश्व बैंक इस संबंध में वित्तीय सहायता प्राप्त करने पर सहमत हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके अंतर्गत शामिल किये गये कस्बों/शहरों के ब्यौरे सहित विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित की जाने वाली प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम और छोटे तथा मझौले कस्बों का एकीकृत विकास स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत स्कीमों का ब्यौरा विवरण । और ॥ में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त पिछले तीन वर्षों के दौरान हडको द्वारा राजस्थान को स्वीकृत अवस्थापना स्कीमों का ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

हडको द्वारा यथा सूचित एकीकृत कम लागत सफाई स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत ऋण और जारी राशियां इस प्रकार है :-

(लाख रु० में)

वर्ष	परियोजना	ऋण राशि	सब्सिडी
1998-99	386.60	0.00	195.66
1999-2000	0.00	0.00	0.00
2000-2001	0.00	0.00	0.00

हडको में प्रक्रियाधीन दो शहरी अवस्थापना स्कीमों का ब्यौरा विवरण-IV में है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत/वापस की गई स्कीमों के ब्यौरों का विवरण

वर्ष	प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित परियोजना संख्या	वापस की गई परियोजनाओं की संख्या	जारी केन्द्रीय राशि (लाख रुपये में)	टिप्पणियां
1998-99	6	6	—	324.81	—
1999-2000	—	—	—	—	पी०एच०ई०डी० राजस्थान सरकार द्वारा कोई परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।
2000-2001	9	9	—	306.74	—

विवरण-II

छोटे तथा मझौले कस्बों का एकीकृत विकास स्कीम में अंतर्गत शामिल कस्बों और जारी राशि के ब्यौरों का विवरण

वर्ष	शामिल कस्बों की संख्या	जारी केन्द्रीय राशि (लाख रुपये में)
1998-99	8	187.31
1999-2000	3	92.00
2000-2001	3	110.00

विवरण-III

शहरी अवस्थापना वित-राज्य सार
1.4.98 से 31.3.99 तक स्वीकृति एवं जारी का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र॰ सं॰	स्वीकृति तिथि	स्कीम का नाम	एजेंसी का नाम	स्कीम का प्रकार	परियोजना लागत	ऋण राशि	जारी ऋण	स्वीकृति के बाद का समय	अंतिम जारी के बाद का समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राज्य राजस्थान									
1.	25.7.98	हनुमानगढ़ में ड्रेनेज स्कीम	नगरपालिका हनुमानगढ़	ड्रेनेज	1844.80	419.80	76.92	1	
2.	28.7.98	जयपुर में मुख्य नालों का कंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग	नगर निगम जयपुर	ड्रेनेज	1537.31	925.00	61.00	8 माह	5 माह
3.	28.7.98	जयपुर में सीवरेज स्कीम	नगर निगम जयपुर	सीवरेज	3196.85	1820.00	1500.00	4 माह	
4.	18.11.98	जयपुर में 38 पुलिस स्टेशन का निर्माण	राजस्थान स्टेट ब्रिज एंड कंस्ट. कार्पो. लि.	सामाजिक अवस्थापना	2585.06	1687.28	465.99	4 माह	
5.	18.11.98	जोधपुर में 14 पुलिस स्टेशन का निर्माण	राजस्थान स्टेट ब्रिज एंड कंस्ट. कार्पो. लि.	सामाजिक अवस्थापना	952.36	621.60	62.77	4 माह	
6.	18.11.98	उदयपुर में 15 पुलिस स्टेशन का निर्माण	राजस्थान स्टेट ब्रिज एंड कंस्ट. कार्पो. लि.	सामाजिक अवस्थापना	1020.32	666.00	67.23	4 माह	
7.	18.11.98	बीकानेर में 13 पुलिस स्टेशन का निर्माण	राजस्थान स्टेट ब्रिज एंड कंस्ट. कार्पो. लि.	सामाजिक अवस्थापना	884.33	577.20	58.27	4 माह	
8.	18.11.98	कोटा में 20 पुलिस स्टेशन का निर्माण	राजस्थान स्टेट ब्रिज एंड कंस्ट. कार्पो. लि.	सामाजिक अवस्थापना	1368.57	888.00	89.64	4 माह	
9.	24.3.99	अलवर, राजस्थान के लिए कचरा प्रबंधन स्कीम	नगर परिषद अलवर	ठोस कचरा प्रबंधन	85.25	59.50	0.00		
	राज्य योग				12666.85	7663.50	2381.82		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1.4.99 से 31.3.2000 तक स्वीकृति एवं जारी का ब्यौरा					
1.	20.9.99	सद्भावना नगर, श्रीगंगा नगर में शहरी जल आपूर्ति स्कीम	यूआईटी श्री गंगा नगर	जलापूर्ति	52.35	31.44	0.00	6 माह	—
2.	18.11.99	चाणक्यपुरी नई दिल्ली में राजस्थान राज्य अतिथि गृह का निर्माण	राजस्थान स्टेट ब्रिज एंड कंस्ट. कार्पो. लि.	सामाजिक अवस्थापना	712.54	470.00	366.48	4 माह	
3.	5.1.2000	राजस्थान में पावर सेक्टर में अवस्थापना गतिविधियों के लिए लाइन आफ क्रेडिट	राजस्थान स्टेट ब्रिज एंड कंस्ट. कार्पो. लि.	विविध	20000.00	20000.00	2000.00	1	सी
				1.4.2000 से 31.1.2001 तक स्वीकृति एवं जारी का ब्यौरा					
1.	30.11.2000	ट्रांसमिशन ऑफ पावर के के लिए अवस्थापना के उन्नयन के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.	क्षेत्र विकास	12488.00	10000.00	10000.00	1	सी

विवरण-IV

प्रक्रियाधीन शहरी अवस्थापना स्कीम

क्र. सं.	यूआईपी/प्राप्ति की तिथि	स्कीम का नाम	एजेंसी का नाम	परियोजना लागत	ऋण राशि	ताजा स्थिति/की गई कार्रवाई
क्षेत्रीय कार्यालय का नाम : जयपुर क्षेत्र राज्य : राजस्थान						
1.	—	सड़क निर्माण को मजबूत किया जाना (पीबीआई)	—	0.00	600.00	—
2.	—	जयपुर शहरी के लिए जल आपूर्ति स्कीम के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट (पीबीआई)	—	110000.00	38000.00	मूल्यांकन के अधीन
राज्य योग				110000.00	38600.00	
कुल योग				110000.00	38600.00	

पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता संबंधी योजनाओं के लिये धनराशि

2397. श्री सुन्दर लाल तिवारी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 से आज की तिथि तक मंत्रालय को देश में पेयजल की आपूर्ति और स्वच्छता योजनाओं के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई और उक्त अवधि के दौरान इस पर कितनी धनराशि व्यय हुई; और

(ख) प्रथम दस महीनों और प्रत्येक वर्ष के अंतिम दो महीनों के दौरान कितनी धनराशि व्यय हुई?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) यह मंत्रालय दो केन्द्र प्रवर्तित स्कीमों अर्थात् शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) और कम लागत सफाई योजना (एलसीएस) का कार्यान्वयन कर रहा है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार, 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों में जल आपूर्ति स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु ए॰यू॰डब्ल्यू॰एस॰पी॰ के तहत केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा 50 : 50 के आधार पर धनराशि मुहैया कराई जाती है।

कम लागत सफाई स्कीम (एल॰सी॰एस॰) के तहत दो गड्ढे वाले जलवाही शौचालयों का निर्माण किया जाता है, जहां ऐसे शौचालय नहीं हैं तथा शुष्क शौचालयों को जलवाही शौचालयों में बदला जाता है। यह स्कीम आवास एवं नगर विकास निगम (हडको) के जरिये इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। भारत सरकार की सब्सिडी और हडको ऋण हडको द्वारा राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को, उपयोगता प्रमाण-पत्र और पहले से मंजूर स्कीमों की प्रगति प्रस्तुत करने के आधार पर जारी किया जाता है।

वर्ष 1996-97 से इन दो स्कीमों के तहत जारी धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए॰यू॰डब्ल्यू॰एस॰पी॰)

वर्ष	आवंटन	प्रथम दस महीनों में जारी	अंतिम 2 महीनों में जारी
		(लाख रुपयों में)	
1996-97	2013.00	717.50	1295.50
1997-98	2795.00	1308.41	1486.59
1998-99	4000.00	2182.96	1817.04
1999-2000	6500.00	3130.02	3369.98
2000-2001	6400-00	1939-43	4460.57

कम लागत सफाई स्कीम (एल॰सी॰एस॰)

वर्ष	आवंटन	हडको को प्रथम दस महीनों में जारी	हडको को अंतिम 2 महीनों में जारी
		(लाख रुपयों में)	
1996-97	1380.00	–	–
1997-98	2680.00	1380.00	1300.00
1998-99	2380.00	2000.00	380.00
1999-2000	2735.00	–	2735.00
2000-2001	2980.00	–	1162.00 (28.2.2001 तक)

हरियाणा में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का पुनर्वास

2398. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से स्थानान्तरित किये गये प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों की सरकारें अपने यहां बसा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि तक दिल्ली से प्रदूषण फैलाने वाले कितने उद्योग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, विशेषकर हरियाणा में स्थानान्तरित हो गये हैं;

(ग) इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों विशेषकर हरियाणा ने केन्द्र सरकार से किस प्रकार की सहायता मांगी है;

(घ) क्या इस कार्य हेतु इन राज्यों द्वारा मांगी गई सहायता इन्हें उपलब्ध करा दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल रिट याचिका संख्या 4677/1985, एम०सी० मेहता बनाम भारत संघ में अपने विभिन्न आदेशों के जरिये दिल्ली के गैर मंजूर शुदा क्षेत्रों में प्रदूषणकारी उद्योगों को बंद करने का निर्देश दिया है। शहरी विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों अर्थात् हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में विकसित औद्योगिक परिसरों में, जहां खाली प्लाट थे, कुछेक औद्योगिक इकाइयों के स्वैच्छिक पुनर्वास में सुविधा दी है।

(ख) हरियाणा के विभिन्न औद्योगिक परिसरों में अब तक कुल 1218 प्लाट आबंटित किए गए हैं, जिनमें से 1020 प्लाट दिल्ली से

हटाए उद्योगों को दिए गए हैं। इनमें से 98 उद्योगों का औद्योगिक क्रियाकलाप प्रदूषण प्रकृति का है और 916 उद्योगों का क्रियाकलाप गैर प्रदूषण प्रकृति का है। 6 इकाइयों की स्थिति स्पष्ट नहीं है।

(ग) से (च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों को दी गई मदद अवस्थापना विकास के लिए ऋण के रूप में है। बोर्ड संगत सेवा-सुविधाओं सहित औद्योगिक परिसरों के सृजन में सहयोग के साथ-साथ सदस्य राज्यों को वित्तीय सहायता देने के अलावा, अवस्थापन विकास में सुविधाता की भूमिका भी निभा रहा है।

हरियाणा सरकार ने इन इलाकों में अवस्थापना विकास हेतु अनुदान/वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के इलाकों को इस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की मार्फत सहायता दी जाती हैं। बोर्ड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सदस्य-राज्यों को प्रदत्त सहायता के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

(करोड़ रुपये में)

राज्य	स्कीमें	अनुमानित लागत	मंजूर ऋण	जारी ऋण
उत्तर प्रदेश	55	1269.59	663.61	348.78
राजस्थान	45	375.54	196.69	134.25
हरियाणा	34	1735.62	612.38	408.99
सीएमए	—	433.80	54.00	34.74
कुल	138	3814.53	1526.68	926.76

इस वित्तीय सहायता से निम्नलिखित अवस्थापनाओं के सृजन में मदद मिली है :-

उप क्षेत्र	रिहायशी प्लाट/फ्लैट	वाणिज्यिक क्षेत्र/दुकानें	औद्योगिक शेड/प्लाट
हरियाणा	26000	3000	2500
राजस्थान	24000	4700	1000
उत्तर प्रदेश	64000	9500	6600
कुल	114000	17200	10100

दिल्ली के गैर मंजूरशुदा क्षेत्र के उद्योगों को हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के विकसित औद्योगिक परिसरों में, जहां पर विकसित औद्योगिक प्लाट खाली थे, पुनः स्थापित किया गया है।

[अनुवाद]

दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद्

2399. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद् प्रशासन, पश्चिम बंगाल सरकार और केन्द्र सरकार ने पर्वतीय परिषद् समझौते की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों में बढ़ती क्षेत्रीय आर्थिक असमानता और विघटनाकारी ताकतों की गतिविधियों से अवगत है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या किये जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) 1988 के समझौता ज्ञापन (दार्जिलिंग समझौता) और अन्य विकासात्मक मुद्दों के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा करने के लिए भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और दार्जिलिंग गोरखा स्वायत्त पर्वतीय परिषद (डी जी ए एच सी) के प्रतिनिधियों के बीच दिनांक 7.2.2001 को एक त्रीपक्षीय बैठक थी यह उभर कर आया कि अभी कुछ मुद्दों पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई पूरी की जानी है डी जी ए एच सी को छठी अनुसूची में शामिल करने पर भी विचार-विमर्श किया गया।

(ग) और (घ) उत्तरी बंगाल क्षेत्र में कुछ संगठनों की आतंकवादी गतिविधियों की रिपोर्टें ध्यान में आई है। सरकार, आतंकवादी/तोड़फोड़ की गतिविधियों के बारे में राज्य सरकारों और संबंधित एजेंसियों को नियमित रूप से सुग्राही बनाती रही है। नियमित आधार पर आसूचना का आदान-प्रदान किया जाता है और राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर और आवश्यकतानुसार केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों को तैनात करके सहायता की जाती है।

कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण

2400. श्री नरेश पुगलिया :
श्री विनय कुमार सोराके :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था;

(ख) इसके राष्ट्रीयकरण के क्या कारण थे;

(ग) क्या कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण का मुख्य कारण खानों की सुरक्षा था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) किस सीमा तक इन लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है;

(च) कोयला खानों में इनके राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं;

(छ) क्या खान दुर्घटनाओं में कोई कमी नहीं आई है;

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(झ) ऐसी प्रत्येक खान दुर्घटना में कितने खान श्रमिक मारे गये?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) देश में कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण दो चरणों में किया गया। 1971-72 में कोकिंग कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया और उसके पश्चात् 1972 में नॉन-कोकिंग कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण के प्रमुख कारण निम्न थे:-

(i) निजी कोयला खानों में अवैज्ञानिक खनन प्रथा होना;

(ii) खानों के प्राइवेट मालिकों द्वारा अपर्याप्त पूंजी निवेश करना; और

(iii) ऐसी खानों में कोयला श्रमिकों के कार्य की खराब दशा होना।

(ग) और (घ) कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के कारणों में से खानों की सुरक्षा एक थी, केवल यही कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण का कारण नहीं था।

(ङ) राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कोल इंडिया लि० में कोयले का उत्पादन 77 मिलियन टन से बढ़कर 1999-2000 में 260.58 मिलियन टन हो गया है तथा उत्पादकता राष्ट्रीयकरण के समय की प्रति मैनशिफ्ट (ओ.एस.एस.) के 0.58 टन के उत्पादन से बढ़कर 1999-2000 में प्रति ओ.एम.एस. 2.11 टन हो गया है। कोयला क्षेत्र में निवेश पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है तथा कोयला खानों में घातक दुर्घटनाओं की संख्या 1975 के 177 के स्तर से घटकर 2000 में 79 रह गई है और सांघातिकताएं भी 1975 के 223 से घटकर 2000 में 99 हो गई हैं।

(च) 1975 से जब कोल इंडिया लि० का गठन किया गया था, विभिन्न कोयला खानों में हुई प्राणघातक दुर्घटनाओं की संख्या और ऐसी दुर्घटनाओं में मारे गए खनिकों की संख्या नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार है :-

वर्ष	प्राणघातक दुर्घटनाओं की संख्या	मृत खनिकों की संख्या
1	2	3
1975	177	233
1976	177	249
1977	177	197
1978	179	154
1979	114	147
1980	112	129
1981	127	145
1982	123	148
1983	127	160
1984	123	134
1985	136	152
1986	133	154
1987	130	141
1988	137	151
1989	131	150
1990	121	135
1991	115	120
1992	131	150
1993	118	132
1994	113	186
1995	113	192
1996	96	110
1997	99	111
1998	91	104
1999	94	103
2000	79	99
योग	3273	3886

टिप्पणी : आंकड़े खान सुरक्षा महानिदेशालय (डी जी एम एस) के समाधान के अध्यधीन है।

(छ) 1975 में, जब सी.आई.एल. का गठन किया गया था, प्राणघातक दुर्घटनाओं की संख्या में गिरावट आई है जैसाकि भाग (च) में दी गई सारणी से स्पष्ट है, प्राणघातक दुर्घटनाओं की संख्या 1975 के 177 से घटकर 2000 में 79 हो गई है।

(ज) ऊपर भाग (छ) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(झ) 1975 और 2000 के बीच हुई प्राणघात दुर्घटनाओं में मारे गए खनिकों की संख्या 3886 है जिसका ब्यौरा ऊपर भाग (च) के उत्तर में दिया गया है।

प्लास्टिक उद्योग का पुनर्वास

2401. श्री पी॰डी॰ एलानगोवन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्लास्टिक उद्योग के पुनर्वास हेतु कोई योजना तैयार की जा रही है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत पांच वर्षों और आज की तिथि तक के दौरान इस कार्य हेतु राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गयी और प्रयोग में लाई गई,

(घ) सरकार द्वारा पुनः प्रयोज्य प्लास्टिक के उद्योग को बढ़ावा देने हेतु शुरु की गई विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण की सुरक्षा और इसे लाभ पहुंचाने हेतु राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ङ) क्या सरकार का विचार पुनः प्रयोज्य प्लास्टिक के उपयोग और उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु राज्यों की ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए तकनीकी और वित्तीय दोनों प्रकार की अतिरिक्त सहायता प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) से (च) स्वदेशी प्लास्टिक उद्योग का 14 से 15% की दर से विकास हो रहा है, जो समस्त घरेलू उत्पाद की विकास दर के दोगुने से भी अधिक है। प्लास्टिक की वर्तमान खपत 4 मिलियन टन से अधिक है, जिसमें से पुनः प्रयोग वाली प्लास्टिक की खपत एक मिलियन टन से अधिक होने का अनुमान है। देश में प्लास्टिक उद्योग की उच्च वृद्धि दर पर विचार करत हुए उद्योग के पुनर्वास के लिए कोई योजना तैयार करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई है। अतः तकनीकी और वित्तीय सहायता के लिए कोई संवर्धनात्मक योजना सरकार द्वारा तैयार नहीं की गई है।

दिल्ली में आत्महत्या के मामले

2402. श्री विजय गोयल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में आत्महत्या के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और आज तक कितने मामले दर्ज किये गये;

(ग) क्या सरकार ने समाज में बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं के कारणों को जानने हेतु कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच॰ विद्यासागर राव) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	आत्महत्या के मामलों की संख्या
1998	665
1999	834
2000	841

(ग) से (ङ) वर्ष 1998 में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट से पता चलता है कि आत्महत्या के मुख्य कारणों में बीमारी, परिवारिक समस्याएं, असफल प्रेम संबंध, गरीबी, दहेज विवाद, अवैध संबंध और दिवालियापन आदि शामिल हैं। यह अनिवार्यतः एक सामाजिक समस्या है और इसे इसी रूप में देखा जाना चाहिए।

विद्यालय के पाठ्यक्रम में सूचना प्रौद्योगिकी

2403. श्री सनत कुमार मंडल :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री एम॰वी॰वी॰एस॰ मूर्ति :
प्रो॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :
श्री शिवाजी माने :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विद्यालयों के पाठ्यक्रम में सूचना प्रौद्योगिकी को शामिल करने का है;

(ख) क्या एन॰सी॰ई॰आर॰टी॰ ने विद्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी के लिये पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम निर्देशिका प्रकाशित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके कब तक कार्यशील हो जाने की संभावना है;

(ङ) इस कार्य हेतु कितने विद्यालयों का चयन किया गया है और इस कार्य हेतु माध्यमिक विद्यालयों में इसके व्यय को वहन करने के लिये वित्तीयस्वरूप क्या होगा;

(च) क्या राज्य सरकारें इस कार्यक्रम को शुरू करने पर सहमत हो गई हैं; और

(छ) यदि हां, तो इस कार्यक्रम में राज्य सरकारों की क्या भूमिका है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने स्कूल शिक्षा-2000 के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा नामक अपने दस्तावेज में यह प्रस्ताव किया है कि जहां तक संभव हो स्कूल स्तर पर सम्बद्ध विषयों को प्रभावी रूप से पढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाए। इस दस्तावेज में स्कूली शिक्षा के किसी भी स्तर पर एक स्वतंत्र विषय के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी को शामिल नहीं किया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) दस्तावेज में निम्नलिखित हैं :-

1. विभिन्न स्कूल स्तरों अर्थात् प्राइमरी, मिडिल तथा सैकेन्डरी में सूचना प्रौद्योगिकी की सक्षमताओं तथा मूल्यांकन पर एक समीक्षा।
2. दसवीं कक्षा के अन्त में संभावित सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमता स्तर।
3. सूचना प्रौद्योगिकी टूल, आवश्यक शिक्षक सक्षमताएं तथा विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए विशेष प्रावधान।
4. तीन स्कूल स्तरों अर्थात् प्राइमरी, मिडिल तथा सैकेन्डरी के लिए पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या विषयों के अध्ययन में सूचना प्रौद्योगिकी दक्षताओं के समेकन के लिए सुझाव।

(घ) से (छ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् इस पाठ्यचर्या के आधार पर (प्राइमरी, मिडिल तथा सैकेन्डरी) बच्चों के लिए कार्य-पुस्तिका तैयार कर रही है। यह कार्य-पुस्तिकाएं इस वर्तमान कैलेन्डर वर्ष के अन्त से पहले ही उपलब्ध करा दी जाएगी।

शिक्षा के अन्य क्षेत्रों की तरह से ही सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा सहित स्कूल शिक्षा एक समवर्ती विषय है और जिसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्यों/संघ शासित प्रशासनों की भी है।

अपने पाठ्यक्रमों तथा पाठ्यचर्या सामग्री को तैयार करने के लिए इन पाठ्यचर्या रूपरेखाओं को स्वीकार करने तथा अपनाने के लिए राज्यों को स्वतंत्रता है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग आयोग

2404. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी॰ मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री जी॰एस॰ बसवराज :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग आयोग गठित किए जाने के लिए कर्नाटक सरकार को अपनी सहमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह आयोग अपने लक्ष्यों की प्राप्ति किस सीमा तक कर पाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

हिरासत में हुई मौतों के संबंध में सूचना

2405. श्रीमती जयाबहन बी॰ ठक्कर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गृह सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि हिरासत में हुई मौतों के बारे में आयोग को सूचना देने के संबंध में यह पाया गया है कि आयोग को दो माह के भीतर वीडियोग्राफी और जिला दंडाधिकारी की जांच रिपोर्ट सहित शव परीक्षा रिपोर्ट भेजने में अत्याधिक विलम्ब हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच॰ विद्यासागर राव) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन एच आर सी) ने, हिरासत में हुई मौतों के मामलें में निर्धारित समय-सीमा के भीतर वीडियोग्राफी के साथ-साथ शव परीक्षा और मैजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट को भेजने में विलंब से बचने के लिए कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के गृह सचिवों को अपने दिनांक 3 जनवरी, 2001 के पत्र के माध्यम से लिखा है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के उपर्युक्त पत्र पर आवश्यक कार्रवाई करने का काम राज्य सरकारों का है।

[हिन्दी]

उर्वरक-उद्योग पर कृतिक-बल

2406. **कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :**
श्री चिंतामन वनगा :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित कृतिक-बल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बल के सदस्यों के नाम सहित इसके निदेश पद क्या हैं;

(ग) क्या कृतिक-बल द्वारा की गई सिफारिशों को लागू कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कोयला आधारित नाइट्रोजनी उर्वरक का उत्पादन करना भी इन सिफारिशों में शामिल है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या आर्थिक उदारीकरण के चलते विश्व व्यापार संगठन के साथ किए गए समझौते के परिणामस्वरूप, घरेलू उर्वरक उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ज) यदि हां, तो घरेलू उर्वरक उद्योग का संरक्षण करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) और (ख) सरकार ने उर्वरक क्षेत्र के लिए कोयले पर आधारित प्रौद्योगिकी की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, भारतीय उर्वरक संघ, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि० के प्रतिनिधियों वाला एक कृतिक बल उर्वरक विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित किया है।

कृतिक बल के विचारार्थ उर्वरक क्षेत्र में प्रयोग हेतु कोयला और बैड मिथेन के प्रयोग की सम्भावनाओं का पता लगाने, कोयले पर आधारित क्षमता वृद्धि के विकास हेतु नीति तथा कार्य योजना तैयार करने और आर एण्ड डी के विकास के लिए अपेक्षित प्रोत्साहनों की जांच करने तथा कोयले पर आधारित प्रौद्योगिकी की आर एण्ड डी क्रियाकलापों के वित्त पोषण के लिए निधि सृजित करने की सम्भावनाओं का पता लगाना शामिल है।

(ग) से (च) कृतिक बल को अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

(छ) और (ज) उर्वरक क्षेत्र में उदारीकरण 1992-93 में आरम्भ हुआ जब पोटाशिक और फॉस्फेटिक उर्वरक नियंत्रणमुक्त कर दिए गए तथा इसके आयात 17.9.1992 से असरणीबद्ध कर दिए गए। तब से, कई अन्य उर्वरकों पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटा लिए गए हैं और इस वजह से अब तक स्वदेशी उर्वरक उद्योग पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव की रिपोर्ट नहीं आई है। तथापि, भारत ने 1979 में डीएपी पर 5% की प्रतिबंधित टैरिफ दर लगा दी गई थी। इस प्रतिबन्धित दर को एक तरफा रूप से नहीं बढ़ाया जा सकता है। सरकार अधिकतम खुदरा मूल्य दर्शाती है तथा रियायत स्कीम के अन्तर्गत स्वदेशी और आयातित डीएपी के लिए रियायत की दरों का निर्धारण करती है। घरेलू उद्योग को रियायत की उच्च दर प्रदान की जाती है क्योंकि कच्चे मालों की अनुपलब्धता की वजह से पंगुवह हो जाती है। वर्तमान में, यूरिया एक मात्र उर्वरक है जो सांविधिक मूल्य, संचलन और वितरण नियंत्रण के अधीन हैं और जिसका आयात स्वदेशी उपलब्धता और मांग के अंतर को पूरा करने के लिए सरकारी खाते में किया जाते हैं।

यूरिया से मात्रात्मक प्रतिबन्ध 1.4.2001 से उठा लिए जाएंगे। यूरिया पर से मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटाने से कुछेक परेशानियां अवश्य होंगी क्योंकि यह नियंत्रित उर्वरक हैं तथा वर्तमान में इनके आयात सरकारी खाते में जाते हैं। इसलिए, सरकार ने यूरिया जो कि एक प्रतिबंधित मद है पर बाउंड दर पर सिफारिश करने के साथ एक कृतिक बल की स्थापना की थी। कृतिक बल की सिफारिशें सरकार द्वारा उर्वरकों के आयात पर टैरिफ लगाने और/अथवा अन्य ऐसे ही उपाय जो कि आवश्यक हों के साथ-साथ आगामी कार्रवाई का आधार तैयार करेगी।

औषधियों और उनकी निर्माण विधि का विनियंत्रण

2407. **श्री रामजीलाल सुमन :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उदारीकरण के अंतर्गत नई औद्योगिक निति की घोषणा के पश्चात् अभी तक सरकार द्वारा कुल कितनी औषधियों और उनकी निर्माण विधियों का विनियंत्रण किया गया है; और

(ख) उनके विनियंत्रण के पश्चात् इन निर्माण विधियों के अंतर्गत उत्पादित औषधियों की कीमतों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1987 के अन्तर्गत 142 प्रपुंज औषध

और सूत्रयोग और उन पर आधारित सूत्रयोग मूल्य नियंत्रण के अधीन थे। 6.1.1995 को घोषित औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के अन्तर्गत 74 प्रपुंज औषधें और उन पर आधारित सूत्रयोग अभी मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत हैं।

(ख) ओ आर जी-एम ए आर जी, डाटा के आधार पर राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने, दिसम्बर, 1994 और दिसम्बर, 1999 की अवधि में नियंत्रण मुक्त औषधों पर आधारित 41 दवाइयों सहित 300 टॉप दवाइयों की कीमतों में ट्रेन्ड से सम्बन्धित नमूना अध्ययन किया। 41 नियंत्रण मुक्त दवाइयों में से 5 दवाइयों की कीमतों में 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष से कम बढ़ोतरी हुई (वार्षिक), 15 दवाइयों की कीमतें 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत (वार्षिक) के बीच बढ़ी, 18 दवाइयों की कीमतों में 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत (वार्षिक) वृद्धि हुई और 3 दवाइयों में 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत प्रतिवर्ष (वार्षिक) तक वृद्धि हुई।

[अनुवाद]

वाहन चोरी के मामले

2408. श्री पुष्प जैन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में वाहन चोरी के मामलें में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998-1999, 2000 और 2001 के दौरान आज तक ऐसे कितने मामले दर्ज किये गये/सुलझाये गए;

(ग) क्या दोषियों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस के प्रयास अप्रभावकारी रहते हैं; और

(घ) यदि हां, तो भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) वाहन-उठाने वालों की गतिविधियों से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में, प्रत्येक जिले में वाहन चोरी दस्ते बनाना, सीमाओं पर चैक पोस्ट बनाना, वाहन चोरी के मामलों में पहले संलिप्त अपराधियों पर निगरानी रखना, वाहन उठाईगिरों के संगठित गिरोहों के बारे में आसूचना एकत्र करने के लिए सादे कपड़ों में पुलिस कार्मिक को तैनात करना, पार्किंग क्षेत्रों के नजदीक मोटर साईकल गश्त गहन करना और पड़ौसी राज्यों के साथ सूचना का आदान-प्रदान करना सम्मिलित है।

विवरण

वर्ष	सूचित मामले	रद्द किए गए	हल किए गए	चालान किए गए	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
1999	8078	217	1863	870	3183
2000	8043	156	1596	551	2483
2001 28.2.2001 तक	1375	12	124	3	203

पनधारा विकास परियोजनाएं

2409. श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री शिवाजी माने :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की पनधारा विकास परियोजनाओं के लिए अनुदान प्राप्त करने हेतु, जापान के साथ एक समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अनुदान की सहायता से जिन राज्यों में पनधारा परियोजनाओं को शुरू किया जाना है, उनके संबंध में ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) जी, हां। कर्नाटक वाटरशेड विकास परियोजना को तैयार करने के प्रयोजन के लिए 3.61 लाख यू०एस० डालर की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए भारत और इन्टरनेशनल डिवलपमेन्ट एसोसिएशन (जापान द्वारा उपलब्ध कराई गई अनुदान निधियों के प्रबंधक की हैसियत में) के बीच फरवरी, 2001 में एक समझौता हुआ है। इस परियोजना का मूल उद्देश्य भूमि कटाव में कमी लाकर, जल उपलब्धता बढ़ाकर और परीक्षित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके और वाटरशेड विकास प्रौद्योगिकियों को तैयार करके फसल और निर्विष्टि उत्पादकता में सुधार करके उत्पादक शक्यता में वृद्धि करके गरीबी में कमी करना है।

इसके अलावा जापान बैंक फार इन्टरनेशनल कोआपरेशन (जो० बी० आई० सी०) की सहायता से केरल के पालाकाड जिले में बंजरभूमि के विकास के लिए 219.31 करोड़ रुपये की कुल लागत पर अट्टापड्डी वेस्टलैण्ड कम्परीहेनसिव इनवायरमेन्ट कन्जरवेशन प्रोजेक्ट, अगाली नामक एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। यह परियोजना 1996 में स्वीकृत की गई थी और जापानी एजेन्सी द्वारा दीर्घकालिक ऋण के रूप में 176.89 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जानी है। इस

परियोजना का लक्ष्य पालाकाड जिले के 13 वाटरशेडों में 50,700 हैक्टेयर बंजरभूमि को विकसित करना है।

"सेल" की इकाइयों की बिक्री

2410. श्री टी॰टी॰वी॰ दिनाकरन : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) का अपने ऋणों को चुकाने हेतु अपनी कुछ इकाइयों को बेचने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऋणों के ब्यौरे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इतनी बड़ी ऋण राशि के एकत्रित होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार "सेल" की इकाइयों को बेचने के आलावा ऋणों को चुकाने हेतु किन्हीं अन्य उपायों पर विचार-करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) से (ग) सेल ने कारोबार पुनर्सरंचना की एक योजना तैयार की है। जिसमें लाभप्रदता में सुधार करने, संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि करने और ऋण की अदायगी के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कारोबार पर ध्यान केंद्रित करने और गैर-महत्वपूर्ण/अव्यवहार्य परिसंपत्तियों के स्वत्वहरण की बात कही है। मौजूदा कर्मचारियों की नौकरियों को सुरक्षित रखते हुए जिन गैर-महत्वपूर्ण/अव्यवहार्य इकाइयों का स्वत्व-हरण किया जाना है, उनका ब्यौरा निम्नानुसार है :-

1. बोकारो, दुर्गापुर और राउरकेला के विद्युत संयंत्र

   - राउरकेला इस्पात संयंत्र का 2×60 मेगावाट का निजी विद्युत संयंत्र-II और राउरकेला में केंद्रीय विद्युत प्रशिक्षण केन्द्र।

   - दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में 2×60 मेगावाट का निजी विद्युत संयंत्र-II

   - बोकारो इस्पात संयंत्र में 122 मेगावाट (2×55 मेगावाट+12 मेगावाट बैक प्रैशर टरबाइन) का निजी विद्युत संयंत्र-I, 3×60 मेगावाट का निजी विद्युत संयंत्र-II और 660 एम टी/घंटे की वाष्प जनन क्षमता।

2. भिलाई इस्पात संयंत्र का ऑक्सीजन संयंत्र-II

3. सेलम इस्पात संयंत्र (एस एस पी)

4. मिश्र इस्पात संयंत्र (ए एस पी)

5. विश्वेश्वरैय्या आयरन एंड स्टील प्लांट (वी आई एस पी)

6. राउरकेला इस्पात संयंत्र का उर्वरक संयंत्र; और

7. सेल की न्यूनतम शेयरधारिता सहित इस्को का संयुक्त उद्यम में परिवर्तन।

31.12.2000 का स्थिति के अनुसार सेल के ऋण 14630 करोड़ रूपए के थे।

सेल ने अपने दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो स्थित इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन शुरू किया था, जिस पर लगभग 12,500 करोड़ रुपए का व्यय किया गया जिसके लिए धन की व्यवस्था अधिकांशतः बाजार ऋणों के माध्यम से की गई थी।

(घ) से (ङ) कंपनी के निष्पादन और नकदी का स्थिति में सुधार करने के लिए किए गए/किए जा रहे उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. गहन लागत नियंत्रण अभियान जिसमें उत्पादन में सुधार, कोककर कोयले और अन्य कच्ची सामग्री की खपत में कमी, विद्युत और ईंधन की खपत में कमी, भंडार और अतिरिक्त पुर्जों की खपत में कमी, प्रमुख प्रौद्योगिक-आर्थिक प्राचलों मे सुधार करने आदि की परिकल्पना की गई है।

2. जनशक्ति को युक्तिसंगत बनाने के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का कार्यान्वयन।

3. चल रही योजनाओं और सुरक्षा, पर्यावरण आदि जैसी सांविधिक आवश्यकता से संबंधित योजनाओं को छोड़कर नए निवेश संबंधी प्रस्ताव वास्तव में रुके हुए हैं।

4. कार्यशील पूंजी के कड़े प्रबंधन के माध्यम से ऋण के स्तर में कमी करना।

[हिन्दी]

छात्रों के आदान-प्रदान हेतु समझौता

2411. श्री तूफानी सरोज : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में छात्रों का आदान-प्रदान करने के लिए कतिपय देशों के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन समझौता के अनुसार भारतीय छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है;

(घ) यदि हां, तो विभिन्न देशों में कितने भारतीय छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उन देशों के नाम क्या है;

(ङ) क्या हमारे देश द्वारा भी विदेशी छात्रों को ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है; और

(चं) यदि हां, तो इस सुविधा के अन्तर्गत जिन देशों के छात्र यहां शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनका ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बी॰सी॰सी॰एल॰ की मुहीडीही परियोजना के आस-पास के ग्रामीणों का अभ्यावेदन

2412. श्री बसुदेव आचार्य : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी॰सी॰सी॰एल॰ की मुहीडीही परियोजना के आस-पास के ग्रामीणों ने बिजली कनेक्शन हटाने के विरोध मे अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ग्रामीण को बिजली कनेक्शन बहाल करने का आश्वासन दिया गया था;

(घ) क्या इन गांवों में बी॰सी॰सी॰एल॰ के कामगार रहते हैं जो बिजली के हकदार हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, हां।

(ख) उन्होंने बिजली का अवैध कनेक्शन लिया था जिसके लिए विद्युत बोर्ड ने प्रबंधन को अभियोजन की धमकी दी थी।

(ग) ग्रामीणों को केवल स्ट्रीट लाइट कनेक्शन के लिए बिजली की आपूर्ति करने का आश्वासन दिया है।

(घ) जी, नहीं। गांवों में रहने वाले श्रमिक कंपनी की बिजली लाइन के विस्तार के हकदार नहीं हैं। इसकी अनुमति केवल बी॰सी॰सी॰एल॰ के टाउनशिप में स्थित क्वाटरों में रहने वाले श्रमिकों को दी गई है।

(ङ) ऊपर भाग (घ) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(च) जिला प्रशासन के साथ त्रिपक्षीय विचार-विमर्श में संबंधित आन्दोलनकर्ताओं से राज्य विद्युत बोर्ड के पास बिजली के अलग-अलग कनेक्शन के लिए आवेदन करने को कहा गया था।

पुलिस बलों का आधुनिकीकरण

2413. श्री चन्द्रभूषण सिंह :
श्री ब्रजमोहन राम :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु उन्हें आवंटित धन के उपयोग के तरीके के संबंध में सुझाव मांगे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को राज्य सरकारों से इस संबंध में कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने हाल ही में देश में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु धनराशियों को प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार को इस संबंध में विभिन्न राज्यों से विशेषकर नवगठित राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम के अन्तर्गत निधियों के आवंटन हेतु मानदण्डों में आशोधन करने के लिए राज्य सरकारों के सुझाव/विचार मांगे गए थे और उनमें से कुछ ने इस स्कीम में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित मदों को शामिल करने हेतु अपने विचार पेश किए हैं :-

(i) केवल हल्के शस्त्रों के बदले विभिन्न प्रकार के हथियार और गोला-बारूद;

(ii) उनकी सुरक्षा सहित, पुलिस स्टेशन भवनों का निर्माण/नवीकरण;

(iii) बुलट प्रूफ और माईन प्रूफ वाहनों की खरीद;

(iv) प्रशिक्षण संस्थानों में सुविधाओं में वृद्धि;

(v) पुलिस कार्मिकों के लिए कार्यस्थलों के समीप, स्थायी/अस्थायी रिहायशी और गैर रिहायशी भवनों का निर्माण;

(vi) आधुनिक संचार उपकरण;

(vii) जंगल पेच ड्रैस, जंगल बूट, बुलट प्रूफ जैकेट आदि जैसे विशेष प्रकार के वस्त्रों की खरीद;

(viii) आधुनिक यातायात सिगनल उपकरण; और

(ix) कम्प्यूटर, फैक्स और जैरोक्स मशीनों आदि जैसे आधुनिक कार्यालय उपकरण।

(घ) और (ङ) जी हां, श्रीमान। राज्य सरकारों को वार्षिक आवंटन के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(च) और (छ) जी हां, श्रीमान। विभिन्न राज्यों से प्राप्त योजनाओं/प्रस्तावों के राज्यवार ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

राज्य का नाम	वार्षिक आवंटन (करोड़ रुपयों में)
1	2
आन्ध्र प्रदेश	82.00
अरूणाचल प्रदेश	05.20
असम	38.70
बिहार	54.00
गोवा	02.00
गुजरात	50.00
हरियाणा	22.10
हिमाचल प्रदेश	06.70
जम्मु और कश्मीर	28.50
क़र्नाटक	75.00
केरल	31.50
मध्य प्रदेश	53.00
महाराष्ट्र	92.10
मणीपुर	10.50
मेघालय	05.50
मिजोरम	05.50
नागालैंड	13.50
उड़ीसा	30.50
पंजाब	32.10
राजस्थान	61.10
सिक्किम	03.20
तमिलनाडु	68.10
त्रिपुरा	05.60
उत्तर प्रदेश	123.52
पश्चिम बंगाल	56.50
छत्तीसगढ़	19.00
झारखंड	18.00
उत्तरांचल	06.58
कुल	1000.00

विवरण-II

राज्य का नाम	वर्ष 2000-2001 के लिए प्राप्त योजनाएं/प्रस्ताव (करोड़ रुपयों में)
1	2
आन्ध्र प्रदेश	120.00
अरूणाचल प्रदेश	06.09
असम	92.24
बिहार	108.46
गोवा	04.30
गुजरात	106.42
हरियाणा	77.88
हिमाचल प्रदेश	01.36
जंम्मू और कश्मीर	57.10
कर्नाटक	146.05
केरल	60.77

	2
मध्य प्रदेश	101.30
महाराष्ट्र	170.65
मणिपुर	26.81
मेघालय	04.28
मिजोरम	11.53
नागालैंड	13.50
उड़ीसा	61.00
पंजाब	67.33
राजस्थान	61.00
सिक्किम	04.27
तमिलनाडु	140.46
त्रिपुरा	25.00
उत्तर प्रदेश	250.05
पश्चिम बंगाल	137.96
छत्तीसगढ़	20.13
झारखंड	60.08
उत्तरांचल	17.57
कुल	1953.59

खानों को बंद किया जाना

2414. श्री अन्नासाहेब एम॰के॰ पाटील :
डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री ए॰ ब्रह्मनैया :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हाल ही में धनबाद में हुई खान दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए पुरानी कोयला खानों का निरीक्षण करने और जहां खानों के अद्यतन नक्शे उपलब्ध नहीं हैं उनके परिचालन को निलंबित करने हेतु कोई योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार धनबाद की तीन कोलियरियों और सी॰ आई॰ एल॰ एवं इसकी सहायक कंपनियों की अन्य खतरनाक खानों को बंद करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ की बागडिगी कोलियरी में दुर्घटना को देखते हुए, कोल इंडिया लि॰ की सभी सहायक कोयला कंपनियों को जलाप्लावन के किसी भी खतरे के लिए विद्यमान खानों का निरीक्षण और खान के नक्शों की जांच करवाने का आदेश दिया गया है।

(ग) और (घ) जलाप्लावन के खतरे के लिए, खानों के निरीक्षण और खान के नक्शों की जांच का कार्य चल रहा है। जहां- कहीं आवश्यकता है, निवारक कदम उठाए जाएंगे।

[हिन्दी]

डी॰ डी॰ ए॰ द्वारा दिल्ली में बबूल के पेड़ लगाना

2415. डा॰ जसवंतसिंह यादव :
श्री ताराचन्द भगोरा :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 फरवरी, 2001 के "दैनिक जागरण" समाचार पत्र में डी॰ डी॰ ए॰ द्वारा दिल्ली में बबूल के पेड़ लगाने के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या है;

(ग) पर्यावरण की रक्षा में बबूल के पेड़ों की क्या भूमिका है; और

(घ) डी॰ डी॰ ए॰ पर्यावरण की रक्षा हेतु बबूल के पेड़ लगाने की नीति का क्या औचित्य है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) डी॰ डी॰ ए॰ के पास बबूल के पेड़ लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

नवोदय विद्यालय

2416. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने नवोदय विद्यालय हैं;

(ख) क्या इनमें से कुछ विद्यालय बिना प्रिंसीपल के चल रहे हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान इन विद्यालयों से बड़ी संख्या में शिक्षकों का पलायन हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन विद्यालयों में प्रिंसीपल और शिक्षकों के राज्य-वार कितने पद रिक्त हैं; और

(ङ) सरकार का सभी रिक्त पदों को भरने एवं इस पलायन को रोकने हेतु प्रिंसीपल/शिक्षकों की सेवाओं को और आकर्षक बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) संस्वीकृत नवोदय विद्यालयों की राज्य-वार सूची विवरण-I में दर्शायी गई है।

(ख) और (ग) 152 विद्यालय बिना प्रधानाचार्य के चलाए जा रहे हैं। भर्ती नियमों के अनुसार, प्रधानाचार्यों के 25 प्रतिशत पद पदोन्नति कोटे के लिए उद्दिष्ट गए हैं। चूंकि प्रधानाचार्य के रूप प्रतिशत में पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में उप-प्रधानाचार्यों ने अपेक्षित न्यूनतम सेवावधि पूरी नहीं की है, अत: ये स्कूल बिना प्रधानाचार्य के चलाए जा रहे हैं। तथापि, इन स्कूलों में उप-प्रधानाचार्य प्रभारी-प्रधानाचार्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। इससे आगे, पिछले तीन वर्षों के दौरान शिक्षकों का कोई सामूहिक पालयन नहीं हुआ है। संस्थान छोड़ने वाले शिक्षकों की संख्या कार्यरत शिक्षकों की तुलना में केवल 2 प्रतिशत ही है और उनमें से अधिकांश शिक्षकों ने अन्यत्र चयन हो जाने या कुछ व्यक्तिगत कारणों से त्यागपत्र दे दिए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान त्यागपत्र देने वाले शिक्षकों की संख्या इस प्रकार है :-

वर्ष	त्यागपत्र देने वाले शिक्षकों की संख्या
1997-98	166
1998-99	149
1999-2000	139

(घ) प्रधानाचार्यों एवं अध्यापकों की रिक्त पदों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण-II पर संलग्न है।

(ङ) पलायन को रोकने के लिये नवोदय विद्यालय समिति द्वारा प्रधानाचार्य/अध्यापकों की सेवाओं को अधिक आकर्षक बनाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :-

(i) प्रधानाचार्यों एवं अध्यापकों की रिक्तियों को भरने के लिये आवधिक भर्ती अभियान चलाये जा रहे हैं।

(ii) नियमित वार्षिक पदोन्नति अभियान चलाये जा रहे हैं तथा उपयुक्त अभ्यर्थियों को पदोन्नत करने के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की जाती है।

(iii) पात्रता के अनुसार नि:शुल्क आवास तथा भोजन की सुविधायें प्रदान की जा रही हैं।

(iv) प्रोत्साहन पुरस्कार जिसमें नकद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र, अतिरिक्त वेतनवृद्धि इत्यादि शामिल हैं, शुरू किये गये हैं।

(v) प्रशिक्षण तथा अपनी शैक्षिक योग्यताओं में सुधार के अन्य मार्गों के माध्यम से व्यवसायिक दक्षता के और सुधार के लिये प्रधानाचार्यों तथा अध्यापकों को अवसर प्रदान किये जाते हैं।

विवरण-I

1 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार संस्वीकृत जवाहर नवोदय विद्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संस्वीकृत जवाहर नवोदय विद्यालय
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	22
2.	अरुणाचल प्रदेश	09
3.	असम	20
4.	अंडमान एवं निकोबार	02
5.	बिहार	34
6.	चंडीगढ़	01
7.	छत्तीसगढ़	07
8.	दिल्ली	02
9.	दादरा एवं नगर हवेली	01
10.	दमन एवं दीव	02
11.	गोवा	02
12.	गुजरात	17
13.	हरियाणा	15
14.	हिमाचल प्रदेश	11

1	2	3
15.	जम्मू एवं कश्मीर	14
16.	झारखंड	16
17.	केरल	13
18.	कर्नाटक	26
19.	लक्षद्वीप	01
20.	महाराष्ट्र	29
21.	मध्य प्रदेश	43
22.	मणिपुर	08
23.	मेघालय	06
24.	मिजोरम	03
25.	नागालैंड	04
26.	उड़ीसा	18
27.	पांडिचेरी	04
28.	पंजाब	13
29.	राजस्थान	30
30.	सिक्किम	03
31.	त्रिपुरा	03
32.	उत्तर प्रदेश	54
33.	उत्तरांचल	07
	कुल	440

विवरण-II

31.01.2001 की स्थिति के अनुसार प्रधानाचार्यों/अध्यापकों के रिक्त पदों की संख्या को (राज्य-वार) दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	रिक्त पदों की संख्या	
		प्रधानाचार्य	अध्यापक
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	03	20
2.	अरुणाचल प्रदेश	04	36
3.	असम	06	53
4.	अंडमान एवं निकोबार	01	07
5.	बिहार	13	74
6.	चंडीगढ़	00	00
7.	छत्तीसगढ़	01	22
8.	दिल्ली	00	07
9.	दादरा एवं नगर हवेली	00	04
10.	दमन एवं दीव	02	07
11.	गोवा	01	05
12.	गुजरात	08	53
13.	हरियाणा	02	12
14.	हिमाचल प्रदेश	03	17
15.	जम्मू एवं कश्मीर	05	48
16.	झारखंड	08	27
17.	केरल	04	06
18.	कर्नाटक	09	20
19.	लक्षद्वीप	01	02
20.	महाराष्ट्र	12	50
21.	मध्य प्रदेश	14	140
22.	मणिपुर	03	17
23.	मेघालय	02	17
24.	मिजोरम	00	04
25.	नागालैंड	04	12
26.	उड़ीसा	05	51
27.	पांडिचेरी	01	04

1	2	3	4
28.	पंजाब	07	03
29.	राजस्थान	13	23
30.	सिक्किम	00	10
31.	त्रिपुरा	00	07
32.	उत्तर प्रदेश	17	126
33.	उत्तरांचल	03	22
	कुल	152	906

दिल्ली में रेत माफिया

2417. श्री रघुनाथ झा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में यमुना नदी के दोनों किनारों से रेत उठाने में रेत माफिया अधिक सक्रिय हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किये गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

लोक निर्माण विभाग के एक अन्य डिवीजन का सृजन

2418. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक निर्माण विभाग संघ राज्य क्षेत्र दमन में निर्माण कार्यों को पूरा करने में असफल हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार इस उद्देश्य हेतु लोक निर्माण विभाग के एक अन्य डिवीजन का सृजन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस नए डिवीजन को कब तक सृजित कर दिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

परिवार परामर्शदाता केन्द्र

2419. श्री अशोक ना० मोहोल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार परामर्शदाता केन्द्र जो महिला एवं बाल विकास विभाग के नियंत्रण में है, सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं और वित्त पोषित किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र में स्थान-वार कितने परिवार पमरामर्शदाता केन्द्र हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार इन केन्द्रों के प्रमुख कार्य और उपलब्धियां क्या हैं; और

(ङ) ये केन्द्र अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किस हद तक सक्षम रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है। सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

नैफ्था की मांग

2420. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में देश में उर्वरक संयंत्रों के लिए नेफ्था की मांग कितनी है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : वर्तमान में देश में उर्वरक संयंत्रों के लिए नेफ्था की अनुमानित मांग लगभग 3.8 मिलियन टन प्रति वर्ष होने का अनुमान है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों के शासी निकाय में कर्मचारी संघों का प्रतिनिधित्व

2421. श्री राधा मोहन सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन और इसके शासी निकास में कर्मचारी संघों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसा प्रतिनिधित्व देने का संगठन के नियमों में कोई नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। अन्य तरीके हैं जिसमें वे अपनी शिकायतों को संगठन के सामने रख सकते हैं और इस प्रकार संगठन के शासी बोर्ड में मान्यताप्राप्त कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों को शामिल करने की कोई जरूरत नहीं रही है। फिर भी शिक्षक संघों को एक अवसर प्रदान किया गया था ताकि वे संगठन के शासी निकाय में मनोनयन के लिए एक सर्वसम्मत प्रतिनिधि सुझाए परंतु शिक्षकों के मान्यताप्राप्त संघ एक सर्वसम्मत उम्मीदवार मनोनीत करने में असमर्थ हैं।

[अनुवाद]

सीमा सुरक्षा बल को अत्याधुनिक हथियार

2422. डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल को सीमा क्षेत्रों में अत्याधुनिक हथियारों से लैस करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में सीमा बल के लिए कोई कार्य-योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने सीमा क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल और सेना के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु कोई एजेंसी नियुक्त की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (ग) सीमा सुरक्षा बल सहित केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों को आधुनिक अधुनातम हथियारों और उपकरणों से सुसज्जित करने की जरूरत एक सतत् अपेक्षा है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान, सरकार ने आधुनिक और आधुनातम शस्त्र और उपकरण देकर सीमा सुरक्षा बल की मारक क्षमता को उन्नत करने पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अतिरिक्त सरकारी प्रयासों को समयबद्ध बनाने के लिए और उग्रवादी और आंतकवादी गतिविधियों की बढ़ती हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए सीमा सुरक्षा बल सहित सभी केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों ने पंचवर्षीय भावी योजना तैयार की है। इसमें हथियार, संचार, परिवहन, सीमा पर सतर्कता, प्रशिक्षण इत्यादि शामिल है।

(घ) और (ङ) जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल की बटालियनें सीधे सेना के आपरेशनल नियंत्रण में है। अन्य क्षेत्रों में समुचित आपरेशनल योजना बनाने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सेना के बीच सीधा सतत् सम्पर्क/समन्वय है।

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता

2423. डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री प्रियरंजन दासमुंशी :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं, आठवीं और नौंवी योजनावधि के दौरान प्रत्येक केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) उक्त योजनावधि के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि में योजना आबंटन की कमी के कारण किसी राज्य सरकार को नुकसान उठाना पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

आदिवासी क्षेत्रों के विकास हेतु स्वीकृत राशि

2424. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास हेतु लंबी और छोटी सड़कें, पुल और पुलिया, पेयजल और विद्युतिकरण उपलब्ध कराने के लिए 209 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ग) क्या इस संबंध में विभिन्न राज्यों के आदिवासी बहुल क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के नाम क्या हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत प्रत्येक राज्य की पात्रता के आधार पर निधियां निर्मुक्त की जाती हैं जिसे

संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर, देश की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के प्रति किसी विशेष राज्य की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

विवरण

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत अनुदान

(रु॰ लाख में)

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अवसंरचना विकास हेतु निर्मुक्त प्रथम किश्त
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	460.50
2.	असम	0.00
3.	बिहार	0.00
4.	गुजरात	675.00
5.	हिमाचल प्रदेश	0.00
6.	जम्मू व कश्मीर	0.00
7.	कर्नाटक	210.00
8.	केरल	0.00
9.	मध्य प्रदेश	1028.92
10.	महाराष्ट्र	801.75
11.	मणिपुर	250.00
12.	उड़ीसा	791.41
13.	राजस्थान	383.67
14.	सिक्किम	9.75
15.	तमिलनाडु	63.00
16.	त्रिपुरा	51.25
17.	उत्तर प्रदेश	9.61
18.	पश्चिम बंगाल	374.83
19.	अरुणाचल प्रदेश	60.00
20.	मेघालय	166.50
21.	मिजोरम	72.00
22.	नागालैंड	250.00
23.	झारखंड	1320.00
24.	चंडीगढ़	387.31
25.	उत्तरांचल	17.15
	कुल	7382.64

[अनुवाद]

गैस पाइपलाइन

2425. श्री उम्मारेड्डी वैंकटेस्वरलु : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सभी उर्वरक कंपनियों को गैस पाइपलाइन से जोड़ने हेतु कोई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक पूरा किए जाने की सम्भावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) सभी उर्वरक कंपनियों को एक गैस पाइपलाइन से जोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार में विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बंजरभूमि के विकास संबंधी कृतक बल

2426. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चम्बल के बीहड़ों के विकास के लिए वर्ष 1994 में बंजर भूमि विकास कृतक बल स्थापित किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कृतिक बल द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार कुछ अन्य राज्यों में भी ऐसे कृतक बल स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बंजरभूमि विकास कृतक बल को मध्य प्रदेश के मोरेना जिले में चम्बल बीहड़ों में 1200 हैक्टेयर बंजरभूमि को विकसित करने के लिए वर्ष 1994 में गठित किया गया था। इस कृतक बल में प्रादेशिक सेना की कमांड के तहत 300 भूतपूर्व सैनिक और सेना और प्रादेशिक सेना के 15 कार्मिकों का दल शामिल था। इसका उद्देश्य भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराना और वनीकरण जिसमें (i) मृदा और नमी संरक्षण (ii) वृक्षारोपण और इसका अनुरक्षण शामिल है, के द्वारा बंजरभूमि का विकास करना भी था। कुल 1200 हैक्टेयर बीहड़ी भूमि क्षेत्र को विकसित किया गया है और कृतक बल 31.12.99 को समाप्त कर दिया गया था। भूमि संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 1994-2000 तक की कार्यान्वयन अवधि के दौरान इस परियोजना पर 474.00 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है।

(घ) से (च) अन्य राज्यों में ऐसे किसी कृतक बल को गठित करने संबंधी कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है क्योंकि कृतक बल के द्वारा वनेतर बंजरभूमि को विकसित करने की प्रति हैक्टेयर लागत समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई॰डब्ल्यू॰डी॰पी॰) के तहत प्रति हैक्टेय 4000 रुपये की अनुमोदित लागत की तुलना में बहुत अधिक है। इसके अलावा समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम सहित ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्कीमों में सामान्यतया ग्रामीण गरीबों विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों से संबंधित ग्रामीण गरीबों को रोजगार मुहैया कराने की परिकल्पना शामिल है जबकि कृतक बल में केवल भूतपूर्व सैनिक ही शामिल होते हैं।

केन्द्रीय पुलिस बलों में सिपाहियों की भर्ती में पिछड़े एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आरक्षण

2427. श्री रामदास आठवले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन पिछड़े एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न केन्द्रीय पुलिस बलों में सिपाहियों की भर्ती की गई थी;

(ख) इन भर्तियों में पिछड़े एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण का प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश के अन्य पिछड़े एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में केन्द्रीय पुलिस बलों में सिपाहियों की भर्ती प्राथमिकता के आधार पर करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार और बल-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच॰ विद्यासागर राव) : (क) केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों में कांस्टेबलों की भर्ती विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आवंटित रिक्तियों के आधार पर की जाती है। रिक्तियां, राज्य के जनसंख्या अनुपात और बल में उनके प्रतिनिधित्व के अनुसार आवंटित की जाती है।

(ख) कांस्टेबलों की भर्ती में अनु॰ जाति/अनु॰ जनजाति/पिछड़ी जातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण, सरकार के सामान्य आदेशों के अनुसार किया जाता है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों में कांस्टेबलों की भर्ती में देश के सभी क्षेत्रों को कवर किया जाता है और राज्य/संघ शासित क्षेत्र विशेष को आवंटित रिक्तियों को भरने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं।

आन्ध्र प्रदेश में राजीव गांधी पेयजल मिशन

2428. श्री राम नायडू दग्गुबाटि : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी पेयजल मिशन के अंतर्गत 58 ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाओं के संबंध में 75:25 के अनुपात में लागत में हिस्सेदारी संबंधी 256 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बोझ में हिस्सेदारी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ रीता वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

निरीक्षण रिपोर्ट का सौंपा जाना

2429. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थायी समिति ने धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए जिला अधिकारियों द्वारा निरीक्षण रिपोर्टों और जनजाति कल्याण सचिव द्वारा सिफारिशों को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य कर दिया है ताकि फर्जी गैर सरकारी संगठनों के नाम अग्रेषित करने में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की ओर से विलम्ब न हो;

(ख) यदि हां, तो किन किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई और कितने फर्जी गैर सरकारी संगठनों का पता चला तथा गत वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष, अब तक कितनी धनराशि का आवंटन किया गया; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) जी, नहीं। जिला कलेक्टरों की रिपोर्टों और जनजातीय कल्याण सचिव की सिफारिशों को स्थायी समिति द्वारा अनिवार्य नहीं बनाया गया है। तथापि, अनुदान के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने और परियोजनाओं की प्रभावी और सशक्त मानटीरिंग को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय सामान्यत: इन रिपोर्टों पर विचार करता है।

(ख) निरीक्षण रिपोर्टें सामान्य रूप से उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त की जाती हैं जहां परियोजनाओं को मंत्रालय की वित्तीय सहायता से चलाया जाता है। उन जाली गैर सरकारी संगठनों की एक सूची जो अब नहीं हैं, और उन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित निधियां राशि संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) जो गैर सरकारी संगठन जाली हैं और विद्यामान नहीं हैं आगे अनुदान रोक दिए हैं। राज्य सरकारों से पहले निर्मुक्त की गई राशि को उस पर लगे 6% वार्षिक दांडिक ब्याज की दर के साथ वसूलने के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार से चूककर्ता गैर सरकारी संगठनों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाहियां आरंभ करने के लिए कहा गया है।

विवरण

क्र॰सं॰ संगठन का नाम और पता	परियोजना का नाम	निर्मुक्त राशि (रु॰ लाख में)		
		97-98	98-99	99.00
1. डी देवराज उर्स शैक्षिक न्यास, बेदार कर्नाटक	आवासीय स्कूल	88,245	1,49,310	4,27,410
2. शारदा शैक्षिक सोसाइटी विनुकोण्डा, गुन्तूर जिला आंध्र प्रदेश	-वही-	—	96,210	—
3. ग्रामीण शिक्षा और विकास सोसाइटी, गुंटूर, आंध्र प्रदेश	मोबाइल डिस्पेंसरी	—	2,41,155	5,03,363
4. विक्रम सेवा संस्थान, लखीमपुर खिरी, उत्तर प्रदेश	शैक्षिक परिसर	—	4,59,000	—
5. अम्बेडकर शिक्षा प्रसार समिति, निचलाउल, जिला महाराजगंज, उ॰प्र॰	-वही-	4,59,000	—	—
6. मानव कल्याण सेवा संस्थान, एम/40, संजयगांधी-पुरम, लखनऊ, उ॰प्र॰	-वही-	—	4,59,000	—
7. अमित ग्राम विकास सेवा संस्थान, पारसपुर, गोंडा, उ॰प्र॰	-वही-	—	4,59,000	—
8. ग्रामोद्योग विकास सेवा संस्थान, पारसपुर, गोंडा, उ॰प्र॰	-वही-	—	4,59,000	—
9. अखिल भारतीय जनजातीय युवा विकास, केसरगंज, जिला बहराइच, उ॰प्र॰	-वही-	4,59,000	—	—
10. ग्रामीण समाजोत्थान सेवा संस्थान, एम/71, लखनऊ, उ॰प्र॰	-वही-	4,59,000	—	—
11. अग्रगामी सेवा संस्थान, पोस्ट-जगौर, जिला लखनऊ, उ॰प्र॰	-वही-	—	4,59,000	1,26,000

रक्षित विद्युत उत्पादन संयंत्र की स्थापना

2430. श्री वाई॰एस॰ विवेकानन्द रेड्डी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरेनी कोलियरीज का आन्ध्र प्रदेश में भूपालपल्ली में 125 मेगावाट का रक्षित विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और लागत क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (ग) कोयले की "एक" श्रेणी और उससे नीचे के कोयले की उपयोगिता का पता लगाने के उद्देश्य से सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि॰ ने संयुक्त उद्यम के तहत् विद्युत लगाने की संभावना का अध्ययन करने का अपना विकल्प खुला रखा है। प्रस्ताव आरंभिक स्थिति में है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

उर्वरक केन्द्र/दुकानें

2431. श्री राजो सिंह : क्या रासायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कृभको और इफ्को ने स्थानवार पृथकत: उर्वरक केन्द्र/दुकानें खोली हैं;

(ख) क्या कृभको और इफ्को ने किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु कोई नई योजनाएं तैयार की हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) कृभको का बिहार राज्य में कोई कृषक भारती सेवा केन्द्र नहीं है और बिहार में उर्वरक की बिक्री केवल सहकारी चैनल के माध्यम से की जा रही है।

इफ्को अपने उर्वरकों का वितरण मुख्यत: सहकारी नेटवर्क के माध्यम से करती है तथा इनकी संख्या मौसम दर मौसम बदलती रहती है। इसके अतिरिक्त, इफ्को ने बिहार में 2 कृषक सेवा केन्द्रों (एफएससी) की स्थापना की है। एक कृषक सेवा केन्द्र की मुसरीधरारी, जिला समस्तीपुर में और दूसरे की रहिका, जिला मधुबनी में स्थापना की गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में वृद्धि

2432. श्री सुनील खां :
श्री वी॰एम॰ सुधीरन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों की वेतन बढ़ाने की मांग पर विचार हेतु गठित समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन सिफरिशों के संबंध में कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) समिति ने सिफारिश की है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की जानी चाहिए और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा भी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय प्रदान किया जाना चाहिए।

(ख) और (ग) जी, हां। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को सौंपे गए अतिरिक्त कार्यों के लिए उन्हें कुछ आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करें। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के दिशा-निर्देशों के अध्यधीन योजना के पोषाहार घटक के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के लिए 50/-रु॰ प्रतिमाह की दर से निष्पादन-सम्बद्ध अतिरिक्त मानदेय की सिफारिश की गई है। कुछ राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को क्रमश: 100/-रुपये से लेकर 1000/-रुपये तक और 40/-रुपये से लेकर 400/-रुपये तक का मानदेय अपने संसाधनों से प्रदान कर रहे हैं।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा

2433. श्री सुबोध मोहिते : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू स्तर पर और कार्य स्थल पर महिलाओं और बच्चियों के विरुद्ध हिंसा की प्रवृत्ति में चिन्ताजनक रूप से वृद्धि दिखाई दे रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी घटनाओं का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) महिलाओं और बच्चियों के विरुद्ध बढ़ती हिंसा का मुकाबला करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) इस संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग की क्या भूमिका है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, महिलाओं तथा लड़कियों के साथ विगत तीन वर्षों के दौरान हुए अपराधों की संख्या इस प्रकार है :-

	1998	1999	2000••
महिलाएं	131475	131332	119964
लड़कियां•	195	190	181

•वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों की खरीद/बिक्री तथा अवयस्क लड़कियों की खरीद के मामले।

••उपलब्ध माह तक।

(ख) वर्ष 1998-99 तथा 2000 (उपलब्ध माह तक) के दौरान महिलाओं तथा बालिकाओं के साथ किये गए अपराधों की घटनाओं का राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न है।

(ग) सरकार महिलाओं के साथ हिंसा की घटनाओं के निवारण हेतु अनेक उपाय कर रही है, जिनमें महिलाओं से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों के कारगर कार्यान्वियन के साथ-साथ मौजूदा विधानों की समीक्षा करना तथा राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करना एवं इन प्रावधानों के कार्यान्वियन का प्रबोधन करना शामिल है।

(घ) आयोग को सौंपे गए कार्यों के अनुसार, आयोग विभिन्न प्रकार की लिखित/मौखिक शिकायतों पर कार्रवाई करता है तथा महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करने, महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाए गए कानूनों को लागू न किए जाने, महिलाओं की कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से लिये गए नीतिगत निर्णयों, दिशा-निर्देशों अथवा अनुदेशों का पालन न करने से सम्बन्धित मामलों में स्व-प्रेरणा से कार्रवाई करता है और इन मामलों से उत्पन्न मुद्दों को उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ उठाता है।

विवरण

वर्ष 1998, 1999 तथा 2000 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटनाएं

क्र॰ सं॰	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	1998	1999	2000•
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	11201	14043	12327
2.	अरुणाचल प्रदेश	125	73	79
3.	असम	3388	2592	2407
4.	बिहार	7105	5861	4681
5.	गोवा	109	73	99
6.	गुजरात	6658	6251	4033
7.	हरियाणा	3002	2833	2897
8.	हिमाचल प्रदेश	778	789	835
9.	जम्मू व कश्मीर	1715	1612	1333
10.	कर्नाटक	5516	5751	5466
11.	केरल	4799	4852	5071
12.	मध्य प्रदेश	15865	16732	16450
13.	महाराष्ट्र	14266	13291	14015
14.	मणिपुर	86	66	84
15.	मेघालय	71	35	30
16.	मिजोरम	141	231	123
17.	नागालैंड	32	9	16
18.	उड़ीसा	4587	4245	1287
19.	पंजाब	1238	1514	1645
20.	राजस्थान	12159	12367	12158
21.	सिक्किम	37	38	22
22.	तमिलनाडु	11201	12151	11719

1	2	3	4	5
23.	त्रिपुरा	319	298	332
24.	उत्तर प्रदेश	17497	16287	14702
25.	प. बंगाल	6811	6517	5268
कुल राज्य		128706	1281511	117079
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	26	28	42
27.	चण्डीगढ़	97	210	221
28.	दादरा एवं नगर हवेली	17	14	12
29.	दमन एवं दीव	2	7	3
30.	दिल्ली	2556	2438	2470
31.	लक्षद्वीप	2	0	1
32.	पाण्डिचेरी	69	124	136
जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)		2769	2821	2885
जोड़ (सम्पूर्ण भारत)		131475	131332	119964

•उपलब्ध माह तक।

वर्ष 1998, 1999 तथा 2000 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटनाएं

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	1998	1999	2000•
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	6	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1
3.	असम	13	29	16
4.	बिहार	51	42	20
5.	गोवा	0	0	1
6.	गुजरात	3	6	54
7.	हरियाणा	9	7	1
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
9.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0
10.	कर्नाटक	4	13	5
11.	केरल	6	5	12
12.	मध्य प्रदेश	26	16	23
13.	महाराष्ट्र	47	36	31
14.	मणिपुर	0	0	0
15.	मेघालय	0	0	0
16.	मिजोरम	0	1	0
17.	नागालैंड	0	0	0
18.	उड़ीसा	2	2	1
19.	पंजाब	0	2	0
20.	राजस्थान	1	0	0
21.	सिक्किम	0	0	1
22.	तमिलनाडु	6	4	0
23.	त्रिपुरा	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	0	3	0
25.	पं. बंगाल	24	16	12
कुल राज्य		194	188	179
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
27.	चण्डीगढ़	0	1	1
28.	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0
29.	दमन एवं दीव	0	0	0
30.	दिल्ली	1	1	1
31.	लक्षद्वीप	0	0	0

1	2	3	4	5
32.	पाण्डिचेरी	0	0	0
जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)		1	2	2
जोड़ (सम्पूर्ण भारत)		195	190	181

•उपलब्ध माह तक।

महिला समाख्या योजना

2434. श्री अनंत गंगाराम गीते : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महिला समाख्या योजना के अंतर्गत जिन स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है उनका राज्यवार, विशेषकर महाराष्ट्र में निष्पादन कैसा है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं विशेष तौर पर सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं की शिक्षा के लिए तथा उन्हें सशक्त बनाने के लिए कार्यक्रम के रूप में वर्ष 1989 में महिला समाख्या योजना शुरु की गई थी। विगत छः वर्षों में कार्यक्रम के अन्तर्गत छः स्वैच्छिक संगठनों को निधियां प्रदान की गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्त पोषित इन स्वैच्छिक संगठनों का कार्य संतोषप्रद रहा है। महिला समाख्या योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र में किसी भी स्वैच्छिक संगठन को कोई अनुदान प्रदान नहीं किया गया है।

कर्नाटक की ग्रामीण विकास योजनाएं

2435. श्री ए० वेंकटेश नायक : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने अनुमोदन और वित्तीय सहायता के लिए कई ग्रामीण विकास योजनाएं प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और अब तक प्रस्तुत/अनुमोदित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) शेष योजनाओं को कब तक अनुमोदित कर दिया जाएगा?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तथा चालू वर्ष के दौरान प्राप्त/अनुमोदित परियोजना प्रस्तावों तथा इन परियोजनाओं के लिए कर्नाटक राज्य को मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं :-

क्र० सं०	योजना का नाम	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	मुहैया कराई गई सहायता (लाख रु० में)
1.	ग्रामीण आवास और पर्यावास विकास के लिए अभिनव चरण	8	3	48.00
2.	प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	1	1	563.47
3.	ग्रामीण निर्मित केन्द्र	1	1	6.00
4.	समग्र आवास योजना	1	1	25.00
5.	समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना	46	14	1705.45
6.	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	3	3	536.05
7.	अभिनव जवाहर रोजगार योजना	2	1	80.80
8.	ग्रामीण जल आपूर्ति	3	3	3366.00

(घ) संबंधित कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पाए गए प्रस्तावों को मंजूरी दी जाती है, बशर्ते निधियां उपलब्ध हो। इसलिए लंबित परियोजना प्रस्तावों की मंजूरी के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

रोजगार आश्वासन योजना के अन्तर्गत परियोजनाएं

2436. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को इन परियोजनाओं के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हो रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य शुरु किए जा सकते हैं– मृदा और नमी संरक्षण, लघु सिंचाई, पेयजल स्रोतों का पुनरुद्धार, भू-जल को बढ़ाना, पारंपरिक जल संग्रहण ढांचे और अन्य ऐसे कार्य जो मजदूरी

प्रधान हों और जिनके कारण टिकाऊ परिसम्पत्तियां सृजित होती हैं। सु॰रो॰यो॰ के अंतर्गत शुरु किया जाने वाला कार्य उस वार्षिक कार्य योजना का भाग होना चाहिए, जिसे जिला परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है। ऐसे कार्यों के ब्यौरे जिला स्तर पर रखे जाते हैं।

(ख) से (ङ) केन्द्र स्तर पर सु॰रो॰यो॰ की निगरानी निधियों के उपयोग और सृजित रोजगार के श्रमदिनों को दर्शाने वाली निर्धारित मासिक और वार्षिक रिपोर्टों के जरिए की जाती है।

हवाई अड्डों में सुरक्षा व्यवस्था

2437. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या गृह विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में देश में हवाई अड्डों की सुरक्षा करने में बड़ी रुकावटों का उल्लेख किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, को हवाई अड्डों की सुरक्षा में आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) बल को अधिक कारगर बनाने के लिए तैनाती, निष्पादन, कल्याण आदि सहित बल से संबंधित मामलों की निरन्तर पुनरीक्षा की जाती है।

पेट्रो रसायन उद्योगों में गिरावट

2438. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदारीकरण आरंभ होने के साथ ही पेट्रो रसायन उद्योगों में धीरे-धीरे गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने किन-किन कंपनियों को पालिएस्टर स्टेपल फाइबर और पालिएस्टर फाइबर यार्न के उत्पादन हेतु लाइसेंस जारी किए हैं;

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान प्रतिवर्ष और अब तक पी एस एफ और पी एफ वाई का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(घ) क्या देश की मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उत्पादन पर्याप्त है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पी एस एफ और पी एफ वाई का आयात करने का है; और

(छ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंढसा) : (क) जी, नहीं। पेट्रो रसायन उद्योग में कोई गिरावट नहीं आई है।

(ख) पी एस एफ तथा पी एफ वाई लाइसेंस मुक्त मदें हैं, इनके लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान पी एस एफ तथा पी एफ वाई का उत्पादन निम्न प्रकार है :-

(आंकड़े 000 मी॰ टन में)

वर्ष	पी एस एफ	पी एफ वाई
1997-98	431	662
1998-99	519	715
1999-2000	547	778

(घ) से (छ) घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पी एफ वाई तथा पी एस एफ की घरेलू क्षमता पर्याप्त है।

कोयला खानों में दुर्घटनाएं

2439. श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विभिन्न कंपनियों की किन-किन कोयला खानों में पानी आने या आग लगने की घटनाएं हुई और इनके क्या कारण थे;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक कंपनी को खानवार कितने कोयले और राजस्व की हानि हुई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राहत कार्यों के लिए सरकार ने कितनी विदेशी एजेंसियों को काम पर रखा और इस संबंध में कुल कितना व्यय हुआ;

(घ) क्या सरकार का विचार खानों की सुरक्षा हेतु आधुनिकतम औद्योगिकी का आयात करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है;

(च) क्या 4 फरवरी, 2001 के हिन्दी समाचार पत्र "हिन्दुस्तान" में छपी रिपोर्ट के अनुसार कोयला खानों में दुर्घटनाओं की जांच रिपोर्ट कोयला कंपनियों में धूल खा रही हैं;

(छ) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं; और

(ज) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान कोल इंडिया द्वारा बचाव कार्य के लिए किसी विदेशी एजेंसी को नहीं लगाया गया था।

(घ) और (ङ) रूफ स्पोर्ट कि लिए रूफ बोल्टिंग की कार्यकुशलता और क्वालिटी में सुधार करने के लिए एस॰ई॰सी॰एल॰ की भूमिगत खानों में आयातित रूफ बोल्टिंग मशीन का प्रयोग करने का प्रस्ताव है। डब्ल्यू॰ सी॰एल॰ में तीव्रगति से रूफ बोल्टिंग के लिए आयातित पिन्यूमेटिक रूफ बोल्टिंग मशीन और रेसिन बोल्टिंग परीक्षणाधीन है। एस॰ई॰सी॰एल॰ की तीन खानों में जहां सुरक्षा, उत्पादकता और उत्पादन अधिक हैं, विद्युत चालित लांगवाल टैक्नोलोजी को अपनाया गया है।

(च) जी, नहीं।

(छ) और (ज) उक्त भाग (च) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

विवरण

1998, 1999 और 2000 के दौरान कोल इंडिया की विभिन्न कंपनियों में आग और पानी से हुई उन दुर्घटनाओं का ब्यौरा, जिनसे कोयले और राजस्व की हानि हुई

वर्ष	खान का नाम	दुर्घटना का स्वरूप	कारण	कोयले की हानि	राजस्व की हानि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
	सी॰ सी॰ एल॰					
2000	भुरकंडा कोलियरी	आग	स्वतःस्फूर्त ऊष्मा के कारण आग दुर्घटना	लगभग 25,000 टी॰ई॰	रु॰ 7 लाख	–
2000	अशोका ओसीपी	जल	जल अन्तरवाह की दुर्घटना	शून्य	रु॰ 2 करोड़	खान को पुनः हालत में लाया गया है।
	एन॰ सी॰ एल॰					
1998, 1999 और 2000	इन वर्षों के दौरान, एन॰ सी॰ एल॰ की खानों में कोई ऐसी दुर्घटनाएं नहीं हुई हैं।					
	एम॰ सी॰ एल॰					
1998, 1999 तथा 2000	तलचर कोलियरी	आग	गिरे हुए कोयले में स्वयंमेव गर्मी पैदा होने के कारण तलचर कोलियरी में सहज तापन की दुर्घटना। आग तुरंत बुझा दी गई और गिरा हुआ कोयला हटा दिया गया।	शून्य	शून्य	–
1998, 1999 तथा 2000	जल भराव की कोई घटना नहीं हुई इसलिए वर्ष के दौरान कोयला और राजस्व का कोई नुकसान नहीं हुआ।					

1	2	3	4	5	6	7
	एन॰ ई॰ सी॰					
1998-99	लेडो कोलियरी	आग	20 फुट क्षेत्र में स्वतः स्फुर्त उष्मणन/आग के कारण क्षेत्र को सील कर दिया गया था।	—	—	—
1999-2000	लेडो कोलियरी	जल	कोयले से पम्पिंग क्षमता से अधिक पानी के सीपेज में वृद्धि होने के कारण खदान ढाई महीने तक पानी में डूबी रही।	शून्य	रु॰ 60 लाख	—
	डब्ल्यू॰ सी॰ एल॰					
1998	सीआरसी	आग	स्वतः स्फूर्त उष्मणन का पता चला था और क्षेत्र को सील कर दिया था।	—	—	आग बुझा लेने के बाद खान को कोयला निकालने के लिए पुनः चालू किया गया।
1999	सास्ती भू॰ग॰	आग	सहज रूप से तापन	—	—	सील किए गए क्षेत्र मानीटर किया जा रहा है तथा इसे निकट भविष्य में पुनः खोला जाएगा।
1999	महाकाली	आग	स्वतः स्फूर्त उष्मा	—	—	रसायनों के अन्तःक्षेप तथा आंशिक रेत भराई से संबर्धित किया गया।
2000	एन एम सी-3	आग	गिरे हुए कोयले में स्वतः स्फूर्त उष्मा	—	—	आग को पानी द्वारा बुझा कर नियंत्रित किया गया।
2000	इन्देर कोलियरी	आग	गिरे हुए कोयले में स्वतः स्फूर्त उष्मा	—	—	क्षेत्र को सील करके आग पर नियंत्रण पाया गया। आग बुझ जाने के बाद इसे पुनः खोला जाएगा।
1998, 1999 तथा 2000	धूपतला ओ॰का॰	आग	वर्षा के मौसम के दौरान, पुरानी विकसित खदानों के माध्यम से से बांध के तल में पॉट-होलिंग हुई जिससे उक्त पॉट-होल से नदी का पानी का प्रवाह ओपनकास्ट खदान में हुआ।	—	—	कोयले का कोई नुकसान नहीं। खान में कार्य एक मौसमी खान के तौर पर हो रहा है।
	ई॰ सी॰ एल॰					
1998	मधाईपुर			—	26.28 लाख	
	साउथ			—	21.40 लाख	
	समला					
	पारसकोले वेस्ट			—	0.75 लाख	

1	2	3	4	5	6	7
	आमबाद			–	1.05 लाख	
	बंसरा			–	0.62 लाख	
	बेजडी			–	1.09 लाख	
	मधईपुर			–	2.75 लाख	
	चोर 10 पिट					
	पांडेश्वर	आग	स्वत: स्फूर्त उष्मा	–	2.00 लाख	
	मोरिया			–	0.85 लाख	
1999	कुमारडीही "बी"			–	0.65 लाख	
	सीपुर			–	1.25 लाख	
	नकरकोंडा			–	0.60 लाख	
	अमृतनगर			–	1.25 लाख	
	झांजरा			–	1.57 लाख	
	मोरिया			–	32.57 लाख	राजस्व की हानि
2000	खोटाडीह			–	0.75 लाख	
	के० केंदा			–	0.00	
	ओसीपी					
	पांडेश्वर			–	1.25 लाख	
1998	मधईपुर			–	2.75 लाख	
	नाबाकजौरा			–	1.95 लाख	
	मधबपुर			–	3.40 लाख	
	कुआरडीह			–	3.25 लाख	
	लाचीपुर		सतही अथवा भूमिगत खानों से टपकते हुए पानी में वृद्धि के कारण उत्पादन अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया।	–	2.65 लाख	
	नगेश्वर			–	17.00 लाख	
	सतग्राम					
1999	मधबपुर	जल		–	7.40 लाख	

1	2	3	4	5	6	7
	केंदा ओसीपी			–	8.50 लाख	
	बदजना			–	2.30 लाख	
	कापासरा			–	2000-01	
	मंडमान			–	में लक्ष्य में	
2000	बदजना			–	784 लाख	कमी के कारण
	निरसा ओसीपी			–		
	कौरडीह			–		
	एस॰ ई॰ सी॰ एल॰			कोल ब्लॉक (चालू किया जाएगा)		राजस्व में हानि
1999	चिरीमिरी			5000	0.45 लाख	
	"ओ" सीम					
	चुर्चा ईस्ट		स्वतः स्फूर्त आग	8000	2.40 लाख	
	राजनगर आर॰ओ॰			40,000	3.5 लाख	
2000	नार्थ चिरीमिरी			15,000	0.60 लाख	
	कोलियरी					
	घुरघेला इन्क्लाइन					

समेकित पनधारा परियोजनाएं

2440. श्री अनन्त नायक : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं और नौवीं योजना के दौरान अब तक उड़ीसा में कितनी समेकित पनधारा परियोजनाएं आरंभ की गई हैं;

(ख) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता कितनी है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया गया और इन पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ रीता वर्मा) : (क) आठवीं और नौवीं योजना के दौरान (1992-93 से 2000-2001, 28.2.2001 तक) आज तक उड़ीसा के विभिन्न जिलों में वनेतर बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि को विकसित करने के लिए समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई॰ डब्ल्यू॰ डी॰ पी॰) के तहत कुल 25 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

(ख) आठवीं और नौवीं योजना के दौरान (1992-93 से 2000-2001, 28.2.2001 तक) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की राज्य-वार कुल लागत का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के तहत वनेतर बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि के विकास के लिए परियोजनाएं कार्यान्वयन के लिए सामान्यतः जिला परिषदों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के पक्ष में स्वीकृत की जाती हैं। 1.4.1995 से इन परियोजनाओं को वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत वाटरशेड आधार पर स्वीकृत किया जाता है। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत परियोजनाओं के संबंध में किए जाने वाले कार्यकलापों के बारे में निर्णय वाटरशेड परियोजना क्षेत्र में और उसके आस-पास रहने वाले लोगों/प्रयोक्ता समूहों द्वारा किया जाता है। मृदा और नमी संरक्षण कार्यकलाप इन परियोजनाओं

में किए जाने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण क्रियाकलापों में शामिल हैं। इस प्रकार इन कार्यकलापों के कारण भू-जल की सामान्यता पुन: भराई होती है जिससे भूजल स्तर बढ़ता है। इसके अलावा, रोक बांधों और जल एकत्रण की अन्य संरचनाओं का निर्माण किए जाने के कारण भूमि की ऊपर जल की उपलब्धता में वृद्धि होती है।

(घ) समेकित बंजरभूमि कार्यक्रम एक मांग आधारित कार्यक्रम हैं और यह आबंटन पर आधारित कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम के तहत परियोजना प्रस्तावों की वर्ष के दौरान स्वीकृति के लिए प्राथमिकता संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके निर्धारित की जाती है। परियोजनाओं के लिए निधियां इनके कार्यान्वयन की पांच वर्षों की अवधि के दौरान 7 किस्तों में जारी की जानी होती हैं। प्रत्येक परियोजना में प्रारंभिक किस्त जारी करने के पश्चात् आगे की किस्तों को जारी करना पिछली किस्त के तहत जारी की गई निधियों के आधे से अधिक राशि का उपयोग किए जाने पर निर्भर करता है। वर्ष 1992-93 से लेकर 28.2.2001 तक की अवधि के दौरान देश में समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 508.82 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

विवरण

वर्ष 1992-93 से लेकर 2000-01 तक (28.2.2001 तक) की अवधि के दौरान समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाओं की राज्य-वार, कुल लागत को दिखाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	कुल लागत (लाख रुपये में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	15753.18
2.	अरूणाचल प्रदेश	60.00
3.	असम	2694.00
4.	बिहार	762.00
5.	छत्तीसगढ़	2121.00
6.	दिल्ली	56.00
7.	गुजरात	12692.00
8.	हिमाचल प्रदेश	7656.00
9.	हरियाणा	2430.00
10.	जम्मू और कश्मीर	1213.00
11.	झारखंड	1317.00
12.	कर्नाटक	7803.00
13.	केरल	1650.00
14.	महाराष्ट्र	6167.00
15.	मेघालय	558.00
16.	मणिपुर	2861.00
17.	मध्य प्रदेश	9298.00
18.	मिजोरम	1896.00
19.	नागालैंड	5601.00
20.	उड़ीसा	6463.00
21.	पंजाब	1319.00
22.	राजस्थान	10536.00
23.	सिक्किम	3141.00
24.	तमिलनाडु	7209.00
25.	त्रिपुरा	145.00
26.	उत्तर प्रदेश	16910.00
27.	उत्तरांचल	968.00
28.	पश्चिम बंगाल	1215.00
	योग	130492.61

यमुना नदी तल पर निर्माण

2441. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न ढांचों के निर्माण की सुगमता हेतु यमुना नदी तल के सुधार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नदी तल क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि यमुना तलहटी जोन (क) का उपयोग राष्ट्रीय पर्यावरण एवं इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान (नीरी) की रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा, ताकि पर्यावरणीय एवं पारिस्थतिकीय संतुलन बनाए रखा जा सके।

(ख) और (ग) दिल्ली मास्टर प्लान-2001 के अनुसार विभिन्न उपायों से यमुना नदी को प्रदूषण-मुक्त किया जाना है। नीरी को सौंपे गए अध्ययन के आधार पर विकास के लिए उपयुक्त पाये गये क्षेत्रों का मुख्यत: मनोरंजन प्रयोजनों के लिए उपयोग पर विचार किया जा रहा है। तदनुसार संबंधित एजेंसियों से परामर्श करके केन्द्र सरकार 42.5 हैक्टेयर क्षेत्र में भू उपयोग "कृषि कार्य एवं जल धाराओं" की बजाय "सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं" में बदलने के लिये सहमत हो गई है।

महानदी कोलफील्ड्स लि॰ द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा

2442. श्री भर्तृहरि महताब :
डॉ॰ प्रसन्न कुमार पाटसाणी :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख तक उड़ीसा में महानदी कोलफील्ड्स लि॰ (एम॰ सी॰ एल॰) द्वारा अधिग्रहित निजी/सरकारी भूमि का क्षेत्र कितना है;

(ख) महानदी कोलफील्ड्स लि॰ के अंतर्गत अब तक कितने खान क्षेत्र आए हैं;

(ग) क्या महानदी कोलफील्ड्स लि॰ द्वारा सभी प्रभावित लोगों को रोजगार सहित मुआवजा लाभ दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रभावित लोगों के पुनर्वास पर अब तक कितना व्यय हुआ है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) ऐसे सभी लोगों को कब मुआवजा दे दिए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) महानदी कोलफील्ड्स लि॰ द्वारा कवर किया गया खान क्षेत्र 21523.96 हैक्टेयर है। आज की तारीख में उड़ीसा में महानदी कोलफील्ड्स लि॰ द्वारा अधिग्रहित सार्वजनिक/निजी/सरकारी जमीन का क्षेत्र नीचे दिया गया है :-

1.	निजी/काश्तकारी क्षेत्र	-	3481.84 हैक्टेयर
2.	(i) सरकारी गैर-वन भूमि	-	3666.27 हैक्टेयर
	(ii) वन भूमि	-	1216.35 हैक्टेयर*

*केवल 42.42 हैक्टेयर भूमि का वास्तविक कब्जा एम॰ सी॰ एल॰ को सौंपा गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। सितम्बर, 2000 तक 5063 भू-वंचितों को रोजगार मुहैया किया जा चुका है। कंपनी ने पुनर्वास स्थलों के विकास और पुन: स्थापना खंडों के बदले एक मुश्त नकद अनुदान के भुगतान के लिए 9.64 करोड़ रु॰ की राशि खर्च की है।

(ङ) और (च) उक्त (ग) तथा (घ) भागों में दिए गए उत्तर को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भेषज उद्योग में बहुराष्ट्रीय कंपनियां

2443. डा॰ सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री नवल किशोर राय :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में औद्योगिक उदारीकरण शुरु होने के बाद कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भेषज उद्योग में प्रवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो उन कंपनियों के नाम क्या हैं और ये कंपनियां कहां कार्य कर रही हैं;

(ग) क्या कई छोटी भेषज कंपनियां 1995-96 के बाद रुग्ण हो चुकी हैं; और

(घ) यदि हां, तो वर्तमान में राज्यवार कितनी भेषज कंपनियां रुग्ण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) अगस्त, 1991 से दिसम्बर, 2000 की अवधि के दौरान औषध तथा भेषज क्षेत्र में सरकार द्वारा 2496 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सम्भावनाओं समेत 415 विदेशी सहयोग प्रस्तावों (तकनीकी तथा वित्तीय) को अनुमोदन प्रदान किया है।

(ख) ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा जैसे विदेशी सहयोग का नाम व देश, इक्विटी की प्रतिशतता, उत्पादन/कार्यकलाप की मदों तथा परियोजनाओं के स्थल के बारे में आई॰ ए॰ न्यूजलेटर में मासिक आधार पर प्रकाशन किया जाता है, जो व्यापक रूप से परिचालित होता है, जिसमें संसद पुस्तकालय भी शामिल है।

(ग) और (घ) ऐसे विवरण सरकार में केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

खान सुरक्षा पर स्थायी समिति

2444. **श्री नरेश पुगलिया :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खानों की सुरक्षा पर कोई स्थायी समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति में कौन-कौन से सदस्य हैं और इसके मुख्य कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित की गई इस समिति की बैठकों और उनमें लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह समिति खानों की सुरक्षा संबंधी नियमों को किस सीमा तक लागू कराने में सफल रही है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, हां।

(ख) कोयला खानों में सुरक्षा पर स्थायी समिति की अध्यक्षता कोयला मंत्री द्वारा की जाती है। इस समिति के सदस्य हैं :- सचिव, कोयला मंत्रालय; सचिव, श्रम मंत्रालय; खान सुरक्षा महानिदेशक; अध्यक्ष, कोल इंडिया लि०; कोयला कंपनियों के सी० एम० डी०; तथा केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के छह प्रतिनिधि तथा संयुक्त सचिव-सुरक्षा प्रभारी, कोयला मंत्रालय इसके सदस्य-सचिव हैं। समिति कोयला खनन के खतरों को कम करने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के उपायों के संबंध में सुझाव देती है।

(ग) पिछले 3 वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान स्थायी समिति की 6 बैठकें हुई हैं। प्रमुख निर्णय मजदूरों की आवधिक चिकित्सा जांच, सांवधिक श्रम-शक्ति, जांच आयोग तथा मुख्य दुर्घटनाओं की अन्य जांचों, अनुबंधकर्त्ताओं के श्रमिकों के प्रशिक्षण, पर्यवेक्षकों द्वारा कार्य-स्थलों पर कार्य-भार ग्रहण करने तथा सौंपने, प्रत्येक मानसून से पहले जल के खतरे का आकलन, पर्यवेक्षकों तथा मजदूरों की सुरक्षा में प्रशिक्षण तथा पुनः प्रशिक्षण, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी का रख-रखाव, सहायक प्रबंधकों की कमी, परिवहन उपकरणों के कारण ओपनकास्ट खानों में दुर्घटनाएं, कोयला खान विनियमन 1957 में संशोधन हेतु सुझाव, खान दुर्घटना में प्रबंधन के समानान्तर पुलिस कार्रवाई, दुर्घटना के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रबोधन, आदि से संबंधित हैं।

(घ) स्थायी समिति की सिफारिशों को निरन्तर आधार पर कार्यान्वित किया जाता है। समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा समिति द्वारा प्रत्येक बैठक में की जाती है।

भेषज कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2445. **श्री किरीट सोमैया :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भेपज कंपनियों द्वारा शत प्रतिशत आनुषंगिक कंपनियां स्थापित करने के प्रस्तावों को एफ. आई. पी. बी. द्वारा अनुमोदित किए जाने के बावजूद उन्हें मंजूरी नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) सरकार ने ऑटोमेटिक रूट के तहत (रिकम्बिनेंट डी एन ए टेक्नालॉजी के प्रयोग से उत्पादित वस्तुओं को छोड़कर) सभी प्रपुंज औषधों, उनके मध्यवर्तियों और सूत्रयोगों के मामले में 74% तक विदेशी सीधे (एफ.डी.आई.) की अनुमति दे दी है। इस सेक्टर में 74% से ऊपर एफ०डी०आई० मामले दर मामले के आधार पर सरकार द्वारा विचार किया जाता है।

एफ०डी०आई० प्रस्तावों की पावती और निपटान एक सतत् प्रक्रिया है। एफ०डी०आई० प्रस्ताव सामान्यतः एफ० डी० आई० मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के परामर्श से 3 दिनों के अंदर निपटाए जाते हैं। अगस्त, 1991 से दिसंबर, 2000 की अवधि में औषध और भेषज सेक्टर में 142 एफ० डी० आई० प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं।

बी० आर्क० का पाठ्यक्रम

2446. **श्री सुरेश रामराव जाधव :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देशभर में बी० आर्क० के पाठ्यक्रम में भूकंप रोधी विनिर्माण को आवश्यक विषय के रूप में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) बी० वास्तुकला पाठ्यक्रम में पहले से ही 'बिहेवियर ऑफ सट्रक्चर्स अंडर विंड एंड सिस्मिक लोड्स, स्ट्रक्चरल डिजाइन फॉर डिसास्टर प्रोन एरिया' विषय पर एक पेपर मौजूद है।

हिंद महासागर के अध्ययन पर गोष्ठी

2447. **श्री जी०एस० बसवराज :**
श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में हिंद महासागर और प्रशांत महासागर और अंटार्टिक महासागर में संबंधित पैटर्न के अध्ययन पर एक तीन दिवसीय गोष्टी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने प्रशांत महासागर रिमोट सेंसिंग सम्मेलन पहली बार आयोजित किया था;

(घ) यदि हां, तो इस गोष्ठी में कितने भारतीय और विदेशी वैज्ञानिकों ने भाग लिया; और

(ङ) इस गोष्ठी में किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई और उन पर क्या निर्णय लिए गए?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 5-8 दिसम्बर, 2000 तक गोवा में प्रशांत महासागर रिमोट सेंसिंग सम्मेलन (पीओआरएसईसी) हुआ था जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के उपग्रह समुद्र विज्ञान विशेषज्ञों ने भाग लिया।

(ग) जी, हां।

(घ) इसमें भारत के 80 प्रतिभागियों सहित लगभग 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया और 180 वैज्ञानिक लेख प्रस्तुत किए गए।

(ङ) इस सम्मेलन ने वैज्ञानिकों के बीच उपग्रह विज्ञान के विविध पहलुओं पर ज्ञान के आदान-प्रदान तथा अनुभव बांटने के लिए विश्वव्यापी मंच उपलब्ध कराया। अब से पीओआरएसईसी का नामकरण पैन ओशन (पीएएनओसीईएएन) रिमोट सेंसिंग कांफ्रेंस करने का निर्णय लिया गया।

[हिन्दी]

पत्राचार पाठ्यक्रम विद्यालय

2448. मोहम्मद शहाबुद्दीन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम विद्यालय की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इस वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन प्रत्येक कॉलेज में प्रत्येक पाठ्यक्रम में कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया और कितनी सीटें अभी भी खाली पड़ी हैं; और

(घ) सीटों के खाली रहने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दूरस्थ अध्ययन विधि के जरिए उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1962 में पत्राचार पाठ्यक्रम और सतत् शिक्षा विद्यालय की स्थापना की गई। इस समय स्कूल के विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों में 1,21,438 छात्र नामांकित हैं।

(ग) और (घ) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार कालेजों में उपलब्ध सभी सीटों को प्रवेश के समय भरा जाता है। परन्तु कुछ छात्र विभिन्न कारणों से कुछ समय बाद कालेज छोड़ देते हैं, जिससे सीटें खाली हो जाती हैं। इस प्रकार की रिक्त सीटों की सही संख्या का आकलन करने के लिए विश्वविद्यालय के पास कोई तंत्र नहीं है तथापि वर्ष 1999-2000 के दौरान विश्वविद्यालय के विभिन्न कालेजों में पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्रों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र. सं.	कालेज का नाम	छात्रों की संख्या	
		पूर्व स्नातक पाठ्यक्रम	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
1	2	3	4
1.	आयुर्वेदिक यूनानी तिबिया कालेज	376	0
2.	आत्मा राम सनातन धर्म कालेज	1,658	58
3.	आचार्य नरेन्द्र देव कालेज	833	23
4.	भारती कालेज (डब्ल्यू)	1,309	0
5.	भीमराव अम्बेडकर कालेज	1,436	0
6.	राज गुरू कालेज आफ अप्लाईड साईस (डब्ल्यू)	205	0
7.	कालेज आफ आर्ट	334	33
8.	कालेज आफ बिजनेस स्टडीज	395	19
9.	कालेज आफ फार्मेसी	347	32
10.	कालेज आफ वोकेशनल स्टडीज	1,485	170
11.	दौलत राम कालेज (डब्ल्यू)	2,033	171
12.	दीन दयाल उपाध्याय कालेज	1,323	14
13.	दिल्ली कालेज आफ आर्ट एण्ड कामर्स	1,525	0

1	2	3	4
14.	दिल्ली कालेज आफ इंजीनियरिंग	2,041	294
15.	नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी	804	32
16.	देशबंधु कालेज	2,189	40
17.	दयाल सिंह कालेज	2,721	12
18.	गार्गी कालेज (डब्ल्यू)	1,956	31
19.	हंस राज कालेज	2,911	487
20.	हिंदू कालेज	1,480	554
21.	आई॰ जी॰ इंस्टीट्यूट आफ फिजीकल एज्यूकेशन एण्ड स्पोर्ट्स	223	115
22.	आई॰ पी॰ कालेज	1,660	239
23.	इंस्टीट्यूट आफ होम इकोनामिक्स (डब्ल्यू)	593	84
24.	जानकी देवी मेमोरियल कालेज (डब्ल्यू)	1,787	47
25.	जीसस एण्ड मेरी कालेज (डब्ल्यू)	2,310	67
26.	कालंदी कालेज (डब्ल्यू)	1,706	4
27.	कमला नेहरु कालेज (डब्ल्यू)	1,568	94
28.	किरोड़ीमल कालेज	1,856	275
29.	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज (डब्ल्यू)	678	179
30.	लेडी इर्विन कालेज (डब्ल्यू)	636	204
31.	लेडी श्रीराम कालेज (डब्ल्यू)	1,812	117
32.	लक्ष्मीबाई कालेज (डब्ल्यू)	2,015	13
33.	मैत्री कालेज (डब्ल्यू)	1,954	50
34.	माता सुंदरी कालेज (डब्ल्यू)	1,944	0
35.	मौलाना आजाद मेडिकल कालेज	971	298
36.	मिरांडा हाऊस (डब्ल्यू)	1,783	329
37.	मोतीलाल नेहरू कालेज	2,036	63

1	2	3	4
38.	पी॰जी॰डी॰ए॰बी॰ कालेज	1,845	45
39.	आर॰ए॰के॰ कालेज आफ नर्सिंग (डब्ल्यू)	169	32
40.	राजधानी कालेज	1,600	5
41.	रामलाल आनन्द कालेज	1,076	8
42.	रामजस कालेज	1,857	411
43.	एस॰जी॰टी॰बी॰ खालसा कालेज	2,314	100
44.	सत्यवती को-एज्युकेशनल कालेज	1,984	18
45.	शहीद भगतसिंह कालेज	1,560	35
46.	शेरब्यूटश कालेज (भूटान)	381	0
47.	शिवाजी कालेज	1,936	21
48.	श्याम लाल कालेज	1,580	14
49.	श्याम प्रसाद मुखर्जी कालेज (डब्ल्यू)	2,106	30
50.	श्री अरबिंदो कालेज	1,845	0
51.	श्री जी॰जी॰एस॰ कालेज आफ कामर्स	1,127	0
52.	श्री राम कालेज आफ कामर्स	1,242	104
53.	श्री वेंकटेश्वर कालेज	2,383	129
54.	सेंट स्टीफेंस कालेज	1,089	120
55.	स्वामी श्रद्धानंद कालेज	2,673	6
56.	यूनिवर्सिटी कालेज आफ साईस	536	132
57.	वी॰पी॰ चेस्ट इंस्टीट्यूट	0	44
58.	विवेकानंद कालेज (डब्ल्यू)	1,386	17
59	जाकिर हुसैन कालेज	2,240	198
60.	नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कालेज	230	0
61.	भगिनी निवेदिता कालेज (डब्ल्यू)	849	0
62.	केशव महाविद्यालय	381	18

1	2	3	4
63.	अदिति महाविद्यालय (डब्ल्यू)	949	0
64.	महाराजा अग्रसेन को-एड० कालेज	891	0
65.	एम०वी० कालेज आफ एज्यूकेशन	0	134
66.	भास्कराचार्य कालेज आफ अप्लाइड साईंस	300	0
67.	देशबंधु कालेज (इवनिंग)	1,672	0
68.	दयाल सिंह कालेज (इवनिंग)	1,361	0
69.	मोतीलाल नेहरू कालेज (इवनिंग)	1,126	0
70.	पी०जी०डी०ए०वी० कालेज (इवनिंग)	1,081	0
71.	राम लाल आनंद (इवनिंग)	1,082	0
72.	एस०जी०टी०बी० खालसा पी०जी० इवनिंग कालेज	1,794	8
73.	सत्यवती कालेज (इवनिंग)	1,546	0
74.	शहीद भगतसिंह कालेज (इवनिंग)	1,269	0
75.	श्याम लाल कालेज (इवनिंग)	1,049	0
76.	श्री अरबिंदो कालेज (इवनिंग)	1,122	0
77.	जाकिर हुसैन पी०जी० इवनिंग कालेज	1,538	29

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को प्राकृतिक संसाधन संबंधी लाइसेंस

2449. डा० मन्दा जगन्नाथ : क्या ग्रामीण विकास मंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों को प्राकृतिक संसाधनों के लिए लाइसेंस देने के बारे में 1 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1362 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस संबंध में सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सूचना को कब तक एकत्र कर लिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा): (क) से (ग) संगत सूचना अभी तक एकत्र नहीं हुई है। जैसे ही यह सूचना एकत्रित होती है इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

बी०सी०सी०एल० द्वारा अधिकरण के फैसलों को लागू किया जाना

2450. श्री बसुदेव आचार्य : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसंबर, 2000 तक बी०सी०सी०एल० द्वारा अधिकरणों के कौन-कौन से फैसलों को लागू नहीं किया गया है;

(ख) इन्हें लागू न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) वे कौन-कौन से फैसले हैं जिनमें बी०सी०सी०एल० अब तक उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में हार चुका है;

(घ) इस संबंध में लिए गए या लिए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बी०सी०सी०एल० के खिलाफ अदालत में अभियोजन कार्यवाही चल रही है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैय्द शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) 31 दिसम्बर, 2000 तक, 96 अधिनिर्णयों को लागू नहीं किया गया है क्योंकि उन्हें माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करके चुनौती दी गई है। इन 96 मामलों में से, 86 मामले माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष तथा 10 मामले सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं।

(ग) और (घ) 31 दिसम्बर, 2000 तक, बी०सी०सी०एल० उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में 7 मामले हार चुकी है। ऐसे मामलों तथा बी०सी०सी०एल० द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) बी०सी०सी०एल० प्रबंधन के विभिन्न कर्मचारियों के विरुद्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत 45 अभियोजन के मामले लंबित हैं।

विवरण

अधिनिर्णय सं. (1) - समीक्षा याचिका संख्या 2352/98, बी०सी०सी०एल० बनाम मंगल हरिजन

- इस मामले का निपटारा दिसम्बर, 1998 में कर दिया गया था और इसे क्रियान्वित किया जा चुका है।

अधिनिर्णय सं. (2) - सिविल अपील सं. 1687/2000 (डी तथा एफ रज्जु मार्ग)

- इस मामले का निपटान मार्च, 1999 में कर दिया गया था और प्रबंधन ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में इसे कार्यान्वित कर दिया है। किन्तु एक एल०पी०ए० दायर की गई है और इस आधार पर लंबित है कि एक निर्णय दिया गया था और इसका संदर्भ अपने आप में उपयुक्त नहीं था।

अधिनिर्णय सं. (3) - सिविल अपील संख्या 1380/98 (आर), कुसुंडा क्षेत्र के कैंटीन कर्मचारी—इस मामले का निपटारा सितम्बर, 1999 में हो गया था और इसे कार्यान्वित कर दिया गया है।

अधिनिर्णय सं. (4) - एल०पी०ए० सं. 309/97 (आर), भूली टाउन प्रशासन के 21 कामगार।

- यह मामला माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एल०पी०ए० में लंबित पड़ा है।

अधिनिर्णय सं. (5) - 1996 की एस०एल०पी० (सी) संख्या 23654, जीलगोरा कोलियरी के नीतिश कुमार तथा अन्य 110

- सम्बद्ध कामगारों को विनिर्दिष्ट करने वाले विस्तृत दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में यूनियन के असफल होने के परिणामस्वरूप, अधिकरण संख्या 1, धनबाद द्वारा संदर्भ संख्या 51/90 में दिए गए निर्णय को दिनांक 6/12.3.1998 के कार्यालय पत्र के माध्यम से समाप्त कर दिया गया था। यूनियन ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पुनः सी०डब्ल्यू०जे०ओ० संख्या 47/2000 (आर) रिट याचिका दायर की जो कि माननीय उच्च न्यायालय में लंबित पड़ी है, जबकि बी०सी०सी०एल० प्रबंधन द्वारा प्रति शपथ-पत्र दायर कर दिया गया है।

अधिनिर्णय संख्या 9 (6 और 7) - एल०पी०ए० सं० 83/99 (आर) से उत्पन्न एस०एल०पी० (सी) सं० 15253/99, तथा एल०पी०ए० सं० 554/99 (आर), दामोदा मामला से उत्पन्न एस०एल०पी० (सी) सं० /2000

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत कोकिंग कोल लि० के प्रबंधन के विरुद्ध मामले का निर्णय दिया, जिसके परिणामस्वरूप प्रबंधन ने इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष इस मामले को उठाया कि यूनियन ने पहले दावा किया था कि श्रमिक पहले ही कार्य कर रहे हैं और इसलिए उनको नियमित किए जाने के प्रश्न, जैसाकि यूनियन ने पहले दावा किया था, को चुनौती दी गई है।

जब इस मामले को सुनवाई के लिए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया तो यह बात माननीय उच्च न्यायालय की जानकारी में लाई गई कि बी०सी०सी०एल० को पहले ही बी०आई०एफ०आर० को संदर्भगत कर दिया गया है, तत्पश्चात्, माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि इस निर्णय को आस्थगित रखने हेतु बी०आई०एफ०आर० के उपयुक्त प्राधिकारी से संपर्क करने की अनुमति सहित रिट याचिका को वापस लिए जाने के तौर पर खारिज किया जाता है चूंकि एस०आई०सी०ए० की धारा 15(1) के अंतर्गत बी०आई०एफ०आर० को पहले ही संदर्भगत किया जा चुका है।

ग्रामीण बुनियादी ढांचा संबंधी संगोष्ठी

2451. डा० जसवंतसिंह यादव:
श्री पी०आर० खूंटे:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास पर कोई संगोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण विकास विशेष के संदर्भ सहित इस सम्मेलन में उठाए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्मेलन का निष्कर्ष क्या रहा?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू) : (क) से (ग) नई दिल्ली में नवम्बर, 2000 में भारतीय व्यापार एवं उद्योग परिसंघ के तत्वाधान में ''ग्रामीण ढांचागत विकास: नई प्राथमिकताएं'' विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी जिसमें ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण दूरसंचार से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था।

ग्रामीण ढांचागत विकास में निजी क्षेत्रों की भागीदारी की संभावनाओं का पता लगाने के लिए नई दिल्ली में जनवरी 2001 में ग्रामीण ढांचागत विकास विषय पर एक संगोष्ठी भी आयोजित की गई थी जिसमें ग्रामीण दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी तथा ग्रामीण ऊर्जा पर मुख्य रूप से चर्चा की गयी थी और ऐसा समझा जाता है कि इसके निष्कर्षों को भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एफ आई सी सी आई द्वारा इस पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

पिछड़े और अधिक गरीबी वाले जिलों की पहचान के लिए मानदंड

2452. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सर्वाधिक पिछड़े और अधिक गरीबी वाले जिलों की पहचान के मानदंड क्या हैं;

(ख) अब तक ऐसे कितने जिलों की पहचान की गई है; और

(ग) इन जिलों के विकास के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) और (ख) अन्य बातों के साथ-साथ देश के सर्वाधिक पिछड़े और गरीब 100 जिलों की पहचान करने के लिए 1997 में एक समिति (डा॰ ई.ए.एस. शर्मा, तत्कालीन प्रधान सलाहकार, योजना आयोग की अध्यक्षता में) गठित की गई थी। पिछड़ेपन के कारणों का विश्लेषण करने के लिए समिति द्वारा अपनाए गए व्यापक मानदण्डों में वंचित रहने के सूचकांक (गरीबी अनुपात) और सामाजिक तथा आर्थिक ढांचों को शामिल किया गया है। समिति ने देश में 100 सर्वाधिक पिछड़े तथा गरीब जिलों की पहचान की है। इन जिलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के रहन-सहन में सुधार लाने और गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों की सहायता करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय अन्य बातों के साथ-साथ गरीबी उपशमन, रोजगार सृजन, ढांचागत विकास, वाटरशेड विकास, सामाजिक सुरक्षा और भूमि सुधार से संबंधित कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है। इन कार्यक्रमों की गहन निगरानी की जा रही है और समय-समय पर इनका मूल्यांकन किया जा रहा है। विशिष्ट लक्ष्य वाले आबंटन आधारित कार्यक्रमों को भी इन 100 सर्वाधिक पिछड़े और गरीब जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

विवरण

सरमा समिति द्वारा चयनित काफी पिछड़े तथा गरीब जिलों की सूची

क्र.सं.	जिलों के नाम
1	2
1.	नालंदा
2.	भोजपुर
3.	रांची
4.	औरंगाबाद
5.	जहानाबाद
6.	गया
7.	नवादा
8.	सारण
9.	सीवान
10.	गोपालगंज
11.	प॰ चम्पारण
12.	पूर्वी चम्पारण
13.	सीतामढ़ी
14.	मुजफ्फरपुर
15.	वैशाली
16.	बेगूसराय
17.	समस्तीपुर
18.	दरभंगा
19.	मधुबनी
20.	सहरसा
21.	मधेपुरा
22.	पूर्णिया
23.	कटिहार
24.	खागड़िया
25.	मुंगेर
26.	भागलपुर
27.	गोड्डा
28.	साहिबगंज
29.	दुमका
30.	देवधर
31.	गिरिडिह
32.	हजारीबाग
33.	पलामू
34.	लोहारदगा
35.	गुमला
36.	प॰ सिंहभूम
37.	अररिया
38.	किशन गंज
39.	दादरा व नगर हवेली

1	2
40.	कैथल
41.	हमीरपुर
42.	बीदर
43.	टीकमगढ़
44.	छत्तरपुर
45.	पन्ना
46.	सागर
47.	दमोह
48.	खरगोन
49.	खंडवा
50.	विदिशा
51.	सिहोर
52.	रायसेन
53.	बेतूल
54.	होशंगाबाद
55.	नरसिंहपुर
56.	मंडला
57.	छिंदवाडा
58.	सिवनी
59.	बालाघाट
60.	राजनंदगांव
61.	सरगुजा
62.	औरंगाबाद
63.	जालना
64.	परभनी
65.	बीड़
66.	नांदेड़
67.	उस्मानाबाद
68.	लातूर
69.	बुलदाना

1	2
70.	गढ़चिरौली
71.	यावतमल
72.	फुलबनी
73.	कालाहांडी
74.	कोरापुट
75.	क्योंझर
76.	डूंगरपुर
77.	बांसवाड़ा
78.	प॰ सिक्किम
79.	दक्षिण सिक्किम
80.	सीतापुर
81.	हरदोई
82.	उन्नाव
83.	रायबरेली
84.	जालौन
85.	ललितपुर
86.	हमीरपुर
87.	बांदा
88.	फतेहपुर
89.	प्रतापगढ़
90.	बहराइच
91.	बाराबंकी
92.	सिद्धार्थनगर
93.	महाराजगंज
94.	झांसी
95.	मऊ
96.	कानपुर देहात
97.	कूच बिहार
98.	जलपाईगुडी
99.	मालदा
100.	दार्जिलिंग

प्रौढ़ शिक्षा के लिए दी गई राशि का उपयोग

2453. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों, विशेष तौर पर आन्ध्र प्रदेश में, प्रौढ़ शिक्षा के लिए मंजूर की गई धनराशि का अन्य योजनाओं पर खर्च करके इसका दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए मंजूर की गई धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित किए जाने के लिए राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निधियों के उचित उपयोग का सुनिश्चय राज्य स्तरीय मासिक मानीटरिंग बैठकों द्वारा किया जाता है जिसमें कार्यक्रमों के कार्यान्वियन तथा व्यय की स्थिति की समीक्षा की जाती है तथा आवश्यक हो तो सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

1993 के मुंबई दंगा पीड़ितों को पुनः मुआवजा दिया जाना

2454. श्री अशोक ना० मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1993 के मंबई दंगा पीड़ितों को पुनः मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो अब तक इन दंगा पीड़ितों को कितनी राशि मुआवजे के रूप में दी गई;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन दंगा पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) पीड़ितों को मुआवजा कब तक दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ङ) 1993 के मुबई दंगा पीड़ितों को सहायता/अनुग्रहपूर्वक अदायगी का मुद्दा राज्य सरकार अर्थात् महाराष्ट्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, मुख्य मंत्री के राहत कोष से एक लाख रुपये और प्रधान मंत्री के राहत कोष से एक लाख रुपये की सहायता/अनुग्रहपूर्वक अदायगी पीड़ितों के कानूनी वारिसों, जिनमें मृत और लापता व्यक्ति शामिल हैं, को दी जानी थी। अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् अदायगी की जानी हैं।

महाराष्ट्र की सरकार ने सूचित किया है कि मृत्यु के कुल 899 मामले थे, जिनमें से 880 मामलों मे सहायता/अनुग्रहपूर्वक अदायगी कर दी गई है। शेष के संबंध में, 5 मामले सांप्रदायिक दंगों से संबंधित नहीं पाए गए, 3 मामलों में कानूनी वारिस नहीं पाए गए और शेष 11 मामले प्रोसेस किए जा रहे हैं। इस संबंध में अभी तक 18,29,85,000/-रु० की राशि का भुगतान किया गया है।

लापता व्यक्तियों के कुल 173 मामले थे। इनमें से 40 मामलों में सहायता/अनुग्रहपूर्वक राहत दे दी गई है, 26 मामले दंगों से संबंधित नहीं थे, 12 व्यक्ति जीवित पाए गए और एक मामले में लापता व्यक्ति के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया है अतः मुआवजा नहीं दिया गया। 50 मामलों में, जहां कानूनी वारिस नहीं पाए गए, लापता व्यक्तियों के कानूनी वारिसों के संबंध में स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया था। शेष मामले प्रोसेस किए जा रहे हैं। लापता व्यक्तियों के संबंध में अभी तक कुल 78 लाख रु० का भुगतान किया गया है।

मुआवजे के संवितरण में लगने वाला समय विभिन्न कारकों, अर्थात् साक्ष्य की उपलब्धता इत्यादि, पर निर्भर करता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सौहार्द फाउंडेशन, जो इस मंत्रालय के अधीन एक दर्ज सोसाइटी है, सांप्रदायिक हिंसा के बाल पीड़ितों को उनके पुनर्वास हेतु वित्तीय सहायता (500-550 रु० प्रति माह) भी प्रदान कर रही है। अभी तक मुबई से 285 बच्चों को करीब 98 लाख रु० भुगतान किया गया है।

तेलागा समुदाय का वर्गीकरण

2455. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश के तेलागा पामुलु समुदाय को अनुसूचित जनजाति समुदाय की श्रेणी में शामिल किए जाने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त समुदाय के जीवन स्तर को सुधारने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) जी, नहीं।

(ख) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना मांगी गई है।

(ग) प्राधिकार, रियायतें तथा अन्य लाभ केवल उन समुदायों को उपलब्ध हैं जिन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

अतिरिक्त भूमि के वितरण पर रिपोर्ट

2456. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अतिरिक्त भूमि के वितरण के संबंध में राज्य सरकारों से प्रगति की रिपोर्ट मांग रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अतिरिक्त भूमि, भूमिहीन लोगों में वितरण के लिए उपलब्ध भूमि क्षेत्र और इसके लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या भूमिका है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ रीता वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) इसको आरंभ किए जाने की तारीख से लेकर संपूर्ण देश में फालतू घोषित भूमि का कुल क्षेत्रफल 73.49 हैक्टेयर है, जिसमें से लगभग 64.84 लाख एकड़ भूमि कब्जे में ली गई है और 52.59 लाख एकड़ भूमि 55.10 लाख लाभभोगियों को वितरित की गई है, जिनमें से 36 प्रतिशत लाभभोगी अनुसूचित जातियों से संबंधित हैं और 15 प्रतिशत लाभभोगी अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं।

(ग) फालतू घोषित भूमि, कब्जे में ली गई भूमि, भूमिहीन लोगों को वितरित की गई भूमि और लाभभोगियों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) भूमि एक राज्य विषय है। केन्द्रीय सरकार केवल राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रगति रिपोर्टें प्राप्त करके अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण की प्रगति पर निगरानी रखती है।

विवरण

अधिकतम सीमा से फालतू भूमि का राज्य-वार वितरण दिखाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	फालतू घोषित भूमि	कब्जे में ली गई भूमि	लाभ-भोगियों को वितरित की गई भूमि	लाभ-भोगियों की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	792762	640180	581568	534603
2.	असम	612500	575337	483951	444997
3.	बिहार	415447	390752	306964	379528
4.	गुजरात	227404	160190	139748	32174
5.	हरियाणा	107517	102534	102027	29203
6.	हिमाचल प्रदेश	316556	304895	4374	6365
7.	जम्मू और कश्मीर	455575	450000	450000	450000
8.	कर्नाटक	268478	161834	121070	32880
9.	केरल	139548	96253	66669	156568
10.	मध्य प्रदेश	298763	260323	186942	74705
11.	महाराष्ट्र	739206	670237	642002	140462
12.	मणिपुर	1830	1685	1682	1258
13.	उड़ीसा	178503	167143	156494	138599
14.	पंजाब	223115	105801	104199	28570
15.	राजस्थान	610676	568331	460879	81129
16.	तमिलनाडु	199729	190237	178801	141680
17.	त्रिपुरा	1995	1944	1598	1424
18.	उत्तर प्रदेश	374125	341464	258698	294062
19.	पश्चिम बंगाल	1372074	1283059	1042716	2536317
20.	दादरा और नगर हवेली	9406	9305	6851	3353
21.	दिल्ली	1132	394	394	654
22.	पांडिचेरी	2326	1185	1046	1427
	योग	7348667	6483713	5298673	5509958

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा आवंटियों को सुविधाएं

2457. श्री रघुनाथ झा : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अपने आवंटियों को भुगतान या किसी अन्य आधार पर कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आवंटी इन सुविधाओं का लाभ अनुमति के बिना नहीं उठा सकते हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) आवंटियों पर लगाए गए प्रतिबंध में छूट देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) सरकारी वास के आवंटियों को मुहैया कराई जाने वाली सुविधाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। जब कोई सुविधा मानदंडों के अनुसार मुहैया नहीं कराई जाती तो उसे कार्य की अनुमानित लागत के कुछ प्रतिशत का भुगतान करने पर उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे कार्यों के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) ये सुविधाएं मानदंडों, संरचना की सुरक्षा, निर्माण की व्यवहार्यता को ध्यान में रखकर तथा नक्शों का अनुमोदन आदि जैसी अपेक्षित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए केवल सरकार द्वारा ही उपलब्ध कराई जा सकती है।

(ङ) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

के०लो०नि०वि० द्वारा आबंटियों को मुहैया कराई जाने वाली सुविधाओं के ब्यौरे रिहायशी

मद. सं.	टाइप-I, II, III, तथा सर्वेन्टक्वार्टर	टाइप-IV	टाइप-V	होस्टल
1	2	3	4	5
1.1	धारक क्षमता 10 टन प्रति वर्ग मीटर			
1.2	आरसीसी अलग/संयुक्त में टाइप स्प्रेड फाउंडेशन, लीन कंक्रीट के साथ निरंतर वॉल फुटिंग			
1.3	भूतल से 1.2 मीटर नीचे तक गहरा	सभी के लिए लागू (नोट: टाइप V के लिए विर्निदेशन संशोधित किए जा रहे हैं)		
2.1	ईंट चिनाई में पूरक दीवार के साथ आरसीसी फ्रेम निर्माण अथवा ईंट/पत्थर चिनाई में जहां कहीं आवश्यक हो, मध्य कालमों के साथ और सहन करने वाला निर्माण			
2.2	सिमेंट गाड़े में आंतरिक विभाजन-आधी ईंट की चिनाई 1:4			
3.1	फ्रेम प्रथम श्रेणी केल लकड़ी अथवा द्वितीय श्रेणी देवदार लकड़ी अथवा हल्का स्टील	टीक लोहे के फ्रेम (क) सभी कमरों के लिए 35 एमएम पैनल शटर प्रथम श्रेणी देवदार लकड़ी के साथ	द्वितीय श्रेणी टीक लकड़ी अथवा प्रथम श्रेणी देवदार लकड़ी अथवा हलका स्टील	
3.2	शटर: (क) प्रथम श्रेणी केल लकड़ी अथवा द्वितीय श्रेणी देवदार लकड़ी	(ख) स्नानघर डब्ल्यू.सी., रसोईघर स्कूटर शेड तथा बालकोनी लिए द्वितीय श्रेणी देवदार लकड़ी के साथ 35 एमएम पैनल वाले शटर	द्वितीय श्रेणी भारतीय टीक लकड़ी या वाणिज्यिक प्लाय फ्लैस डोर	

1	2	3	4	5
3.3	फिटिंग्स, ऑक्सीडाइज्ड आयरन	(ग) एल्यूमिनियम फिटिंग्स	अंदर के दरवाजे के लिए ऑक्सीडाइज्ड आयरन और बाहरी दरवाजे में एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम	टाइप-V के समान
3.4	केवल बाहरी दरवाजों के लिए पॉप होल और सिक्योरिटी चैन		—सभी के लिए लागू—	
4.1	50% क्षेत्र में मोजेक फ्लोरिंग और स्कर्टिंग रसोईघर में कोटा स्टोन कार्य टाप	(क) सभी कमरों, रसोईघर अंदर सर्कूलेशन क्षेत्र स्टोर डब्ल्यू सी तथा स्नानघर में आम सीमेन्ट के साथ मार्बल चिप्स के फर्श (ख) कॉमन सर्कूलेशन क्षेत्र, सीढ़ियों में सीमेंट कंक्रीट फर्श और मैच करती हुई स्कर्टिंग (ग) किचन प्लेटफार्म के लिए कोट स्टोन स्लैब	लिविंग रूम, डाइनिंग ड्राइंग रूम, स्नानघर तथा डब्ल्यू सी में मोजेक फर्श। शेष सिमेंट कंक्रीट	प्रवेश हॉल, सीढ़ियों, लेवेटरी ब्लाक में मोजेक फर्श। शेष सिमेंट कंक्रीट
4.2	डब्लयू सी और बाथ में सफेद ग्लेज्ड डाडो पर मोजेक (90/150से.मी.)	(घ) डब्ल्यू सी बाथ के सफेद ग्लेज्ड डाडो (90/150 सेमि ऊंचाई) रसोई के प्लेटफार्म के वर्कटॉप के 60 सेमी ऊपर तक सफेद ग्लेज्ड टाइल डाडो		लेवेटरी में डाडो 2 मीटर ऊंचे मोजेक के ब्लाक
5.3	यड हस्फ या लाइन कंक्रीट जिनके उपर टाइल लगे हों		—सभी पर लागू—	
6.1	बाहरी पुताई (केवल सर्वेन्ट क्वार्टर)		बाहरी रंग पुताई	रंग पुताई
6.2	बाह्य-वाटर प्रूफ सिमेंट पेन्ट या वाइड स्टोन ग्रीट प्लास्टर या एक्सपोज्ड ब्रिक वर्क (केवल टाइप-I, II और III)	(क) बाहरी दीवारों के लिए सादे सीमेंट में वास्ड मोजेक प्लास्टर (ख) छत की मुंडेरों (अंदरूनी तरफ) साफिट और छज्जों के अंदरूनी किनारे आदि पर वाटर प्रूफ सिमेंट पेन्ट		
6.3	सभी कमरों में डिस्टेम्पर और लकड़ी/स्टील पर सिंथेटिक इनैमल्ड पेन्ट, मिलिंग पर सफेदी (केवल टाइप-I, II, III)	ड्राइंग और डाईनिंग स्थलों पर सूखा डिस्टम्पर। सिढ़ियां सहित अन्य कमरों में सफेदी/रंग रोगन	डाईनिंग, ड्राइंग, बेडरूम और स्टडी रूम में डिस्टम्पर और अन्य स्थानों पर सफेदी	एंट्रेंस हॉल में डिस्टम्पर और अन्य क्षेत्रों में सफेद या कलर वास
6.4	आंतरिक सफेदी (सर्वेंट क्वार्टर में)			

सामान्य पूल रिहायशी आवासों के लिए सुविधाओं के संशोधित मापदंड

क्र.सं.	विवरण	टाइप-I	टाइप-II	टाइप-III	टाइप-IV	टाइप-V
1	2	3	4	5	6	7
1.	रसोईघर	बिल्ट इन फिक्सचर				
(i)	एक दीवार पर 1 मोटे, चौड़े एक के ऊपर एक बने खुले शेल्फ	हां	हां	हां	हां	हां
(ii)	सिंकन फ्लोर (रसोई में)	1	1	1	1	1
(ख)	किचन सिंक	एक फाइबर ग्लास सिंक ड्रेन बोर्ड के साथ	टाइप-I के समान	टाइप-I के समान	काम करने के प्लेट-फार्म जैसी सामग्री के ड्रेनिंग वुड के साथ व्हाइट ग्लास किचन सिंक उपलब्ध कराया जाय	टाइप-IV के समान
(iii)	डैडो					
	(क) कार्य करने के प्लेटफार्म के 60 सेमी. ऊपर तक व्हाइट और संकन फ्लोर के आस-पास ग्लास्ड टाइल	दें	दें	दें	–	–
	(ख) कार्य करने वाले प्लेटफार्म के साथ 1 ऊंचा डैडो और संक फ्लोर के आस-पास खिड़की तक	–	–	–	हां	हां
(iv)	एक दीवार पर खाना बनाने वाले प्लेटफार्म की खिड़की के स्तर के नीचे शेल्फों और शटर (300 मिमी गहराई वाले बिल्टइन कप बोर्ड)	–	–	–	1	1
(v)	कुकिंग प्लेटफार्म स्टैंडिंग	हां•	हां•	हां•	हां•	हां•

नोट: लोगों की आदतों अनुसार यह टाइप-I क्वार्टरों में उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

•रहने वाले लोगों के इच्छा के अनुसार

अन्य कमरे

शेल्फ सहित निर्मित कप बोर्ड जिसकी अधिकतम चौड़ाई 1100 मि.मी. हो	एक	एक शेल्फ व एक कप बोर्ड	3	एक लीविंग रूम	स्टोर में एक

1	2	3	4	5	6	7
कप बोर्ड						
(ii)	वुडन शेल्फ व शटर सहित निर्मित कप बोर्ड, जिसकी अधिकतम चौड़ाई 1100 मि.मी. है।	—	एक बेडरूम में एक	एक बेडरूम में एक	दो बेडरूम में दो	तीन बेडरूम में तीन
(iii)	25 मि.मी. मोटाई की शेल्फ (400 मि.मी. चौड़ाई से अधिक न हो)	—	—	हां, यदि दी जाती है तो स्टोर रूम में	हां, यदि दी जाती है तो स्टोर रूम में	हां, स्टोर रूम व सर्वेंट क्वार्टरों में एक दीवार के साथ-साथ
(iv)	बेडरूम में कप बोर्ड के ऊपर स्टोरेज स्पेस (खुला)	—	एक	एक	एक	एक
(v)	सामने के दरवाजे में जज आई	—	—	एक	एक	एक
(vi)	कर्टेन रॉड	सभी कमरों में	सभी कमरों में	सभी कमरों में	टाइप-III की तरह	पेलमेट सहित
(vii)	खूंटी (पेच) सैट	बाथ व बैडरूम में	बाथ व बैडरूम में	बाथरूम तथा कमरों में	बाथरूम में	बाथरूम में
(viii)	कोलबाक्स	हां	—	—	—	—
(ix)	कर्टेन ब्रैकेट	हां	हां	—	—	—
			सैनिटरी फिटिंग			
1.	इंडियन टाइप डब्ल्यू सी ओवर हेड प्लासिंग सहित	एक	एक	एक	एक	1+1 (सर्वेंट क्वार्टर के लिए)
2.	यूरोपियन टाइप डब्ल्यू सी हाईलेबर फ्लासिंग सिस्टम	—	—	—	एक	एक
3.	वाशवेसिन प्रत्येक एक टोप सहित	एक (550 × 450 मि.मी.)	एक (550 × 450 मि.मी.)	एक (550 × 450 मि.मी.)	एक (18 × 14') (450 × 400 मि.मी.)	दो (22 × 16') (550 × 400 मि.मी.)
4.	नल्ल (किचन, बाथरूम व डब्ल्यू सी)	तीन	तीन	3+1 (सिंक के लिए)	3+1 (सिंक के लिए)	5+2 (सर्वेंट क्वार्टर के लिए) एक आंतरिक फिटिंग के लिए
5.	शांवर	—	एक	एक	एक	दो
6.	टॉवल रेल	एक	एक	एक	एक	(बाहर एक टॉवल रेल वाशवेसिन के समीप)

1	2	3	4	5	6	7
7.	आईना	एक	एक	एक	एक	एक
8.	ग्लास शैल्फ 24 × 5' या निच, दीवार की मोटाई के अनुसार जहां बनाई गई है	एक	एक	एक	एक	दो
9.	सोप रैक (डब्ल्यू.सी./बाथ/निय)	एक	एक	एक	एक	एक
10.	स्टोरेज टैंक	एक	एक	एक	एक	एक
11.	बाथरूम में कोटा स्टोन सिल सहित निच	एक	एक	एक	–	–

समान्य पूल आवासीय क्वार्टर के लिए इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के संशोधित स्केल

1.	पावर प्वाइंट	तीन	तीन	तीन	तीन (रसोईघर ड्राइंगरूम एवं भोजनकक्ष प्रत्येक में एक-एक)	चार (रसोईघर ड्राइंग, भोजन कक्ष एवं बैडरूम में एक-एक)
2.	पंखा (छत वाला)	दो पंखे	तीन पंखे	चार पंखे	(क) पांच पंखों सहित पांच प्वाइंट (ख) रसोईघर में एक्जॉस्ट फैन	पांच पंखों सहित सात प्वाइंट
3.	डोर कॉलवेल (मिनी बजर)	एक	एक	एक	एक	एक
4.	पॉवर मीटर	–	एक	एक	एक	एक
5.	इलेक्ट्रिकल मीटर	एक	एक	एक	एक	एक
6.	टाइप ऑफ वायरिंग	रिसेस्ड कान्डुइट वायरिंग	टाइप-I जैसा ही	टाइप-II जैसा ही	दिया हुआ कॉन्डुइट पाइप	दिया हुआ कॉन्डुइट पाइप
7.	टैलीफोन कनेक्शन	–	–	–	एक	एक
8.	लाइट/फैन प्वाइंट/डोर कालवेल	सत्तरह वनबेल	बीस वनबेल	तेइस वनबेल	बारह	घटे हुए प्लिथ एरिया के लिए सत्तरह (मुख्य इंजीनियर वैद्युत द्वारा विस्तृत जांच के बाद अनुमादित)
9.	प्लग प्वाइंट	–	दो	चार	पांच	सात
10.	ट्यूब और स्टार्टर छोड़कर फ्लोसेंट लाइट फिटिंग	दो	दो	तीन	चार (बैडरूम, ड्राइंग रूम एवं डायनिंग रूम में एक-एक)	¬
11.	एम.सी.बी. के साथ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड	–	–	–	हां	–

हस्ता/-
सहायक इंजीनियर-III
एस एंड एस-II, के.लो.नि.वि.
निर्माण भवन, नई दिल्ली

हस्ता/-
अधिशासी अभियंता
(एस एंड एस) II
के.लो.नि.वि., निर्माण भवन न.दि.

हस्ता/-
अधीक्षण अभियंता
(एसएंडएस), के०लो०नि०वि०,
निर्माण भवन, नई दिल्ली

विवरण-II

आबंटी के अनुरोध पर अनुमेय संवर्धन/परिवर्धन

फ्लैट क्वार्टर में संवर्धन/परिवर्धन हेतु केवल निम्नलिखित कार्य मदें की जाती हैं :-

(क) सिविल कार्य

(1) मदें जिनके लिए आबंटियों से अनुमानित लागत का 10% लिया जाता है:

(i) रसोई का नवीकरण, जिसमें जहां कहीं चिमनी मौजूद है, उसे तोड़ना, कार्य स्थल पर मार्बल/कोटा स्टोन, उचित सिंक और ड्रेनेज बोर्ड, डोडो में व्हाइट ग्लेज्ड टाइल्स और शेल्फ आदि का नवीकरण शामिल है।

(ii) शौचालय का मार्बल फर्श और व्हाइट ग्लेज्ड टाइल डोडो से नवीकरण, जिसमें संबंधित पाइप कार्य और क्रोमियम प्लेटिड फिटिंग्स शाहमल है।

(iii) संबंधित कार्य पाइप कार्य सहित भूमिगत वाटर टैंक/लौफ्ट टैंक्स।

(iv) दरवाजों/खिड़कियों के लिए वायरगेज शटर्स।

(v) कुकिंग मिरर और ग्लास शैल्वज आदि सहित वाश बेसिन।

(vi) अतिरिक्त कप बोर्ड्स का प्रावधान।

(vii) बराम्दा आदि को कवर करके अतिरिक्त बन्द स्थल का सृजन।

(viii) पेल्मेट्स/परदे की छड़ें/खिड़कियों में ग्रिल।

(ix) प्रवेश द्वार/दरवाजों पर मैजिक आई और सुरक्षा संबंधी जुड़नारों का प्रावधान।

(x) क्वार्टरों के चारों ओर लोहे के गेट सहित कांटेदार तारबाड़।

(2) मदें जिनके लिए आबंटियों से 20% अनुमानित लागत ली जाती है :-

(i) बांस की थट्टी

(ii) सीढ़ियों के क्षेत्र में कोलाप्सीबल शटर्स का प्रावधान।

(3) मदें जिनके लिए आबंटियों से 100% अनुमानित लागत वसूल की जाती है :

(i) परिसर के चारों ओर के क्षेत्र में स्वीकृत रूप से उपयुक्त मैटीरियल कापर्श।

(ii) भारतीय डब्ल्यू सी को यूरोपियन डब्ल्यू सी में या इसके विरीत परिवर्तन।

(iii) फर्श बदलना।

(iv) दीवारों की फिनिश को बेहतर मैटीरियल/पेन्ट से बदलना।

(v) पेंन्टिंग आदि सहित आन्तरिक रूप से कलर स्कीम में परिवर्तन।

(vi) घर के अन्दर और बाहर, घर और सर्वेन्ट क्वार्टरों के बीच स्प्लिट बैम्बू चिकनमैश, वुड सब्सिट्यूट आदि द्वारा पार्टिशन का प्रावधान।

(vii) कार/स्कूटर और पालतू पशुओं के लिए अस्थाई शेड का प्रावधान।

(viii) पार्टिशन और परिवर्धन/दरवाजों/खिड़कियों आदि को हटाकर बराम्दे में संशोधन।

(ख) वैद्युत कार्य

(1) ऐसी मदें जिनमें अनुमानित लागत का 10% आबंटी से वसूल किया जाता है :-

(i) अतिरिक्त पावर प्वाइंट/लाइट प्वाइंट प्रावधान।

(ii) वातानुकूलकों (इंडस्ट्रियल टाइप) के लिए अतिरिक्त सॉकेटों का प्रावधान।

(iii) लाइट ब्रैकेटों को बदलना।

(iv) इन्केडेसेन्ट लाइटों की बजाए फ्लोरिसेन्ट ट्यूबों की व्यवस्था।

(v) अतिरिक्त लाइट प्वाइंटों की व्यवस्था।

(vi) मुख्य मकान से सर्वेन्ट क्वार्टर तक कॉल बेल प्वाइंट सहित अतिरिक्त कॉल बेल व्यवस्था।

(2) ऐसी मदें जिसमें अनुमानित लागत का 100% आबंटी से वसूल किया जाता है :-

(i) अतिरिक्त सीलिंग पंखों/एग्जोस्ट पंखों की व्यवस्था।

(ii) फैन्सी लाइट फिटिंग व्यवस्था।

(iii) अतिरिक्त कंपाउंड लाइटों और गेट के पंखों पर लाइट (टाइप VIII व VIII को छोड़कर) की व्यवस्था।

(iv) मकान के चारों तरफ फ्लड लाइट व्यवस्था।

(v) वायरिंग और प्लांबिग कार्य में ए/ए सहित हीटरों/गीजरों/बूस्टर पंपों की व्यवस्था।

(vi) कंपेक्ट फ्लरेसेन्ट लैम्पों और फिटिंग की व्यवस्था।

(vii) घर से खपत बढ़ने के कारण यदि अपेक्षित हो तो फीडर पिलर से घर तक की केबल को बदलना।

2. एक वित्त वर्ष में विभिन्न प्रकार के क्वार्टरों में किए जाने वाले परिवर्द्धनों/परिवर्तनों की अधिकतम सीमा नीचे दी गई है। कार्य की ऐसी मदों जिनके लिए आबंटी द्वारा 100% लागत का भुगतान करना अपेक्षित हैं वे इन सीमाओं से प्रतिबंधित नहीं हैं।

क्वार्टर टाइप	वर्तमान वित्तीय सीमा (रुपए)
I	2,900
II	4,000
III	4,000
IV	10,500
डी-I और डी-II फ्लैट	21,500
सी-I और सी-II	26,000
VII और VIII	39,000

पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर महिलाओं की भूमिका पर संगोष्ठी

2458. श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अक्तूबर, 2000 में हैदराबाद में तीसरी दुनिया के महिला वैज्ञानिकों के सगंठन द्वारा पर्यावरण संबंधी मुद्दे पर महिलाओं की भूमिका पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न देशों से महिला शिष्ट-मण्डलों ने इस संगोष्ठी में भाग लिया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) संगोष्ठी में किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन : (क) से (घ) महिला एवं बाल विकास विभाग को पर्यावरण सम्बन्धी मुद्दों पर महिलाओं की भूमिका पर अक्तूबर, 2000 में हैदराबाद में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की जानकारी नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आई.आई.एस.सी.ओ. में संयुक्त उद्यम

2459. श्री सुनील खां : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (आई.आई.एस.सी.ओ.), बर्नपुर का नवीकरण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितनी इक्विटी भागीदारी का अनुमान लगाया गया है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ पार्टियों ने आई.आई.एस.सी.ओ. में संयुक्त उद्यम के लिए निविदा दी है;

(ङ) यदि हां, तो आई आई एस सी ओ. के आधुनिकीकरण और इसकी क्षमता में विस्तार के लिए इन पार्टियों की योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(च) आई आई एस सी ओ के आधुनिकीकरण के लिए प्रस्तावित संयुक्त उद्यम द्वारा कितनी धनराशि निवेश किए जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) क्या सरकार ने आई आई एस सी ओ में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि० के साथ संयुक्त उद्यम के लिए किसी कंपनी विशेष का चयन किया है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) से (ग) सरकार द्वारा अनुमोदित सेल की पुनर्गठन योजना में अन्य बातों के साथ-साथ सेल की न्यूनतम शेयरधारिता सहित इस्को को संयुक्त उद्यम में बदलना शामिल है।

(घ) से (छ) इस्को में संयुक्त उद्यम भागीदारी के लिए रुचि व्यक्त करने वाली पांच पार्टियों में से तीन पार्टियों को चुना गया है।

चुनी गई पार्टियां अपने प्रस्ताव उपयुक्त अध्यवसाय प्रक्रिया के बाद प्रस्तुत करेंगी, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ इस्को के पुनरुद्धार की योजना तथा निवेश की योजना भी शामिल है।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का कार्य-निष्पादन

2460. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र ने प्रोजेक्ट "विजय" के अंतर्गत अपने कार्य-निष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के अन्य संयंत्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) जी, हां।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर एस पी) ने 1999-2000 को इसी अवधि की तुलना में पर्याप्त सुधार दर्शाया है। राउरकेला इस्पात संयंत्र में अप्रैल, 2000 से जनवरी, 2001 के दौरान गत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में तप्त धातु, अपरिष्कृत इस्पात तथा विक्रेय इस्पात के उत्पादन में क्रमशः 7%, 8% और 14% वृद्धि हुई। प्रौद्योगिक-आर्थिक प्राचलों में भी आर.एस.पी. ने सुधार दर्शाया है।

(ग) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर.आई.एन.एल) के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के निष्पादन में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय तथा कारोबार पुनर्संरचना, लागत नियंत्रण, बाजारोन्मुखी उत्पाद-मिक्स, बिक्री तंत्र को बढ़ाना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन, प्रौद्योगिक-आर्थिक प्राचलों में सुधार तथा प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यबल के अभिप्रेरण/कौशल में सुधार सुनिश्चित करना शामिल है।

पनधारा विकास कार्यक्रम

2461. श्री भर्तृहरि महताब : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में राज्यवार कुल कितनी भूमि अवक्रमित हो चुकी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस भूमि का पनधारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार और नाबार्ड इस पनधारा विकास कार्यक्रम के लिए धन मुहैया करा रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) चालू वित्त वर्ष में इस धन के उपयोग से कितनी प्रगति हुई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) भूमि संसाधन विभाग द्वारा राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी, हैदराबाद के सहयोग से दूर संवेदी प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके प्रकाशित किए गए "भारत की बंजरभूमि संबंधी एटलस, (वेस्टलैंड एटलस ऑफ इंडिया, 2000)" के अनुसार देश में बंजरभूमि का कुल क्षेत्रफल 63.85 मिलियन हैक्टेयर है। राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) भूमि संसाधन विभाग बंजरभूमि और अवक्रमित भूमि को 1.4.1995 से वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत वाटरशेड आधार पर विकसित करने के लिए तीन मुख्य कार्यक्रम, नामतः समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई. डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) कार्यान्वित कर रहा है। जबकि समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम को केन्द्र सरकार द्वारा शत प्रतिशत रूप से वित्त पोषित किया जाता है और अन्य दो कार्यक्रमों को 75 : 25 में बांटे जाने (75 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा और 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा) के आधार पर वित्त पोषित किया जाता है। इन कार्यक्रमों के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) से (च) भागीदारी पद्धति के द्वारा देश में 100 प्राथमिकता वाले जिलों में समेकित वाटरशेड विकास के उद्देश्य के साथ 100 करोड़ रुपये के नाबार्ड के अंशदान और 100 करोड़ रुपये के कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के समान अंशदान के साथ नाबार्ड में 200 करोड़ रुपये की एक वाटरशेड विकास निधि स्थापित की गई है। प्रचालन कार्यक्रम के अनुसार 14 राज्यों को दो चरणों में कवर कर लिया जाएगा (चरण-I में 6 राज्य और चरण-II में 8 राज्य) चरण-I के राज्यों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं और चरण दो के राज्यों में बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। वाटरशेड विकास निधि में से आबंटन का दो तिहाई भाग वाटरशेड विकास के लिए राज्य सरकारों को ऋण के रूप में दिया जाएगा और शेष एक तिहाई भाग संवर्धनात्मक प्रयासों और क्षमता निर्माण को शामिल करते हुए अनुदान आधारित कार्यकलापों के लिए उपयोग में लाया जायेगा।

नाबार्ड ने आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की सरकारों के साथ वाटरशेड विकास निधि में उनकी भागीदारी के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गुजरात और महाराष्ट्र की सरकार को नाबार्ड द्वारा यह सलाह भी दी गई थी कि वाटरशेड विकास निधि के तहत प्रत्येक के लिए 20 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध है। नाबार्ड द्वारा अभी तक गुजरात में तीन क्षमता निर्माण परियोजनाओं को उड़ीसा में दो क्षमता निर्माण परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। 14 राज्यों में 100 जिलों के लक्ष्य की तुलना में 58 जिलों की पहले की पहचान कर ली गई है।

विवरण-I

देश में राज्य-वार बंजरभूमि का ब्यौरा दिखाने वाला विवरण

(क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में)

क्र. सं.	राज्य	शामिल जिलों की संख्या	शामिल किए गए जिलों का कुल भौगोलिक क्षेत्र	शामिल किए गए जिलों का कुल बंजरभूमि क्षेत्र
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	23	275068.00	51750.19
2.	अरूणाचल प्रदेश	13	83743.00	18326.25
3.	असम	23	78438.00	20019.17
4.	बिहार	55	173877.00	20997.17
5.	गोवा	02	3702.00	613.27
6.	गुजरात	25	196024.00	43021.28
7.	हरियाणा	19	44212.00	3733.98
8.	हिमाचल प्रदेश	12	55673.00	31659.00
9.	जम्मू और कश्मीर	14	222236.00	65444.24
10.	कर्नाटक	27	191791.00	20839.28
11.	केरल	14	38863.00	1448.18
12.	मध्य प्रदेश	62	443446.00	69713.75
13.	महाराष्ट्र	32	307690.00	53489.08
14.	मणिपुर	09	22327.00	12948.62
15.	मेघालय	07	22429.00	9904.38
16.	मिजोरम	03	21081.00	4071.68
17.	नागालैंड	07	16579.00	8404.10
18.	उड़ीसा	30	155707.00	21341.71
19.	पंजाब	17	50362.00	2228.40
20.	राजस्थान	32	342239.00	105639.11
21.	सिक्किम	04	7096.00	3569.58
22.	त्रिपुरा	04	10486.00	1276.03
23.	तमिलनाडु	29	130058.00	23013.90
24.	उत्तर प्रदेश	83	294411.00	38772.80
25.	पश्चिम बंगाल	18	88752.00	5718.48
26.	संघ राज्य क्षेत्र	20	10973.00	574.30
	योग	584	3287263.00	638518.31

विवरण-II

वर्ष 1997-98 से 2000-2001 तक (5.3.2001 तक) की अवधि के दौरान भूमि संसाधन विभाग की समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) और मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) स्कीमों के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा दिखाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	(आई.डब्ल्यू.डी.पी.)	(डी.पी.ए.पी.)	(डी.डी.पी.)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	21	1922	256
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	—	—
3.	असम	8	—	—
4.	बिहार	—	247*	—
5.	छत्तीसगढ़	1	—	—
6.	गुजरात	19	483	697
7.	हरियाणा	1	—	320
8.	हिमाचल प्रदेश	14	94	203
9.	जम्मू और कश्मीर	3	132	205
10.	झारखंड	1	—	—
11.	कर्नाटक	14	514	377
12.	मध्य प्रदेश	21	1119**	—
13.	महाराष्ट्र	13	797	—

1	2	3	4	5
14.	मेघालय	2	—	—
15.	मणिपुर	7	—	—
16.	मिजोरम	4	—	—
17.	नागालैंड	8	—	—
18.	उड़ीसा	14	111	—
19.	राजस्थान	19	289	1564
20.	सिक्किम	5	—	—
21.	तमिलनाडु	18	402	—
22.	उत्तर प्रदेश	26	583#	—
23.	उत्तरांचल	2	—	—
24.	पश्चिम बंगाल	—	60	—
	योग	222	6753	3622

• झारखंड की परियोजनाएं शामिल हैं।

•• छत्तीसगढ़ की परियोजनाएं शामिल हैं।

उत्तरांचल की परियोजनाएं शामिल हैं।

"सेल" वेतन समझौता

2462. **श्री नरेश पुगलिया :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 जनवरी, 2001 के "द बिजनस स्टैन्डर्ड" में "सेल वेज पैक्ट टू कॉस्ट रूपीज 320 करोड़" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सेल का विचार अपने अधिकारियों के वेतन संबंधी मामले को सुलझाने के लिए जो 1997 से लंबित पड़े हुए हैं, 320 करोड़ रुपये देने का है;

(ग) यदि हां, तो सेल का विचार अपने अधिकारियों के लिए इतनी बड़ी धनराशि को किस तरह जुटाने का है; और

(घ) सेल को वर्तमान वित्तीय स्थिति क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) जी, हां।

(ख) सेल के कार्यपालकों के वेतन संशोधन से प्रतिवर्ष लगभग 170 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।

(ग) सेल के अनुसार, वेतन संशोधन के अतिरिक्त व्यय को लागत में कमी, कारोबार पुनगर्ठन, उच्च उत्पादकता में वृद्धि, प्रौद्योगिक-आर्थिक घटकों में सुधार तथा मालसूची को कम करने आदि कार्यों के माध्यम से आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जाएगा।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष में दिसंबर, 2000 तक सेल को 698 करोड़ रुपए की हानि हुई जबकि गत वर्ष की इसी अवधि में 2065 करोड़ रुपए की हानि हुई थी, जो हानि में 66% की कमी को दर्शाती है।

सीएसआरपी के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण

2463. **श्री ए॰ वेंकटेश नायक:**
डा॰ (श्रीमती) सी॰ सुगुणा कुमारी:
श्री अशोक ना॰ मोहोल:
श्री कोलूर बसवनागौड़:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में व्यक्तिगत शौचालय बनाए जाने के लिए केन्द्र प्रायोजित ग्रामीण सफाई कार्यक्रम 1986 से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) अब तक प्रत्येक राज्य में इस उद्देश्य की किस सीमा तक पूर्ति हुई है;

(घ) अब तक राज्यवार कितने शौचालय बनाए गए हैं;

(ङ) इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य में केन्द्र द्वारा कितना धन उपलब्ध कराया गया;

(च) क्या शौचालयों को बनाए जाने के लिए राज्यों की ओर से राज्यवार कोई परियोजना रिपोर्ट सौंपी गई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार सहित अन्य राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से प्रति इकाई निर्धारित लागत सीमा और केन्द्र का हिस्सा बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(झ) क्या राज्य सरकारों ने इस बीच शौचालयों के निर्माण हेतु इकाई लागत को पुनरीक्षित करने का निर्णय किया है;

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ट) यदि नहीं, तो इसे कब तक पुनरीक्षित किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ रीता वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 में शुरू किया गया था। पुराने अनुभव को देखते हुए इसे 1999 में पुनर्गठित किया गया है। पुनर्गठित कार्यक्रम 1.4.1999 से कार्यान्वित किया जा रहा है। पुनर्गठित केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के उद्देश्य ये हैं, (क) ग्रामीण आबादी की कवरेज की गति को तेज करना (ख) जागरूकता सृजन और स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति जागरूकता सृजित करना (ग) ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में स्वच्छता सुविधायें उपलब्ध कराना (घ) उपयुक्त किफायती और उचित प्रौद्योगिकी आदि को बढ़ावा देना।

(ग) और (घ) अब तक राज्यवार निर्मित शौचालयों की संख्या विवरण-I में दी गई है।

(ङ) केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत प्रत्येक राज्य को उपलब्ध कराये गये केंद्रीय अंश की राशि विवरण-II में दी गई है।

(च) और (छ) उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार संपूर्ण स्वच्छता अभियान हेतु राज्य सरकारों से प्राप्त परियोजना रिपोर्टें विवरण-III में दी गई हैं।

(ज) से (ट) महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित अनेक राज्य सरकारों ने अभ्यावेदन दिया है कि अलग-अलग पारिवारिक शौचालय के लिए पहले वाली 2000 रुपये की सब्सिडी बहाल की जाए। कुछ ने यह भी संकेत दिया है कि यदि ऐसा करना व्यवहार्य नहीं है ताक कम से कम लाभार्थियों और राज्य सरकारों को अपनी ओर से अतिरिक्त राशि लगाने की अनुमति दी जाए। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को हाल ही में पुनर्गठित किया गया है तथा सब्सिडी की राशि में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस मामले की समीक्षा की है तथा यह निर्णय लिया गया है कि यदि लाभार्थी अथवा राज्य सरकार द्वारा ऊपरी ढांचे और/अथवा एक अतिरिक्त गड्ढे के निर्माण में अतिरिक्त राशि खर्च की जाती है तो इस पर भारत सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी। तथापि, मूल किफायती इकाई की लागत के संदर्भ में केंद्रीय सब्सिडी जारी रहेगी और किसी भी स्थिति में समग्र केंद्रीय सब्सिडी स्वीकार्य राशि से अधिक नहीं होगी।

विवरण-I

केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित शौचालयों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1986-87 से 2000-2001*
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	463457
2.	अरूणाचल प्रदेश	2102
3.	असम	7483
4.	बिहार (झारखण्ड सहित)	15986
5.	गोआ	501
6.	गुजरात	160158
7.	हरियाणा	79669
8.	हिमाचल प्रदेश	49043
9.	जम्मू और कश्मीर	16019
10.	कर्नाटक	431085
11.	केरल	118064
12.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	137641
13.	महाराष्ट्र	605656
14.	मणिपुर	6590
15.	मेघालय	4645
16.	मिजोरम	3732
17.	नागालैंड	1493
18.	उड़ीसा	46385
19.	पंजाब	19762
20.	राजस्थान	228283
21.	सिक्किम	14303
22.	तमिलनाडु	249023
23.	त्रिपुरा	5649
24.	उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित)	440414
25.	प. बंगाल	596442
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	520
27.	चण्डीगढ़	0
28.	दादरा व नगर हवेली	222

1	2	3
29.	दमन व दीव	253
30.	दिल्ली	99
31.	लक्षद्वीप	577
32.	पांडिचेरी	1315
	कुल	3706571

•1999-2000 और 2000-01 आकड़े अनंतिम हैं।

विवरण-II

स्वच्छता (सी आर एस पी) के अंतर्गत राज्यवार रिलीज

(लाख रुपए में)

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1986-86 से 2000-2001
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	7589.03
2.	अरूणाचल प्रदेश	164.96
3.	असम	413.11
4.	बिहार (झारखण्ड सहित)	1350.00
5.	गोआ	53.45
6.	गुजरात	1551.91
7.	हरियाणा	606.11
8.	हिमाचल प्रदेश	588.44
9.	जम्मू व कश्मीर	347.12
10.	कर्नाटक	4964.02
11.	केरल	3225.31
12.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	3965.27
13.	महाराष्ट्र	5339.14
14.	मणिपुर	175.93
15.	मेघालय	126.87
16.	मिजोरम	67.37
17.	नागालैंड	88.36
18.	उड़ीसा	3139.94
19.	पंजाब	400.84
20.	राजस्थान	2924.35
21.	सिक्किम	193.83
22.	तमिलनाडु	4435.73
23.	त्रिपुरा	457.78
24.	उत्तर प्रदेश (उत्तराचंल सहित)	10950.92
25.	पश्चिम बंगाल	1774.90
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	37.50
27.	चण्डीगढ़	2.50
28.	दादरा व नगर हवेली	14.00
29.	दमन व दीव	11.00
30.	दिल्ली	5.50
31.	लक्षद्वीप	25.00
32.	पांडिचेरी	34.00
	कुल	55024.19

विवरण-III

कुल स्वच्छता अभियान के अंतर्गत प्राप्त परियोजनाओं के ब्यौरे

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्त परियोजनाओं की सं०
1	2
आंध्र प्रदेश	4
अरूणाचल प्रदेश	2
असम	3
बिहार	5

1	2
गुजरात	3
हरियाणा	3
हिमाचल प्रदेश	2
जम्मू और कश्मीर	2
झारखंड	2
कर्नाटक	3
केरल	2
मध्य प्रदेश	5
महाराष्ट्र	12
मणिपुर	1
नागालैंड	3
उड़ीसा	3
पंजाब	2
राजस्थान	5
सिक्किम	2
तमिलनाडु	8
त्रिपुरा	1
उत्तर प्रदेश	12
प० बंगाल	4
कुल	89

माध्यमिक शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन

2464. श्री किरीट सोमैया:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में माध्यमिक शिक्षा संबंधी एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है, और सहभागियों द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 2020 के बदले 2015 तक समान माध्यमिक शिक्षा के लिए कोई नया लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों से भी सलाह ली गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) जी, हां। सम्मेलन में वर्ष 2020 तक माध्यमिक शिक्षा के विकास के परिप्रेक्ष्य, माध्यमिक शिक्षा में शैक्षणिक प्रशासकों के क्षमता निर्माण, माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता के प्रबंधन, माध्यमिक शिक्षा के निधिकरण और प्रणाली सक्षमता तथा स्कूल आधारित प्रबंधन में सुधार के लिए प्रशासनिक सुधार सहित अनेक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया और इन क्षेत्रों में अनेक सुझाव दिए गए।

(ग) से (च) सरकार इस समय अतिरिक्त दाखिला, भौतिक सुविधाओं आदि के दृष्टिकोण से माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र पर प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के परिणामस्वरूप पड़ने वाले संभावित प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है। माध्यमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण की योजनाएं मूल्यांकन के परिणामों पर निर्भर करेगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा मिशन

2465. मोहम्मद शहाबुद्दीन:
श्री आर०एस० पाटिल:
श्री जी० पुट्टस्वामी गौड़ा:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के युवा वर्ग की विज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में रुची नहीं रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की आवश्यकता और उनकी उपलब्धता के बीच की खाई को पाटने के लिए एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा मिशन का गठन करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त मिशन का कब तक गठन किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) देश का युवा वर्ग विज्ञान तथा वैज्ञानिक अनुसंधान में उच्च शिक्षा के अतिरिक्त देश में इस समय बड़ी संख्या में उपलब्ध विविध अवसरों की ओर आकर्षित हो रहा है।

(ख) और (ग) भारत के प्रधानमंत्री ने 19 जनवरी, 2001 को दिए गए अपने अभिभाषण में घोषणा की कि भारत सरकार शीघ्र ही प्रौद्योगिकी शिक्षा हेतु एक राष्ट्रीय मिशन का गठन करेगी ताकि सूचना प्रौद्योगिकी और इंजीनियरी तथा प्रबंधन के अन्य क्षेत्रों में सुप्रशिक्षित व्यावसायिकों की संख्या में वृद्धि की जा सके।

बंजर भूमि विकास परियोजना

2466. श्री राजो सिंह:
श्रीमती शीला गौतम:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में कुल कितनी बंजर भूमि/बेकार भूमि है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने भूमि क्षेत्र को कृषि योग्य बनाया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख के अनुसार बंजर भूमि/बेकार भूमि विकास परियोजना के अनुमोदन और उसके वित्तपोषण हेतु केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इनमें से अब तक राज्य-वार कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है;

(ङ) लंबित परियोजनाओं को कब तक निपटाए जाने की संभावना है;

(च) क्या बंजारभूमि विकास कार्यक्रम में कोई विदेशी एजेंसी लगी हुई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) भूमि संसाधन विभाग द्वारा राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी, हैदराबाद के सहयोग से दूर संवेदी प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके प्रकाशित किए गए "भारत की बंजरभूमि संबंधी एटलस, 2000 (वेस्टलैंड एटलस ऑफ इंडिया, 2000)" के अनुसार देश में बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि का कुल क्षेत्रफल 63.85 मिलियन हैक्टेयर है जिसमें से ऊसर/चट्टानी/पथरीली, बेकार पड़ी भूमि/शीट रॉक का कुल क्षेत्रफल 6.45 मिलियन हैक्टेयर है।

(ख) से (ङ) भूमि संसाधन विभाग बंजरभूमि और अवक्रमित भूमि को विकसित करने का कार्य करता है जिसका लक्ष्य एक मुख्य योजना नामत: समकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के जरिए भूमि को अवक्रमित होने से रोकना और भूमि को उत्पादनकारी उपयोग में लाना और बायोमास, विशेष रूप से ईंधन लकड़ी और चारे की उपलब्धता को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम का आशय उपयुक्त बायोमास विशेष रूप से ईंधन लकड़ी और चारे को पैदा करने के लिए बंजरभूमि की उत्पादकता को बढ़ाना और भूमि का आगे और अवक्रमण होने से रोकना है। इस प्रकार ऐसी भूमि पर विकास की प्रथम अवस्था में सामान्यतया कृषि उत्पादन संभव नहीं होता है।

समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं के संबंध में वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृति के लिए प्राथमिकता वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के साथ इनकी अनुरूपता और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके निर्धारित की जाती है। प्रत्येक वर्ष एक नयी प्राथमिकता सूची तैयार की जाती है जिसमें पिछले वर्ष के दौरान स्वीकृत न की गई परियोजनाएं भी शामिल की जाती हैं। तदनुसार लम्बित पड़ी परियोजनाओं को स्वीकृति देने के संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। वर्ष 2000-2001 के दौरान 200 परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें से 57 परियोजनाओं को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है। विगत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वित्तीय वर्ष 28.2.2001 तक इस योजना के तहत प्राप्त हुई और स्वीकृत की गई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I दिया गया है।

(च) और (छ) बंजरभूमि के विकास के लिए संसाधन जुटाने की दृष्टि से विदेशों से सहायता प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। इस समय विभिन्न राज्यों में विभिन्न विदेशी दानदाता एजेंसियों की सहायता से छ: परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं का राज्य वार ब्यौरा संग्लन विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1997-98 से 2000-2001 तक (28.2.2001 तक) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के तहत प्राप्त हुई और स्वीकृत की गई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	1997		1998-99		1999-2000		2000-2001	
		प्राप्त परियोजनाएं	स्वीकृत परियोजनाएं	प्राप्त परियोजनाएं	स्वीकृत परियोजनाएं	प्राप्त परियोजनाएं	स्वीकृत परियोजनाएं	प्राप्त परियोजनाएं	स्वीकृत परियोजनाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	25	5	7	6	17	4	10	6
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	0		1	6	0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	7	1	13	0	11	3	11	4
4.	बिहार	2	0	4	0	4	1	5	0
5.	छत्तीसगढ़						0	8	1
6.	दिल्ली	0	0		0		0		0
7.	गुजरात	14	1	5	6	7	6	13	6
8.	हिमाचल प्रदेश	6	2	4	2	2	5	17	5
9.	हरियाणा	4	1		0		0		0
10.	जम्मू और कश्मीर	2	1	5	2	1	0		0
11.	झारखंड							1	0
12.	कर्नाटक	12	4	11	5	15	0	8	0
13.	केरल	0	0		0		0	4	0
14.	महाराष्ट्र	18	1	24	3	3	5	12	4
15.	मेघालय		0	3	0	4	2	5	0
16.	मणिपुर	4	3	14	3	23	1	8	0
17.	मध्य प्रदेश	5	5	2	2	11	11	10	3
18.	मिजोरम		0		0	2	0	12	4
19.	नागालैंड	2	1	1	2	8	2	5	3
20.	उड़ीसा	9	6	11	6	12	1	8	1
21.	पंजाब	1	0	0	0		0		0
22.	राजस्थान	6	2	4	1	9	8	14	8
23.	सिक्किम	3	2	1	1	2	2	4	0
24.	तमिलनाडु	2	1	6	1	17	8	9	8
25.	त्रिपुरा		0		0		0		0
26.	उत्तर प्रदेश	26	8	22	7	18	9	17	3
27.	उत्तरांचल							19	1
28.	पश्चिम बंगाल	1	0		0		0		0
	योग	150	44	137	48	172	73	200	57

विवरण-II

विदेशी दानदाता एजेंसियों से सहायता प्राप्त कर रही चालू बंजरभूमि विकास परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	दानदाता एजेंसी का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना की अवधि	परिव्यय	परियोजना क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1.	स्वेडिश इन्टरनेशनल डिवलपमेंट आथोरिटी (एस.आई.डी.ए.)	राजस्थान, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राज्यों में वृक्ष उत्पादक सहकारी परियोजना (टी.जी.सी.पी.)	01.09.91 से 31.12.2000	24.47 करोड़	13,889
2.	कनेडियन इन्टरनेशनल डिवलपमेंट एजेंसी (सी.आई.डी.ए.)	आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में वृक्ष उत्पादक सहकारी परियोजना (टी.जी.सी.पी.)	01.12.93 से 31.12.99	45.99 करोड़	7,872
3.	ओवरसीज इकोनामिक कोआपरेशन फण्ड (ओ.ई.सी.एफ.), जापान	केरल के पालाकाड जिले में अट्टापडी वेस्टलैंड कम्परीहैन्सिव एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट	26.03.96. से 26.3.2003	5112 मिलियन येन	50,700
4.	यूरोपियन इक्नामिक कमीशन (ई.ई.सी.-ई.सी.) ई.सी.-ग्रांट	हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना	24.01.97 से 24.01.2006	30.10 ई.सी.यू. मिलियन	27,380
5.	यूरोपियन इक्नामिक कमीशन (ई.ई.सी.-ई.सी.) ई.सी.-ग्रांट	गुजरात में प्राकृतिक संसाधनों का सामुदायिक प्रबंधन	1994-2001	15.85 ई.सी.यू. मिलियन जिसमें से 11.95 ई.सी.यू. मिलियन ई.इ.सी. से और शेष 25 प्रतिशत ए.के.आर.एस.पी. से (कार्यान्वयन एजेंसी).	45,000
6.	डिपार्टमेंट ऑफ इन्टरनेशनल डिवलपमेंट (डी.एफ.आई.डी.) यू.के.	आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य में ग्रामीण जीविका परियोजना	1999-2006 और 2000-2010	782.93 लाख पाउंड	

[अनुवाद]

जैव उर्वरक

2467. **डा० जसवंतसिंह यादव : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जैव उर्वरक और सूक्ष्म पोषक तत्वों के संबंध में हाल ही में एक सेमीनार का आयोजन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें क्या विचार-विमर्श किया गया?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) और (ख) सरकार द्वारा बायो-फर्टिलाइजर एण्ड माइक्रोन्यूटिएंट्स पर दिनांक 8.2.2001 को एक राष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन किया गया था। इस सेमीनार में उद्योग के सदस्यों, कृषि अनुसंधान और विस्तार विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, प्रशासकों, नीति निर्माताओं तथा कृषकों ने भाग लिया था। विचार-विमर्श देश में बायो-फर्टिलाइजर्स तथा माइक्रोन्यूटिएंट्स के प्रचार-प्रसार, संवर्धन, विपणन और उत्पादन से सम्बधित मुद्दों पर केन्द्रित थे।

व्यावसायिक शिक्षा

2468. **श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आंध्र प्रदेश में "प्लस-टू" स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए इस राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस राज्य में कितने स्कूलों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जाएगा; और

(घ) इस कार्यक्रम की सफलता और धन का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों में कोई अनुदान संस्वीकृत नहीं किया गया है। तथापि पहले 1994-95 तक 668 स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार को 59.20 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। इस राशि के कुछ हिस्से का उपयोग नहीं हुआ और वह राज्य सरकार के पास पड़ी है।

(ग) राज्य में उन स्कूलों की संख्या 555 है जहां इस समय व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है।

(घ) कार्यक्रम की सफलता हेतु राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम में निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं :-

(1) प्रायोगिक प्रशिक्षण पर ज्यादा बल देते हुए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन;

(2) शिक्षा का माध्यम तेलुगु;

(3) 23 नये व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ करना जो उपयोगी समझे जाते हैं तथा जिनकी अच्छी मांग है;

(4) 23 नये पाठ्यचर्या के पाठ्यक्रम को अद्यतन बनाना तथा पाठ्यक्रम का विकास; और

(5) सीटों की संख्या में बढ़ोतरी तथा निजी प्रयासों को प्रोत्साहन।

केन्द्र सरकार योजना की सम्यक मानीटरिंग तथा सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर अधिकारियों द्वारा राज्य का दौरा तथा राज्य प्रतिनिधियों के साथ बैठकें भी करवाती है। व्यावसायिक शिक्षा के लिए आबंटित सी एस एस निधि का किसी अन्य उद्देश्य हेतु अपवर्तन नहीं किया गया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान

2469. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान खोले जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में अनिवासी भारतीयों से कोई प्रस्ताव मिला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (घ) सरकार के पास अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के समकक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार को अप्रवासी भारतीयों सहित निजी क्षेत्र से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों पर इस उद्देश्यार्थ स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् जैसे सरकारी और नियंत्रक निकायों द्वारा विद्यमान प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

आंतकवाद को पुनर्जीवित किया जाना

2470. श्री चन्द्रकांत खैरे:
श्री गंता श्रीनिवास राव:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आईएसआई और अन्य आतंकवादी संगठन पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियों का आयोजन कर वहां आतंकवाद को फिर से जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आईएसआई की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) और (ख) देश में विभिन्न उग्रवादी/आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों में सहायता देकर और उन्हें उकसा कर देश में गड़बड़ी फैलाने के पाकिस्तान के इरादों में कोई ढील नहीं आई है। उपलब्ध जानकारियों से संकेत मिलता है कि पंजाब में फिर से आंतकवाद को जागृत करने के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) आई एस आई की गतिविधियों से निपटने के लिए सरकार ने सुसमन्वित और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें, सीमा प्रबन्धन का सुदृढीकरण, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, समन्वित आसूचना पर आधारित अभियानों द्वारा आई एस आई की योजनाओं को विफल करना, सुभेद्य क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की चौकियों की स्थापना और उन्नत अत्याधुनिक हथियारों और संचार प्रणाली आदि के साथ पुलिस और

सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण और उन्नयन शामिल है, ताकि स्थिति से निपटा जा सके।

केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को देश में आई एस आई के खतरे की आशंका और गतिविधियों के संबंध में भी सुग्राही बनाती रही है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारियों का आदान-प्रदान करने के साथ-साथ ऐसी गतिविधियों का मुकाबला करने हेतु रणनीतियां बनाने के लिए राज्य सरकारों के साथ आवधिक समन्वय बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। आई एस आई की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों की विभिन्न सुरक्षा एजेन्सियां एक साथ मिलकर कार्य कर रही हैं। समन्वित कार्रवाई के परिणामस्वरूप, आई एस आई के विभिन्न मोडयुल्ज को विफल किया जा सका है।

बंजरभूमि विकास कार्यक्रम

2471. श्री भर्तृहरि महताब:
श्री ए० वैंकटेश नायक:
डा० मदन प्रसाद जायसवाल:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश के कुल बंजरभूमि क्षेत्र के आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन से अब तक इसके अंतर्गत प्रत्येक परियोजना के लिए राज्य-वार और योजना-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) क्या इस कार्यक्रम से देश में, विशेषकर उड़ीसा में, वांछित परिणाम नहीं मिल रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार द्वारा इस कार्यक्रम का कोई समीक्षात्मक अध्ययन कराया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-वार कितनी उपलब्धियां हासिल की गई हैं;

(ज) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख में राज्य-वार कितने बंजरभूमि क्षेत्र को कृषि योग्य बनाया गया है; और

(झ) बंजरभूमि को उत्पादक बनाए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) भूमि संसाधन विभाग द्वारा राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी, हैदराबाद के सहयोग से दूर संवेदी प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए प्रकाशित किए गए ''भारत के बंजरभूमि संबंधी एटलस, 2000 (वेस्टलैण्ड एटलस ऑफ इंडिया, 2000)'' के अनुसार देश में बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि का कुल क्षेत्रफल 63.85 मिलियन हैक्टेयर है। राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) से (ङ) बंजरभूमि वह अवक्रमित भूमि है जिसको सामान्यतया उपयोग में नहीं लाया गया है अथवा जिसका कम उपयोग किया गया है और जिसकी उर्वरता उपयुक्त जल तथा भूमि प्रबंधन के न होने अथवा प्राकृतिक कारण से ह्रासित हो रही है। भूमि संसाधन विभाग वनेतर बंजरभूमि को 1.4.95 से वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत वाटरशेड पद्धति के द्वारा विकसित करने हेतु समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। तब से लेकर आज तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 24.365 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए 249 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। परियोजनाओं को पांच वर्षों की अवधि के दौरान कार्यान्वित किया जाता है। यद्यपि वाटरशेड आधार पर कार्यक्रम का कार्यान्वयन नया है तथापि समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं के बारे में समय-समय पर प्राप्त माध्यावधिक मूल्यांकन रिपोर्टों के अनुसार उड़ीसा सहित कार्यक्रम वाले क्षेत्रों में कार्यक्रम के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं।

(च) से (झ) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं का मूल्यांकन परियोजना-दर-परियोजना आधार पर स्वतंत्र मूल्यांकनकर्त्ताओं द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, वाटरशेड विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति पर निगरानी रखने और समीक्षा करने के लिए राज्य स्तर पर राज्य वाटरशेड कार्यक्रम कार्यान्वयन और समीक्षा समिति तथा जिला स्तर पर वाटरशेड विकास सलाहकार समिति भी विद्यमान है। समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं का आशय उपयुक्त बायो-मास विशेष रूप से ईंधन लकड़ी और चारे का उत्पादन करने हेतु बंजरभूमि की उत्पादकता में सुधार करना और आगे अवक्रमण होने को रोकना है। अत: ऐसी भूमि पर विकास की प्रथम अवस्था में कृषि उत्पादन सामान्यतया संभव नहीं होता है। विगत तीन वर्षों के दौरान चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भी समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम की योजना के तहत स्वीकृत की गई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

देश में राज्य-वार बंजरभूमि का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में)

क्र. सं.	राज्य	शामिल जिलों की संख्या	शामिल किए गए जिलों का कुल भौगोलिक क्षेत्र	शामिल किए गए जिलों का कुल बंजरभूमि क्षेत्र
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	23	275068.00	51750.19
2.	अरूणाचल प्रदेश	13	83742.00	18326.25

1	2	3	4	5
3.	असम	23	78438.00	20019.17
4.	बिहार	55	173877.00	20997.17
5.	गोवा	02	3702.00	613.27
6.	गुजरात	25	196024.00	43021.28
7.	हरियाणा	19	44212.00	3733.98
8.	हिमाचल प्रदेश	12	55673.00	31659.00
9.	जम्मू और कश्मीर	14	222236.00	65444.24
10.	कर्नाटक	27	191791.00	20839.00
11.	केरल	14	38863.00	1448.18
12.	मध्य प्रदेश	62	443446.00	69713.75
13.	महाराष्ट्र	32	307690.00	53489.08
14.	मणिपुर	09	22327.00	12948.62
15.	मेघालय	07	22429.00	9904.00
16.	मिजोरम	03	21081.00	4071.68
17.	नागालैंड	07	16579.00	8404.00
18.	उड़ीसा	30	155707.00	21341.71
19.	पंजाब	17	50362.00	2228.40
20.	राजस्थान	32	342239.00	105639.11
21.	सिक्किम	04	7096.00	3569.58
22.	त्रिपुरा	04	10486.00	1276.03
23.	तमिलनाडु	29	130058.00	23013.90
24.	उत्तर प्रदेश	83	294411.00	38772.80
25.	पश्चिम बंगाल	18	88752.00	5718.48
26.	संघ राज्य क्षेत्र	20	10973.00	574.30
	योग	584	3287263.00	638518.31

विवरण-II

वर्ष 1997-98 से 2000-2001 (5.3.2001 तक) की अवधि के दौरान समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाएं (सं.)	क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)
1.	आंध्र प्रदेश	21	2.60
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	.15
3.	असम	8	.67
4.	छत्तीसगढ़	1	.12
5.	हरियाणा	1	.12
6.	गुजरात	19	2.16
7.	हिमाचल प्रदेश	14	1.59
8.	जम्मू और कश्मीर	3	.27
9.	झारखंड	1	.06
10.	कर्नाटक	14	1.72
11.	मध्य प्रदेश	21	1.87
12.	महाराष्ट्र	13	1.49
13.	मेघालय	2	.11
14.	मणिपुर	7	.66
15.	मिजोरम	4	.38
16.	नागालैंड	8	.98
17.	उड़ीसा	14	1.12
18.	राजस्थान	19	1.76
19.	सिक्किम	5	.50
20.	तमिलनाडु	18	1.41
21.	उत्तर प्रदेश	26	2.91
22.	उत्तरांचल	2	.24
	योग	222	22.89

रासायनिक परिसरों की स्थापना

2472. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सिंगापुर की जोरोंग इंडस्ट्रियल इस्टेट के समान इंडस्ट्रियल इस्टेट रासायनिक परिसर का प्रस्तावित नमूना तैयार करने के लिए आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल का चयन करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) यद्यपि राज्य सरकारों के सहयोग से समेकित वृहत् रासायनिक औद्योगिक परिसर स्थापित करने की आवश्यकता का पता लगा लिया गया है, फिर भी ऐसे परिसर के स्थल के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

भारत और बांग्लादेश के बीच वीसा प्रणाली

2473. श्री नरेश पुगलिया:
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और बांग्लादेश वर्तमान वीजा प्रणाली में ढील देने पर हाल ही में सहमत हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के विभिन्न भागों में अवैध बांग्लादेशी अप्रावासियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या इन अप्रावासियों के प्रत्यवर्तन के संबंध में भी चर्चा हुई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(च) क्या सरकार ने बांग्लादेश की भूमि से भारत के विरुद्ध चलाई जा रही आतंकवादी गतिविधियों पर भी अपनी चिंता जताई है; और

(छ) यदि हां, तो बांग्लादेश की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) भारत और बांग्लादेश के बीच वीजा समझौते की पुनरीक्षा 7वें भारत-बंगलादेश संयुक्त कार्यकारी दल की हाल ही की बैठक का हिस्सा है। तथापि, यह अभी विचार-विमर्श के स्तर पर है।

(ग) बंगलादेश से आए घुसपैठियों की संख्या का अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि वे चोरी-छिपे आते हैं और जातीय तथा भाषायी समानता के कारण स्थानीय जनता के बीच आसानी से घुल-मिल जाने में सफल होते हैं।

(घ) और (ङ) जी हां, श्रीमान, भारत में, अवैध बंगलादेशी प्रवासियों के लगातार आने के बारे में चिन्ता के बारे में भारत ने बंगलादेश को बता दिया है। बंगलादेश ने ऐसे अवैध प्रवास को नकारते हुए भारत द्वारा बांगला भाषा बोलने भारतीय नागरिकों को बंगलादेश में धकेलने के भारत के प्रयास पर चिन्ता व्यक्त की है। तथापि, वे दोषसिद्ध बंगलादेशी राष्ट्रिकों, यदि कोई हों, जिनकी समुचित सत्यापन के पश्चात् पहचान की गई हो को वापस लेने पर सहमत हैं।

(च) और (छ) जी हां, श्रीमान्। बंगलादेश से बंगलादेश में छिपे उग्रवादियों के विरुद्ध ठोस और प्रदर्शनीय कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। बंगलादेश प्रतिनिधि मण्डल ने कहा कि वे किन्हीं गैर-कानूनी तत्वों को अपने क्षेत्र का प्रयोग भारत सहित किसी भी देश के विरुद्ध आवांछित गतिविधियों को चलाने के लिए करने की अनुमति नहीं देगा।

[हिन्दी]

कुंभ मेले में सुरक्षाबलों की तैनाती

2474. श्री राजो सिंह:
श्री सुरेश कुरूप:

(क) इलाहाबाद में सम्पन्न कुंभ उत्सव में कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वहां तैनात की गयी अर्ध-सैनिक बलों की संख्या कितनी थी और इस संबंध में किन-किन राज्यों से सहायता की मांग की गई थी;

(ख) भारतीय थल सेना, आरक्षित पुलिस बल, सीमा सुरक्ष बल और अन्य ऐसी एजेन्सियों द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस के साथ किस स्वरूप का और किस हद तक समन्वय कार्य किया गया;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे राष्ट्रीय उत्सवों पर इन एजेन्सियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार को कुंभ मेले में राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों से संबंधित कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) कुंभ मेले के प्रबंध करने में राज्य सरकार की मदद करने हेतु

उत्तर प्रदेश सरकार को, जहां तक संभव हो, सका, केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल और विभिन्न राज्यों के सशस्त्र पुलिस बल उपलब्ध कराए गए थे। इस प्रयोनार्थ पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों ने अपनी-अपनी राज्य सशस्त्र पुलिस उपलब्ध कराई थी।

(ख) और (ग) जनशक्ति के अलावा, उत्तर प्रदेश सरकार को गुप्तचर, तोड़फोड़ विरोधी जांच दल, डॉग स्कवाड और बम्ब निपटान दस्ते तैनात करके सहायता प्रदान की गई थी। विभिन्न संगठनों/एजेंसियों के साथ समन्वय रखना राज्य सरकार का काम है। तथापि, राज्य सरकार को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक प्रबंधों का ताल-मेल बिठाने हेतु गृह मंत्रालय में भी समन्वय कार्य किया गया।

(घ) जी, नहीं,।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : डा॰ मुरली मनोहर जोशी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) इंदिरा गांधी नेशनल ओपेन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी नेशनल ओपेन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकारण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल॰टी॰ 3367/2001]

(2) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकारण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपयुक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए बिलब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 3368/2001]

(4) नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट्स, हैदराबाद के वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे सभा पटल पर न रखे जाने के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰टी॰ 3369/2001]

(5) (एक) नेशनल ओपेन स्कूल, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल ओपेन स्कूल, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकारण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰टी॰ 3370/2001]

(7) नेशनल ओपेन स्कूल, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰टी॰ 3371/2001]

(9) (एक) यू॰पी॰ एजुकेशन फार आल प्रोजेक्ट बोर्ड, लखनऊ के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) यू॰पी॰ एजुकेशन फार आल प्रोजेक्ट बोर्ड, लखनऊ के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰टी॰ 3372/2001]

(11) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वर्ष 2001-2002 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल०टी० 3373/2001]

(12) (एक) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुम्बई के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मुम्बई के वर्ष 1998-99 के कार्यकारण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 3374/2001]

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू) : निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) काउंसिल फार एडवान्समेंट आफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नालॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) काउंसिल फार एडवान्समेंट आफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नालॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकारण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 3375/2001]

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत ''बचदा''): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ इम्यूनोलाजी, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ इम्यूनोलाजी, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 3376/2001]

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : मैं राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा 3 के अन्तर्गत राजभाषा संबंधी संसदीय समिति (भाग 6) (खंड-एक-आठ)-1997 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 3377/2001]

अपराह्न 12:01 बजे

प्राक्कलन समिति

इक्कीसवां और अड़तीसवां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) तथा दूसरा प्रतिवदेन (तेरहवीं लोक सभा)

[अनुवाद]

श्री शंकर सिंह वाघेला (कपड़वंज) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(एक) प्राक्कलन समिति (दसवीं लोक सभा) का सूचना और प्रसारण मंत्रालय—सरकारी विज्ञापनों हेतु नीति संबंधी 21वां प्रतिवेदन।

(दो) प्राक्कलन समिति (दसवीं लोक सभा) का विदेश मंत्रालय—कंसुलर, पासपोर्ट और वीजा प्रभाग संबंधी 38वां प्रतिवेदन।

(तीन) प्राक्कलन समिति (तरहवीं लोक सभा) का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय—कच्चा तेल, स्वदेशी उत्पादन और आयात संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.01½ बजे

लोक लेखा समिति

विवरण

[हिन्दी]

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल): महोदय, मैं लोक लेखा समिति (11वीं लोक सभा) का प्रणाली मूल्यांकन-अन्वेषण मण्डलों का कार्यकरण संबंधी दूसरे प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिश पर आगे की-गई अनुवर्ती कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण का हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : महोदय, मैं रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग की वर्ष 2000-2001 की अनुदानों की मांगों के संबंध में आठवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई-कार्यवाही संबंधी 5वें प्रतिवदेन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरणों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

याचिका का प्रस्तुतीकरण

[अनुवाद]

श्री पी०आर० किन्डिया (शिलांग) : महोदय, मैं कटे पेड़ों को लाने-ले जाने पर पूरी तरह से लगाए गए प्रतिबंध के कारण मेघालय राज्य के ग्रामीण लोगों की शिकायतों के बारे में श्री ट्रेलिंग मारवेन तथा अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

[हिन्दी]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जीरो आवर में क्या कोई नियम नहीं है कि इशू कैसे रेज करेंगे?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मेरे पास लिस्ट हैं, लिस्ट के अनुसार सब को बुलायेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जीरो आवर रोज ऐसे ही हो रहा है। दाशमुंशी जी, आपको फूलन देवी जी के बाद बुलायेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे बताएं कि मुझे सूची के अनुसार चलना चाहिए अथवा नहीं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभा विशेषकर रक्षा मंत्री का ध्यान रक्षा के हित से संबंधित महत्वपूर्ण मामले और सशस्त्र बलों, वायु सेना और नौसेना के मनोबल तथा शक्ति और प्रत्येक सौदा जो रक्षा मंत्रालय में किया जा रहा है, जैसा कि कई बार सरकार द्वारा दावा किया जा रहा है, में पारदर्शिता की अभिरक्षा करने की ओर दिलाना चाहता हूं।

1, मार्च, 2001 को मेरा एक तारांकित प्रश्न सं० 120 स्वीकार किया गया मैं इसे उद्धृत करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है:

(क) क्या सरकार ब्रिटेन से जेट ट्रेनर "हॉक" एयर क्राफ्ट की खरीद हेतु बातचीत कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इग्लैंड में ही ऐसे एयर क्राफ्ट अप्रचलित घोषित कर दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके हेतु बातचीत करने के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो एडवान्स्ड जेट ट्रेनर सुपुर्दगी कार्यक्रम क्या है और इस समय यह मामला किस चरण में है?

दिया गया उत्तर था: जी हां, बातचीत चल रही है। मेरे प्रश्न की क्या यह अप्रचलित, अवधारणा और पुराने थे, या विचित्र उत्तर था और मैं इसे उद्धृत करना चाहता हूं:

"कतिपय विमानों विशेषकर प्रशिक्षण विमानों ढांचों के डिजाइन ऐसे होते हैं जो काफी समय तक पुरानी नहीं पड़ते तथा उनकी कारगरता बनाए रखने के लिए उनका समय-समय पर

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री प्रियरंजन दास मुंशी]

उन्नयन भी किया जाता है जब तक प्रशिक्षण सिद्धान्तों में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब तक हॉक-डिजाइन संगत बना रहेगा।

अब इन उन्नत जेट ट्रेनर एयर क्राफ्टों के बारे में इंग्लैंड की बी०ए०ई० नामक कम्पनी के साथ सरकार द्वारा बातचीत की जा रही है। बी०ए०ई० कम्पनी तथा ब्रिटेन की शाही वायु सेना (रायल एअर फोर्स) दोनों द्वारा सरकारी रूप से यह घोषणा की गई है कि इस विमान की अब कोई आवश्यकता नहीं है; यह एक पुरानी प्रौद्योगिकी है और आन लाइन असेम्बली प्वाइंट 1975 में बंद कर दिया गया। ब्रिटिश प्रेस में यह रिपोर्ट छपी है कि कम्पनी इस यूनिट को इसको न बिकने की धमकी के कारण बंद कर रही है और इसके प्रौद्योगिकीय पुनर्गठन से अनेक लोगों की नौकरी छिन जाएगी। शेयर मूल्यों में भारी गिरावट आई। अन्त में यह प्रौद्योगिकी इतनी बुरी है कि इंग्लैड में वायु सेना ने इसे और अधिक बढ़ावा न देने के लिए रक्षा मंत्रालय को लिखा। अन्त में इसकी असेम्बली लाइन बंद कर दी गई है और अगले तीन वर्षों में यह कम्पनी बंद हो जाएगी. . .*(व्यवधान)* क्या मुझे बोलने की अनुमति नहीं है।. . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अन्य सदस्यों को भी बोलने दें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह एक बहुत (महत्वपूर्ण मामला है) मैं इसे आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। आप पहले मेरी बात सुन लीजिए और फिर कोई बिनिर्णय दीजिए, मैं बुरा नहीं मानूंगा।

महोदय, रक्षा मंत्रालय की 66 एयर क्राफ्टों के बारे में बातचीत चल रही है। इसे प्रश्न के उत्तर में स्वीकृत किया गया है। इससे पहले प्रत्येक एयर क्राफ्ट के लिए दस मिलियन डालर के मूल्य पर बातचीत चल रही है और 66 एयर काफ्ट के कुल सौदे पर लगभग 7000 करोड़ रुपये बैठते हैं। विमानों को सौंपने का अनन्तिम कार्यक्रम यह है कि 24 एयर काफ्ट एस० के० जी० स्थिति में आएंगे और 42 एयर क्राफ्ट सी० के० जी० में आएंगे। इनकी सुपुर्दगी तीन वर्ष के भीतर हो जाएगी इसकी आपूर्ति अगले वर्ष से शुरू हो जाएगी।

जब प्रौद्योगिकी पुरानी, परित्यक्त घोषित हो चुकी है तो सरकार की ओर से इतने अधिक मूल्य पर इस सौदे को करने की जल्दी क्या है जो कि भारतीय वायु सेना के लिए हानिकारक है? रक्षा मंत्री ने ही कारगिल युद्ध के बाद कहा था कि शत्रु से मुकाबला अथवा लड़ाई ही नहीं कर रहे हैं बल्कि हम अपने शत्रु से अधिक कुशलता से लड़ रहे हैं। यह प्रौद्योगिकी विश्व भर में रक्षा की सभी वस्तुओं, विशेषकर जेट ट्रेनरों के मामले में पुरानी घोषित हो चुकी है।

प्रशिक्षण के दौरान अनेक विमान दुर्घटनाएं हुई जिसके परिणामस्वरूप हमारे महान विमान चालकों की मौतें हो गई। . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप पहले वक्ता हैं और अन्य सदस्य भी है जो बोलना चाहते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : इस मामले पर सभी सदस्यों को मेरे साथ होना चाहिए . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह एक महत्वपूर्ण मामला है और इसीलिए मैंने आपको बुलाया है लेकिन क्या आप यह कहना चाहेंगे कि अन्य सदस्यों द्वारा दी गई नोटिस महत्वपूर्ण नहीं हैं?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं एक मिनट में आपकी बात समाप्त कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए रक्षा मंत्री सभा को विश्वास में लें कि पुराने प्रौद्योगिकी के ऐसे एयर क्राफ्ट के लिए सौदे की बात चीत कैसे पूरी होने जा रही है।

महोदय, समाचार-पत्र पुराने मिराज विमान की खरीदने की रिपोर्टों से भरे पड़े हैं। यदि एयर क्राफ्ट पुराना नहीं है तो रक्षा मंत्रालय मना कर सकता था। आज तक रक्षा मंत्रालय ने मिराज विमान की खरीद को कभी मना नहीं किया और यह भी इन्कार नहीं किया कि क्या वे विमान पुराने हैं अथवा क्या रक्षा मंत्रालय ने 630 करोड़ रुपए से अधिक रुपए का भुगतान किया। रक्षा मंत्रालय ने हॉक सौदे का भी खण्डन नहीं किया।

उन्होंने यह नहीं बताया कि प्रौद्योगिकी पुरानी है या वे इसे बंद करने जा रहे हैं। देश सब कुछ देख रहा है लेकिन संसद को विश्वास में नहीं लिया गया। इसलिए, मैं इसे जानकारी में लाने के लिए मजबूर हूँ।

महोदय, मुझे आशा है कि रक्षा मंत्री इस मामले में आज वक्तव्य देंगे। अन्यथा, हमारे पास जो भी सामग्री है उससे हमें इस मामले में सरकार की कलई खोलनी पड़ेगी। अपने देश के रक्षा हित में हम सरकार को इस प्रकार जोखिम भरे और लापरवाहीपूर्ण सौदे के लिए माफ नहीं कर सकते। इससे हमारी भविष्य की रक्षा तैयारी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए, मैं एक बार फिर इस मामले पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार इस मामले में कुछ कहना चाहती है?

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, सरकार को जवाब देना चाहिए। . . . *(व्यवधान)* सरकार की ओर से कुछ जवाब आना चाहिए। . . . *(व्यवधान)*

श्री पी०एच० पांडियन (तिरूनेलवेली) : महोदय, हम भी श्री दासमुंशी द्वारा व्यक्त विचारों से स्वयं को संबद्ध करते हैं। . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब श्री बसुदेव आचार्य बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने सरकार से पूछा है। लेकिन, मैं सरकार को मजबूर नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने सरकार से पूछा है। मैं 'शून्यकाल' में उठाए गए मामले पर सरकार को उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।.

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने सभा की जानकारी में यह मामला ला दिया है और मैंने सरकार से पूछा है। लेकिन, मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : अध्यक्ष महोदय, इतने महत्वपूर्ण मामले पर सरकार राजनीति करना चाहती है। . . . *(व्यवधान)* सरकार की खामोशी इस मामले में संदिग्ध है। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मेरे विचार से राष्ट्रीय सुरक्षा के ऐसे महत्वपूर्ण मामले को विशेष चर्चा के रूप में उठाया जाना चाहिए। यदि यह इतना महत्वपूर्ण है तो इसे विशेष चर्चा के माध्यम से उठाया जाना चाहिए ताकि सरकार उचित समय पर उत्तर दे सके।. . .*(व्यवधान)* अब क्या आप मेरी बात सुनना चाहते हैं या आप मुझसे सिर्फ अपनी पसन्द की बात सुनना चाहते हैं? आप प्रातः 10 बजे सूचना देते हैं, शून्यकाल में खड़े होते हैं और आप पिछले 15 वर्षों से लम्बित ए॰जे॰टी॰ के मामले पर मेरी प्रतिक्रिया चाहते हैं। मैं संसदीय कार्यमंत्री हूं और आप मुझसे यह जानना चाहते हैं कि कौन सा विमान खरीदा जा रहा है।. . . *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अन्य मामलों में आप संबंधित मंत्री को कह सकते हैं परन्तु इस मामले में . . . *(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : आप इसे संबंधित मंत्री को भेज सकते हैं और आप भी पर्याप्त रूप से उत्तर दे सकते हैं। . . . *(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : यदि आप चाहते हैं कि मैं भावना से अवगत करा दूं, तो यह मैं करूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, हमारे देश की कई भाषाएं अपने भाषा वैज्ञानिक गुणों, साहित्यिक मूल्यों और सांस्कृतिक विरासत के बावजूद संविधान की आठवीं अनुसूची में स्थान नहीं पा सकी हैं। संथाली ऐसी ही भाषा है जिसकी अपनी अलग सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। यह शायद सर्वाधिक विकसित भाषा है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : माननीय आचार्य जी आप संथाली भाषा सम्मिलित कराना चाहते हो और भाषण अंग्रेजी में दे रहे हो . . . *(व्यवधान)* संस्थाली भाषा, जो हमारी पुरानी भाषाओं में से एक भाषा है, वह पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और असम में रहने वाले लाखों की आबादी की मातृभाषा है। उसका अपना साहित्य है इसका साहित्य समृद्ध है और यह देश की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। सरकार द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में इस भाषा को मान्यता नहीं मिली है। पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र सरकार को अपनी सिफारिशें भेजी हैं कि लाखों संथाली लोगों की भाषा है, जनजातीय भाषा है, इसे संविधान की स्वीकृति होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव भी पारित किया है और मांग की है कि संथाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में स्थान दिया जाये। इस संबंध में हमारा एक डेलीगेशन सरकार से आज मिलने वाला है जो याचिका पेश करेगा।

[अनुवाद]

संथाली भाषा विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा तक वैकल्पिक विषय होना चाहिए। दूरदर्शन और रेडियो पर संथाली कार्यक्रमों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए।

[हिन्दी]

जो सिधू कानू का शहीदी दिवस है उस दिन से इस जनजातीय भाषा को मान्यता दिया जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप दो भाषाओं में बोल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : क्योंकि श्री मुलायम सिंह जी बगल में बैठे हुए हैं, वे हिन्दी में बोलने के लिए कह रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : अगर आप इस भाषा को मान्यता दिलवाने के पक्ष में हो तो फिर भारतीय भाषा में ही बोलना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : इसलिए मेरी मांग है कि संथाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिये जल्दी सदन में एक बिल लाकर संविधान संशोधन के द्वारा संथाली भाषा को स्थान दिया जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द मुर्मू, आपने भी इसी विषय पर सूचना दी है। आप स्वयं को श्री बसुदेव आचार्य के साथ संबद्ध कर लें।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, . . .

अध्यक्ष महोदय : सुमन जी, आप बैठ जायें। आप रोज बोल रहे हैं, मैंने सब को समय देना है।

श्री रूपचन्द मुर्मू (झाड़ग्राम) : अध्यक्ष जी, श्री बसुदेव आचार्य ने संथाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए मांग रखी है, मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं। संथाली भाषा के लिये दीर्घकालीन मांग रही है। इसका रिच कल्चर है, इस भाषा का स्क्रिप्ट साइंटिफिक डेवलेप्ड है। हर साल 500 से ज्यादा मैगजीन, जर्नल्स और किताबें पब्लिश होते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जिसे नेपाल, बांगलादेश, पाकिस्तान, भूटान में संथाली लोग बोलते हैं। किसी कम्युनिटी के लोगों को अपलिफ्ट करने के लिये कम्युनिटी की भाषा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि संथाली भाषा को शीघ्र से शीघ्र संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाये।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : कम से कम इस मुद्दे पर मंत्री जी उत्तर दे सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : यह पूरी सभा की मांग है। वह इस भावना को गृह मंत्री तक पहुंचा सकते हैं। . . *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : मंत्री महोदय को कम से कम इस मुद्दे पर तो जवाब देना चाहिए। . . . *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : यह पूरी सभा की माँग है अत: संसदीय कार्यमंत्री को इस विषय में अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री प्रियरंजन दासमुंशी और श्री सुदीप बंद्योपाध्याय भी इस मुद्दे पर स्वयं को संबद्ध कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : महोदय, कुमारी ममता बनर्जी ने आठवीं अनुसूची में संथाली और मैथिली भाषा को मान्यता देने के संबंध में गृह मंत्री को हाल ही में पत्र लिखा है। मेरा अनुरोध है कि हमारी मांग पर भोजपुरी को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। इन मामलों को गंभीरता से लिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि संथाली और मैथिली बहुत ही महत्वपूर्ण भाषाएं हैं और हम सभी की राय है कि इन भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाना है। . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : दूसरे सदस्यगण भी बोलने के इच्छुक हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अभी कुछ समय पहले भोजपुरी सम्मेलन हुआ था. . .*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ जी, आप ऐसा मत करिए। आप डायरेक्ट बात मत कीजिए, आप बैठ जाइये।

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष जी, संथाली भाषा को आठवें परिशिष्ट में सम्मिलित करना चाहिए। रेल मंत्री कु० ममता बनर्जी द्वारा की हुई इस प्रकार की मांग सरकार के पास पहुंच गई है और भी सदस्यों ने यह विषय यहां उठाया है और उसके साथ-साथ भोजपुरी और मैथिली . . . *(व्यवधान)* इनकी मांग पहुंच गई है। मैं गृह मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करूंगा।

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर रानी अवंतीबाई बांध को बने लगभग 20 वर्ष हो रहे हैं. . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रामानन्द सिंह के कथन के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह : महोदय, इस बांध की दाईं नहर के बनने से प्रदेश के सबसे सूखा प्रभावित सतना, पन्ना तथा कटनी जिलों की सिंचाई प्रस्तावित थी। किन्तु गत 16 वर्ष से बरगी की दाईं कैनाल का काम बन्द पड़ा है। मध्य प्रदेश सरकार धनाभाव बताकर इस महत्वपूर्ण नहर का निर्माण नहीं करा रही है। जिसमें सतना, पन्ना तथा कटनी जिले में प्राय: सूखा तथा अकाल पड़ता रहता है। अत: मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध है कि केन्द्र सरकार द्वारा सी०एल०ए० (सैन्ट्रल लोन असिस्टेन्स) स्कीम के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के बरगी बांध की दाईं नहर का कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ कराकर दो वर्ष के अंदर पूर्ण कराने का आग्रह करे, ताकि विन्ध्य संभाग के सूखा प्रभावित सतना, पन्ना तथा कटनी जिलों में सिंचाई सुविधा बढ़ाई जा सके। धन्यवाद।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री माणिकराव होडल्या गावीत (नन्दुरबार) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक लोकोपयोगी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहां उठाना चाहता हूँ। . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री गावीत को बुलाया है, आप बैठ जाइये।

श्री माणिकराव होडल्या गावीत : सूरत-भुसावल रेल लाइन सिंगल रेल लाइन है, जिसे डबल रेल लाइन में कन्वर्ट करने के लिए मैं वर्ष 1984 से लगातार सरकार से प्रार्थना करता आ रहा हूँ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री गावीत, सभा कल और परसों रेल बजट पर चर्चा करेगी। इसलिए, इस मुद्दे को आप उस समय उठाएं।

[हिन्दी]

श्री माणिकराव होडल्या गावित : सर, यह एक छोटा सा मुद्दा है। मैं प्रत्येक रेल बजट में सभी मंत्रियों से मिलकर इस लाइन को डबल लाइन करने के बारे में सवाल उठाता रहा हूँ। वर्ष 1984 में श्री माधवराव सिंधिया जी रेल मंत्री थे और तब उन्होंने 25 किलोमीटर की मंजूरी दी थी। यह रेल लाइन गुजरात और महाराष्ट्र के आदिवासी इलाकों से होकर गुजरती है, इसीलिए इस रेल लाइन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इस वर्ष के रेल बजट में भी इसका उल्लेख नहीं हुआ है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस सिंगल लाइन को डबल रेल लाइन बनाने की मंजूरी सप्लीमैंटरी बजट में दी जाए।

दूसरा निवेदन यह है कि जो सर्वे हो चुका है, मनमाड-मालेगांव धुले-नरडाणा का, उनके लिए भी बजट में कुछ प्रावधान नहीं है। नरडाणा से सिरपुर और इंदौर तक नई लाइन के सर्वे कराने की भी मैं मांग करता हूँ। . . *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, जब पूरे देश में होली मनाई जा रही थी तो 9 मार्च की रात को मिर्जापुर जिले मे मड़ियान थाने के गांव भवानीपुर में पुलिस ने 16 निर्दोष लोगों को मार डाला यह कहकर कि ये नक्सलवादी थे। ये सब लोग एक दलित भगवानदास के घर दावत में मौजूद थे। पूरे गांव को पहले खाली करा लिया गया था। जो 16 लोग मारे गए हैं, पुलिस उनके नाम बताने को तैयार नहीं है।. . .*(व्यवधान)*

श्री रामशकल (राबर्ट्सगंज) : ये गलत बात कह रहे हैं। जो लोग मारे गए हैं, वे नक्सलवादी थे। यह बात विस्तार से अखबारों में भी छपी है।. . .*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, 13 साल का एक बालक कल्लू उसमें मारा गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जान-बूझकर दलितों और पिछड़ों को तथा अपने राजनैतिक प्रतिद्वंद्वियों को मरवाने का काम कर रही है। 13 साल का जो बच्चा मरा है, उसका किस नक्सलवादी संगठन से संबंध था? अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। . . . *(व्यवधान)*

श्री राधा मोहन सिंह (मोतिहारी) : जो मरा है वह न दलित है न सवर्ण है, वह नक्सलवादी है। . . . *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, पांच साल से उस इलाके में कोई नक्सलवादी गतिविधि भी नहीं थी। जान-बूझकर निर्दोष लोगों को मारने का काम किया गया और पुलिस उनके नाम बताने को तैयार नहीं है। . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रामजीलाल सुमन, यह स्टेट मैटर है, फिर भी आप हाउस में रेज कर रहे हैं। यह लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉबलम है जो स्टेट सब्जैक्ट है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आप किसी को हाउस में बोलने का मौका भी नहीं देते हैं। ऐसे हाउस कैसे चलेगा?

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, सरकार बताए कि कौन नक्सलवादी थे? . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आप भी बोल रहे हैं, आपके मैम्बर्स भी बोल रहे हैं, दूसरों को मौका नहीं देते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : इतनी देर में तो हम अपनी बात भी कह लेते। अध्यक्ष महोदय, अगर 13 साल का बच्चा नक्सलवादियों में है तो सरकार उसके बारे में बताए। . . *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : मुख्य मंत्री ने मजिस्ट्रेट जांच के लिए कहा है। मैं मांग करूंगा कि इसकी संसदीय समिति से जांच करा दीजिए, तथ्य सामने आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में तहसीलदार ही मजिस्ट्रेट होता है। इस पूरी घटना की जांच मजिस्ट्रेट क्या करेगा? आप इसकी जांच करा दीजिए, सब तथ्य सामने आ जाएंगे। . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सुकदेव पासवान आप श्री रामजीलाल सुमन के साथ स्वयं को संबद्ध कर लीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : अध्यक्ष महोदय, होली की रात 9 मार्च को मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में दलित और आदिवासियों की जो निर्मम हत्या पुलिस द्वारा की गई, उसमें 16 लोगों की नक्सलवादियों के नाम पर हत्या हुई है। आजादी के 53 साल बाद भी पुलिस दलित और आदिवासी लोगों पर अत्याचार कर रही है। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब वैद्य विष्णु दत्त शर्मा बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं वैद्य विष्णु दत्त शर्मा को बोलने के लिए कह चुका हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए हम स्टेट मैटर्स को हाउस में नहीं लाना चाहते।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : दूसरों को भी चान्स देना है। आप क्या कर रहे हैं?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वैद्य विष्णु दत्त शर्मा के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, आपस में कृपया बात न करें। यह आप क्या कर रहे हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

वैद्य विष्णु दत्त शर्मा (जम्मू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देश के विभाजन के समय लाखों लोग पाकिस्तान से जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवेश कर गए, लेकिन दु:ख इस बात का है कि आज 53 साल बीत जाने के बाद भी उन लोगों को शहरी हुकूक नहीं मिले हैं। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां ऐसा कोई कानून हो कि 53 साल तक वहां रहने के बाद उनको उस देश के शहरी हुकूक नहीं मिलें।

महोदय, इंगलैंड, यू०एस०ए०, जर्मन या फ्रांस किसी भी देश को देख लीजिए, वहां तीन-चार साल रहने के बाद उस देश की नागरिकता उनको मिल जाती है, लेकिन हमारे देश में हमारे ही देश के नागरिकों को 53 साल बीत जाने के बाद भी शहरी हुकूक नहीं दिए गए हैं जिसके कारण उनकी दुर्दशा हो रही है। आज स्थिति यह है कि वे वोट नहीं डाल सकते हैं। जो इस देश को अपनी मातृभूमि समझकर इस देश में आए और जम्मू तथा कश्मीर स्टेट में बसे, उन्हें उनके शहरी हुकूक से वंचित रखा गया है। वे वोट नहीं डाल सकते, चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं कर सकते हैं।

महोदय, दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां इतने वर्षों तक रहने के उपरान्त भी लोगों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया हो। हम ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करते हैं, लेकिन उनके हुकूक को न देकर हम ह्यूमन राइट कमीशन का भी उल्लंघन कर रहे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि 53 वर्षों से आज तक उनको शहरी हुकूक क्यों नहीं दिए गए? उनकी तीन पीढ़ियां बर्बाद हो गई हैं। उनको सिर छिपाने की जगह नहीं मिल रही है। उन्हें नागरिक अधिकारों से वंचित किया गया है। वे जमीन नहीं खरीद सकते हैं, घर नहीं बना सकते हैं, स्कूलों में नहीं पढ़ सकते हैं। उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। वहां की सरकार उनको नागरिक हुकूक नहीं दे रही है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि उनको शहरी हुकूक दिए जाएं। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से देश गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उनके नाम सरपंच की मनमानी अथवा वैमनस्य या चुनाव में विरोधी पक्ष की ओर से लड़ने के कारण, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की सूची में नहीं जोड़े गए हैं जिसके कारण वे केन्द्र सरकार की गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधान मंत्री, माननीय अटल जी ने गरीबों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं जैसे गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों को 25 किलो अनाज दिया जाना जिसमें

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

दो रुपए किलो गेहूं व तीन रुपए किलो चावल दिया जाएगा। इसी प्रकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अर्न्तगत जो 10 किलो अनाज मिलता है उसको दुगुना कर दिया गया है, लेकिन राज्य सरकारों के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं का लाभ गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सूची में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के नाम नहीं जोड़े जाने से इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसी प्रकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मिलने वाली अन्य चीजें जैसे चीनी, दाल, तेल और कपड़ा इत्यादि भी उनके नाम उस सूची में न जोड़े जाने के कारण उन्हें सस्ती दरों पर नहीं मिल रहे हैं। इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले ऐसे लोगों के नाम जिन्हें विरोध में चुनाव लड़े हैं, या वैमनस्यता के कारण अथवा सरपंचों की मनमानी के कारण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सूची से बाहर रखा गया है, उनके नाम भी पूरे देश में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की सूची में जोड़े जाएं ताकि उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके।

[अनुवाद]

डा॰ मन्दा जगन्नाथ (नगर कुरनूल) : अध्यक्ष महोदय, 'शून्यकाल' में एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैडम, मैंने आपका नाम पुकारा था, लेकिन आप उस समय हाउस में नहीं थीं।

[अनुवाद]

डा॰ मन्दा जगन्नाथ : यह आशंका है कि विश्व व्यापार संगठन व्यवस्था के तहत भारतीय कृषि उत्पादों पर सबसे बुरा असर पड़ेगा क्योंकि ये विश्वव्यापी स्पर्धा में नहीं हैं। चूंकि आंध्र प्रदेश कृषि जिन्सों का प्रमुख उत्पादक है, अत: यहां गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका है।

धान, तम्बाकू और मिर्च जैसे कई उत्पादों के अधिक उत्पादन से राज्य को उन्हें संभालने में परेशानी हो रही है और उच्च उत्पादन लागत और इन उत्पादों में कृषिनाशियों के अंश बचे रहने के कारण इनका निर्यात करने के प्रयासों का कोई विशेष परिणाम नहीं निकला है।

इस स्थिति से किसानों में बेचैनी और आत्महत्याओं की घटनाएं हुई हैं। केन्द्र सरकार ने अभी तक कृषि उत्पादों के मूल्यों को गिरने से रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं और यह नई कृषि नीति और 2001-02 के बजट से स्पष्ट है जो कार्पोरेट जगत को सहायता पहुंचाने के लिए बनाया गया है।

इसलिए, विश्व व्यापार संगठन की नई व्यवस्था के तहत इस समस्या के समाधान और स्थानीय उत्पादों और सेवाओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए कृषि क्षेत्र हेतु सतत् रणनीति बनाए जाने की आवश्यकता है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस समस्या पर ध्यान दे और समुचित उपाय करे क्योंकि कृषि क्षेत्र पर बहुत बुरा असर पड़ा है।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं और इस मामले में संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदय, मौजूदा सरकार द्वारा लाभ कमा रहे सरकारी उपक्रमों में विनिवेश करने के गरीब-विरोधी निर्णय के कारण देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षित बेरोजगार युवा गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं। हाल ही में भारत सरकार ने सरकारी उपक्रम बालको में 51 प्रतिशत भागीदारी का विनिवेश किया है। बालको ऐसे राज्य में स्थित है जहां अनुसूचित जनजाति समुदाय के गरीब लोगों की बहुलता है। बालको के कर्मचारियों, सामान्यत: सभी राजनीतिक दलों और विशेषत: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों ने विनिवेश का विरोध किया था।

अब यह बात सभी जानते हैं कि नया प्रबंधन मंडल फैक्टरी का अधिग्रहण किए जाने के समय से एक साल तक किसी कर्मचारी की छंटनी नहीं करेगा। यह अवधि जल्दी ही खत्म हो जाएगी। बाल्को में करीब 6000 कर्मचारी काम करते हैं. . . *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, बाल्को पर रोज चर्चा हो रही है। . . . *(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : आप चुप बैठिए। पहले हमारी बात सुनिए। . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अब आप मेरी बात में व्यवधान मत डालिए। चुप रहिए . . . *(व्यवधान)* महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष पीठ को संबोधित करिए, सदस्यों को नहीं।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : मैं क्षमा चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या एक ही सवाल पर रोज चर्चा होती रहेगी? इसके अलावा और कोई सवाल नहीं है। . . . *(व्यवधान)* हमारी समता पार्टी के एक कार्यकर्ता को बिहार में बेरहमी से पीटा गया। . . . *(व्यवधान)* एक ही सवाल पर रोज चर्चा हो रही है। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : महोदय, 8 मार्च को अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मीडिया की ओर से माननीय प्रधान मंत्री से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आरक्षण के बारे में एक विशिष्ट प्रश्न पूछा गया था। माननीय प्रधान मंत्री ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है और इस पर अलग से विचार किए जाने की आवश्यकता है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे इस बात को माननीय प्रधानमंत्री की जानकारी में लाएं कि निजी प्रबंधन एक वर्ष के बाद करीब 50 प्रतिशत कर्मचारियों की छंटनी कर देगा। बार-बार प्रश्न पूछे जाने और अनुरोध किए जाने के बावजूद भारत सरकार ने संसद में यह स्पष्ट नहीं किया है कि विनिवेश के बाद निजी प्रबंधन को सौंपी जाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिए जाने के बारे में इसकी नीति क्या है।

इसलिए, सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह सामान्य तौर पर कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए और विशेष तौर पर अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 16(4)(क) के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाए।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, हमने भी नोटिस दिया है। . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका कोई नोटिस नहीं है।

श्री रघुनाथ झा : हमने सुबह साढ़े आठ बजे नोटिस दिया है। . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम देखेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है कि आप उन्हीं व्यक्तियों को समय देते हैं जो सदन में उचित व्यवहार करते हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदय, यह बेहद चिंता का विषय है कि बिहार के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य लगभग ठप्प हो चुका है। राज्य में कार्य कर रहे 27,000 से अधिक अध्यापकों को वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री राजीव प्रताप रूडी, यह मामला भी राज्य से संबंधित मामला है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : यह मामला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय : इसकी संस्तुति राज्य को करनी होती है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : इन सभी अध्यापकों पर लागू होने वाले यू.जी.सी. के वेतनमानों के अनुसार उन्हें भुगतान नहीं किया जा रहा है। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और कालेजों ने सात महीनों से अधिक समय से वेतन का भुगतान नहीं किया है। यह बेहद चिंता का विषय है क्योंकि इसके कारण राज्य में पूरा शैक्षणिक कार्यक्रम अस्त-व्यस्त हो चुका है।

मैं सदन और यहां उपस्थित मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और यह सुनिश्चित करें कि बिहार राज्य में यू.जी.सी. के वेतनमानों को लागू किया जाए।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 4 मार्च को सुबह चार बजे पटना ग्रामीण जिला समता पार्टी के अध्यक्ष श्री बाल्मीकि सिंह के फतुहा स्थित निवास पर पटना पुलिस ने छापा मारा। छापे के क्रम में श्री सिंह को मारा-पीटा गया। उस घर में महिलाओं को भी भद्दी-भद्दी गालियां दी गईं, यहां तक कि पूजाघर को तहस-नहस कर दिया। पुलिस के बूट से देवी-देवीताओं की मूर्तियां तोड़ीं गईं। . . .*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह भी स्टेट मैटर है।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा : वास्तविकता यह है कि किसी के खिलाफ आज तक एक भी मुकदमा किसी थाने में दर्ज नहीं है। धारा 160 का भी मुकदमा दर्ज नहीं है। हमारे दल का प्रतिनिधिमंडल जब डी.जी.पी. से मिला तो उसने कहा कि यह तो गनीमत है कि आपके घर में कोई हथियार रख कर आपको फंसाने का काम नहीं किया। एक भी सर्च लिस्ट में कुछ नहीं मिला। इस तरह का बर्बरतापूर्ण कांड बिहार की पुलिस, पटना की पुलिस वहां के समता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कर रही है। . . . *(व्यवधान)* हम मांग करते हैं कि इसकी जांच सी.बी.आई. से कराई जाए। यहां संसदीय कार्य मंत्री बैठे हुए हैं। इसका स्पष्ट उत्तर देने से काम नहीं चलेगा। इसका जवाब देना पड़ेगा। . . . *(व्यवधान)* हम लोगों के इलाके में जिस तरह तांडव

नृत्य हो रहे हैं, जिस तरह पुलिस का बहुत जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। . . . *(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, यहां मंत्री जी मौजूद हैं। इतनी गंभीर घटना घटी है। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : स्टेट मैटर आप यहां कैसे रेज़ कर सकते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह के कथन के अलावा और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल न किया जाए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : वहाँ कोई लॉ एंड आर्डर नहीं है, कोई कानून नहीं है।. . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल न किया जाए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया) : आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैडम, यह स्टेट मैटर है, आप हाउस में कैसे रेज़ कर रही हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं, कृपया शांत रहें।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार को इस बारे में कुछ कहना है?

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष जी, श्री रघुनाथ झा, श्रीमती रेनु कुमारी, श्री प्रभुनाथ सिंह, श्री पप्पू यादव और बाकी सब माननीय सदस्यों ने बिहार की उस घटना के बारे में बताया।. . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आपस में बात न करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें से कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल न किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपने मुद्दा उठाया है लेकिन आप सरकार की बात नहीं सुन रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : यद्यपि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है लेकिन महिलाओं पर अत्याचार अपने आप में राष्ट्रीय विषय बनता है। मैं इसकी ओर केन्द्रीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

[हिन्दी]

दिल्ली शहर में मजदूरों के हक पर जो हमला हो रहा है, मैं उसका एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। आपको मालूम है कि हयात राजैंसी होटल में साढ़े सात सौ इम्प्लाइज हैं। एशियन होटल इम्प्लाइज यूनियन के नाम से जो यूनियन है, 90 प्रतिशत इम्प्लाइज उसके मैम्बर हैं। लेकिन होटल की उस यूनियन को स्वीकृति न दे कर मालिक दलाल यूनियन बना कर उस यूनियन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रजिस्ट्रार को होटल ने लैटर लिखकर कहा है कि इस यूनियन को स्वीकृति मत दो। यह ट्रेड यूनियन के राइट्स के खिलाफ है। चूंकि यहां जो होटल है, इसका मालिक राष्ट्र के सबसे बड़े राजनैतिक नेता का रिलेटिव है। . . . *(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसमें से कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको मालूम नहीं है, आप सब लोग हाउस में क्या कर रहे हैं। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप राज्यों के मुद्दे इस सदन में कैसे उठा सकते हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हाउस में कोई डैकोरम नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक करके नाम बुला रहा हूं। इस तरह से आप दूसरे माननीय सदस्यों के लिए बाधा ही उत्पन्न कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कोलमाइंस में जो दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, इसकी तरफ माननीय कोल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ऑफ इंडिया जो कोल इंडिया की सिस्टर कन्सर्न है, उसके अन्दर पिछले चार माह में 16 लोगों की दुर्घटना में मृत्यु हुई है। पिछले पांच मार्च को रेयतवाड़ी दुर्गापुर अंडरग्राउंड माइंस में छः लोग मारे गये हैं। उसके दो महीने पहले ओपन कास्ट माइंस में दस लोगों की मृत्यु हुई थी। इसी प्रकार से कोलमाइंस के अन्दर दुर्घनाएं बढ़ी हैं। इसका मुख्य कारण है कि डायरेक्टर जनरल, माइंस एंड सेफ्टी लेबर मिनिस्ट्री के अंडर आता है। इसके पास सक्षम स्टाफ न होने की वजह से भी ऐसा हुआ है। पिछले 20 साल में कोलमाइंस बढ़ चुकी हैं, लेकिन माइंस एंड सेफ्टी का स्टाफ नहीं बढ़ने की वजह से वे लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और खास कर दुर्घटना का कारण है कि अंडरग्राउंड माइनिंग में कोलमाइनिंग के बाद जिस प्रकार से सैंड फिलिंग होनी चाहिए, वह सैंड फिलिंग नहीं हो रही है। इसकी आप जांच करायें और मंत्री महोदय, आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण मंत्रालय में पिछले 18 महीने में चार मंत्री बदल चुके हैं, हर 4-6 महीने में मंत्री बदल रहे हैं, इसीलिए वैस्टर्न कोलफील्ड्स और कोल इंडिया के अधिकारियों पर केन्द्र सरकार की कोई पकड़ नहीं है और उसी का नतीजा यह हो रहा है कि दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। . . .*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रूपचन्द पाल जी, आपका कोई नोटिस नहीं है।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : अध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे अनुमति दें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है . . . *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नरेश पुगलिया : मैं माननीय कोयला मंत्री जी से विनती करूंगा कि वे इसमें जांच करायें। इसमें हम ज्यूडीशियल इन्क्वायरी की मांग करते हैं। अगर इसी प्रकार की दुर्घटनाएं बढ़ती रहीं तो इससे माइनर्स को न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर को आप इसमें रीएक्ट करने को कहें, ऐसी आपसे अपील है।

श्री उत्तमराव पाटील (यवतमाल) : मैं भी इसमें अपने को एसोसिएट करता हूं। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, यह बहुत ही अविलंबनीय स्वरूप का मामला है। काफी समय से चिकित्सा व्यवसाइयों सहित भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के लोग सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर रहे हैं कि इन्सुलिन की कीमतें इस तरह बढ़ रही हैं कि इन्सुलिन पर निर्भर रहने वाले बहुत से मधुमेह रोगी इस दवा की कीमत नहीं चुका सकते हैं।

महोदय, चिकित्सा व्यवसाइयों, गैर-सरकारी संगठनों आदि सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों की अपीलों के बावजूद नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 8 मार्च को इन्सुलिन सहित चौदह जीवन रक्षक दवाओं के मूल्यों में 48 प्रतिशित तक की बढ़ोतरी कर दी। यह मूल्य वृद्धि 22 मार्च से प्रभावी होगी।

देश के लोगों द्वारा इन्सुलिन के दाम कम करने के लिए अपील लिए जाने के बावजूद प्राधिकरण दामों को बढ़ा रहा है। सरकार का यह कदम इन्सुलिन पर निर्भर रहने वाले लाखों लोगों की मौत का कारण बनेगा। सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और इन्सुलिन के दामों में इस प्रकार की वृद्दि की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : अध्यक्ष महोदय, संविधान के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लेकिन 50 साल से जो आरक्षण पूरा होना चाहिए, वह आज तक पूरा नहीं हुआ है। भिन्न-भिन्न राज्यों में दिन प्रतिदिन बैकलाग की संख्या बहुत बढ़ रही है। परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति और जनजाति के शिक्षित लोगों में निराशा छाई हुई है। मेरी आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से प्रार्थना है कि जिन राज्यों में बैकलाग की संख्या ज्यादा है, उसे तुरंत भरने के लिए यहां से आदेश दिया जाए और बैकलाग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि इस कारण जो लोग पढ़ रहे हैं उनके पढ़ाई उनके मां-बाप बीच में ही यह कहकर छुड़ा रहे हैं कि जब पढ़े-लिखें लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, तो तुम्हें कैसे मिलेगी। इसलिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में कोई पालिसी निश्चित होनी चाहिए। जिस एकक का विनिवेश हो रहा है उसमें भी अनु. जाति/ज.जाति के आरक्षण की कोई निश्चित नीति निर्धारित की जानी चाहिए।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष, भारत सरकार की घोषित नीति है कि किसी भी हाल में सेवा में एक्सटेंशन नहीं दिया जाए। पंचम वेतन आयोग ने भी इस तरह की सिफारिश की थी। पटना हाई कोर्ट में सरकार ने एफिडेविट दिया कि कोई केस का वेरीफिकेशन बाकी नहीं है इसलिए सी.बी.आई. के जाइंट डायरेक्टर यू.एन. विश्वास को नहीं दिया जाए।. . . . *(व्यवधान)* लेकिन तुराई कमेटी की अनुशंसा पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। उस पर कोलकाता हाई कोर्ट में अपील भी नहीं हुई . . . *(व्यवधान)* सुप्रीम कोर्ट को भी मिसलीड किया गया . . . *(व्यवधान)* एक करोड़ रुपया लिया गया, उसको भी मुखबिर बनाकर छोड़ दिया गया . . .*(व्यवधान)* सरकार के दो मंत्री हैं, जिनके नाम हैं डायरी में कि एक करोड रुपया लिया गया. . .*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपके पास कोई सब्सटेंशियल एविडेंस है तो दीजिए।

(व्यवधान)

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : *

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसे मामलों को अस्पष्ट ढंग से नहीं उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : मेरे पास सबूत है . . .*(व्यवधान)* डायरी में दोनों के नाम हैं। . . . *(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप उसको सभा पटल पर रख दें*

(व्यवधान)

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : इसलिए दो मंत्रियों को बचाने के लिए यह सब किया जा रहा है . . . *(व्यवधान)* यू.एन. विश्वास को एक्सटेंशन दी गई है। . . . *(व्यवधान)* मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि सरकार इसकी जांच कराए . . . *(व्यवधान)* दो मंत्रियों को बचाया जा रहा है . . . *(व्यवधान)* अगर जांच हो तो सही बात सामने आ जाएगी।

[अनुवाद]

श्री के०एच० मुनियप्पा (कोलार) : अध्यक्ष महोदय, रेशम उद्योग पारंपरिक तौर पर बड़ी संख्या में किसानों की जीविका का प्रमुख साधन रहा है। कर्नाटक, देश में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, तमिलनाडु, जम्मू तथा कश्मीर और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की अगुआई करता है. . .*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मुनियप्पा कृपया एक मिनट रुकें। अब, माननीय कृषि मंत्री अपनी बात कहें।

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी बोलते हुए कुछ कहा। चूंकि मैं यहां बैठा हूं इसलिए हमने इस बात को सुन लिया। इन्होंने किसी सदंर्भ में मेरा नाम लिया . . .*(व्यवधान)*

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : यह डायरी सबूत है . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के वक्तव्य के अलावा और किसी बात को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)***

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : आप हमारी पूरी बात सुन लीजिए। इन्होंने किसी सिलसिले में हमारा नाम लिया है। अगर कोई आक्षेप है, . . .*(व्यवधान)* आप जरा सुन लीजिए। हम अध्यक्ष महोदय को कह रहे हैं। . . .*(व्यवधान)*

*चूंकि बाद में अध्यक्ष महोदय ने आवश्यक अनुमति प्रदान नहीं की, इस दस्तावेज को सभापटल पर रखा नहीं माना गया।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, आप बैठिए। आपने बोल दिया न। मिनिस्टर रिप्लाई दे रहे हैं। आपने सुन लिया। अब आप बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपके पास कोई सबूत है तो हमने पहले बता दिया, आप टेबल पर रख दो। आप पहले टेबल पर रख दो।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष जी, किसी भी सिलसिले में हो लेकिन उनकी ध्वनि से ऐसा लगा कि उन्होंने कोई आक्षेप मुझ पर और एक अन्य केन्द्रीय मंत्री पर लगाया है। . . . *(व्यवधान)* ऐसी उससे ध्वनि मिली है . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि उन्होंने आपके नाम का उल्लेख किया है तो मैं समझता हूं कि इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाला जा सकता है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : जोर-जोर से चिल्लाने से उनकी बात सत्य थोड़े ही हो जाएगी। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के कथन के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, यह आप हाउस में क्या कर रहे हैं? आप बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? पहले आप बैठिए।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री नीतीश कुमार : उनकी ध्वनि से और उसके भाव से और जो कुछ भी सुना जा सका, ऐसा लगा कि उन्होंने मुझ पर और एक अन्य केन्द्रीय मंत्री पर आक्षेप लगाया है। नियमों के मुताबिक सदन के किसी भी सदस्य के बारे में कोई भी आक्षेप लगाना हो तो उसके पहले उसका बाकायदा नोटिस दिया जाना चाहिए और उसकी कॉपी सम्बद्ध सदस्य को भी मिलनी चाहिए। मैं इस सदन का सदस्य हूं। कोई भी आक्षेप लगाना चाहे, उसको आक्षेप लगाने की इजाजत नियमों के अन्तर्गत दीजिए ताकि वह आक्षेप लगाए और मैं उस आक्षेप का उत्तर नियमों के हिसाब से दे सकूं। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

नीतीश कुमार : इस तरह से जीरो ऑवर में हल्लागुल्ला करके और कोई पता नहीं कौन सा कागज लेकर जो कई बार कई समाचार-पत्रों में . . . *(व्यवधान)* हल्ला करने से नहीं, जरा सुन लीलिए। कोई भी चीज को हल्ला करके और भ्रम उत्पन्न करके कोई कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करेगा तो यह इजाजत नहीं दी जा सकती है और कम से कम सदन का इस्तेमाल इसके लिए होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। किसी को भी कोई आक्षेप लगाना हो तो नियमों के मुताबिक नोटिस दे। मैं तो उस दिन धन्यवाद दूंगा कि इस सिलसिले में कोई आक्षेप लगाये और उस आक्षेप का जवाब हमको इस सदन के मंच से देने का मौका मिले। . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, आपके पास कोई सबूत हो तो आप टेबल पर रख दो। पहले सबूत टेबल पर रख दो।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : कागज रखने की बात नहीं है। बाजाप्ता नोटिस का प्रोवीजन है। . . . *(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : अध्यक्ष महोदय, इनके नाम को प्रोसीडिंग्स से निकाल दिया जाये। . . . *(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : नियमों के हिसाब से यह काम करना सफिशिएंट नहीं है। बाजाप्ता नोटिस देना होगा। . . . *(व्यवधान)* उस नोटिस का कोई मतलब नहीं है। मेरे पास कोई नोटिस की कॉपी नहीं है। अगर मेरे पास नोटिस की कॉपी आएगी तो हम पूरे तौर पर जवाब देंगे और बेनकाब करके रख देंगे। . . . *(व्यवधान)* जो काम आप लोगों ने एक्यूज्ड के सहारे . . . *(व्यवधान)*

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं चुनौती देता हूं इसकी जांच की जाये। . . . *(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : पहले आप सुन लो। कोई एलीगेशन हो तो आपको प्रोपर नोटिस देना है। ज़ीरो ऑवर में नोटिस देकर ऐसा एलीगेशन मत लगाओ। आप कोई सब्सटेंशियल एवीडेंस दे दो, प्रोपर नोटिस दे दो। बाद में एलीगेशन करना। ज़ीरो ऑवर में ऐसा मत करो। यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : जब यहां पर चुनौती स्वीकार करते हैं तो बिहार में क्या करते होंगे? . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, मैं पहले ही निर्णय दे चुका हूं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : नियमों के मुताबिक नोटिस दें ताकि आक्षेप का जवाब हम दे सकें। . . . *(व्यवधान)* हम जानते हैं कि भ्रम पैदा करने की कोशिश पूरे चारा घोटाले की जांच के समय से ही 1996 के शुरू से ही की थी ताकि 161 में किसी एक्यूज्ड का स्टेटमेंट दिलाकर . . . *(व्यवधान)* 161 का स्टेटमेंट जब तक एवीडेंस के साथ नहीं हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। . . . *(व्यवधान)*

अपराह्न 1.00 बजे

धारा 196 के तहत कथित किसी एक्यूज्ड के स्टेटमेंट को मैं चुनौती देता हूं। पूरे दस्तावेज के साथ और जिम्मेदारी के साथ आक्षेप लगायें, मैं इसकी बखिया उधेड़ कर रख दूंगा। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, कृपया।

(व्यवधान)

श्री के०एच० मुनियप्पा (कोलार) : रेशम उद्योग पारंपरिक रूप से हमारे देश के अधिकांश किसानों की आजीविका का मुख्य स्रोत रहा है। कर्नाटक रेशम उद्योग के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, तमिलनाडु जम्मू और कश्मीर और पश्चिम बंगाल जैसे अन्य राज्यों से आगे है। . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री के०एच० मुनियप्पा के कथन के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

श्री के०एच० मुनियप्पा : कृपया मुझे बोलने की आज्ञा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री के.एच. मुनियप्पा जी, कृपया आप अपनी बात जारी रखें।

श्री के०एच० मुनियप्पा : इसके अतिरिक्त, रेशमी साड़ियों, शालों और कालीनों के हथकरघा उत्पादन से जुड़े हुए कई बुनकर समुदाय रेशम उद्योग पर निर्भर हैं। देश के कुल रेशम उत्पादन में कनार्टक का योगदान 60 प्रतिशत है और कर्नाटक में 20 लाख से भी अधिक लोग रेशम उद्योग से जुड़े हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी बात पूरी कीजिए।

श्री के०एच० मुनियप्पा : देश में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से रेशम उद्योग से जुड़े हुए व्यक्तियों की संख्या लगभग एक करोड़ है जिसमें से 20 प्रतिशत कर्नाटक से है।

देश में कच्चे रेशम की कुल खपत लगभग 25,000 मीट्रिक टन तथा इसका उत्पादन 15,000 मीट्रिक टन है। मांग और आपूर्ति के इस अन्तर को दूर करने के लिए सरकार लगभग ओ.जी.एल. के अन्तर्गत लगभग 20,000 मीट्रिक टन कच्चे रेशम का आयात कर रही है जिस पर फिलहाल 35 प्रतिशत आयात शुल्क और 10 प्रतिशत अधिभार लगाया जा रहा है। उदारीकरण के मद्देनजर अनियंत्रित आयात से देश के बाजार कच्चे रेशम से भर गये हैं जिसकी अधिकांश मात्रा नेपाल से आती है। चीन भी लगभग 20,000 मीट्रिक टन कच्चा रेशम भेजता है. . .*(व्यवधान)*

इस आयात का एक भाग निषिद्ध मार्गों अथवा बहुत कम बीजक के माध्यम से आता है। आयातित रेशम को 15,000 रुपये प्रति किलोग्राम और निषिद्ध रेशम को थोड़े से कम मूल्य 12,000 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर बेचा जाता है। वाणिज्यिक कोये के अत्यधिक आयात के कारण स्थानीय बाजार में मूल्यों में उतार-चढ़ाव होता रहता है। रेशम के अनियंत्रित आयात के कारण स्थानीय उत्पादन की मांग ठहर गयी है और बिना बिके हुए माल के ढेर लगे पड़े हैं जिससे स्थानीय किसानों को चिंता बढ़ रही है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आप 'शून्य काल' में भी पढ़ रहे हैं। यह सब क्या है?

श्री के०एच० मुनियप्पा : अत्यधिक आयात के कारण देश के रेशम बाजार की स्थिति खराब हो गयी है जिससे रेशम उद्योग में लगे किसानों की आजीविका खतरे में पड़ गयी है। स्वदेशी रेशम उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से, मैं सरकार से और वस्त्र मंत्री जी से आयात की अधिकतम मात्रा निर्धारित करके और रेशम पर 50 प्रतिशत काउंटरविलींग शुल्क (10 प्रतिशत अधिभार के अलावा) लगाकर वस्त्र और रेशम/वाणिज्यिक कार्य के आयात में तत्काल कटौती करने का आग्रह करूंगा ताकि स्वदेशी रेशम से निर्मित उत्पादों को भी विकास समान अवसर मिल सके और किसानों के हितों की रक्षा की जा सके।

श्री आर०एल० जालप्पा भी मेरे तर्क का समर्थन कर रहे हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : महोदय, रघुवंश जी ने जिन बातों के बारे में कहा है . . .*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप पहले बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डॉ० (श्रीमती) सुधा यादव (महेन्द्रगढ़) : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा राज्य में जानवरों के मुंह और पैर की संक्रामक बीमारी बढ़ती जा रही है। इस रोग के फैलने की वजह से पशुधन का नुकसान हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि इस रोग से बचाव के लिए तुरन्त नि:शुल्क टीकाकरण की व्यवस्था की जाए, ताकि गरीब किसानों के पशुधन को बचाया जा सके।

[अनुवाद]

श्री के० येरननायडू (श्रीकाकुलम) : अपने केन्द्रीय कार्यालय के विकेन्द्रीकरण के भाग के रूप में नाबार्ड ने 1983 में एक पर्यवेक्षण विभाग की स्थापना की थी। लेकिन अब प्रबंधन ने इस कार्यालय को मुख्य कार्यालय में स्थानांतरित काने का निर्णय लिया है। इस समय विश्व वैश्विक ग्राम में परिवर्तित हो रहा हैं। हमें इंटरनेट की सुविधा मिली हुई हैं। नाबार्ड ने निवेश किया है तथा हैदराबाद में अपने भवन निर्मित किये हैं। नाबार्ड पहले ही बहुत सा पैसा खर्च कर चुका है। हैदराबाद से वह कार्यालय, जो केवल 2 वर्ष पुराना है और जिसने बहुत सा निवेश किया है, के संबंध में मेरी आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अपील है कि उस कार्यालय को हैदराबाद से स्थानांतरित न किया जाए।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : महोदय, मेरी बात नहीं सुनी जाएगी . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप पहले बैठिए। आपने नियम के तहत कोई नोटिस नहीं दिया है। आप ऐलीगेशन की बात कह रहे हैं, लेकिन प्रोपर नोटिस नहीं है।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमती फूलन देवी (मिर्जापुर) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी का ध्यान केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए दिए गये दो कूपनों की ओर दिलाना चाहती हूं। एक तरफ तो जनता हमारे प्राण खाती है कि एडमीशन करवाओ और दूसरी ओर हमारे संसदीय क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय नहीं है नवोदय विद्यालय है। मानव संसाधन और विकास मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं मैं उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगी कि वे कोई ऐसा कानून बना दें जिससे कि उन कूपनों के द्वारा जहां केन्द्रीय विद्यालय हैं वहां पर केन्द्रीय विद्यालयों में और जहां पर नवोदय विद्यालय हैं वहां पर नवोदय विद्यालयों में भी एडमीशन मिल सके।

दूसरा, हमारे मिर्जापुर जिले में कहीं बाहर से 17 निर्दोष लोगों को लाकर नक्सलाइट कहकर हत्या कर दी गयी। उसकी जांच कराई जाए। उनमें मल्लाह भी हैं, हरिजन और गिरिजन तथा दबे-कुचले लोग भी हैं उनको नक्ललाइट बताकर हत्या की गयी है।. . . *(व्यवधान)*

श्री रामशकल (राबर्ट्सगंज) : अध्यक्ष जी, यह मेरे क्षेत्र का मामला है। यहां पर गलत-बयानी हो रही है. . .*(व्यवधान)*

श्रीमती फूलन देवी : अध्यक्ष जी, गांव के दबे-कुचले लोगों को मार दिया गया है,. . .*(व्यवधान)* उसकी जांच करायी जाए कि कितने उसमें नक्सलाइट थे और कितने उसमें निर्दोष लोग मारे गये हैं। मिर्जापुर जिले में कहां से नक्सलाइट आ गये, इसकी भी जांच कराई जाए।. . .*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जी०एम० बनातवाला।

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : जनाब स्पीकर साहब, मैं हुकूमत की तवज्जोह एक इंतिहाई दिल-आजार वाक्या की ओर दिलाना चाहता हूं। अखबारात और इंटरनेट की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में युनाइटेड नेशन के दफ्तर के सामने मुकद्दस कुरान को जलाया गया। मेरे हाथ में इंटरनेट की ए.एफ.पी. की इंडिया टाइम्स न्यूज पर एक तस्वीर तथा राइटर की तस्वीर जो याहू इंटरनेट न्यूज एजेंसी है उसकी तस्वीर मौजूद है, जिसकी वजह से सारे हिंदुस्तान में टेंशन फैली हुई है। हुकूमत आखिर इस सिलसिले में क्या कर रही है।. . . *(व्यवधान)* जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए लेकिन हुकूमत चुप्पी साधे बैठी हुई है। बजाए इसके अगर कोई प्रोटैस्ट होता है और मांग की जाती है कि गुनाहगारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तो उल्टे उन बेगुनाह मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।. . .*(व्यवधान)* वर्ल्ड हिंदू कौंसिल और विश्व हिंदू परिषद के लोग शामिल हैं. . .*(व्यवधान)* मैं नहीं कह रहा हूं यह अखबारों में है।

شری جی۔ ایم۔ بنات والا (پوننانی) : جناب اسپیکر صاحب، میں حکومت کی توجہ ایک انتہائی دل آزر واقع کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ اخبارات اور انٹرنیٹ کی رپورٹ کے مطابق دہلی میں یونائیٹیڈ نیشن کے دفتر کے سامنے مقدس قرآن کو جلایا گیا۔ میرے ہاتھ میں انٹرنیٹ کی اے۔ایف۔پی۔ کی ایک تصویر ہے انڈیا ٹائمز نیوز پر ایک تصویر اور رائٹر کی تصویر جو 'یاہو' انٹرنیٹ نیوز ایجنسی ہے، اسکی تصویر موجود ہے۔ جسکی وجہ سے سارے ہندوستان میں ٹینشن پھیلی ہوئی ہے۔ حکومت آخر اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے۔ ...(مداخلت) جو لوگ اسکے لئے ذمہ دار ہیں، انکے خلاف کاروائی کی جائے لیکن حکومت چپ سادھے بیٹھی ہوئی ہے۔ بجائے اسکے اگر کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے اور مانگ کی جاتی ہے کہ گناہگاروں کے خلاف کاروائی کی جائے تو اُلٹے ان بے گناہ مسلمانوں کے خلاف کاروائی کی جاتی ہے۔...(مداخلت) ورلڈ ہندو کاؤنسل اور وشو ہندو پریشد کے لوگ شامل ہیں۔...!(مداخلت) میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ اخباروں میں ہے۔

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : आप कभी भी मुसलमानों से ऊपर उठकर नहीं सोचते हैं। . . .*(व्यवधान)* मेरे संसदीय क्षेत्र में हिंदू और मुसलमान दोनों ही रहते हैं। यहां से ऐसी कोई बात नहीं जानी चाहिए जिससे झगड़ा बढ़े। . . .*(व्यवधान)* यहां से भाई-चारे का मैसेज जाना चाहिए। . . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री अवतार सिंह भड़ाना को बोलने के लिए आमन्त्रित किया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अवतार सिंह भडाना के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जी०एम० बनातवाला : मैं हुकूमत से कहूंगा कि वह इस मामले की तफ्तीश करे।. . .*(व्यवधान)*

شری جی۔ ایم۔ بنات والا : میں حکومت سے کہوں گا کہ اس معاملے کی تفتیش کرے۔...(مداخلت)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री जी०एम० बनातवाला जी, सरकार जवाब दे रही है। कृपया आप बैठ जाएं। यह सब क्या है?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आप जीरो आवर में बहुत तकलीफ दे रहे हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से इस प्रकार की चर्चा दो दिन से देश में चल रही है। कल ही प्रधान मंत्री जी ने यह स्पष्ट किया है कि हम इस मामले की पूरी जांच करेंगे। कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो या चाहे कोई भी धर्म ग्रन्थ हो, वह सब के लिए आदरणीय है। किसी भी धर्म ग्रन्थ को जलाना अत्यन्त दुख की बात है . . .*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। आपने इस मामले को उठाया।

[अनुवाद]

सरकार इस बात का जवाब दे रही है। क्या आप को सरकार से इसका कोई जवाब नहीं चाहिए? फिर आप मामला क्यों उठा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जी०एम० बनातवाला : यह पांच तारीख का वाकया है और आज 13 तारीख हो रही है। . . . *(व्यवधान)*

شری جی۔ ایم۔ بنات والا : یہ پانچ تاریخ کا واقع ہے اور آج ۱۳ تاریخ ہو رہی ہے۔...(مداخلت)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सरकार जवाब दे रही है और आप कुछ भी नहीं सुन रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : क्या आप मेरी बात सुनेंगे? . . .*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला जी, अब बहुत हो चुका।

[हिन्दी]

यह जवाब दे रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात इसके साथ बता दूं। . . . *(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जिन दो चित्रों का उल्लेख किया, वे इंटरनैट साइट्स हैं। इसकी किसी भी हिन्दी के अखबार या दूसरे समाचार-पत्रों में कही जानकारी नहीं है। फिर भी प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि यदि ऐसी कोई अफवाह है, घटना है या शिकायत है तो हम इसकी जांच करेंगे। गृह मंत्री इसकी जांच कर रहे हैं। . . . *(व्यवधान)* गृह मंत्री 24 घंटे में इसकी जांच करके दोनों सदनों को तथ्यों की जानकारी दे देंगे। इसके साथ-साथ दुख के साथ यह भी कहना चाहता हूं कि तीन दिन से इस मुद्दे पर, अगर किसी ने कहीं दिल्ली में दो मिनट के लिए कोई विवाद खड़ा करने की गलती की हो तो उसे जो भी सजा हो, दें। इसके कारण देश के सारे शहरों और कस्बों में दंगों की साजिश की जा रही है और ऐसा वातावरण पैदा किया जा रहा है। . . *(व्यवधान)* संसद से हमेशा शांति और भाईचारे का संदेश जाना चाहिए। झगड़ों और दंगों का कभी संदेश नहीं जाना चाहिए।

श्री जी०एम० बनातवाला : हुकूमत इसके खिलाफ कार्रवाई करे। . . . *(व्यवधान)*

: حکومت اسکے خلاف کاروائی کرے۔۔۔(مداخلت)

شری جی۔ ایم۔ بنات والا

श्री अवतार सिंह भडाना (मेरठ) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत गम्भीर मामले की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैंने कई बार आपका और सरकार का इस तरफ ध्यान खींचने का प्रयास किया। जम्मू-कश्मीर में पिछले एक महीने से न जाने कितने बेकसूर लोग मारे गए। गृह मंत्री जी कह रहे थे कि हमने यह किया, वह किया। पिछली 12 पिछली तारीख को 15 लोगों की हत्या की गई जिन में बच्चों और औरतों को जिंदा जला दिया गया। हमने उस समय भी सरकार का इस तरफ ध्यान खींचा। इसके बाद एक औरत और तीन लोगों को फिर मार दिया गया। पहले राजौरी में घटना घटी। यह दूसरी घटना है। आज जम्मू-कश्मीर से लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। उन लोगों ने जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए कुर्बानी दी। आबादी के 30 परसैंट लोग आज वहां से पलायन करने पर बेबस हो गए हैं। वे जम्मू से होकर दिल्ली तक पहुंच गए हैं। जम्मू में जो लोग पलायन करके आए, सरकार द्वारा उन्हें प्रोटैक्शन देने और देख-रेख करने की जरूरत थी। . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऐसे पेपर दिखाना अच्छा नहीं है।

श्री अवतार सिंह भडाना : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। इस बारे में प्रधान मंत्री जी कुछ कहते हैं और गृह मंत्री कुछ कहते हैं। जम्मू-कश्मीर के बारे में कहा जाता है कि यह देश का अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री इसी हाउस में खड़े होकर कहते हैं कि हमारा तिलक है। आज जम्मू-कश्मीर में जो 15-20 या 50 लोग मारे गये हैं, उन लोगों को प्रोटैक्शन देने के लिये सरकार ने क्या काम किया है। अगर यह सरकार जम्मू-कश्मीर में . . .

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के कहे के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री राजेश रंजन जी, आपका क्या कहना है?

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष महोदय, रघुवंश बाबू ने श्री यू.एन बिश्वास के मामले को उठाया . .

अध्यक्ष महोदय : वह मामला हो गया और हमने रूलिंग भी दे दी है। यह सब्सटेंटिव नोटिस नहीं है। इसलिये ऐसा मैटर हाउस में मत उठायें।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : हम यही बात कह रहे हैं

अध्यक्ष महोदय : हमने रूलिंग दे दिया है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि जब इस मामले में जांच की जा रही थी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के आदेश पर यह तय हुआ था कि जब तक श्री यू.एन. बिश्वास या कोई अन्य पदाधिकारी जांच कर रहा है, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक वही काम करता रहेगा। हाई कोर्ट के नियमन पर सुप्रीम कोर्ट ने नियमन देकर श्री यू.एन. बिश्वास . . .

अध्यक्ष महोदय : हमने इस बारे में अपना रूलिंग दे दिया है। प्लीज बैठ जायें।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का मामला फिर आ गया है. . .

अध्यक्ष महोदय : यदि आ गया है तो वह रिकार्ड से निकालेंगे।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष महोदय, यही हम चाहते हैं।

अपराह्न 1.17 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) धान उत्पादकों, विशेष रूप से चिमूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र में धान उत्पादकों को उनकी फसल के लिए लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे (चिमूर) : अध्यक्ष महोदय, अपना देश भारत कृषि प्रधान देश कहलाता है किन्तु किसानों को अपनी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। खासकर मेरे चिमूर निर्वाचन क्षेत्र के भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली जिले में धान की फसल ज्यादा होती है। चावल की फसल उगाने के लिये जिन-जिन चीजों की जरूरत होती है, उन चीजों को उद्योग का दर्जा देकर दाम तय किये जाते हैं। जैसे खाद, दवा, पानी। लेकिन धान के दाम तय करते समय किसान को आने वाला खर्चा ध्यान में न रखकर दाम तय किये जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप किसान हर वक्त घाटे में जाता है। आज के हालत में किसान को एक एकड़ धान की फसल निकालने के लिये साढ़े छः या 7 हजार रु. खर्चा आता है और धान का उत्पादन 10-12 क्विं. होता है। जिसकी कीमत 5 हजार रू. तक ही होती है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह किसान के हितों के मद्देनजर चावल के उत्पादन को उद्योग का दर्जा देकर उसका दाम तय किया जाये।

[अनुवाद]

(दो) उड़ीसा के क्योंझर जिले में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता

श्री अनन्त नायक (क्योंझर) : अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा के क्योंझर जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मलेरिया बहुत बुरी तरह से फैल रहा है। यह चिंता का विषय है मलेरिया की बढ़ती हुई घटनाओं के कारणों को कहीं दूर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। गंदगी से भरे रहन-सहन, जल निकास प्रणाली तथा सड़कों के किनारे आवासीय क्षेत्रों में लापरवाही से कूड़ा डाल दिये जाने से क्षेत्र में मच्छरों की संख्या में और बीमारी के खतरों में वृद्धि हुई है। इस जिले में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को नियमित रूप से और सुव्यवस्थित रूप से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। बड़ी संख्या में रोगी जिला अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पहुंच रहे हैं, लेकिन पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

जब तक की मलेरिया से पीड़ित रोगियों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती, इस रोग का उन्मूलन नहीं किया जाता, लोग इस बीमारी से पीड़ित होते रहेंगे। अतः मैं यह मांग करता हूं कि क्योंझर जिले में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए प्रयास किये जाएं। इस जिले में स्वास्थ्य और स्वच्छता जागृति अभियान भी चलाया जाना चाहिए।

(तीन) पंजाब के निजी रूप से संचालित तथा सरकार द्वारा मान्यता और सहायता प्राप्त स्कूल सेवानिवृत्ति लाभ योजना, 1992 को चण्डीगढ़ की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों पर भी लागू किए जाने की आवश्यकता

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : महोदय, चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने वर्ष 1996 में इस संघ राज्य क्षेत्र में सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कर्मचारियों से यह विकल्प मांगा गया था कि क्या उनके लिए पंजाब के निजी रूप से संचालित मान्यताप्राप्त सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय सेवानिवृत्ति लाभ योजना का विस्तार कर उसके लाभ उन्हें दिये जाएं अथवा नहीं।

इस योजना की सभी ने इच्छा की थी और प्रशासन ने इसी योजना को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया था। फिर भी, वास्तविक कार्यान्वयन में इतना विलंब हो गया क्योंकि इस संबंध में कुछ शंका उत्पन्न हो गयी कि गृह मंत्रालय अथवा मानव संसाधन विकास मंत्रालय वित्तीय खर्चे को वहन करेगा जो किसी भी स्थिति में अधिक नहीं है। इसी कारण, कई सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षक कष्ट भोग रहे हैं। मैं सरकार से तत्काल मामले का समाधान करने और संबंधित कर्मचारियों को योजना के लाभ प्रदान करने का आग्रह करता हूं।

(चार) उड़ीसा के नवरंगपुर में केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री परसुराम माझी (नवरंगपुर) : महोदय, जनजातीय बहुल वाले अविभाजित कोरापुट जिला उड़ीसा में नवरंगपुर, कोरापुट, मल्कानगिरी और रायगडा जिलों से मिलकर बना है। वहां पर केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की बहुत अधिक आवश्यकता है। स्वतन्त्रता के पचास वर्ष के बाद भी, यह क्षेत्र भारत के अन्य जिलों से पिछड़ा हुआ है। किसी भी क्षेत्र में साक्षरता का स्तर इतना कम नहीं है जितना नवरंगपुर में। 1991 की जनगणना के अनुसार नवरंगपुर, कोरापुट, मल्कानगिरि और रायगडा के लोगों की साक्षरता दर क्रमशः 18.62 प्रतिशत, 24.64 प्रतिशत, 20.04 प्रतिशत और 26.01 प्रतिशत थी।

[श्री परसुराम माझी]

आदिवासियों का साक्षरता स्तर सामान्य वर्ग की जातियों से कहीं कम है। प्रत्येक जनजाति की साक्षरता 15 प्रतिशत से कम है, और महिला साक्षरता पांच प्रतिशत से भी कम है।

इसलिए, इस अत्याधिक निरक्षरता से निपटने के लिए एकमात्र रामबाण औषधि 'भारत के सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र' के लिए एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना ही है जिसके लिए भूमि और बुनियादी सुविधाएं जुटाना कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। अतः, मैं सरकार से इस क्षेत्र की कम साक्षरता के सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर विचार करते हुए नवरंगपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 'केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय' की स्थापना के लिए प्रभावी कदम उठाने का आग्रह करता हूं।

(पांच) मध्य प्रदेश के सागर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 पर धासन नदी पर मेहरगांव में तथा व्यास नदी पर बरखेरी गुरू गांव में पुलों को ऊंचा उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत नेशनल हाइवे-26 आगरा, झांसी, सागर, नागपुर मार्ग एक व्यस्ततम एवं महत्वपूर्ण राजमार्ग है जहां से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में वाहन सागर होकर उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर तथा दक्षिण से दिल्ली की ओर जाते हैं। सागर नगर के दोनों तरफ दो महत्वपूर्ण पुल इस हाइवे पर पड़ते हैं। एक मेहर गांव के पास धसान नदी पर दूसरा ग्राम बेरखेरी गुरू के पास बेबस नदी पर बना हुआ पुल है। इन दोनों ही पुलों की ऊंचाई कम होने के कारण ये दोनों ही पुल बरसात के दिनों में थोड़ी सी बरसात होने पर डूब जाते हैं। इस कारण इन पुलों के दोनों ओर नेशनल हाइवे-26 पर चलने वाले सैकड़ों वाहनों को रुकने के लिए बाध्य होना पड़ता है। यहां पर ठहरने तथा भोजन की समुचित व्यवस्था न होने से बरसात के दिनों में कई बार यात्रियों को, महिलाओं एवं छोटे-छोटे मासूम बच्चों को वाहनों के ड्राइवरों व कंडक्टरों को अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस कारण इस व्यस्ततम राजमार्ग पर पड़ने वाले दोनों पुलों को ऊंचा किया जाना अति आवश्यक है। अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जनहित को दृष्टि में रखते हुए इस व्यस्ततम राजमार्ग नेशनल हाइवे-26 पर पड़ने वाले दोनों पुलों को ऊंचा करवाने का सहयोग करें।

(छह) जम्मू-कश्मीर में सम्पत्तियों के स्वामित्व अधिकारों के शीघ्र निर्धारण की आवश्यकता

वैद्य विष्णु दत्त शर्मा (जम्मू) : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र की सरकार यह मानती है कि जम्मू-कश्मीर स्टेट की अब कोई समस्या नहीं, यह भारत का अभिन्न अंग है और इस विषय का प्रस्ताव राज्य विधान सभा में भी पास हो चुका है। 1947 में देश विभाजन के पश्चात् पाकिस्तान चले गए लोगों की सम्पत्ति को संभालने तथा व्यवस्था के लिए प्रत्येक प्रान्त में कस्टोडियन डिपार्टमैंट (विभाग) बने थे। कुछ वर्षों बाद पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आए लोगों को जमीन और मकान एलाट करके सभी को पूर्ण स्वामित्व के अधिकार देकर आबाद कर दिया गया और यह विभाग लगभग सभी प्रान्तों में समाप्त हो गया। किन्तु 53 वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी जम्मू और कश्मीर से पाकिस्तान चले गये लोगों की सम्पत्ति उन्हीं के नाम सुरक्षित है और कस्टोडियन विभाग मौजूद है। यह विभाग किस आशा में रखा गया है। पाकिस्तान या कश्मीर स्टेट के उस भाग से जिस पर पाकिस्तान ने अनाधिकार कब्जा कर रखा है, से आये विस्थापितों को उन सम्पत्तियों को अलाट करके स्वामित्व के अधिकार दिये जाएं और कस्टोडियन विभाग समाप्त कर दिया जाए।

[अनुवाद]

(सात) अल्प बचतों तथा भविष्य निधि पर ब्याज दरों को कम करने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : महोदय, अल्प बचतों तथा भविष्य निधि पर ब्याज की दरों को कम नहीं किया चाहिए। अल्प बचतों और भविष्य निधि के मामले में सरकार पूर्ववर्ती बजट (2000-2001) में दरों को पहले ही एक प्रतिशत घटा चुकी है। इस वर्ष के बजट में, सरकार ने अल्प बचतों में एक प्रतिशत तथा उसके साथ भविष्य निधि में 1.6 प्रतिशत की कटौती करने की घोषणा की है। यदि आप इन दोनों को जोड़ दें, तो यह अल्प बचतों में दो प्रतिशत और साथ ही साथ भविष्य निधि में 2.5 प्रतिशत, अर्थात् कुल 4.5 प्रतिशत की कटौती होती है। इसके कारण, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग परेशानी में पड़ जायेंगे। सरकार ने बेरोजगारी भत्ते के मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि अल्प बचतों तथा भविष्य निधि पर ब्याज दरों को कम न किया जाय। मैं सरकार से युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का भी अनुरोध करता हूं।

(आठ) राजामुन्दरी (आंध्र प्रदेश) और चेन्नई (तमिलनाडु) को जोड़ने वाली बकिंघम नहर को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

डा० राजेश्वरम्मा वुक्कला (नेल्लौर) : महोदय, बकिंघम नहर देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्गों में आती है, जो कई दशकों से विद्यमान है; यह आंध्र प्रदेश स्थित राजामुन्दरी से तमिलनाडु में चेन्नई को जोड़ती है और नेल्लोर तथा अन्य महत्वपूर्ण चार-क्षेत्रों से होकर बहती है। यह नहर इसके तटवर्ती क्षेत्रों में कृषि-उत्पाद, ग्रेनाइट, रेत, सीमेंट तथा खाद्य-सामग्री आदि का अंतर्देशीय परिवहन करने में अत्यन्त महत्वपूर्ण माध्यम सिद्ध हुई है। कई जगहों पर, नहर में स्टीमरों के द्वारा सवारी-यात्रियों को भी लाया ले जाया जाता है। यह नहर कमजोर वर्गों के लाखों लोगों के लिए जीविकोपार्जन का जरिया है।

किन्तु यह नहर परिवहन-प्रयोजनों के लिए अनुपयोगी हो गयी है, क्योंकि पूर्व में आई बाढ़ और अन्य कई कारकों की वजह से उसमें भारी गाद जमा हो गयी है। बकिंघम नहर को एक राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में विकसित किए जाने से परिवहन व्यवस्था तो सुधरेगी ही; इससे रोजगार के अवसरों का सृजन करने और मात्स्यकी का विकास करने में भी काफी सहायता मिलेगी।

इन तथ्यों के अलोक में, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगी कि वह बकिंघम नहर को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने पर विचार करें।

[हिन्दी]

(नौ) उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और बांदा जिलों में पेयजल की गम्भीर समस्या को हल करने की आवश्यकता

श्री राम सजीवन (बांदा) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट एवं बांदा जिलों में अल्पवृष्टि के दुष्प्रभाव के कारण पेयजल की समस्या गंभीर होती जा रही है। छोटे-छोटे नदी-नाले, तालाब और कुंए सूख गए हैं। यत्र-तत्र जहां-कहीं कुछ पानी बचा है, वह भी गंदा हो गया है तथा पीने योग्य नहीं रहा। इंडिया मार्क-2 हैण्ड पंप कम गहराई में लगे होने के कारण पचास प्रतिशत से अधिक सूख गए हैं, खराब हो गए हैं और पानी नहीं देते। गहराती जा रही पेयजल समस्या गर्मी का मौसम आते-आते और अधिक विकराल रूप धारण करने वाली है। इसीलिए, आवश्यक है कि उक्त जिलों में गहराती पेयजल की समस्या और अभाव को दूर करने हेतु अभी से सचेत होना श्रेयस्कर होगा। हैण्ड पम्पों को अधिकाधिक संख्या में अधिष्ठापित किया जाए। सांसद जन-प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत सुझावों और प्रस्तावों पर तत्काल अमल किया जाए। जल निगम यूनीसेफ चित्रकूट को चुस्त-दुरुस्त एवं स्वच्छकर बनाकर धन उपलब्ध कराया जाए। हैण्ड पम्प अधिक गहराई तक लगाए जाएं।

अत: मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

[अनुवाद]

(दस) पंजाब और हरियाणा के बीच जल और अन्य लंबित विवादों को हल किए जाने की आवश्यकता

श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा) : महोदय, 7 मार्च, 2001 के 'दि ट्रिब्यून' समाचारपत्र में 'पी.एम. वार्न्स ऑफ वाटर शॉर्टेज एटसेक्ट्रा' शीर्षक से एक समाचार प्रकाशित हुआ। इस समाचार-रिपोर्ट के अनुसार, माननीय प्रधान मंत्री जी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक आयोजित करने के लिए कहा है, ताकि जल-विवादों को सुलझाने और क्षेत्र का समेकित विकास करने के लिए संयुक्त नीतियों की रूपरेखा तैयार की जा सके।

प्रधान मंत्री जी को मुख्यमंत्रियों की यह बैठक आयोजित करने के लिए स्वयं ही पहल करनी चाहिये थी, वे ऐसा करने में पूरी तरह सक्षम हैं। अतएव, मैं मांग करता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी स्वयं ही मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाएं, जिससे तर्कंषत जल-विवाद का समाधान हो, अपितु चंडीगढ़ और अन्य पंजाबी-भाषी क्षेत्रों को पंजाब को हस्तांतरित करने के मुद्दे पर भी बात हो।

अपराह्न 1.32 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.06 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.06 बजे पुन: समवेत हुई।

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा *पीठासीन हुईं*]

नियम 193 के अधीन चर्चा

किसानों के समक्ष आ रही समस्याएं—जारी

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा किसानों के मामले पर चर्चा को जारी रखेगी। अब श्रीमती रेणूका चौधरी 20 मिनट तक बोलेंगी।

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम) : मैं स्वत: स्फूर्त प्रतिक्रिया व्यस्त करने के लिए आप सबका धन्यवाद करती हूं. . .*(व्यवधान)* मैंने इसे नोट किया, क्योंकि यह एक ऐसी लड़ाई थी, जिसका मैंने बीड़ा उठाया—आप जानते ही हैं—और आज संसद में इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। यह इस लड़ाई का शिखर पर पहुंच जाना है।

मेरे प्रिय तथा आदरणीय साथियों, हमारे किसानों के साथ क्या हो रहा है के बारे में बताऊं तो कृपया धैर्य रखिएगा मुझे पहले ही यह कह देना चाहिए। इस बारे में काफी कुछ कहा गया है और काफी अटकलें लगाई जा रही हैं।

[हिन्दी]

किसानों के मामले में बहुत लोग बहुत कुछ सोचते हैं मगर हमारी यह जरूरत है कि हम बुनियादी सवाल उठाएं और समझ लें कि किसान की यह परिस्थिति क्यों आई। हम शैल्फ सफीशिएंसी से बात करते थे, आज के दिन ऐसा क्या हुआ, इस बारे में हमें दिमाग लगा कर सोचना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। आज जब किसान शाम को घर बैठता है, गांवों में आधा समय तो बिजली नहीं होती, वह बच्चों को कहानी सुनाता है। एक जमाना था जब रामायण और

[श्रीमती रेणूका चौधरी]

महाभारत की कहानी सुनाया करते थे ताकि बच्चे उससे सबक सीखें लेकिन आज बॉयो-टैक्नोलोजी का असर देश में इतना आ गया कि कपास का किसान कह सकता है कि बेटे, कपास सिर्फ सफेद नहीं होती, हम रंगीन कपास उगा सकते हैं।

यह तथ्य है। आज, भारत में जीनीय रूप से रंजित कपास उगाई जाती है। आप जानते हैं कि जो जुगनू हम बच्चों को दिखाते हैं, वे उसे देख कर हैरान होते हैं। उस जुगनू की चमक को

[अनुवाद]

हमने अपनी धान की पैदावार तक में इस तकनीक को शामिल कर लिया है और आज किसान अपनी फसल का बूटा खिलते ही समझ जाता है कि उसमें क्या परेशानी है।

[हिन्दी]

यह कोई साइंस फिक्शन का स्टीवन स्पीलवर्ग की कहानी नहीं है, यह हकीकत है।

[अनुवाद]

इस तथ्य के बावजूद कि हमारे छोटे और मझौले किसानों में निरक्षरता अधिकतम है। प्रौद्योगिकी को किसानों द्वारा उसी प्रकार अपना लिया है जैसे बत्तख पानी को;

[हिन्दी]

सबसे पहले हम समझ लें कि देश में हुआ क्या। यह हुआ कि—

[अनुवाद]

प्रतिवर्ग इंच भूमि के सापेक्ष जनसंख्या-वृद्धि और उसका दबाव बढ़ गया है, जिससे जोत भूमि में और ज्यादा हिस्सेदारी होते-होते अंतत: उसका खात्मा ही हो गया है। इसके परिणामस्वरूप, कम से कम जोत भूमि—वाली 0.24 हेक्टेयर भूमि तक—लोगों के बीच बंटी है। इससे, किसानो अब नफे का पेशा नहीं रह गया है क्योंकि छोटे-छोटे भूखंडों पर खेती हो रही है और किसानों के लिए यह पर्याप्त नहीं है।

फिर, आपके सामने क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या भी है, जैसे कि उत्तरी बिहार में।

[हिन्दी]

बिहार के लोग यहां बड़ा मातम करते हैं, लेकिन बिहार में पानी की कमी नहीं है।

[अनुवाद]

उसके पास आवश्यकता से अधिक पानी है, लेकिन दूसरी हिस्से सूखे पड़े हैं। हमें यह समझना चाहिए कि पानी समानरूप से बांटा जाना चाहिए। जलक्षेत्र में एक अनुशासन लाया जाना चाहिए ताकि देश भर के किसानों को समान रूप से जल मिल सके। ऋण प्राप्त करने में भी वह दिक्कतों का सामना करते हैं। बहुत सा पैसा तो गांव से बाहर ही चला जाता है।

[हिन्दी]

क्योंकि रिमोट एरियाज में किसान को क्रेडिट हाथ में नहीं आता है। बैंक जिले के हैडक्वार्टर्स पर ब्रान्च खोलकर बैठ जाते हैं। वहां से 100-200 किलोमीटर दूर पर बैंक की ब्रान्च नहीं होती है और किसान एक-दो दिन का खर्चा लेकर बैंक के लिये डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर आये और वहां लोन के लिए चक्कर काटे, यह तो होता नहीं है, यह तो आप भी जानते हैं।

[अनुवाद]

चूंकि ऋण-सुविधाओं की कमी है, अतएव सरकार को बैंक और ऋण प्रदाय सुविधाओं का विस्तार करने में और अधिक रचनात्मक होना चाहिए। हमें स्व-सहायता समूह और स्व-समर्थन समूह जैसे कुछ दल बनाने चाहिए, जो कम प्रतिशत दरों पर वित्तपोषण करें। अधिकांश मामलों में भुगतान की दर-ठीक रही है, कारण, कि ग्रामों पर स्पष्ट रूप से दबाव पड़ता दिखा है। आज यह फिर क्यों उत्पन्न हुआ ? हमारी नीति में बदलाव क्यों आया ? कृषि क्षेत्र का जहां तक संबंध है, हम उसमें एक आत्मनिर्भर और आत्मसंतुष्ट अर्थव्यवस्था से एक निर्भरशील समाज क्यों हो गए हैं। अस्सी के दशक में हमारा कृषि में जो निवेश था, उसकी तुलना में उसमें आज कमी आती जा रही है। कृषि पर सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च में गिरावट आती जा रही है। आज यह उसके आधे से भी कम है, जितना अस्सी के दशक में हुआ करता था। मैं इस बात पर लड़ने नहीं जा रही कि आपकी और अपनी सरकार में क्या अन्तर है। ऐसा हम चुनाव लड़ने के दौरान करते हैं। शासन करना एक सतत् प्रक्रिया है, और खेती-बाड़ी करना एक सतत् प्रक्रिया है; इसे प्रकृति की विभिन्नताओं से जूझकर किया जाता है; इसे नकली कीटनाशकों की समस्या का सामना करते हुए किया जाता है और इसे विश्व व्यापार संगठन के मानदण्डों के बीच रहकर भी किया जाता है। हम सभी जनता के प्रति जवाबदेही रखते हैं।

आज के परिदृश्य में देखें, तो हुआ यह है कि हम अपने कृषक-समाज की आवश्यकताओं का कोई बौद्धिक अवबोध ही नहीं कर पा रहे हैं। हम यह समझने-सोचने में विफल रहे हैं कि बाजार में क्या हो रहा है। कृषि मांग और पूर्ति की स्थिति को नहीं देखा है। उसमें विषमता थी। हमारा उत्पादन अधिक है क्योंकि कोई सलाहकार समिति ही नहीं है, जो किसानों के लिए स्थिति-निर्धारक हो और उत्पाद-विशिष्टता तय करे। हमारी डिलीवरी व्यवस्था विफल हो गयी है। हम राज-सहायता बढ़ाना जारी रखे हुए हैं, इस उम्मीद से, कि बढ़ाई गई भारी राज-सहायता फसल की पैदावार की देख-रेख कर लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ इसका उल्टा और इसके फलस्वरूप, किसानों के पास बाजार की ओर जाने के अलावा कोई चारा ही नहीं रहा। किसी प्रकार

का फसल-नियोजन तो था ही नहीं। गेहूं और चावल उपजाना फायदेमंद हो गया है। फसल-चक्र में बदलाव आया। नकदी-फसलें फायदेमंद हो गयीं, क्योंकि कृषि प्रौद्योगिकी आई। बहुराष्ट्रीय और अन्य खाद्य-प्रसंस्करण कम्पनियों ने उद्योग लगाने, उन्होंने विज्ञापन पर खर्च किया जिससे उन्होंने किसानों को टमाटर, आम रस उत्पादों, जैम तथा अन्य कृषि-संबद्ध उत्पादों का उत्पादन करने के लिए उन्हें ललचाया। फल यह हुआ कि छोटे और सीमांत कृषक पूरी तरह हाशिये पर ही आ गये। किसानों ने, जैसे तोते को रटा दिया गया हो—इस आधार पर काम किया और वही उपजाया, जो उनके पड़ोसी किसान उपजा रहे थे; परिणाम यह हुआ कि बाजार में उत्पादों की भरमार हो गई। दुर्भाग्य यह रहा कि किसानों के लिए अच्छा उत्पादन, अच्छा सौदा सिद्ध नहीं हुआ। क्या यह केवल भारत में ही, हमारे साथ ही हुआ है ? दुर्भाग्य की बात है, लेकिन नहीं। सरकार यह समझने में चूक गई कि एफ.सी.आई. कहीं से भी गेहूं—घटिया स्तर का गेहूं या धान, उठाने के लिए कह देना केवल एक अस्थायी उपाय है; वैसे ही, जैसे कि आप बाढ़-प्रभावित क्षेत्र का दौरा करते हैं अथवा भूकम्प-राहत के लिए लातूर या गुजरात जाते हैं। यही करने के लिए आपने एफ.सी.आई. को बाध्य किया। सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को यही करने के लिए बाध्य किया है। भारतीय खाद्य निगम जितना वहन कर सकता है, सरकार ने उससे अधिक खरीदा है, उतनी आपूर्ति की, जितना वह वहन नहीं कर सकता और मामूली दाम पर खरीदा तथा किसानों को औने-पौने बेचने हेतु बाध्य किया गया। इसके परिणामस्वरूप हमारा भारतीय खाद्य निगम रुग्ण हो गया है। मैं प्रतिशत देखने भर से कांपती हूं। भारतीय खाद्य निगम में जो हो रहा है, वह कुप्रबंधन का जमा वह कलंक है। सरकार ने किसानों को मजबूती से जकड़ रखा है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी की सरकार है। आपका सत्ता पर नियंत्रण है। आप बिजली शुल्क तय करते हैं।

[हिन्दी]

बिजली के दाम सरकार तय करती है, पानी के दाम सरकार तय करती है, बीज के दाम सरकार तय करती है, फर्टिलाइजर आपके काबू में है और फसल का दाम भी आप ही तय करते हैं। उसके बाद भी आप किसान की गर्दन पर हाथ रखकर कह रहे हैं कि हम जिम्मेदार नहीं हैं। यह कोई सही बात नहीं है।

[अनुवाद]

सरकार की कृषि पर मजबूत पकड़ के कारण कोई निजी उद्यम सामने नहीं आया। निजी क्षेत्र का व्यय केवल कम ही नहीं अपितु समाप्त प्राय हो गया है।

[हिन्दी]

आज कोई भी आदमी यह नहीं सोचता कि एग्रीकल्चर में पैसा लगाएं और उसे फायदा हो।

[अनुवाद]

नीतिगत विचार में आमूल परिवर्तन हुआ है और नीति असफल हुई है। सरकार को फसलोत्तर आधार संरचना पर ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत है। मुंबई में बी.ए.आर.सी. (बार्क) आपको प्रदीप्ति प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी देगा।

[हिन्दी]

लगभग तीन करोड़ रुपए लगते हैं हर जिले में इरैडिएशन प्लांट लगवा दीजिए।

[अनुवाद]

प्रदीप्ति को 'जेनेटिक री-ऑल्टर' से मिलकर भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। गत 20-30 वर्षों में इसे संसार भर में प्रयुक्त किया गया है। विकसित देशों जैसे इसरायल और अन्य देश अपने खाद्य उत्पादों को प्रदीप्ति उत्पाद के रूप में विज्ञापित करते हैं अब बीज, दाल, मांस, आलू और प्याज को प्रदीप्ति युक्त वातावरण में रखा जाता है, तो वे अंकुरित नहीं होते और उनकी भंडारण अवधि बढ़ जाती है। तब किसानों को अपने उत्पादों को औने-पौने दाम में नहीं बेचना पड़ेगा। हमें फसलोत्तर गोदाम सुविधा की जरूरत है। हमें सड़कों की जरूरत है ताकि उत्पाद बाजार में पहुंच सके। खाद्य प्रसंस्करण हेतु हमें आधारभूत सुविधाओं की जरूरत है। हमें शीत भंडार गृह चाहिये ताकि आलू का अधिक समय के लिये भंडारण हो सके। यही क्षेत्र है, जहां बुनियादी निवेश आना चाहिये। सरकार के पास कृषि में दीर्घावधि निवेश होना चाहिये बजाय इसके सरकार क्या कर रही है ? सरकार कृषि राज-सहायता में कटौती करने जा रही है। सरकार बिजली के शुल्क बढ़ाने के बारे में पैंतरेबाजी कर रही है। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि नहर सिंचाई पर उपभोक्ता शुल्क कैसे लगाया जाये। यह किसानों को दंडित करने के नए-नए तरीके खोजने की कोशिश कर रही है। यह बाल नोंचने वाली बात है। इसे इन चीजों को करने की जरूरत नहीं है।

अपराह्न 2.18 बजे

[**श्री बसुदेव आचार्य** *पीठासीन हुए*]

मैं जानना चाहती हूं कि सरकार किसानों हेतु राजसहायता में कटौती करने की बात क्यों सोच रही है। सरकार को राजसहायता में कटौती करने की जरूरत नहीं है। संयुक्त राज्य अमरीका जैवप्रौद्योगिकी विधि का प्रयोग करके विश्व का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक देश बनने वाला है। वे हमें समाप्त कर देंगे। उन्होंने किसानों की राजसहायता बढ़ा दी है और अभी-अभी उन्हें कई मिलियन डालर का विशेष पैकेज दिया है। ये तथाकथित विकसित राष्ट्र अपने किसानों को राजसहायता दे रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय कृषि नीति की बात करते समय जो काफी देर से बनी राजसहायता शब्द का जिक्र करने की हममें हिम्मत नहीं है। अगर हम इस पर नरम पड़ते हैं, तो मुझे दुख है कि इसमें हमें कोई सहायता नहीं मिलेगी, बल्कि इससे हमें नुकसान होगा।

[श्रीमती रेणूका चौधरी]

इन सबके साथ हमें ढांचागत परिवर्तनों पर नजर रखने की जरूरत है। हमें आपूर्ति प्रणाली की जरूरत है जो स्थल पर रहेगी और सशक्त होगी जिसे किसान समझ सकें। हमें विश्व व्यापार संगठन शब्द कहने से डरना नहीं चाहिये। कई लोग कहते हैं।

[हिन्दी]

तुम लोगों ने किया, कांग्रेस ने किया, आपने दस्तखत किये।

[अनुवाद]

विश्व व्यापार संगठन को हमें एक समान कार्य क्षेत्र देना था। हमें अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के प्रतियोगिता हेतु तैयार रहना था। तथाकथित विकसित देशों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के आकलन में गलती हुई। दुर्भाग्यवश, उन्होंने नहीं दिया और इससे राजनयिक संबंध खराब होंगे। लेकिन तथ्य यह है कि ये देश अपने वायदे से पीछे हटे हैं। विश्व जनसंख्या में दो-तिहाई की भागीदारी देने के बाद वे चढ़ बैठे हैं। आपने इस बात पर विचार नहीं किया है कि जापान ने चावल के आयात पर 2000% कर लगाया है। अत: आपके खाद्य उत्पादों के निर्यात की नीति यहीं ध्वस्त हो जाती है। विश्व व्यापार संगठन को आपको तैयार करना था। अपने किसानों को प्रोत्साहित करने वाली आधारभूत तैयारी कहां है ? हम अपने धान को अभी भी सुखाते हैं।

[हिन्दी]

आप सब भी गांवों में कभी-कभी जाते होंगे। आपका क्षेत्र गांवों में है और आप जानते हैं कि वहां किसान आज भी सड़क पर बैठा रहता है कि कोई लौरी आए और जो भी फसल उसने बोई है, उसे वह ले जाये।

[अनुवाद]

क्या आप विश्व व्यापार संगठन से प्रतियोगिता कर सकते हैं? आपके पास आधार संरचना कहां है? आपका निवेश कहां है? यह कितने साल पहले किया गया था? यह 6 वर्ष पहले किया गया था। 6 वर्ष आपको यह समझने में लगा कि ये राष्ट्र अनुचित तरीके अपना रहे हैं। अत: हमारे पास विकल्प क्या है? मैंने अपने माननीय सहयोगियों को यह कहते सुना है कि. . .

[हिन्दी]

आप डब्ल्यू.टी.ओ. की एक्सप्रेस ट्रेन पर चढ़े हैं। हम चढ़ भी नहीं सकते और कूद भी नहीं सकते। तो क्या हम मरेंगे? सवाल ही नहीं उठता। हमारे जैसे और भी गरीब देश हैं। हमें इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। हमें शर्म नहीं आनी चाहिए कि हम गरीब हैं। हमारी गरीबी हमारी पहचान है और यह हकीकत है। इसे भूलकर हम किसी टैक्नॉलोजी को नहीं अपना पाएंगे जब तक हम अपने किसानों के बारे में नहीं सोचेंगे।

[अनुवाद]

हम जैसे विकासशील देशों के साथ कार्टेल बनाने हेतु पहल करना आवश्यक है ताकि कहा जा सके कि विश्वव्यापार संगठन अनुचित तरीका अपना रहा है। फसलोत्तर आधार संरचना पर ध्यान देने का समय आ गया है। बड़े स्तर पर निवेश की है जीवन रेखा सहायता की जरूरत है और आपको खेती को क्षेत्र के रूप में सक्षम बनाने हेतु लघु और मध्यम कृषि पर ध्यान देना ही होगा। अन्य विकसित देश कृषि की अनुदेखी नहीं करते क्योंकि कृषि प्रत्येक विकासशील समाज की जीवन रेखा है। हम लोगों को सिर्फ खाना खिलाते हैं।

आज जब हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करते हैं तो क्या हम भूल सकते हैं कि जैवप्रौद्योगिकी ने हमें क्या दिया ? हमें अतिरिक्त भंडार देखकर आश्चर्य क्यों है ? हम रोगरोधी, उच्च उत्पादकता और अधिक उपज वाले बीजों की आपूर्ति कर रहे हैं। देखिये असम में क्या हुआ ? कई वर्षों से पूर्वोत्तर क्षेत्र ने अपनी संभावनाओं को नहीं समझा।

[हिन्दी]

सोचे जा रहे थे, बहुत सारा पानी है।

[अनुवाद]

आज सैकड़ों, हजारों ट्यूबवेलों ने अधिक मात्रा में चावल की आपूर्ति में योगदान दिया है। अत: चावल की उपज बढ़ी और आज उसकी भरमार है। अत: इन समाधानों का आप क्या करेंगे ? सर्वप्रथम सरकार को एक आंतरिक नीति की जरूरत है। जब आप राज्यों के भीतर ही व्यापार की अनुमति नहीं देते तो विश्वव्यापार संगठन की आलोचना कैसे कर रहे हैं? कोई क्षेत्रीय खाद्य पर्याप्तता ग्रिड क्यों नहीं है। ऐसा क्यों है कि हम क्षेत्रीय तौर पर अपने को सक्षम नहीं कर पाते? आपके पास बाह्य नीति होनी ही चाहिये ताकि आप पाटन को रोक सकें।

अब मैं पाटन के बारे में कुछ आंकड़ों का जिक्र करने की आवश्यकता महसूस करती हूं। 1999 में भारत को आपरेशन फ्लड के बावजूद हमारी आयात-निर्यात नीति का प्रयोग करके 40,000 टन यूरोप द्वारा उत्पादित दूध का पाटन कर दिया गया। इस कारण 85 लाख किसान प्रभावित हुये।

[हिन्दी]

कभी हर गांव में हमें दूध मिलता था और आज के दिन 40,000 टन विलायती दूध लाया जा रहा है। हमारे यहां कहावत है कि 'मां का दूध पिया है', हम इसे भी भुला दे रहे हैं।

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला) : एक लीटर दूध भी बाहर से नहीं आया। . . *(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी : आप अपनी इगनॉरेंस को एडवटाईज मत करिए। आप नहीं जानते हैं, तो अलग बात है।

सभापति महोदय : आपको जब मौका मिलेगा, तब बोलिएगा। उनको बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

श्रीमती रेणूका चौधरी : आन्ध्र प्रदेश के शूगर मिल्स गोडाउन्स में टनों शूगर सरपल्स पड़ा हुआ है। दो लाख टन चीनी को हम अन्दर लाए, लेकिन गोडाउन्स में 42 मिलियन टन गेहूं, चावल पड़ा हुआ है। एफ.सी.आई. ने इतना खरीदा कि वे नहीं जानते हैं कि वे क्या करें और हमारी एक्सपोर्ट पालिसी खल्लास होकर पड़ी हुई है। आपने नहीं समझा।

[अनुवाद]

किसान किससे प्रभावित होता है। विश्व का तापमान बढ़ रहा है।

[हिन्दी]

कभी आपने दिमाग लगाकर नहीं सोचा कि इतना प्रोडक्शन्स होने पर कृषि पर उसका क्या असर हो सकता है।

[अनुवाद]

हमारी पूरी प्रणाली को क्या हुआ ? प्रणाली असफल हुई है।

[हिन्दी]

आपको नहीं मालूम एलनिनु के असर से हमारे यहां बाढ़ आएगी, भूकम्प आएगा। देश में आयल सीड्स का प्रोडक्शन गिर गया।

[अनुवाद]

अधिक चावल और गेहूं के उत्पादन के रूप में परिवर्तन हुआ है क्योंकि 100% बढ़ाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने से चावल और गेहूं बेहतर उत्पाद बन गए।

[हिन्दी] आपने इस चीज को नहीं पहचाना।

[अनुवाद]

ये चेतावनी तंत्र है, जिससे हमारा कृषि पैटर्न प्रभावित होगा।

[हिन्दी]

आपने ड्राई लैंड की समस्या पर ध्यान नहीं दिया। हमारे देश में कई जगहें ऐसी हैं, जहां एक बूंद पानी नहीं है। क्या हमने साइंस एंड टैक्नोलोजी के प्रयोग पर ध्यान दिया।

[अनुवाद]

ऐसा नहीं है कि हमारे यहां वैज्ञानिकों का अकाल है। हमारे पास कुछ मेधावी वैज्ञानिक हैं। हमने बागवानी और पुष्प कृषि में जो विकास किया है, वह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का है, बल्कि उससे भी बेहतर है। लेकिन दुर्भाग्यवश, कृषि पेटेन्ट कानूनों की शिकार हो गई है और ये पेटेन्ट कानून हमारी सफलताओं को नष्ट कर रहे हैं। शताब्दियों से बीज को हाथ से चुनते थे।

[हिन्दी]

हमारे किसान और उनके परिवार के लोग बैठकर बीज को चुनते थे और उस बीज को संभाल कर रखते थे, ताकि उसको दोबारा प्रयोग में ला सकें।

[अनुवाद]

आज हमारी राष्ट्रीय पहचान समाप्त हो गई है। आपने बदले राजनैतिक परिदृश्यों को कभी नहीं समझा। आप यह समझ नहीं पाये कि इससे हमारा कृषि समाज प्रभावित होगा।

[हिन्दी]

उदाहरण के लिये रूस को ही देख लीजिए, रूस जब तक रूस रहा, हम सब बैठे रहे और हमारी चाय की पत्ती थर्ड ग्रेड की पहुंचती रही।

[अनुवाद]

थर्ड ग्रेड चाय की पत्ती भी उंचे दर पर खरीदी गई। राजनैतिक परिवर्तन और अवमूल्यन तथा मुद्रा में उतार-चढ़ाव के कारण आपने रूस से घाटा हुआ और रूस से घाटा होने पर आपने अपनी चाय का उन्नयन नहीं किया। प्रौद्योगिकी उन्नयन नहीं किया गया और हमने अपने बाजार श्रीलंका को खोया।

[हिन्दी]

अब हम सिलोन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि चाय अन्दर नहीं आनी चाहिए।

[अनुवाद]

ऐसा ही रबड़ के साथ हुआ। काफी के साथ भी ऐसा ही हुआ काफी के दाम गिर गये। रबर का मूल्य कम हो गया और नारियल खत्म हो गया। कोई भी तंबाकू का प्रयोग नहीं करना चाहता क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। अगर आप ऐसा ही देखना चाहते हो तो चीन ने हमारे बाजार को नुकसान पहुंचाया है। वे अब वह तंबाकू नहीं लेते जो पहले लिया करते थे। विश्व के किसी भी प्रमुख ब्रांड के सिगरेट में भारतीय तंबाकू का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन तंबाकू का उत्पादन करने वाली उचित जमीन यहां है। आठवीं योजना के मूल्यांकन का क्या हुआ? अनुसंधान और विकास का क्या हुआ? तंबाकू प्रयोग की सैकड़ों विधियां हैं।

[हिन्दी]

तंबाकू हम गांव की चौखट पर रगड़ते थे, जिससे दीमक नहीं लगती थी।

[अनुवाद].

तंबाकू प्राकृतिक कीटनाशक है।

[हिन्दी]

क्या आपको आर एंड डी के द्वारा इसकी जांच नहीं करवानी चाहिए।

[अनुवाद]

ताकि तंबाकू का वैकल्पिक प्रयोग केवल गुटका या पान चबाने या धूम्रपान में ही नहीं खोजा जाये, बल्कि कई पावन तरीकों से भी जो पर्यावरण अनुकूल हैं, और लाभदायक भी, ऐसा किसी अन्य द्वारा पेटेन्ट करवाने से पूर्व किया जाये।

[श्रीमती रेणूका चौधरी]

[अनुवाद]

अब आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री 'क्रॉप होलिडे' की बात करते रहते हैं।

[हिन्दी]

^ किस बात का क्रॉप होलिडे? आप किसानों को क्या दे रहे हैं जब वे क्रॉप-होलिडे करते हैं।

[अनुवाद]

अमेरिका अपने किसानों को कुछ नहीं उपजाने के एवज में सतत धनराशि की भरपाई करता है। लेकिन आप हमें कुछ भी नहीं देते हैं।

[हिन्दी]

सारा विश्व एक साइड चल रहा है और हमारी गाड़ी दूसरी तरफ चल रही है। किसानो की उपज से सब्सिडी हटा रहे हैं। फ्रेट-फर्टिलाइजर, बिजली के दाम तथा यूजर चार्जेज बढ़ा रहे हैं तथा दूसरी तरफ किसानों को क्रैडिट-कार्ड दे रहे हैं। वह किस तरह से क्रैडिट कार्ड का प्रयोग करेंगे। आपको ग्रामीण बैंकों से कहना चाहिए कि वे खुद गोडाउन बनवाएं या किराए पर लें और किसानों की फसल को आप इर्रेडिएशन कराए ताकि उसकी सेल्फ लाइफ बढ़े और साथ ही किसान की फसल पर आप क्रैडिट दीजिए।

[अनुवाद]

उनके द्वारा फसल काटने के बाद उनके पास आवश्यक खरीद के लिए कुछ नहीं होता है और आप छोटे और मझौले किसानों की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। आपको इसे और लाभप्रद तथा और जीवित रखना है तथा एक युक्ति अपनानी होगी।

[हिन्दी]

क्या आप जानते हैं कि जैसे क्रिकेट की मैच-फिक्सिंग होती है वैसे ही हमारी प्राइस-फिक्सिंग भी हो रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि सारे ग्लोबल-प्राइस एक साथ गिर जाएं?

[अनुवाद]

बाजार में बदलता है और एकाधिकार है जो उभर रहा है। इन मुद्दों से निपटने का आपका क्या प्रस्ताव है?

[हिन्दी]

सह सिर्फ आज की बात नहीं है। हमें हंगामा करना पड़ता है, ट्रैक्टर्स से सड़कों पर आना पड़ता है और आज इस हाउस में इस पर बात हो रही है। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में यह विषय चर्चा में रहे। यह विषय यहां खत्म नहीं होता है बल्कि यहां से इसका आरम्भ है। यह क्राइसेस आप यहां देख रहे हैं।

[अनुवाद]

यह मानव निर्मित संकट है। यह संकुचित दृष्टिकोण, बौद्धिक दिवालिएपन से कृषि को दरकिनार कर इसकी महता पर ध्यान देंगे और सूझ-बूझ के पूर्ण अभाव के कारण पैदा किया गया है। आप कृषि क्षेत्र के लिए क्या करते हैं अथवा क्या नहीं करते हैं यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपके और मंत्री महोदय के माध्यम से इस सभा में मांग करती हूं कि अब समय आ गया है जब कि जो रहा है उस पर ध्यान दें। रोजगार का सृजन और गरीबों के लिए आजीविका की व्यवस्था किये बिना आर्थिक विकास भारत का विकास नहीं है। कृषि अभी भी रोजगार की संभावना वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है। यह ग्रामीण क्षेत्र है जहां आपको ध्यान देना होगा। वे सिर्फ किसान ही हैं जो सबसे सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं।

[हिन्दी]

आज उनके खेत तक पानी और सड़क नहीं है, स्कूल नहीं है, बुजुर्गों की चिकित्सा के लिए अस्पताल नहीं हैं और उनकी पत्नियों के लिए हक नहीं हैं।

[अनुवाद]

उसके फलस्वरूप गरीबी में वृद्धि हो रही है।

[हिन्दी]

किसान की बात के साथ एक बात और है।

[अनुवाद]

भूमिहीन श्रमिकों का क्या होगा?

[हिन्दी]

उनकी कौन फिक्र कर रहा हैं उनके परिवार के लिए आप क्या करना चाहते हैं। हमारे समाज के जो सबसे छोटे लोग हैं, हमारे दलित हमारे आदिवासी, हमारे ट्राइबल्स, जिनके पास कोई जमीन नहीं है और अगर थोड़ी बहुत है भी तो जो उनके लिए 170 एक्ट है उस पर आपकी कोई एक सी पॉलिसी नहीं है। प्रत्येक स्टेट अपनी अलग पॉलिसी बना लेता है। इस एक्ट के अधीन बैंक उनको ऋण देने के लिए तैयार नहीं है।

[अनुवाद]

क्योंकि जब वे भुगतान की धनराशि का भुगतान नहीं करते हैं तो वे उस भूमि को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके पास सब एक्ट होते हुए भी कुछ नहीं है।

[अनुवाद]

जब आप राष्ट्रीय कृषि नीति की बात करते हैं तो इस नीति में ये खामियां हैं।

[हिन्दी]

भगवान के लिए आप किसान के लिए दिमाग लगाकर, बड़े दिल से, अर्जेंट नीड से आप ऐसी पॉलिसी बनाए जो कामयाब हो। धन्यवाद।

श्री रतन लाल कटारिया : सभापति महोदय, यह सदन कल से किसानों की बर्निंग प्राबलम्स पर विचार कर रहा है। हमारी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए एक के बाद एक क्रांतिकारी कदम उठाए हैं लेकिन फिर भी कांग्रेस के मित्र एवं इनके अंतरंग मित्रों ने पिछले कुछ समय से किसानों की समस्याओं का नाम लेकर आसमान सिर पर उठाया। मैं अपने इन मित्रों को बताना चाहता हूं कि जब देश में 1960 में 10 मिलियन टन गेहूं मंगाया जाता था तो हमारे यहां का कोई डिग्निटरी या नेता बाहर दूसरे मुल्क में जाता था तो देश की एक ऐसी तस्वीर बनती थी कि "दे दे अल्लाह के नाम, इंटरनेशनल फकीर आए हैं" उनके लिए कहा जाता था कि ये अनाज मांगने के लिए आए हैं। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन है। उनके शासन में भंडार भरे पड़े हैं। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बाधा न डालें। श्रीमती रेणूका चौधरी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : हरित क्रांति किसकी देन है? . . . *(व्यवधान)* यह श्रीमती इंदिरा गांधी की देन है। . . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आपको जब मौका मिलेगा तब बोलिएगा। अभी उन्हें बोलने दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया : आप मेरी बात धैर्य से सुनिए। यह किसानों की बात कह कर देश को गुमराह कर रहे हैं। मैं इस महान सदन को बताना चाहता हूं कि हरियाणा में जब किसानों ने कांग्रेस के शासन में केवल एक रुपया प्रति क्विंटल गन्ने के दाम बढ़ाने की मांग की जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कादियां और नारनौल की एक मीटिंग में किसानों के ऊपर गोलियां चलवा दी। आज यह किसानों द्वारा पैदा की गई चीजों के दाम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। यह अपने आप को दलितों और किसानों का हितैशी कहलाने में लगे हैं। ये वही लोग हैं, जब किसानों के दिलों-दिमाग पर कुठराघात होता था, जब उन पर कोड़े पड़ते थे तो ये किसानों के हमदर्द कहलवाने वाले अपनी कोठियों से बाहर निकल कर कहते थे मौसम कितना सुहावना है, बर्फ दिल्ली में भी पड़ गई, कुल्लू-मनाली और शिमला जाने की क्या जरूरत है, भगवान करे ऐसा मौसम रोज आए। ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग किसानों के हमदर्द बनते हैं।

अभी प्रधान मंत्री कुरुक्षेत्र गए थे। उन्होंने वहां के किसानों को फसलों के नए-नए तरीके ढूंढने के लिए कहा और उनसे फूलों की खेती करने के लिए कहा। उन्होंने गेहूं और चावल के साथ-साथ अन्य फसलों को भी बढ़ावा देने का आह्वान किया तो कांग्रेस ने खड़े होकर इसका विरोध किया। किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नहीं बल्कि नोबेल पुरस्कार विजेता बोरलॉग कहते हैं कि—

हिंदुस्तान की समस्याओं का एकमात्र हल कृषि के क्षेत्र में भारत कम्पीटीशन के अंदर आकर जब तक गेहूं और चावल के बजाय नकदी फसलें नहीं उगायेगा या जब तक इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, तब तक देश इन समस्याओं का मुकाबला करने में सक्षम नहीं होगा। 1.4.2001 से डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ लागू हो रहा है। इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि जहां हम गेहूं और चावल का उत्पादन करें, वहां हमे फूलों की खेती को भी प्रोत्साहन देना होगा। मैं रेणुका जी को बताना चाहता हूं कि यूरोप में एक गुलाब का फूल 2500 रुपए में बिकता है . . . *(व्यवधान)* सभापति महोदय, हम लोगों ने हरियाणा में पिछले 34 वर्षों में एस॰ वाई॰ एल॰ पर एक हजार करोड़ रुपया खर्च किया है। मैं इस संदर्भ में स्व॰ श्रीमती इन्दिरा गांधी का नाम तो नहीं लेना चाहता था लेकिन जब वे हरियाणा के गांव कपूरी में गयी थी तो चुनाव के समय एक वातावरण बनाया था कि मैं हरियाणा के लोगों को एस॰ वाई॰ एल॰ का पानी लाकर दूंगी लेकिन एक हजार करोड़ रुपया खर्च होने के बाद भी वहां एस॰ वाई॰ एल॰ का एक बूंद पानी नहीं आया है। इसी प्रकार हमारे कई बांध हैं, जहां बिजली उत्पादन करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी ने बिजली की समस्या का समाधान करने के लिये उत्तरी भारत के राज्यों के मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाने का निर्णय किया है। यहां खाद की कीमतों में वृद्धि किये जाने के बारे में चर्चा की जा रही है कि सरकार ने खाद के दाम बढ़ाये हैं। सरकार ने एक अनुमान लगाकर कि जहां एक एकड़ में तीन कट्टे खाद लगती है, किसानों को 45 रुपये का बोझा सहन करना पड़ता था, सरकार ने गेहूं के दाम 95 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर किसानों को 3-4 हजार रुपये का फायदा पहुंचाया है। आज भारत सरकार न केवल फर्टिलाइजर पर सबसिडी दे रही है बल्कि इम्प्रूव्ड खाद, बायो-फर्टिलाइजर, प्लांट प्रौटेक्शन, इक्विपमेंट एंड कैमिकल्स, स्प्रिंकलिंग सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम और सीड सिस्टम आदि पर साढे बारह हजार करोड़ रुपये की सबसिडी दे रही है। इतना ही नहीं, डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ के लागू होने के बाद किसानों के सामने जो समस्याएं आ रही हैं, किसानों को प्रशिक्षित करने के लिये 261 कृषि विकास केन्द्र खोले हैं और उन पर 138 करोड़ रुपया खर्च करके किसानों को उचित प्रशिक्षण दिये जाने की वयवस्था की जा रही है। इसके साथ-साथ आज यह कहा जा रहा है कि यह सरकार किसानों की विरोधी है। पहले देश के सामने स्केयरसिटी की समस्या थी लेकिन आज सरप्लस

[श्री रतन लाल कटारिया]

की समस्या है। आज देश के सामने किसानों के खाद्यान्न को बेचने की समस्या आई। बाहर से कुछ गेहूं आना था लेकिन भारत सरकार ने गेहूं, चावल और चीनी पर टैरिफ बढ़ाकर वह सारा का सारा आयात रोक लिया। आज कहा जाता है कि बाहर से दूध आ रहा है लेकिन अभी तक एक लीटर दूध भी भारत में नहीं आया है। पहले कांग्रेस और उसके अंतरंग मित्रों के शासन काल में जीरो परसेंट ड्यूटी होती थी लेकिन आज हमने उसे बढ़ाकर 35 से 300 परसेंट तक कर दिया है ताकि किसानों के हितों की रक्षा हो सके। . . . *(व्यवधान)*

आज बिहार में लालू प्रसाद जी कहते हैं कि साईस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उनको डर है कि इन्फोर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ाने से वहां पर जितनी भूमि है, उसका कम्प्यूटराईजेशन हो जायेगा और वहां जो हजार एकड़ के बड़े-बड़े सामंत हैं, उनका सारा चिट्ठा प्राप्त हो जायेगा इसलिए इन्फोर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का वह विरोध कर रहे हैं। लालू प्रसाद जी को आज भूमि सुधारों से डर लग रहा है कि कहीं यह जमीन . . . *(व्यवधान)*

डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : यह किसान विरोधी सरकार है। . . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रघुवंश जी, आपको जब बोलने का मौका मिलेगा तब आप बोलियेगा। अभी आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री रतन लाल कटारिया : सभापति जी, किस तरह से ये देश के लोगों को एक के बाद एक बात कहके गुमराह कर रहे हैं? . . *(व्यवधान)* आज भारत सरकार ने पहली बार एक नयी कृषि नीति बनाई है और इस कृषि नीति के माध्यम से हम चार परसेंट की विकास दर प्राप्त करना चाहते हैं। आने वाले दो दशकों के अंदर जितना उत्पादन हो रहा है, उससे दुगुना उत्पादन हम इस कृषि नीति के माध्यम से देश में करना चाहते हैं। आज किसान की जो उपज है, उसका लागत मूल्य कम हो, उसके लिए चाहे कृषि औजार हों, खाद हो, उनमें किसानों को ज्यादा राहत देने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। हरियाणा प्रदेश पंजाब के अंदर जब किसान का धान नहीं बिक रहा था तब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने उसके ऊपर छूट देकर किसानों का सारा धान उठवाने का काम किया। यह श्रेय इस भारत सरकार को जाता है वरना कांग्रेस के शासन काल में तो घोड़े छुड़वा दिये जाते थे।. . .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप उधर न कहकर चेयर को एड्रेस कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

श्री रतन लाल कटारिया : सभापति जी, अभी तो तवा ही गरम होने लगा है। बहन जी को थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए।

सभापति महोदय : आपको बोलते हुए 20 मिनट हो चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री रतन लाल कटारिया : आज यह डब्ल्यू॰टी॰ओ॰ का हौवा खड़ा कर रहे हैं। मैं इस महान सदन के अंदर यह बात बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूं कि वह दिन लद गये जब एक ईस्ट इंडिया कम्पनी ने हिन्दुस्तान के अंदर कब्जा कर लिया था। आज हिन्दुस्तान के अंदर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार है। डब्ल्यू॰टी॰ओ॰ तो क्या दुनिया की कोई भी ताकत भारत की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। हम किसानों के हितों की रक्षा करने में सक्षम हैं। . . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

श्री रतन लाल कटारिया : सभापति जी, मैं अपने चुनाव क्षेत्र अम्बाला में गया था। वहां के बैंक मैनेजर ने मुझे किसान क्रैडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने के फंक्शन में बुलाया। वहां जाकर देखा कि हजारों की संख्या में किसानों की भीड़ लगी हुई थी। वाजपेयी जी की सरकार ने किसानों के लिए किसान क्रैडिट कार्ड की व्यवस्था दी है। सवा करोड़ के लगभग इसका लाभ उठा चुके हैं। पहले किसानों को मनी लैंडर के पास सारी चीजें गिरवी रखनी पड़ती थीं। . . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कटारिया जी, अब आप बैठ जाइए। आप 25 मिनट बोल चुके हैं। हमने श्री वेंकटेस्वरलु को बुला लिया है।

(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ॰प्र॰) : मंत्री जी को इनकी बात पसन्द आ रही है।

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : हमको सबकी बात पसन्द आ रही है।

सभापति महोदय : आप एक मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री रतन लाल कटारिया : इस देश में ग्रीन रैवोलूशन आया है। किसानों ने अपने खून-पसीने की मेहनत से इस देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। हम चाहते हैं कि यह प्रक्रिया जारी रहे। आज देश में एक और ग्रीन रेवोलूशन लाने की जरूरत है। यह बात ठीक है कि आज हम गेहूं के उत्पादन में दुनिया के दूसरे नम्बर के देश बन गए हैं, दूध के मामले में दुनिया के सबसे पहले देश बन गए हैं। वाजपेयी जी की सरकार में और नए-नए कीर्तिमान स्थापित होंगे। किसानों के लिए जो मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, अभी के चुनावों ने यह साबित कर दिया है कि इनकी कितनी बुरी हालत हुई

है। ये देखेंगे कि हमारी नीतियां इस देश की सौ करोड़ जनता अपनाएगी। इनका अब जिस तरह बुरा हाल हुआ, पांच राज्यों के चुनावों में जनता बहुत बुरा हाल करने जा रही है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब प्रो॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंसी (रायगंज) : सभापति महोदय, आप मुझे अनुमति दें। आज एक सार्वजनिक स्थान—इंपीरियल होटल में 'तहलका डाट कॉम' नामक एक कंपनी ने सरकार की रक्षा सौदों के बारे में एक अत्यंत ही सनसनीखेज घोटाले का संकेत दिया है। जिसमें सत्तारूढ़ दल के उच्च पदाधिकारी शामिल हैं . . . *(व्यवधान)* यह सिर्फ आरोप नहीं है।

सभापति महोदय : आप इस मुद्दे को कल उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री दासमुंशी यह शून्य काल नहीं है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : नहीं, नहीं। मेरी सिर्फ यही इच्छा है कि इस सरकार को एक उचित रुख अपनाना चाहिए और सेना के अधिकारियों और पदाधिकारियों के लिए होने वाले घोटाले में राष्ट्र पर छाए अंधेरे को दूर करने के लिए कल एक बयान लें। मैं बहुत दुखी हूं यदि किसी दस्तावेज को एक राजनीति के रूप में संचार माध्यमों पर समूचे संसार के सामने सरकार और पार्टी के पदाधिकारियों को दिखाया जाता है।

एक संसद सदस्य के रूप में मैं महसूस करता हूं कि सरकार का यह नैतिक उत्तरदायित्व है कि एक सही बयान के साथ सामने आए और स्थिति को स्पष्ट करे। मैं यही कहना चाहता हूं। यह एक गंभीर समस्या है यह कल चौकानेवाली बात होगी।

सभापति महोदय : आप इसे कल दोबारा 'शून्य काल' के दौरान उठा सकते हैं। अब, प्रो॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु।

प्रो॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : सभापति महोदय, मैं नियम 193 के अधीन देश में कृषि की स्थिति पर इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका आभारी हूं। भारतीय कृषि का इतिहास रहा है कि उसकी हमेशा ही उपेक्षा की जाती रही है ये तीन वर्षों की बात नहीं है न ही किसी विशेष सरकार या विशेष दल की बात है बल्कि ऐसा वर्षों की बात है।

आजादी के बाद से कृषि क्षेत्र की भारी उपेक्षा की गई है। चूंकि यह एक वास्तविक स्थिति है और मैं महसूस करता हूं कि आपस में एक दूसरे अथवा किसी राजनीतिक दल अथवा दूसरे के विरुद्ध आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब हम स्वीकार करते हैं कि कृषि क्षेत्र की स्थिति खराब है और प्रत्येक के बाद एक सरकार और प्रत्येक राजनीतिक पार्टी ने इसे खराब ही किया है न कि इसका सुधार किया है।

अपराह्न 2.55 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए]*

जब ऐसी स्थिति है तो हम कतिपय मानदंडों की जांच करें। मैं सत्ता पक्ष, विपक्ष और किसी राजनीतिक पार्टी को कोई मौका नहीं दूंगा। . . . *(व्यवधान)*

श्री एस॰सी॰ जोस (त्रिचूर) : महोदय, वह सत्ता पक्ष और विपक्ष के बारे में बात कर रहे हैं क्या मैं जान सकता हूं कि वे किस पक्ष से संबंध रखते हैं? . . . *(व्यवधान)*

प्रो॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : कृपया मेरी बात सुनें . . . *(व्यवधान)* पहले मेरी बात सुनें . . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बाधा न डालें।

प्रो॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : मैं सभी वर्गों के लोगों से इस दल अथवा उस दल के बारे में बात नहीं करने की अपील कर रहा हूं। यह मुद्दा इस देश के किसानों से संबंधित है। मैं इस देश में किसानों के बड़े समूह से संबंध रखता हूं। जहां तक इस चर्चा का प्रश्न है तो मैं ऐसी किसी भी पार्टी से नहीं रखता हूं, मैं इस देश के किसानों के बड़े समूह से संबंध रखता हूं।

यही कारण है कि मैं कतिपय मानदंड निर्धारित करने की कोशिश करूंगा कि कहां और कैसे कृषि क्षेत्र उपेक्षित है और विशेषकर किसान भारी उपेक्षा के शिकार हैं। इसके बावजूद हम यह दिखावा करते हैं कि देश में खाद्यान्नों के कुल उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है और इसने आश्चर्यजनक रूप से लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, यह सही तस्वीर नहीं है। जो कुछ भी हम रक्षित भंडार के रुप में दिखाते रहे हैं और जो कुछ भी गोदामों में वहां उपलब्ध है और जहां भी गोदाम ठसाठस भरे हुए हैं जैसाकि हम दावा करते रहे हैं और जो कुछ हम देश में निर्यात कर रहे हैं और जब हम यह कहते हैं कि यह अतिरिक्त भंडार है तो मैं विश्वास नहीं कर सकता। ऐसा इस देश की एक तिहाई जनसंख्या को खाद्यान्न से वंचित करके किया जाता है। हमारी एक तिहाई जनसंख्या को दो जून की रोटी नहीं मिलती है। वे वो लोग हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। इसकी सही परिभाषा यही है कि उनकी भोजन तक पहुंच नहीं है। अर्थात् उन्हें जिस भी वस्तु से वंचित किया जाता है उसे रक्षित स्टाक के रूप में दर्शाया जाता है और उस भंडार को उस भंडार के रूप में दिखाया जाता है जिसको देश से निर्यात किया जा रहा है।

श्रीमती रेणुका चौधरी : उनके पास क्रय शक्ति नहीं है।

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : जब इस देश के 100 करोड़ लोगों को आर्थिक साधन उपलब्ध है और उसके पास खाद्यान्न है तब आज की स्थिति के अनुसार कोई अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है। हमें इस विशेष तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि में भारतीय कृषि की स्थिति कैसे खराब हुई अथवा आज की स्थिति में पहुंची, हम इस सच्चाई कि चर्चा गत दस वर्षों से स्वीकार्य आर्थिक सुधारों के ऐसे माहौल में कर रहे हैं जो 'गैट' के अंतर्गत स्वीकार्य भूमंडलीकरण से संबंधित है, जो विश्व व्यापार संगठन के स्वीकार्य प्रभावों के नजदीक है और जिसकी तलवार हमारी गर्दन पर लटक रही है और जो शायद ही अगले 18 दिनों में खुलने जा रही हो।

ऐसे विशेष वातावरण में हम यह चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं कि इसके सही कारण क्या हैं? यही वजह है कि मैं एक दूसरे पर आरोप लगाने सरकार विशेष की कार्यावधि के, उर्वरकों का मूल्य घटा है अथवा बढ़ा है और विश्व व्यापार संगठन के कौन-कौन सी देश हस्ताक्षरकर्ता हैं और किसने किन-किन वस्तुओं पर मात्रात्मक प्रतिबंध में लगाया है, आरोप लगाने का कोई औचित्य नहीं पाता हूं। हम वास्तविकता को वास्तविकता के रूप में ही देखें और इस देश में किसानों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए दृढ़ विश्वास और प्रतिबद्धता के साथ कतिपय समाधान निकालने का प्रयास करें। इसकी पृष्ठभूमि में सिर्फ यही बातें हैं जिसे मैं कुछ मसलों पर चर्चा करना चाहूंगा कि हम कृषि के मोर्चे पर क्यों पिछड़ रहे हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी ने अक्टूबर, 2000 में राष्ट्रीय कृषि नीति जारी की थी। उस समय उन्होंने कहा था कि अगले दो दशकों में कृषि क्षेत्र की वार्षिक दर को चार प्रतिशत से ज्यादा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि उनके वक्तव्य के बाद हम सच्चाई के कितने नजदीक हैं और क्या हमने गत पचास वर्षों के अनुभव को ध्यान में रखा है कि कृषि उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर सचमुच में कितनी थी। महोदय, आप गत पचास वर्षों की वार्षिक कृषि दर को देखें। मैं आपको प्रत्येक वर्ष वार वर्ष का लेखा जटिल नहीं हो रहा है। 1951 से 1965 तक के प्रथम 15 वर्षों के दौरान विशेषकर 1960-65 में कुछ ऐसे वर्ष थे जहां 10.2 प्रतिशत की सीमा तक नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। प्रथम 15 वर्षों में समग्र रूप से नकारात्मक वृद्धि दर थी। यदि आप 1966 और 1972 के बीच लगातार आठ वर्षों पर नजर डालें तो यह वृद्धि दर दो प्रतिशत से भी कम थी। अगले 23 वर्षों में वार्षिक वृद्धि दर 1.8 प्रतिशत थी। गत 53 वर्षों में यदि आप प्रत्येक दशक का औसत निकालें तो यह कभी भी 2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर से ऊपर नहीं थी। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए हमने चार प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य निर्धारित किया है।

गत वर्ष अच्छी फसल हुई थी और हमने 208.80 मिलियन टन तक की फसल काटी थी और विशेषकर इस वर्ष यह अचानक घटकर 199 मिलियन तक हो गयी। यहां वृद्धि दर क्या है? 4.7 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर है। महोदय, यह किसी भी सरकार के लिए एक सामान्य बात है कि जब भी नकारात्मक वृद्धि होती है तो वह इसका कारण प्राकृतिक विपदाएं और अन्य कारण बताने लगती है। लेकिन जब भी सकारात्मक वृद्धि दर होती है तो इसका श्रेय स्वयं ले लेते हैं। ऐसा नहीं है। कृषि कई तरफा नुकसान झेल रही है। एक तरफ प्रमुख ताकत है प्राकृतिक आपदाएं; दूसरी तरफ सरकार की नीतियां हैं; और तीसरी तरफ व्यवस्था में विद्यमान बुराइयां हैं और विशेष रूप से घटिया बीजों अथवा उर्वरकों अथवा अप्रामाणिक कीटनाशकों की आपूर्ति से भारतीय कृषकों को ठगा जा रहा है।

मैं श्रीमती रेणूका चौधरी का भाषण सुन रहा था। उन्होंने आगम का उल्लेख किया है। हम क्या दावा कर रहे हैं? माननीय वित्त मंत्री ने अपने इस के बजट भाषण में भी बताया था की ऋण का आगम बढ़कर 51,500 करोड़ रुपए तक होने जा रहा है और इसी आधार पर उन्होंने दावा किया है कि 15 प्रतिशत की दर से विकास होगा।

महोदय, मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि देश में कृषि क्षेत्र में संस्थागत वित्त की एक दुखद कथा है। महोदय, इस संबंध में आप किसी भी कारक अथवा संस्था को देख लीजिए।

भारतीय कृषकों के साथ चाल चली जा रही है। मैं आपको बताता हूं कि कृषि के लिए विशेष रूप से राष्ट्रीकृत बैंकों से वास्तव में कितना ऋण दिया जा रहा है। मेरे सभी सहयोगी तल्लीनता से सुन रहे हैं। इस 51,500 करोड़ रुपए में से, जिसका वायदा किया गया है, यदि हम सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को एक साथ मिलाकर उनके पास कुल कृषि संबंधी खातों को देखें—मैं राष्ट्रीयकरण से पूर्व तथा राष्ट्रीयकरण के पश्चात् की स्थिति की बात नहीं कर रहा हूं—1992-93 के बाद से यह 2.63 करोड़ रुपए होता है। 1993-94 में यह 2.56 करोड़ रुपए था। इसमें गिरावट आई थी। यह गिरावट पिछले एक दशक से जारी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये वित्तीय संस्थान विशेष रूप से राष्ट्रीयकृत बैंक न्याय कर रहे हैं या नहीं। हमें जिस बात पर गौर करना है वह उत्पादन की मात्रा ही नहीं है बल्कि कृषकों की संख्या भी है। 1994-95 में यह 2.48 करोड़ रुपए था। 1995-96 में यह 2.41 करोड़ रुपए था। 1996-97 में यह 2.25 करोड़ रुपए था। 1997-98 में यह 2.17 करोड़ रुपए था। 1998-99 में यह 1.97 करोड़ रुपए था। हर वर्ष इन सभी 28 राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या में गिरावट आई है। पिछले एक दशक के दौरान भी यह 2.63 करोड़ रुपए से घटकर 1.97 करोड़ रुपए हो गया है। क्या इन वित्तीय संस्थानों द्वारा न्याय किया जा रहा है। क्या इसी उद्देश्य से 1968 में श्री मोरारजी देसाई ने सामाजिक बैंकिंग शुरू की थी? क्या इसी उद्देश्य से 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्या यह केवल व्यावसायिक ऋण से कृषि ऋण अथवा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण से मुंह फेरना नहीं है। क्या इसी उद्देश्य के लिए 1980 में एक बार फिर छः और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस संबंध में उद्देश्य और अभिप्राय बिल्कुल भिन्न हैं। इन बैंकों के कार्यकरण पर कोई नियंत्रण नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 40 प्रतिशत प्राथमिकता वाले क्षेत्र को जाना चाहिए जिसमें से 18 प्रतिशत ऋण निश्चित रूप से कृषि क्षेत्र में जाना चाहिए। इस वर्ष मैं प्रमाण पूर्वक कह सकता हूं कि मुश्किल से दो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं जिन्होंने कृषि क्षेत्र को 18 प्रतिशत ऋण देने का लक्ष्य प्राप्त किया है और शेष बैंक ने 12 प्रतिशत और 15 प्रतिशत के बीच ऋण दिया है। ऋण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने सख्त दिशानिर्देश जारी किये हैं। जब बैंक लक्ष्य प्राप्त नहीं करते तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाती है। क्या इसमें कोई दंडात्मक कार्रवाई शामिल की जा रही है? नहीं! किसी बैंक को दण्ड नहीं दिया जा रहा है। किसी बैंक को शहरों में और शाखाएं खोलने से रोका नहीं जा रहा है। यदि कुछ रोक हो तो वे निश्चित रूप से लक्ष्य प्राप्त करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिपादित लक्ष्यों तथा सभी बैंकों द्वारा प्राप्त किए गए लक्ष्यों के बीच का अंतर लगभग 4.5 प्रतिशत अथवा 4.7 प्रतिशत है। यह दूसरी चाल खेली गई है। मैं नाबार्ड द्वारा ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (आर आई डी एफ) के नाम पर चलाये जा रहे कोष के पक्ष में हूं। हम इसके पक्ष में हैं परन्तु यह कृषि क्षेत्र को सीधे ऋण दिए जाने की कीमत पर नहीं होना चाहिए। अब ये सभी राष्ट्रीयकृत बैंक धीरे-धीरे कृषि क्षेत्र को ऋण 18 प्रतिशत से कम करते जा रहे हैं। वे केवल भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए आर आई डी एफ के नाम पर दे रहे हैं।

जहां तक आर आई डी एफ का प्रश्न है एक, दो, तीन, चार, पांच और छः वर्ष बीत गए हैं। प्रारंभ में यह कहा जा रहा था कि नाबार्ड द्वारा चलाये जा रहे आर आई डी एफ कोष को अपूर्ण लघु सिंचाई कार्यों और अपूर्ण सिंचाई कार्यों और ग्रामीण सड़कों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। धीरे-धीरे चूंकि अधिकांश राज्य सरकारें इस आर आई डी एफ कोष को कृषि क्षेत्र और कृषि कार्यों और कृषि संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए सीमित रखने के पक्ष में नहीं थी, वे इस कोष का यहां तक की स्कूल भवनों तथा अस्पतालों के भवनों के निर्माण के लिए भी उपयोग कर रहे हैं। वे अधिकांश मामले में निधि को कहीं और ले जा रहे हैं और जब ऐसी बात हो तो वे दिन दूर नहीं है जब कृषि का भविष्य और अंधकारमय हो जायेगा।

कृषि ऋण में जोखिम उठाने के बजाय कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों ने आर आई डी एफ में योगदान दिया ताकि उनका पैसा सुरक्षित रहे। इस प्रकार जोखिम उठाने का राष्ट्रीयकृत बैंकों का इरादा नहीं होता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सीधे ही प्रायोजित किया जा रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थिति अब भी करुणाजनक और दयनीय है। यहां तक कि सरकार भी इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण का सही विश्लेषण नहीं कर रही है। देश में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। उनमें से अधिकांश अलग-अलग कारणों से अपने कार्यकरण में अक्षम नहीं है। यद्यपि मेरे पास आंकड़े हैं परन्तु मैं सभी कारणों की समीक्षा नहीं कर रहा हूं। उनमें से कुछ को छोड़कर अधिकांश अक्षम नहीं हैं। हमें साउथ मालाबार बैंक और नार्थ मालाबार बैंक जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बधाई देनी चाहिए जहां प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में 1000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार किया और जहां 90 प्रतिशत ऋण केवल कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को दिया गया।

हाल ही में सरकार ने पिछले वर्ष के बजट में सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को और अधिक अधिकार दिये हैं जिसमें कि वे भी निवेश पोर्टफोलियों की ओर जा सकते हैं उन्हें कुछ अधिकार दिये गये हैं जिसके अन्तर्गत उनके कार्य भी राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं के समान हो सकते हैं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 40 प्रतिशत ऋण प्राथमिकता वाले क्षेत्र को दिए जा सकते हैं और 18 प्रतिशत कृषि क्षेत्र को भी दिये जा सकते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का उद्देश्य क्या है?

शिवरामन समिति और नरसिंहमन समिति द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को खोलने का उद्देश्य अथवा दर्शन बिल्कुल अलग-अलग थे। ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उन क्षेत्रों तक पहुंचना था जहां राष्ट्रीयकृत बैंक और व्यावसायिक बैंक नहीं पहुंचे। उन्हें उन उपेक्षित किसानों तथा उपेक्षित लोगों को सेवा प्रदान करनी थी। उपेक्षित क्षेत्रों में भी सेवा प्रदान करनी थी।

यदि आप इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में निवेश पोर्टफोलियो की अनुमति देते हैं तो अधिकांश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बैंकों में निवेश कर रहे हैं और ब्याज प्राप्त कर रहे हैं और इस प्रकार उन्हें अर्थक्षम संस्थाओं के रूप में दिखाया जा रहा है। अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दिया जा रहा ऋण 18 प्रतिशत से भी कम हो रहा है। शेष 82 प्रतिशत, जो कि किसी दूसरे राष्ट्रीय बैंक की तरह है, या तो बैंक में निवेश किया जा रहा है अथवा यह किसी दूसरे औद्योगिक क्षेत्र में चला जाएगा।

सभापति महोदय : आप दो मिनट और ले सकते हैं।

प्रो॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : मैं सिर्फ पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं।

यदि इसे, निर्बाध रूप से चलने दिया जाता है तो अधिकांश विभिन्न संस्थान कृषि क्षेत्र के साथ न्याय नहीं करेंगे और इस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। यह दावा कि कृषि क्षेत्र को ऋण की कुल मात्रा वर्ष दर वर्ष बढ़ रही है सही नहीं है क्योंकि यह लाभ सिर्फ कृषि के निगमित क्षेत्र को ही मिलता है। यह देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए नहीं है। यदि ऐसा है तो खातों की संख्या में वर्ष दर वर्ष वृद्धि होनी चाहिए थी. . .*(व्यवधान)*

चूंकि यह परिदृश्य है इसलिए कृषि क्षेत्र के लिए ऋण की दर को कसना पड़ेगा। कृषि में निवेश या तो सार्वजनिक निवेश होना चाहिए अथवा निजी निवेश होना चाहिए। सार्वजनिक निवेश में बजट आवंटन और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हैं। निजी निवेश में आपकी अपनी तरलता, आपकी अपनी निधियां और ऋण हैं। यदि आप सार्वजनिक निवेश को देखें तो कहानी वास्तव में खराब है। कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में वास्तव में बड़े दयनीय रूप से कमी आई है।

[प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु]

महोदय, मैं वर्ष-वार ब्यौरे की बात नहीं कर रहा हूं। यदि आप पंचवर्षीय योजनाओं को देखें तो तीसरी योजना में सार्वजनिक निवेश कुल बजटीय आवंटन का 12.7 प्रतिशत था; चौथी योजना में 14.7 प्रतिशत था यानी इसमें वृद्धि हुई थी; पांचवी योजना में 12.3 प्रतिशत था; छठी योजना में केवल 6.1 प्रतिशत था; सातवीं योजना में 5.8 प्रतिशत था; आठवीं योजना में 5.2 प्रतिशत था; और नौवीं योजना जो कि चल रही है, में कृषि क्षेत्र के लिए किए गए कुल बजटीय आवंटन का केवल 4.9 प्रतिशत है। कृषि क्षेत्र के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। सत्तर प्रतिशत लोग कृषि क्षेत्र के लिए केवल 4.9 प्रतिशत आवंटन से संतुष्ट हैं।

जब सकल घरेलू उत्पाद का 33 प्रतिशत कृषि क्षेत्र से है, जब 70 प्रतिशत लोग कृषि कर रहे हैं तो बजटीय आवंटन केवल 4.9 प्रतिशत है। हम तरह की प्रवृत्ति है। वो दिन दूर नहीं जब यह शून्य प्रतिशत तक कम हो जायेगा और लोग कृषि क्षेत्र को भगवान भरोसे छोड़ देंगे और देश में कृषि क्षेत्रों को अलविदा कह देंगे।

महोदय, यदि अब सिंचाई क्षेत्र को देखें जो कि सीधा कृषि से जुड़ा हुआ है, तो पहली योजना में 23 प्रतिशत सिंचाई क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया था। मेरे पास दूसरी योजना के आंकड़े नहीं हैं। तीसरी योजना में 7.8 प्रतिशत था। इस प्रकार केवल पांच वर्ष में ही सिंचाई क्षेत्र में यह 23 प्रतिशत से घट कर 7.8 प्रतिशत रह गया है।

इसी प्रकार, चौथी योजना में 6 प्रतिशत आवंटन था; पांचवीं योजना में 9.8 प्रतिशत का और छठी योजना में 10 प्रतिशत था। अत: थोडी सी बढ़ोतरी हुई थी। उसके पश्चात् सिंचाई क्षेत्र के लिए कुल बजटीय आवंटन सातवीं योजना में 7.6 प्रतिशत; आठवीं योजना में 7.5 प्रतिशत और नौवीं योजना में केवल 6.5 प्रतिशत था।

महोदय, लंबित पड़ी लगभग 340 परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जाना है। उसके लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। जबकी, केवल 6.5 प्रतिशत का आवंटन किया गया है। इसलिए स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। सिंचाई और कृषि दोनों क्षेत्रों के लिए कुल आबंटन मात्र 11.4 प्रतिशत है। . . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया दो मिनट में अपनी बात खत्म कीजिए।

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : मेरे पास बहुत से आंकड़े उपलब्ध हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, मै किसी दल पर आरोप लगाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। . . *(व्यवधान)* देश में कृषि की वर्त्तमान स्थिति का अवलोकन करने का प्रयास करें। यह कई लोगों के लिए एक सबक होगा। कृषि के लिए क्या किया जाना है? यह दूसरे पर दोबारोपण करने का समय नहीं है।

कृषि क्षेत्र में कृषि अनुसंधान और शिक्षा का विस्तार प्रमुख घटना का रूप लेने वाले हैं। आज कृषि प्रौद्योगिकी का विकास आने वाले लंबे समय तक के लिए निवेश होगा। आज प्रौद्योगिकी का विकास कृषि क्षेत्र के लिए दीर्घावधि निवेश होगा। देश में हमारे पास लगभग 25,000 अति सक्षम कृषि वैज्ञानिक हैं। हम विश्व में किसी से पीछे नहीं हैं। हम कई देशों को कृषि प्रौद्योगिकी उपलब्ध करा रहे हैं। जब ऐसी स्थिति है तो भी कृषि क्षेत्र के सकल घरेनू उत्पाद का केवल 0.49 प्रतिशत ही अनुसंधान के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषि क्षेत्र से संघटित सकल घरेलू उत्पाद से 0.15 प्रतिशत विस्तार के उपलब्ध कराया जाना सचमुच ही शर्मनाक है, परन्तु इस देश में कृषि विस्तार सेवा हेतु केवल 0.15 प्रतिशत ही आवंटित किया जाता है। जबकी उच्च सक्षम स्तर पर विकसित की गई प्रौद्योगिकी को प्रारंभिक स्तर पर कृषक समुदाय को सौंपा जाना शेष है। प्रौद्योगिकी के इस अंतराल को केवल 0.15 प्रतिशत ही दिया गया है। पारेषण में 60 से 70 प्रतिशत तक ही हानि होती है। इस प्रकार यह स्थिति है।

हाल के बजट में, यह कहा गया है कि वित्त मंत्री ने यह घोषणा की है कि कुछ वस्तुओं के आयात के मामले में प्रशुल्क अवरोध में वृद्धि की गई है। कई राज्यों के बहुतेरे किसान--हिमाचल प्रदेश के सेब कृषक, केरल और आंध्र प्रदेश के रबड़ और नारियल उत्पादक, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इत्यादि राज्यों के चावल उत्पादन में लगे किसान वास्तव में रो रहे हैं। उनके पास बिक्री के लिए विशाल भंडार पड़ा हुआ है। पॉम तेल के आयात पर लगने वाले प्रशुल्क को 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत कर दिया गया है। परन्तु रुग्ण ईकाइयों का छूट दे दी गई है और उनके लिए यह 55 प्रतिशत ही है। रुग्ण इकाइयों के नाम पर पॉम तेल प्रचुर मात्रा में आ रहा है। इसलिए, प्रशुल्क की दर समान होनी चाहिए। रुग्ण इकाइयों का कोई प्रश्न नहीं है। केवल एक विशिष्ट लॉबी रुग्ण इकाइयों के नाम पर फायदा उठाने का प्रयास कर रही है। हम उस लॉबी के जाल में न फंसे और इसे 80 प्रतिशत की एक समान दर ही रखा जाए।

आंध्र प्रदेश को यह वायदा किया गया है कि 20 लाख टन चावल की खरीद की जाएगी और उसे अन्य देशों को निर्यात किया जाएगा। यह तीन-माह पुराना वायदा है, परन्तु आज तक एक किलो ग्राम चावल का भी निर्यात नहीं किया गया है। हम सुन रहे हैं कि ऐसा निर्णय लिया गया है इस 20 लाख टन चावल का पूरे देश से निर्यात किया जाएगा। मुझे प्रसन्नता है यदि दूसरे राज्यों से भी निर्यात किया जा रहा है, परन्तु आंध्र प्रदेश असाधारण रूप से काफी समस्याओं का सामना कर रहा है। पिछले वर्ष के 20 लाख टन के अतिरेक भंडार और इस वर्ष खरीफ और रबी दोनों फसलों के 140 लाख टन के उच्च उत्पादन के साथ ही आंध्र प्रदेश के किसान सचमुच ही असाधारण स्थिति में है। इसलिए खरीद को 55 लाख टन से बढ़ाकर 70 लाख टन किया जाना चाहिए। साथ ही, गोदाम निर्माण को भी वर्त्तमान स्थिति से और आगे, निजी क्षेत्र से ले जाकर भी बढ़ाया जाना चाहिए। इसे दस लाख टन तक और बढ़ाया जाना चाहिए। . . . *(व्यवधान)* पूरे देश में यह समस्या विद्यमान है। मैं सिर्फ आंध्र प्रदेश का एक उदाहरण दे रहा हूँ। सभी राज्यों में यह समस्या है। गोदामों के निर्माण का निजीकरण करके लोग सामने आएंगे, बशर्ते कि भारतीय खाद्य निगम उन्हें गारंटी दे कि वे उनके गोदामों का कम से कम दस वर्षों तक उपयोग करेंगे।

ऐसा कम से कम दस वर्षों तक करने के लिए निजी पार्टियां तैयार हैं, इसलिए निजीकरण के इस राज में, मेरे विचार से गोदाम में उपलब्ध स्थान को बढ़ाया जाना चाहिए।

महोदय, मुझे बोलने का यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सभापति महोदय, मैं इस मुद्दे पर पुनः आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि भारत के सशस्त्र बलों के मनोबल को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा कुछ विचार किया जाना चाहिए। सभा के आज स्थगित होने से पहले यह ब्यौरा दिया जाना चाहिए कि इम्पिरीयल होटल में क्या हो रहा है। इस घोटाले के जीवंत चित्र जी॰ टी॰ वी॰ पर सीधे दिखाए जा रहे हैं। यदि आज शाम तक सरकार द्वारा इसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, तो कल इसके कारण हंगामा होगा और इससे सशस्त्र बलों का मनोबल गिरेगा।

इसलिए मेरी सत्ता पक्ष से विनम्र अपील है कि कृपया मामले की छान-बीन करें और आज सभा के स्थगित होने से पहले इस संबंध में वक्तव्य दिया जाए। यह एक भयानक बात है।. . . *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : सभापति महोदय, किसानों के बारे में सदन के पिछले सत्रों में भी किसानों के संबंध में चर्चा हो चुकी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष का इसमें सवाल नहीं है। सभी ने एक सुर से किसानों के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। आज देश में किसानों की हालत बहुत खराब है। मैं भारतीय किसानों की इस चर्चा पर अपनी पार्टी के किसी दूसरे सदस्य को बोलने के लिए कह सकता था लेकिन मैं इस पर इसलिए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं कि आज की यह बहस औपचारिक मात्र बन कर न रह जाए।

मैंने अभी दो भाषण सुने। किसी ने भी सरकार की आलोचना नहीं की। मैंने अभी बहन रेणूका चौधरी जी का भाषण सुना। वह सरकार की आलोचना नहीं कर रही थी। वह किसानों की हालत पर चिन्ता व्यक्त कर रही थी तथा सुझाव दे रही थी। किसानों की हालत चिन्ताजनक है और इसे लेकर पूरे देश को चिन्ता है। वह इस पर चर्चा कर रही थी और उससे सरकार और हम सब को सावधान कर रही थीं। मैं सरकारी पक्ष की तरफ से बचाव देख रहा हूं। कृषि मंत्री किसान हैं। मेरी जानकारी यह है कि अगर उन्होंने अपने हाथों से खेती नहीं की तो उनका परिवार अवश्य खेती कर रहा है। देश के विकास और रक्षा में किसानों का महत्व रहा है। मैं उत्तरप्रदेश में हुई आज़ादी की लड़ाई के दो उदाहरण दैना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी-चौरा की हिंसा के बाद महात्मा गांधी जी ने अपना आन्दोलन स्थगित किया था। चौरी-चौरा की घटना में आजादी के लिए जो लोग शहीद हुए या उत्तेजित होकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जिन्होंने बगावत की वे कौन लोग थे? वे किसान ही थे। वे एक दर्जन से अधिक किसान ही थे। उस घटना में अंग्रेजों की पुलिस के साथ भी हिंसा हुई थी। उस समय एक-एक किसान थाने पर जाकर तिरंगा झंडा फहराने के लिए आगे बढ़ता गया। वे आखिर में शहीद हुए। आखिरी किसान भी झंडा फहरा कर शहीद हुआ। गांधी जी ने हिंसा को देख कर अपना आन्दोलन स्थगित किया था। ये कौन लोग थे? इसी तरह मधुबन में जनपद मऊ में है, वहां भी अंग्रेजी पुलिस ने उनके ऊपर जुल्म किया। वहां के थाने में झंडा फहराने वाले एक दर्जन से अधिक किसान थे। वे सब शहीद हुए। कारगिल की लड़ाई आप सब के सामने हुई। कृपया आप उन शहीदों की सूची सदन में रखें और बताएं कि वे शहीद लोग कौन थे और उनकी कितनी संख्या थी? वे सब किसानों के बेटे थे। देश के विकास में किसानों का योगदान सबसे बड़ा है। अभी तक 80 फीसदी हिन्दुस्तान का जो विकास हुआ, उनमें हिन्दुस्तान के किसानों और मुसलमानों की सबसे बड़ी भूमिका रही।

उन्हीं किसानों एवं मुसलमानों की विरोधी नीतियां सरकार बना रही है। मैं यहां इस बात को लेकर राजनीति नहीं कर रहा हूं बल्कि किसान की वास्तविक दुर्दशा सदन के सामने रखने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं आंकड़ों के जाल में नहीं पड़ना चाहता लेकिन हम जानते हैं कि कृषि मंत्री जी अपने उत्तर में आंकड़े ही रखना चाहेंगे।

सभापति महोदय, अभी हमारे एक मित्र रेणूका जी पर टिप्पणी कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल किस घटक के हैं, किस सरकार का समर्थन कर रहे हैं? वे एन.डी.ए. की सरकार या बी.जे.पी. के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन कर रहे हैं, श्री बादल इसी सरकार के अंग हैं। सरकार में शमिल अकाली दल के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री श्री बादल ने कहा कि डब्लयू.टी.ओ. किसानों के लिये मौत का वारंट है। मैं चाहता हूं कि जब सरकार इस चर्चा का जवाब दे तो बताये कि आखिर श्री बादल ने यह बयान क्यों दिया। जब सरकार कहती है कि हमने हर क्षेत्र में तरक्की की है, हम भी स्वीकार करते हैं कि देश का विकास हुआ है। लेकिन इससे संतोष नहीं हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की क्या स्थिति है? भारत के किसानों ने अपनी मेहनत के बल पर अन्न का उत्पादन बढ़ाया है लेकिन फिर भी किसान की हालत खराब क्यों? मैं तीन देशों के नाम तुलना हेतु सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। 1945 में जापान पूरी तरह से बरबाद हो गया था जहां अस्पताल, रेल पटरी, स्कूल आदि पूरी तरह से बरबाद हो गये थे। आज जापान के समक्ष आपकी स्थिति क्या है? जब प्रधानमंत्री जी विपक्ष में थे, तब चीन के बारे में उन्होंने कहा था कि चीन की तुलना मत कीजिये। आज हमारी जनसंख्या 100 करोड़ है जबकि उनकी आबादी 125 करोड़ के लगभग है। चीन की अन्न की पैदावार हमसे ढाई गुना है। भले ही वह देश बड़ा है। लेकिन खेती करने लायक जमीन भारत से कम है। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था और 15 अगस्त 1947 को जब लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया गया उस समय चीन और जापान भारत से पीछे थे। हमारे यहां कोई सड़कें टूटी हुई नहीं थी, न रेल की पटरियां टूटी हुई थीं लेकिन आज भारत

[श्री मुलायम सिंह यादव]

चीन व जापान की तुलना में बहुत पीछे हैं। मैं यह मानता हूं कि हमारे देश का विकास हुआ है लेकिन आज भुखमरी का इतना संकट हमारे सामने खड़ा है। किसान कर्ज में डूबा हुआ है किसान की पैदावार सस्ती है तथा लागत की सब वस्तुएं महंगी हैं। आप बजट की समीक्षा कर लीजिये या अपने अधिकारियों को बुलाकर जांच करवा लें कि किसान कर्ज में पूरी तरह डूबा हुआ है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में बनाये जा रहे बजटों के कारण देश के किसानों और गरीब मजदूरों की घोर उपेक्षा के चलते पूरा देश भी विदेशी कर्जे में डूब गया है और सरकार की ताकत विदेशी कर्जे को चुकाने में ही लगी हुई है। आज हिन्दुस्तान का वैज्ञानिक दुनिया के किसी भी देश के वैज्ञानिकों से पीछे नहीं है। आज उसने आपके सामने अमरीका के कम्प्यूटर के मुकाबले कई गुना अच्छा और सस्ता कम्प्यूटर बनाकर दिखा दिया।

सभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था। मुझे इज़रायल के लिये निमंत्रण मिल रहा था लेकिन मैं नहीं गया। लखनऊ के एक पांच-तारा होटल में प्रेजेंटशन किया गया था और मुझे दिखाया गया था कि मशीनों से खेतों की मिटट्री का टैम्प्रेचर मापा जा रहा है।

वह जमीन जोतने या बोने लायक है या नहीं, यह पता करने के लिये मुझे अफसोस होता है कि हिन्दुस्तान का किसान पैर के अंगूठे से बता देता है कि जमीन जोतने या बोने लायक है या नहीं। अगर आपको अनुभव है तो ठीक है लेकिन हमको इसका अनुभव है। सुबह किसान शौच के लिए लोटा लेकर खेतों में जाता है और जाकर अपने पैर के अंगूठे से देखता है कि हमारे खेत जोतने लायक या बीज डालने लायक हैं या नहीं। इतना चतुर, इतना मेहनती किसान दुनिया में कहीं नहीं है जितना हिन्दुस्तान का है। आज कुछ धनी देशों के षडयंत्र में फंसकर, डब्ल्यू.टी.ओ. के दबाव में आकर हम आर्थिक विकास के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। आज आप विदेशों से दूध मंगा रहे हैं। यहां बहुत सदस्य बोल रहे थे कि एक लिटर दूध भी नहीं आया। मेरा कहना है कि आप इसका खण्डन करो कि विदेशों से दूध हमारे यहां नहीं आ रहा। आप यह भी खण्डन करो कि मुम्बई के दूध उत्पादकों ने यह फैसला किया है कि हम दूध को बन्दरगाहों पर उतरने नहीं देंगे। क्या यह सच्चाई नहीं है? क्या समाचार पत्रों में नहीं आया कि अगर विदेशों से आयातित दूध हिन्दुस्तान में आयेगा तो महाराष्ट्र के दूध उत्पादकों ने उसे मुम्बई के बन्दरगाह पर नहीं उतरने देने की घोषणा की है। हम भी यह कोशिश करेंगे कि अगर हरियाणा, पंजाब या देश के किसी भी कोने में विदेशों से दूध आया तो समाजवादी पार्टी इसके लिये देशभर में आन्दोलन खड़ा करेगी। हम सरकार की केवल आलोचना नहीं कर रहे बल्कि इस देश के किसानों को बचाने हेतु सरकार को चेतावनी दे रहे

कल थोड़ा सा संकेत प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में इस सदन में दिया था। उन्होंने स्वीकार किया था। कृषि मंत्री भी पूरी तरह स्वीकार करें। हम आंकड़ों के जाल में नहीं फंसना चाहते। अभी एक माननीय सदस्य बोलकर चले गये। वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि इस वक्त हम 51 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 64 हजार करोड़ रुपये किसानों को कर्जा देंगे। . . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अगले वर्ष देंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव: 14 हजार करोड़ रुपये आप बढ़ा रहे हैं। लेकिन यह कर्जा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं देंगे, तो फिर कौन देगा? उनको यह कर्जा ग्रामीण बैंक देगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ग्रामीण बैंक की स्थिति ऐसी है या उनके पास पैसा है कि वह किसानों को कर्जा दे सके? बिल्कुल नहीं है तो किसानों को पैसा कहां से मिलेगा, नहीं मिलेगा। मंत्री जी कह सकते हों तो अच्छी बात है। पिछले वर्ष 51 हजार करोड़ रुपये थे लेकिन इस वर्ष यह रकम बढ़ाकर 64 हजार करोड़ रुपये कर दी गई है। अगर राष्ट्रीयकृत बैंक यह कर्जा नहीं दे सकते तो मेरा कहना है कि ग्रामीण बैंक की क्या हालत है, यह आप सबको पता है। यह खुली धोखाधड़ी और किसानों के साथ जाल बट्टा करना बड़ा अपराध है और अगर भारत देश की खेती बरबाद हो गयी तो किसान मर जायेगा और देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जायेगी। क्या सरकार यही चाहती है। साढ़े तीन प्रतिशत तो इसी वर्ष खेती का उत्पादन कम हुआ है। विगत 10 साल से लगातार उत्पादन घटा है। और बेरोजगारी बढ़ी है। आज किसान के उपयोग की हर चीज महंगी है तथा दिल्ली में पैदा हुई हर चीज सस्ती। अभी एक माननीय सदस्य भी बोल रहे थे कि किसान की हर चीज महंगी होती जा रही है। श्रीमती रेणुका जी भी बोल रही थीं कि बिजली महंगी, पानी महंगा, खाद महंगी, बीज महंगा यानी किसान के उत्पादन के लिए जो लागत आयेगी, वह महंगी है। 1980 में किसान एक क्विंटल गेहूं बेचकर 3000 ईंटें अपना मकान बनाने के लिए खरीदता था लेकिन आज 3 क्विंटल गेहूं बेचकर 1000 ईंटें मिलेंगी। क्या यह सच्चाई नहीं है? मैं सदन के माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच्चाई नहीं है। इसका मुकाबला कैसे करें, इससे किसान को कैसे बचायें, उसकी खेती को कैसे बचायें, इसके लिये वर्तमान नीतियां बदलनी हैं। विदेशी कम्पनियों का मुकाबला, डब्ल्यू.टी.ओ. का मुकाबला या इन विदेशी कर्जों का मुकाबला कोई करेगा तो वह हिन्दुस्तान का किसान करेगा। किसान के अलावा और कोई नहीं कर सकता। जैसा कल प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में पीछे नहीं रह सकते, तो हम भी कहते हैं कि हम तो अन्तर्राष्ट्रीय दौड़ में उनसे चार कदम आगे बढ़ेंगे लेकिन हिन्दुस्तान को किसी का पिछलग्गू होना, समाजवादी पार्टी स्वीकार नहीं कर सकती। आज भाजपा की सरकार ने देश को पिछलग्गू बना दिया है। आज जो भी बजट है या किसान की जो भी दुर्दशा हो रही है, वह सब डब्ल्यू.टी.ओ. के दबाव में हो रही है।

विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं डब्ल्यू.टी.ओ. का नियंत्रण बहुराष्ट्रीय कम्पनियां करती हैं। डब्ल्यू.टी.ओ. के मायने पूरी दुनिया नहीं है, डब्ल्यू.टी.ओ. के मायने कुछ धनी देश हैं। हमें नीतियों को बदलना पड़ेगा, हमें खेती को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। हम उन आंकड़ों में नहीं

जाना चाहते लेकिन बताना चाहते हैं कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दबाव में खेती में पूंजी लगाने का काम लगातार कम हो रहा है। 1991-92 में खेती में निवेश 6,300 करोड़ रुपये था और अब केवल 2,000 करोड़ रुपये रह गया है। आजादी के समय देश के सकल घरेलू उत्पाद के कृषि क्षेत्र का हिस्सा 50 प्रतिशत था जो घटकर 24 प्रतिशत रह गया है। आज जितने छोटे उद्योग हैं, छोटे किसान हैं, मध्यम उद्योग हैं सब भुखमरी के कगार पर हैं। सरकार कहती है कि खाद्यान्न भंडारों से भरा पड़ा है। ये खाद्यान्न भंडार किसके लिए भरे पड़े हैं? उड़ीसा व दूसरे प्रदेशों में गरीबी व भुखमरी से तंग लोग बच्चों को बेच रहे हैं। क्या यह सही नहीं है? किसान व गरीब कर्ज में इतना डूबा हुआ है कि वह अपने बच्चों की किडनी तक बेचने को विवश है। उत्तर प्रदेश व बिहार के किसान दिल्ली में इस उम्मीद से आ गए थे कि शायद उन्हें कोई रोजगार मिलेगा। लेकिन सरकार की नीतियों के चलते, जो किसान अपनी खेती, सम्पत्ति, जेवर, जानवर बेच कर दिल्ली आए थे, वही वापिस जाने पर मजबूर हो रहे हैं आखिर वो कहां जाएं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, इसके लिए नीतियां बदलनी पड़ेंगी और डब्ल्यू.टी.ओ. के चंगुल से खेती को मुक्त कराना पड़ेगा। हम इसलिए आज बोल रहे हैं तथा हम चाहते थे कि माननीय सोमनाथ बाबू बोलें। आगे आने वाला इतिहास व आगे आने वाली पीढ़ी कम से कम हमको दोषी नहीं लिखेगा। इसलिए अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सरकार को सावधान कर रहे हैं। हम कृषि मंत्री जी से अनुरोध करेंगे, भले ही आप हमसे उम्र में छोटे हैं, हमारे साथ काम किया है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि आप सरकार के बचाव का उत्तर न दीजिए, आप बताइए कि क्या नीति बनाना चाहते हैं जिससे किसान को बचा सकें, देश को बचा सकें। आंकड़ों और कुछ अधिकारियों की जालसाजी के चक्कर में न आकर दिल से सामने रखें कि आपकी नीतियां किसानों एवं खेती को बचाने के लिये क्या हैं। आप अमरीका के सामने घुटने टेके बैठे हुए हैं, खुशामदी में लगे हैं। क्या यह सही नहीं है कि जब अमेरीका के राष्ट्रपति आए थे तो उनके चरण स्पर्श करने के लिए आपके कुछ लोग सैंट्रल हॉल में तैयार थे? . . . *(व्यवधान)*

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : कोई नहीं था। यह गलत बात है। . . . *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : मैं देख रहा था साक्षात्कार। क्या वे इसलिए आए थे? क्या अमरीका के राष्ट्रपति हिन्दुस्तान को कुछ देने के लिए आए थे? देने के लिए नहीं आए थे, लेने के लिए आए थे। दूसरे-तीसरे दिन ही 1429 चीजों पर आपको सीमा शुल्क हटाना पड़ा। *. . .* न्यूयार्क में उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थीं, उनको जिताने के लिए न्यूयार्क में बसे हिन्दुस्तानी लोगों का वोट चाहिए था।. . . *(व्यवधान)*

डॉ० जसवन्तसिंह यादव (अलवर) : *. . .*(व्यवधान)* वहां कांग्रेस की सरकार थी। . . . *(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

सभापति महोदय : आप टोका-टाकी में न फसें। आसन की तरफ मुखातिब होकर अपना भाषण कीजिए।

(व्यवधान)

डॉ० जसवन्त सिंह यादव : *. . .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए। आपकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं और आप खड़े हो रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह चौहान : हम तो बड़े ध्यान से आपकी बात सुन रहे थे, लेकिन बीच में जो आपने बात की कि चरण स्पर्श किया, वरना हम तो बड़े ध्यान से आपकी बात सुन रहे थे। . . . *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : मैंने आपका नाम लिया? आप मुझे क्या सिखाते हो।

सभापति महोदय : शिवराज सिंह जी, आप बैठ जाइये।

श्री शिवराज सिंह चौहान : आप चरण स्पर्श की बात करते हो, औरतों के साथ नाचने की बात करते हो, यह बात ठीक नहीं है। मैं तो बड़े ध्यान से आपकी बात सुन रहा था। . . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिये। आप अपने समय में बोलना।

श्री मुलायम सिंह यादव : जब आप भाषण दें तो इस बात का खंडन कर देना। . . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको जब अपना वक्त मिलेगा, तब बोलना।

श्री मुलायम सिंह यादव : असली बात यह है कि इनकी आरती करें तो सुनेंगे और आलोचना करें तो नहीं सुनेंगे। यह कोई बात हुई, कोई बात नहीं हुई। अगर बात नहीं हुई तो आप क्यों बहस करते हो। तीन साल से तुम्हारे विदेश मंत्री . . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : शिवराज सिंह जी, आप बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री शिवराज सिंह चौहान : हमने बाकी कहीं ऑब्जैक्शन नहीं किया, न हम बीच में बोले। . . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपका समय आ रहा है, उस समय आप अपनी बात कहें।

श्री मुलायम सिंह यादव : तीन साल से आपकी सरकार के विदेश मंत्री, अमेरीका के एक वरिष्ठ अधिकारी के सामने घुटने टेककर पड़े हुए हैं, क्यों हमसे खुलवाना चाहते हो। अमेरीका को कोई वरिष्ठ अधिकारी व मंत्री मिलने को तैयार नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति से तीन साल से मुलाकात नहीं कर सके। . . . *(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

सभापति महोदय : मुलायम सिंह जी, आसन की तरफ मुखातिब होकर बोलें।

डॉ० जसवन्तसिंह यादव : क्लिंटन लेने आये, जब वाजपेयी जी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, यह बात आपने नहीं पढ़ी। . . .*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : आप नई-नई बात करते हो, तीन साल से अमेरिका के अन्दर विदेश मंत्री वहीं पड़े हुए खाना खा रहे हैं।

यह ठीक है कि 40 हजार टन अन्न का भंडार सड़ रहा है, सरकार उसे अकालग्रस्त क्षेत्रों में भी नहीं बांट रही है। दूसरी तरफ भूखमरी है। लोग भूखे क्यों मर रहे हैं और क्या 27 करोड़ रुपये रोजाना उसके रखरखाव पर खर्च हो रहा है। उसको जलाने या समुद्र में डुबाने की बात चल रही है। यह हालत है कि वह अन्न खाने लायक नहीं रहा। इसी हिन्दुस्तान के अन्दर आज कम से कम ऐसे 36 करोड़ लोग हैं, आपके आंकड़ों के अनुसार 26 कहें, लेकिन मेरे अनुसार तो 45 फीसदी लोग ऐसे हैं, जिनको दोनों वक्त भरपेट रोटी नहीं मिल रही है, इसलिए वह भंडार किसके लिए भरे हैं। एक तरफ लोग भूखे मर रहे हैं, जमीन बेची जा रही है, बच्चे बेचे जा रहे हैं तो उनको यह अन्न बांट देना चाहिए। देश में अकाल पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है तो भंडार किस बात के लिए है। जब गुजरात पर मुसीबत आई तो यह भंडार क्यों सड़ता रहा, आप 27 करोड़ रुपये रोजाना रखरखाव पर क्यों खर्च कर रहे हैं, इसे गुजरात के पीड़ितों के मध्य बंटवा देते तो हम लोग उसकी तारीफ करते, सराहना करते।

सभापति महोदय : अब अपने भाषण को कन्क्लूड कीजिए। आपको बोलते हुए 20 मिनट हो गये हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : मुझे कम से कम 40 मिनट बोलने दीजिए। खैर, मैं आपके निर्देश का पालन करूंगा। आज देश में बेरोजगारी है, भूखमरी है, गरीबी है। आजादी के बाद देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र में 50 फीसदी हिस्सा था, लेकिन अब वह 24 फीसदी रह गया तो हम आगे कहां बढ़ रहे हैं। हम तो पीछे जा रहे हैं। दुनिया में जितने देश हैं, उन्होंने खेती पर प्रतिवर्ष योजना में बजट को आगे बढ़ाया है, जबकि हम प्रतिवर्ष बजट में खेती के प्रावधान को कम कर रहे हैं यह देश के लिये चिन्ता का विषय है।

आजादी के समय देश की जनसंख्या के 76 फीसदी लोग खेती पर निर्भर थे और आज भी लगभग उतनी ही संख्या है। आज 72 फीसदी के पास खेती है और चार फीसदी खेतीहर मजदूर हैं उन चार फीसदी मजदूरों के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? खेती के मामले में और किसान के मामले में हम तो समर्थन करने के लिए तैयार हैं, अगर आप उनको बचा ले जाएंगे तो आप देश को बचा ले जाएंगे। फिर हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे, पार्टियां भी रहेंगी, सब रहेंगे, सरकारें भी रहेंगी, लेकिन जिस तरीके से हम चल रहे हैं, उससे आर्थिक रूप से देश कमजोर होता चला जायेगा और उतना ही विदेशी कम्पनियों का, विदेशी धनी देशों का और विश्व बैंक का दबाव बढ़ता चला जायेगा। आज हम सावधान करना चाहते हैं तथा चेतावनी देना चाहते हैं।

अटल जी कह चुके हैं कि हम उदारीकरण से पीछे नहीं हटेंगे, कल वे प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे कोई और प्रधानमंत्री आएगा तो क्या होगा। कल उन्होंने किसानों के बारे में डब्ल्यू.टी.ओ. के विषय में सभी पार्टी के नेताओं से बात करने की बात कही थी। आप आर्थिक उदारीकरण की नीतियों में समाजवादी पार्टी के दृष्टिकोण को मानते हुए आर्थिक उदारीकरण की नीतियों में परिवर्तन कीजिये और हमारी चार बातें स्वीकार कीजिये। पहली बात अयोध्या में मन्दिर निर्माण की बात बंद करो (2) 370 धारा की मांग को खत्म करने की बात बंद करो (3) मुसलमानों के बारे में राय बदलो (4) समान नागरिक संहिता के बारे में राय बदलो तो प्रधानमंत्री जी आपकी समाजवादी पार्टी से निकटता हो जायेगी। विश्व के धनी देशों का ही आज अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उन्हीं का विश्व बैंक है और उन्हीं का डब्ल्यू.टी.ओ. है। दुनिया के मुल्कों में जितनी क्षमता आज अन्न पैदा करने की है, उससे भारत के किसानों को सुविधा दे दी जाये तो दो गुना से तीन गुना अधिक पैदावार करने की क्षमता है। उत्तर प्रदेश में 65 लाख एकड़ ऊसर जमीन ऐसी है, जो खेती योग्य हो सकती है। वह उपजाऊ हो सकती है, इसके लिये सरकार द्वारा कोई उपाय नहीं किये गये। आप सावधान नहीं हैं, धनी देश सावधान हैं। उनके दबाव में हमारा बजट बन रहा है, किसानों की सब्सिडी कम हो रही है। क्या आप इससे इनकार करेंगे कि धनी देशों में किसानों को सब्सिडी बढ़ रही है और भारत में घटाई जा रही है। इस तरह अप कहां मुकाबला कर पाएंगे, जब उत्पादन ही घट जाएगा तो कैसे मुकाबला करेंगे। धनी देशों के किसानों का उत्पादन बढ़ेगा और हम उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। कैसे स्पर्धा कर सकते हैं।

1962 में योजना आयोग ने कहा था कि 2250 कैलोरी से कम प्रतिदिन भोजन करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे माना जायेगा। 1979 में इसी योजना आयोग ने कहा कि 2400 कैलोरी तक प्रतिदिन भोजन करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है। उसीमें अल्टरनेटिव इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार उसमें स्वीकार किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में जीवन जीने वाले 75 फीसदी लोग इस देश में गरीबी रेखा से नीचे हैं। उसके बाद यह आया कि इनमें से 75 फीसदी गांव के लोग हैं और 54% शहर के लोग हैं। ये 75 फीसदी गांव के लोग किसान मजदूर हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि गांव में रहने वाला व्यक्ति किसान मजदूर गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गया है। ये मुलायम सिंह या समाजवादी पार्टी के आंकडें नहीं हैं बल्कि आपका अल्टरनेटिव इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है। अगर ये गलत आंकड़े हैं तो अपने जवाब में आप बताएं कि सच्चाई क्या है और कहें कि हम अपनी नीतियों को बदलेंगे।

आज किसान के लिए कोई ऐसा बाजार नहीं है, जहां वह अपना उत्पादन बेच सके। यही इस देश में सबसे बड़ी मजबूरी है। उसको अपना माल रखने के लिए जगह नहीं है। देशी-विदेशी कोई खरीदार

नहीं है। यह गम्भीर संकट है और चिंता का विषय है। इस से किसान आत्महत्या के लिये विवश हो रहा है इस पर भी सरकार गंभीर नहीं है। यदि आप इन नीतियों को नहीं बदलेंगे तो इन नीतियों के विरुद्ध जनता को आन्दोलित करेंगे। हम किसी के पिछलग्गू नहीं बन सकते। चाहे धनी देश कुछ भी राय दें। हिन्दुस्तान किसी का पिछलग्गू नहीं बन सकता, यह समाजवादी पार्टी की नीति है और इस पर हम पहले भी कायम थे, आज भी कायम हैं। लेकिन भाजपा सरकार भारत को पिछलग्गू बना रही है। आज आपकी नीतियां धनी देशों से संचालित हो रही हैं।

सभापति महोदय, मैं एक-दो बातें और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आज किसान के साथ क्रूर मजाक हो रहा है। हमें खुशी है कि पंजाब के किसानों को केन्द्रीय मदद मिली। हमें खुशी है कि हरियाणा और आंध्र प्रदेश के किसानों को भी दी गयी, लेकिन उसके साथ-साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों के किसानों को भी केन्द्रीय सहायता मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में धान 370 रुपए प्रति क्विंटल पर टिका है।

हमारे गांव में चले जाइए और देखिए कि हमारा धान क्या भाव बिका है। आप खुद मत जाइए, आप किसी को भेजकर पता लगवा लीजिए। आप डी.एम. से पता लगवा लीजिए। हमारा सैफई गांव है और मुलायम सिंह का धान कहां बिका है, आपको पर्ची दिखा दी जाएगी। हमारा धान 370/- क्विंटल की दर से बिका है। किसान से 370/- में खरीदा गया है और बिचौलियों और सरकारी अधिकारियों ने 520 रुपया क्विंटल खरीदकर किसान और सरकार को चूना लगा दिया है। ये सरकारी आंकड़े हैं। जो हमारा 370 रुपया क्विंटल धान नहीं बिक सकता है तो गरीब किसान का कौन खरीद सकता है? यह खेती की हालत है। हम तो किसी तरह से निकल जाएंगे। अपने खाने-पीने का इंतजाम कर लेंगे। हमारे पास साधन हैं और भी घर के लोग नौकरी में हैं, सब कुछ हैं, किसी तरह से इस संकट को झेल लेंगे पर किसानों की हालत क्या होगी? किसान खेती छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा, भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसलिए आपको कृषि संबंधी नीतियां बदलनी पड़ेंगी। 1971 के जो समर्थन मूल्य थे, उसके बाद से और लागत महंगाई पन्द्रह गुना बढ़ी है और समर्थन मूल्य आठ गुना मिला है। रेणूका जी, सीएसपी द्वारा गेहूं के समर्थन मूल्य में बढोतरी के स्थान पर कटौती की संस्तुति की गयी। 580 रुपये के स्थान पर 520 रुपये प्रति क्विंटल करने की सिफारिश की गई है जबकि किसान का लागत मूल्य 750/- है। अगर किसान अपना हिसाब जोड़ना शुरू कर दे तो उसको हार्ट-अटैक हो जाएगा। यदि किसान अपनी मेहनत, अपनी पत्नी की मेहनत, अपने बच्चे की मेहनत जिसका वह कभी हिसाब नहीं लगाता है। वह ज्यादा से ज्यादा खाद या डीजल का हिसाब लगा लेगा। लेकिन वह बैल के चारे की कीमत भी नहीं लगाता है। बैल की कीमत भी नहीं लगाता है। अगर खेती का यह सब हिसाब लगा लिया जाये तो 750 रुपये लागत एक क्विंटल गेहूं पैदा करने की है और आपकी सीएसीपी ने गेहूं के 580 रुपये क्विंटल के जगह पर 520 रुपये क्विंटल मूल्य करने की सिफारिश की है। कृषि मंत्री जी, इससे ज्यादा अफसोस की बात और क्या होगी कि आप किसान होते हुए भी और आपका बजट शुरू हो गया है लेकिन अभी तक गेहूं के समर्थन मूल्य की भी घोषणा नहीं की गई है। इससे ज्यादा किसान को बर्बाद करने का दूसरा ज्वलंत उदाहरण और क्या हो सकता है? रबी की फसल आने वाली हो गई है। इसीलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि जब आप जवाब दें तो इसके बारे में बताइए। हम नुक्ताचीनी के जवाब में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम आंकड़ों में नहीं पड़ना चाहते हैं। आप बताइये कि अब तक गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित क्यों नहीं हुआ। आपको नीतियां बदलनी पड़ेंगी। आज हम आपसे कह रहे हैं कि आप डब्ल्यूटीओ को नोटिस देकर छः महीने के अंदर अपनी सदस्यता वापस लीजिए और अपने पैरों पर खड़े होइए और खेत को डब्ल्यूटीओ से वापस निकालिये। हम तकलीफ सहने के लिए तैयार हैं। हम 2-3 साल और तकलीफ सहने के लिए तैयार हैं लेकिन समाजवादी पार्टी अपने देश को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर करना चाहती है। आपका मंत्रीपद अमर नहीं है पर हमें विश्वास है कि किसानों के हितों में ऐसा उत्तर देंगे जो अमर रहेगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं।

[अनुवाद]

श्री जगन्नाथ मलिक (जाजपुर) : सभापति महोदय, मैं कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे उन समस्याओं पर बोलने की अनुमति प्रदान की जिनका सामना आज हमारे किसान कर रहे हैं।

जब हम किसानों की समस्याओं की बात करते हैं तो न तो दिल्ली या कलकत्ता और न ही मुंबई अथवा चेन्नई हमारे सामने आते हैं बल्कि ग्रामीण भारत का विशाल भू-भाग सामने आता है जो हमारी कुल जनसंख्या के 80 प्रतिशत का और हमारी कुल राष्ट्रीय आय के 40 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। वे वही लोग हैं जो हमारे लागों को रोटी, मकान और कपड़ा जैसी सभी मौलिक आवश्यकताएं उपलब्ध कराते हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

स्वतंत्रता के समय, ग्रामीण भारत के लोग कई ऐतिहासिक कारणों से आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे। जब 565 देशी रियासतों को भारत संघ में शामिल किया गया, तो सब ने यह उम्मीद की थी कि मजबूत बनने के लिए उन सब को अपने प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने और उनका दोहन करने हेतु समान अवसर दिया जाएगा। जब हम सशक्त भारत की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य यह होता है कि सभी राज्य सशक्त होने चाहिए। जब तक सभी राज्य सशक्त नहीं होंगे तबतक भारत मजबूत नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि भारत ताश के पत्तों के घर की तरह ढह जाए जैसा कि आपने पूर्व में हुए विदेशी आक्रमण के समय कई बार देखा है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने शुरू से ही कृषि पर काफी जोर दिया। पचास वर्षों से ज्यादा समय तक लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने के बाद अब हम सभी को गर्व है कि हमने देश को खाद्यान्न के मामले में न केवल आत्म-निर्भर बनाया बल्कि इसके पास आंतरिक भंडार है। यह भी एक तथ्य है कि अब हमारे गोदामों में 45 मिलियन टन चावल और गेहूं पड़े हैं। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, चावल का उत्पादन 90 मिलियन टन तक जा पहुंचा है और गेहूं का उत्पादन 75 मिलियन टन तक जा पहुंचा है।

[श्री जगन्नाथ मलिक]

कृषि क्षेत्र में इस महान उपलब्धि के बावजूद, 250 मिलियन लोग हर दिन आधे पेट रह जाते हैं। इसलिए, यह कहना ठीक नहीं है कि हम आत्मनिर्भर हैं और हमारे पास खाद्यान्न का अतिरिक्त भंडार है। नोबल पुरस्कार विजेता, डा० अमर्त्य सेन ने इस ओर ध्यान दिलाया है कि बंगाल में आए आकाल में लाखों लोग भूख से मारे गए क्योंकि उनके पास क्रय शक्ति नहीं थी यद्यपि बाजार खाद्यान्नों से भरा पड़ा था। इसी प्रकार, हमारे लोगों की विशेषकर कृषि मजदूरों, वेतन भोगियों, लघु और सीमांत किसानों, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और जो समस्त देश की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति और आर्थिक स्तर बहुत ही कमजोर है।

कृषि क्षेत्र के संबंध में सरकार के क्या उद्देश्य हैं। सरकार का प्रारंभ में चार उद्देश्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य था। पहला उद्देश्य ज्यादा उत्पादन करने का था, इतना ज्यादा कि देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो जाए और अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध हो जाये। दूसरा उद्देश्य ग्रामीण जनों के आर्थिक स्तर को बढ़ाने का था। तीसरा उद्देश्य उत्पादकों को उचित लाभ दिलाने का था। चौथा उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना था। ये वे चार उद्देश्य हैं जिन्हें हमनें अपनी स्वतंत्रता के समय सामने रखा था। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आधी शताब्दी तक काम करने के पश्चात् हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता और अतिरेक भंडार होने का दावा करते हैं। यह तथ्य नहीं है। हमें अपनी स्थिति का आभास होना चाहिए और हमें स्वीकार करना चाहिए। जबतक हमने सच्चाई को स्वीकार करने का साहस नहीं होगा। हम सुधारात्मक उपाय नहीं कर सकते हैं।

सरकार ने अब न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है। आपने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा में कुछ उदाहरणार्थ, सरकार ने चावल की उत्तम किस्म का न्यूनतम समर्थन मूल्य 540 रुपये करने की घोषणा की है। उड़ीसा में इस विशेष किस्म के धान को 350 रुपए में बेचा जा रहा है। लोगों ने अपने भंडारों को सड़कों पर फेंकना आरंभ कर दिया हैं और वे राष्ट्रीय राजमार्ग की नाकाबंदी करने की योजना बना रहे हैं। कुछ दिन पहले, यह सभी समाचार पत्रों में छपा था। आप सभी को पता होगा कि लोग रोजगार की तलाश में कालाहांडी जिले से देश के अन्य भागों में पलायन कर गए हैं। हालांकि कालाहांडी जिला ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन करता है परन्तु कृषि मजदूरों को समुचित रोजगार नहीं मिलता।

विश्व व्यापार संगठन समझौते ने हमारे लिए एक और समस्या खड़ी कर दी है। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य देशों ने समझौते में ही कुछ रक्षोपायों की व्यवस्था की है जिन्हें वे 'ग्रीन बॉक्स' और 'ब्लू बॉक्स' कहते हैं। "ग्रीन बॉक्स" का अर्थ है कि कृषि कार्य में संलग्न परिवार को हर संभव सब्सिडी प्रदान की जाती है। ताकि आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन बनाया जा सके। इस प्रकार कृषि कार्य करने वाले लोगों के आर्थिक स्तर को बनाए रखा जाता है। 'ब्लू बॉक्स' का आशय एक ऐसी प्रणाली से है जहां किसानों को उत्पादन न करने के लिए सीधे भुगतान किया जाता है और इस प्रकार आर्थिक स्तर को स्थिर रखा जाता है। लेकिन यहां, कभी-कभी हम सब्सिडी को वापस ले लेते हैं जिसके कारण उर्वरक, बीज आदि जैसे कृषि संबंधी निवेशों के मूल्य बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत बढ़ रही है। इन लोगों को खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य के अनुसार भुगतान नहीं किया जा रहा है।

मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वे कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बातों का उत्तर दें। पहली बात यह है कि सभी राज्यों में स्थित गोदाम अतिरिक्त उत्पादन के भंडारण के लिए संबंधित राज्यों को उपलब्ध कराए जाएं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि उड़ीसा के सभी गोदाम पंजाब के चावल और गेहूं से भरे पड़े हैं। माननीय मंत्री महोदय यह वचन दें कि इस समस्या से बचने के लिए उत्पादों के भंडारण के लिए पहली प्राथमिकता उस राज्य को दी जानी चाहिए जिसमें वे गोदाम स्थित हों।

दूसरे, सरकार को किसानों को ऐसी स्थिति में खाद्यान्नों का अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जब उत्पादन लागत समुचित रूप से घटी हो।

तीसरे, मंत्री महोदय को उस व्यवस्था का खुलासा करना चाहिए जो वे कृषि उपकरणों और निवेशों के मूल्यों को न्यूनतम स्तर तक लाने के लिए तैयार कर रहे हैं।

मैं विशिष्ट तौर पर इन तीन मुद्दों पर मंत्री महोदय का उत्तर चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री पी०एच० पांडियन (तिरुनेलवेली) : सभापति महोदय, मैं ऑल इंडिया अन्ना डी.एम.के. की ओर से किसानों की दुर्दशा के संबंध में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। हमारे दिवंगत नेता पुरातचितलइवर डा० एम०जी० रामचन्द्रन ने 1972 में हमारी पार्टी के गठन के समय ही पार्टी के संविधान में कृषक समुदाय को अपना समर्थन दिया था। यह समर्थन 1977 में उनके सत्ता में आने के बाद से 1987 तक जारी रहा। जब वे मुख्यमंत्री थे तो पूरे मन से कृषक समुदाय का समर्थन करते रहे। उसके बाद, डा० पुरातचितलइवी जे० जयललिता के सत्ता संभालने पर भी इस सिद्धान्त का पालन किया गया।

महोदय, इस संसद में हम सभी दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर कृषक समुदाय का समर्थन करते हैं क्योंकि ये कृषक ही वर्तमान पीढ़ी के पोषक हैं। हमने किसानों के लिए क्या किया? किसानों के लिए हम क्या नहीं कर सके? मैं साधारण बीमा व्यापार राष्ट्रीयकरण (संशोधन) विधेयक, 2001 को देख रहा था। जब वित्त मंत्री जी ने इसे प्रस्तुत किया तो इस पर आपत्ति की गई। उन्होंने यह कह कर प्रतिवाद किया कि साधारण बीमा निगम फसल बीमा संबंधी कार्य कर रहा है। महोदय, कृषि का यही ऐसा क्षेत्र है जिसे प्रीमियम के भुगतान के लिए सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं मिलती है। प्राकृतिक आपदाओं, वर्षा, चक्रवातों, सूखे और अकाल आदि के दौरान किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।

वर्ष 1980 में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय डा० एम०जी० रामचन्द्रन ने तमिलनाडु राज्य में फसल बीमा योजना शुरू की। केन्द्र के स्तर पर सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू नहीं की है। आपने किसानों को सुरक्षा प्रदान नहीं की है। प्राकृतिक आपदाओं के समय फसलें प्रभावित होती हैं। ऐसे में किसान की क्षतिपूर्ति कैसे की जाए? महोदय, उदाहरण के तौर पर मैं सदन का ध्यान एक घटना की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। तमिलनाडु के होसुर जिले में करीब 200 एकड़ भूमि पर इंडो-अमेरिकन सीडलिंग्स की ओर से आपूर्ति किए गए केले के लगभग 30,000 पौधे लगाए गए। वह बंगलौर का मशहूर सप्लायर था। पूरा बागान आनुवांशिक समस्या के कारण नष्ट हो गया। उसे 19 लाख रुपए का नुकसान हुआ। किसी ने उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की। कृषक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे पीड़ित व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। क्या हमारे पास किसी प्रकार की समर्थनकारी सबसिडी की व्यवस्था है? क्या हमने आज तक बीज वितरण या फार्म उन्नयन या जैव-उर्वरक या स्प्रिंकलर सैटों या ड्रिप सिंचाई पर सबसिडी बढ़ाई है? हमने नि:शुल्क बीज वितरण नहीं किया है। क्या हमने पादप संरक्षण उपस्करों और रसायनों पर सब्सिडी बढ़ाई है? आपने कुछ भी नहीं किया है। मैं किसी व्यक्ति या सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। हम कृषक समुदाय को संरक्षण देने के लिए संवैधानिक और नैतिक दृष्टि से आबद्ध हैं।

महोदय, माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने 28.7.2000 को एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था :

"यूरिया, डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. जैसे उर्वरकों के मूल्यों में उर्वरकों में वृद्धि के कारण कृषि लागत में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।" हम किस दिशा में जा रहे हैं?

हाल ही में प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित किए गए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने बिजली की नि:शुल्क आपूर्ति बंद किए जाने संबंधी सुझाव को अस्वीकार कर दिया। मुझे ज्ञात हुआ है कि अधिकांश मुख्यमंत्रियों ने इसका विरोध किया, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम है कि किन लोगों ने इसका विरोध किया। यदि नि:शुल्क बिजली आपूर्ति को बंद कर दिया जाए या वापस ले लिया जाए तो कृषक समुदाय को सरकार की ओर से क्या प्रोत्साहन रह जाएगा? सरकार और कृषक समाज के बीच यही एकमात्र सम्पर्क है। किसान बिजली का उपयोग केवल अपने पम्प सैटों को चलाने के लिए करते हैं। बिजली शुल्क में रियायत या बिजली की खपत पर सबसिडी ही सरकार और कृषक समुदाय के बीच सम्पर्क की एकमात्र कड़ी है। इसके अलावा और किसी भी दृष्टि से कृषि एक स्वतंत्र व्यवसाय है। यदि इस कड़ी को भी समाप्त कर दिया गया तो किसानों को सरकार पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। बिजली जैसी आवश्यक सेवा के लिए सरकार पर निर्भरता के अलावा वे किसी भी अन्य रूप में सरकार के साथ नहीं जुड़े हैं।

दूसरी और सरकार कृषक समुदाय पर इसलिए निर्भर करती है क्योंकि वह लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। संसद वह दर्पण है जहां हमें जनसंख्या के सभी वर्गों का पूर्ण प्रतिनिधित्व देखने के लिए मिलता है। इसीलिए हमने इस सदन में अनेक अवसरों पर किसानों के मुद्दों के समर्थन में आन्दोलन किया है। मैं इस मुद्दे पर इस लोक सभा में दूसरी बार बोल रहा हूं। पिछले साल भी हम इस मुद्दे पर उस समय बोले थे जब सब्सिडी वापस ली गई थी। इस सदन में भी थोड़े बहुत विरोध के बाद, सब्सिडी को कुछ सीमा तक वापस लागू कर दिया गया . . . *(व्यवधान)*

भारत में लोगों का मूल व्यवसाय कृषि है। मूल रूप से हम औद्योगिक राष्ट्र नहीं हैं। यह देश उद्योगों पर निर्भर नहीं है। हम चाहते हैं कि कृषि को बढ़ावा मिले। कृषि के बिना भारत का अस्तित्व एक दिन के लिए भी संभव नहीं है। आप हाई-टेक ज़ोन्स, टाइडल पार्क्स, नए आर्थिक क्षेत्र आदि बना रहे हैं। इससे लोगों का पेट नहीं भरेगा। पहले आपको लोगों को भोजन उपलब्ध कराना होगा। हाई-टेक कम्प्यूटर लोगों का पेट नहीं भरेगा। नि:संदेह यह एक उन्नत प्रौद्योगिकी है। लेकिन कृषि ही एकमात्र ऐसा पेशा है जो लोगों को जीवित रख सकता है। किसानों का ठीक प्रकार से ध्यान नहीं रखा जा रहा है और सरकार किसानों को उचित संरक्षण नहीं दे रही है; लेकिन हम बिजली की दरों में रियायत को वापस नहीं लेने देंगे . . .*(व्यवधान)*

देश में कितने की उद्योगपति, राजनीतिज्ञ, शिक्षक, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील और दूसरे पेशों से जुड़े लोग हो सकते हैं। लेकिन इनमें से किसी की भी तुलना किसान के साथ नहीं की जा सकती है। हम सभी कृषक परिवारों से संबंध रखते हैं। इस पीढ़ी की शुरूआत एक शताब्दी पहले हुई थी। हम सभी किसान परिवारों से आए हैं। हमारी भूमि जोतें हैं। सरकार किसानों को पूर्णरूपेण कृषि कार्य करने के लिए उन्हें संरक्षण देने के अपने दायित्व में असफल रही है।

किसानों द्वारा अतिरिक्त फसल पैदावार किए जाने और उसके बाद की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। अच्छी पैदावार के बावजूद किसानों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतिरिक्त पैदावार करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं होता है क्योंकि वह अपने उत्पाद का मूल्य निर्धारित नहीं कर सकता है। किसान यह मूल्य तय नहीं कर पाता है। युक्तियुक्त मूल्य किसान तय नहीं करता है। यह मूल्य बिचौलिए तय करते हैं। उत्पादक स्वयं अपने उत्पाद का मूल्य तय नहीं करता है।

महोदय, इस पर मात्रात्मक प्रतिबंध हैं। आयात शुल्क संबंधी ऊंची दर वाले मात्रात्मक प्रतिबंध इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि इसका संबंध विश्व व्यापार संगठन से है। इन खाद्य वस्तुओं को विश्व व्यापार संगठन के अन्तर्गत क्यों रखा गया है? इसे किसी श्रेणी का संरक्षण प्राप्त नहीं है। विश्व व्यापार संगठन के अन्तर्गत आप उत्पादों पर व्यापार समझौते—गैट-पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। जापान ने 2000 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया है। क्या आप यहां इतना शुल्क लगा सकते हैं? जापान ने उत्पादित खाद्य वस्तुओं पर 2000 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया है। इसलिए, हमें भी इस उदाहरण को अपनाना चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया मुख्य मुद्दे पर आएं।

श्री पी०एच० पांडियन : महोदय, व्यवधानों के कारण तारतम्य नहीं बन पा रहा है . . . *(व्यवधान)* नकदी फसलें तबाह हो रही हैं। कृषक समुदाय का हर सदस्य पूरे भारत में, विशेष तौर पर कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के नारियल उत्पादकों की दशा से अवगत है। नारियल के मूल्य गिरे हैं और हाल में कुटकी से उत्पन्न होने वाले एक अज्ञात रोग ने तमिलनाडु में नारियल के बागानों पर हमला किया है। इस रोग का कोई इलाज नहीं है। पिछले सप्ताह मैं कन्याकुमारी गया था। वहां के नारियल उत्पादक मुझसे मिले और उन्होंने मुझे इस रोग के बारे में बताया। सरकार इस विषय पर खामोश क्यों है और नारियल की खेती करने वाले किसानों की सहायता क्यों नहीं करती? यह सरकार का दायित्व है। आप यह नहीं कह सकते हैं कि सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है। फसल उगाया जाना एक सतत प्रक्रिया है और उसमें कोई अन्तराल नहीं होता है।

आपको मालूम ही है कि सरकार ने खोपरा के मूल्यों के मामले का निपटान कैसे किया और खोपरा सौदे में बिचौलियों का क्या किया . . . *(व्यवधान)* केवल सरकार ही बिचौलिए की भूमिका अदा कर सकती है। पिछली बार हमने तमिलनाडु में खोपरा सौदे की जांच की मांग की थी। सरकार ने खोपरा सौदे में सी.बी.सी.आई.डी. की जांच शुरू की थी। किन्तु हमें मुख्य व्यक्ति को पकड़ना होगा कि रक्षा मामलों से सम्बन्धित उच्च स्तरीय सौदों में यह कैसे होता है। एक ही मुख्य व्यक्ति होगा और वह उच्च पदस्थ होगा। साधारण आदमी ऐसा नहीं कर सकता। साधारण आदमी इस प्रकार के अन्तरराष्ट्रीय और अन्तर्राज्यीय सौदे नहीं कर सकता। अत: यह सरकार का काम है कि यह तमिलनाडु सहित देश में जहां भी जरूरत हो सी बी आई के द्वारा कोपरा सौदे की जांच कराए। . . .*(व्यवधान)* विश्व व्यापार संगठन ने अपसामान्य स्थितियों का सामना करने और घरलू चिन्ताओं का ध्यान रखने के लिए हमें निम्नलिखित हथियार दिए हैं:-

> "शुल्क संरक्षण—लागू शुल्क को किसी भी समय बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि यह निर्धारित दरों को पार ने करे। 'गैट' को अनुच्छेद VI और अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी समझौता (पाटनरोधी समझौता)—यदि आयात करने वाले देश में किसी उत्पाद को सामान्य मूल्य से कम पर पाटा जा रहा हो तो पाटनरोधी शुल्क लगाया जा सकता है बशर्तें कि इससे घरेलू उद्योग को प्रत्यक्ष हानि हो रही हो।"

ऐसा भारत में हो रहा है। इसे यहां डम्प किया जा रहा है। पिछले सप्ताह वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने सभा को यह बताया था कि सरकार ने पाटनरोधी अधिनियम के तहत उल्लंघन करने के लिए अमरीका सहित कई देशों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही शुरु की है। हम यहां खाद्य सामग्री को पाटने की अनुमति नहीं दे सकते। . . . *(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी : हम उनके प्रति सर्वाधिक आज्ञाकारी . . .*(व्यवधान)*

श्री पी०एच० पांडियन : आयात-निर्यात नीति के बारे में हम क्या करें। आयात निर्यात नीति के तहत दुग्ध उत्पादन आदेश, 1992 प्रख्यापित किया गया था। श्री मुलायम सिंह यादव दुग्ध उत्पाद निर्यात-आयात नियंत्रण आदेश 1992 से अपके समुदाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने जा रहा है। इस आदेश के तहत सरकारा आइस-क्रीम, दूध, पनीर, आदि का आयात करने के लिए मुक्त है। इसलिए यादवों का दूध निकालने का व्यापार नहीं रहेगा। मैं आपकी ओर से बोल रहा हूं। अत:, सरकार पहले आयात-निर्यात नीति के तहत प्रख्यापित निर्यात-आयात नियंत्रण आदेश, 1992 को वापिस ले। सरकार को इसे वापिस लेना चाहिए क्योंकि डेयरी फार्मिंग भी कृषि का एक हिस्सा है। प्रत्येक कृषि फार्म में दुधारू पशु होते हैं। इसलिए डेयरी उद्योग से जुड़े लोगों, दुधियों, दुग्ध विक्रेताओं और कृषिवेत्ताओं के हितों की रक्षा करना सरकार का अनिवार्य कर्तव्य है।

इसलिए महोदय, किसानों के समर्थन, उनकी दशा, उनकी आशाओं और चिन्ताओं के बारे में मैं सभा के प्रत्येक सदस्य के साथ हूं। अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक किन्हीं राजनीतिक संबंधों की परवाह किए बिना किसानों के साथ है। . . . *(व्यवधान)*

श्री वी० वेत्रिसेलवन (कृष्णागिरि) **:** महोदय, अन्नाद्रमुक ही नहीं सभी दल किसानों के साथ हैं। . . . *(व्यवधान)*

श्री पी०एच० पांडियन : डी एम के को छोड़कर हम सभी दलगत राजनीति से ऊपर हैं। . . . *(व्यवधान)* क्योंकि इन्होंने गन्ना उत्पादकों को समर्थन मूल्य नहीं दिया। . . .*(व्यवधान)*

श्री वी० वेत्रिसेलवन : महोदय, क्या मैं स्थिति स्पष्ट कर सकता हूं?. . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री वी० वेत्रिसेलवन : मौजूदा सरकार ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है।. . . *(व्यवधान)*

श्री पी०एच० पांडियन : चावल खरीद योजना के तहत मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तूतीकोरिन से चावल के तीन वैगन चोरी-छिपे कर्नाटक भेज दिए गए थे। अब, सी.बी.आई. मामले की जांच कर रही है।. . . *(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) **:** वीरप्पन के द्वारा?

श्री पी०एच० पांडियन : वह कर्नाटक का है।. . . *(व्यवधान)*

श्री ई० अहमद (मंजेरी) **:** अब वह केरल में है।

श्रीमती रेणूका चौधरी : चन्दन की लकड़ी उगाने वाले कृषक अच्छा कमा रहे हैं। . . . *(व्यवधान)*

श्री पी॰एच॰ पांडियन : तमिलनाडु सरकार ने कोपरा और नारियल उत्पादकों के हितों की रक्षा नहीं की है। यह एक दलील की भूमिका निभा रही है।

नीलगिरि चाय बागान के बारे में, मैंने नियम 377 के अधीन इस सभा में मामला उठाया था। छोटे चाय उत्पादक खत्म हो गए। उन्हें कुचल दिया गया है। उनका कोई भविष्य नहीं है। हमने आन्दोलन शुरु किया। . . . *(व्यवधान)* केवल हमारी अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक पार्टी ने ही आन्दोलन शुरु किया। प्रिय मित्रों, क्या आपने कोई आन्दोलन शुरु किया? नहीं। नीलगिरि में केवल हमारी पार्टी ने आन्दोलन शुरु किया।

श्री ई॰एम॰ सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : यह कांग्रेस की सहायता से शुरु किया गया। . . . *(व्यवधान)*

श्री पी॰एच॰ पांडियन : वहां कांग्रेस है। लेकिन हमाने बिना आपका वहां कोई वजूद नहीं है।. . . *(व्यवधान)* मैं आपके साथ हूं।

सभापति महोदय : श्री पांडियन, अब समाप्त कीजिए।

श्री पी॰एच॰ पांडियन : इसलिए, महोदय, हम कृषक समुदाय का पूर्ण समर्थन करते हैं। हम बिजली पर दी जा रही रियायत को वापिस नहीं होने देंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात सामाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : माननीय सभापति जी, कल से हम किसानों की समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। यह बात सही है कि हालत बहुत खराब है जिससे किसान परेशान है। कल से जो चर्चा हुई, उसमें हमारी सरकार पर अनेक आरोप भी लगाये गए। आश्चर्य यह है कि हमारी सरकार पर उन्होंने आरोप लगाये हैं जिन्होंने 54 सालों में से 50 साल तक हिन्दुस्तान पर राज किया है और 50 साल के इस राज के दौरान उन्होंने आर्थिक नीति को आठ बार बदला। लेकिन इन 50 सालों में वे एक बार भी कृषि नीति नहीं बना पाये। अगर पहली बार कृषि नीति सदन के पटल पर रखी गयी है तो वह एन॰ डी॰ ए॰ की सरकार ने और विद्वान कृषि मंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने यहां पेश की है।

इसके पहले भाषण देकर जाने वाली इनकी सरकार किसान की नीति भी नहीं बना पाई। मैं कल से सामने से भी भाषण सुन रहा हूं। यह बात सही है कि आज खेती फायदे का धंधा नहीं है, घाटे का सौदा हो गई। किसान ऋण के जाल में फंसा है, मजबूर है, विवश है, यह बात भी सही है। किसान केवल इसलिए खेती करता है कि उसके पास और कोई धंधा नहीं है, मर्जी से नहीं, मजबूरी में खेती करता है। अगर उसे और कोई धंधा मिलता तो कब का खेती छोड़ कर दूसरे धंधे में चला जाता। हम सारे संसद सदस्य अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे पास अच्छे-अच्छे किसान आते हैं और कहते हैं कि कोई भी नौकरी हमारे लड़के को मिल जाए तो वह खेती से बेहतर रहेगी। लेकिन हम विचार करें कि दोषी कौन है। क्या ढाई साल की एन॰ डी॰ ए॰ की सरकार दोषी है? अनेक प्रकार के आरोप लगाए गए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ का समझौता हमारी सरकार ने किया है? डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ का समझौता, कहने लगे कि इसमें एन॰ डी॰ ए॰ की सरकार का हाथ है, अगर इंटरनैशनल मार्किट में क्रूड ऑयल के रेट्स बढ़ गए तो कहने लगे कि एन॰ डी॰ ए॰ की सरकार का हाथ है, कहीं ज्यादा वर्षा हो जाए और बाढ़ आ जाए तो एन॰ डी॰ ए॰ की सरकार का हाथ, ओले गिर जाएं, फसल नष्ट हो जाए तो एन॰ डी॰ ए॰ की सरकार का हाथ है। मुझे लगता है कि अगर किसी के घर में जुड़वा बच्चे भी पैदा हो जाएं, तब भी कहेंगे कि इसमें भी एन॰ डी॰ ए॰ की सरकार का हाथ है। आप समस्याओं की तह में जाइए। मैं कहना चाहता हूं कि पचास साल जो सरकार चली है, उसकी गलत नीतियों के कारण आज किसान परेशान है। हम उन नीतियों को बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन एक साल में सारी स्थिति ठीक नहीं हो सकती। यह मामला यहां बार-बार उठा है कि किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिलता। यह बात सही भी है। . . . *(व्यवधान)* किसान की बात बोल रहे हैं। हम घड़ियाली आंसू किसानों के नाम पर नहीं बहाते, हम यथार्थ के धरातल पर खड़े रह कर बात करते हैं।

सभापति महोदय : चौहान जी, आप चेयर की तरफ मुखातिब होकर अपना भाषण कीजिए, टोका-टाकी में न फसें।

श्री शिवराज सिंह चौहान : आज किसान घाटे की खेती कर रहा है, इसमें सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि कदम नहीं कदम उठाए गए हैं, कदम उठाए गए हैं। डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ के समझौते के कारण जो बाजार खुले, उसके कारण बड़ी मात्रा में विदेशी कृषि उत्पाद हमारे देश में आए। अगर बजट का भाषण, जो वित्त मंत्री जी ने दिया था, उसे पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा है कि सीमा शुल्क सभी कृषि उत्पादों पर बढ़ाया गया—गेहूं पर 50 प्रतिशत, चावल पर 70 से 80 प्रतिशत, मक्के पर 50 प्रतिशत, चाय, काफी, गरी, सुखाए हुए नारियल पर 35 से बढ़ाकर 70 प्रतिशत तक किया है। सीमा शुल्क की दरें बढ़ा कर हमारी सरकार ने किसान को प्रोटैक्ट करने की कोशिश की है। जहां तक समर्थन मूल्य का सवाल है, यही सरकार थी जिसने 65 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य में वृद्धि की थी और आज भी मुझे विश्वास है कि अगर इस समर्थन मूल्य से भी काम नहीं चलेगा तो हमारी सरकार इस समर्थन मूल्य को और बढ़ाने का काम करेगी। मैं इस ओर कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। समर्थन मूल्य घोषित हो जाते हैं लेकिन खरीद करने का काम राज्य सरकार की देख-रेख में होता है। बीच में कई बिचौलिए आ जाते हैं। मैंने देखा है कि कई किसान अपना माल ट्रैक्टर ट्रालियों में भर कर मंडी में खड़े रहते हैं, किसान का थोड़ा-बहुत माल खरीदा जाता है, बाद में उनको वापिस भेज दिया जाता है, खरीदी बंद हो जाती है, फिर वही माल बिचौलियों के माध्यम से कुछ व्यापारी खरीदते हैं। व्यापारी

[श्री शिवराज सिंह चौहान]

मेहनत नहीं करते, खून-पसीना नहीं बहाता, किसान का माल खरीदता है और समर्थन मूल्य पर वहीं बेच देता है। ऐसी चीजों पर नजर रखने की जरूरत है।

सभापति जी, किसान का जो कृषि उत्पाद पैदा होता है, वह सस्ता बिकता है और उपभोक्ता को महंगा मिलता है। हमारे क्षेत्र में किसान टमाटर पैदा करते हैं। हमने भी अपने क्षेत्र में कहा कि केवल गेहूं और चावल से काम नहीं चलेगा, आप फल, सब्जियां उगाएं। लेकिन फल और सब्जी लगाने से कहां बेचें? हमारा किसान दो रुपये किलो टमाटर बेचता है और वही भोपाल, इन्दौर और दिल्ली में आकर 12 से 16 रुपये किलो बिकता है। मैं विदिशा संसदीय क्षेत्र से आता हूं। विदिशा, रायसेन, सिहोर का गेहूं पूरे भारत में प्रसिद्ध है। हमारा गेहूं मुम्बई तक जाता है। हमारा किसान उस गेहूं को 500-600 रुपये प्रति क्विंटल बेचता है लेकिन वह गेहूं मुम्बई में 1600 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल बिकता है। किसान को उसको पूरी कीमत नहीं मिलती और उपभोक्ता को गेहूं महंगा मिलता है, बीच में बिचौलिए अपनी तिजोरियां भर लेते हैं। इन बिचौलियों पर कंट्रोल करने की आवश्यकता मुझे महसूस होती है। अनेक कठिनाइयों का सामना हमारा किसान कर रहा है, उनमें सबसे प्रमुख कठिनाई मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज भी दो तिहाई खेती हमारे देश की सूखी है। अनइरीगेटिड खेती, सूखी खेती किसान कर रहा है। 50 साल कांग्रेस का राज रहा, मैं पूछना चाहता हूं कि हमने जो सिंचाई की योजनाएं, जो 20-20, 25-25 साल से चल रही हैं, कान्ति लाल जी यहां बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि बरगी का बांध बने हुए 20 साल हो गये। बरगी का बांध तैयार है, बांध में पानी भी है, लेकिन नहरें आज तक नहीं बनीं और इसलिए बांध में जो अरबों रुपया लगा, वह भी बेकार चला गया। मैं बाद में उस बांध का पानी खाली करने के लिए . . .(*व्यवधान*)

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : इन्होंने मेरा नाम लिया है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने बड़े-बड़े डैम बनवाये, जिससे इस देश में खुशहाली आई। कांग्रेस की जो योजनाएं आज अधूरी पड़ी हैं, उनको आप पूरा नहीं कर रहे हैं। मेरे लोक सभा क्षेत्र में माही बांधी है। आज आप उसको पैसा नहीं दे रहे हैं, सरकार कितना बड़ा पक्षपात कर रही है और कांग्रेस सरकार की आप बात कर रहे हैं। आप पैसा दो और उसको पूरा करवा दो।

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : बांध बनकर तैयार हो जाये और मध्य प्रदेश की सरकार नहरें नहीं बना पाये और उससे किसानों के खेत सूखे रह जायें तो इसमें किसका दोष है। रामानन्द जी बैठे हैं, बाणसागर बांध 20 साल से बनकर तैयार पड़ा हुआ है, ऐसे एक नहीं, अनेकों इरीगेशन के प्रोजैक्ट आधे-अधूरे पड़े हुए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की अदूरदर्शिता के कारण मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि 90-90 साल से लघु सिंचाई योजनाएं मध्य प्रदेश में अधूरी पड़ी हैं। उन लघु सिंचाई योजनाओं की मरम्मत तक का काम भी हम नहीं कर पाये। नहरों की टूट-फूट भी हम नहीं कर पाये। मेरे अपने रायसेन जिले में अब्दुल्लागंज के पास आमछा करके एक बांध था, लक्ष्मण सिंह जी भी जानते हैं, उसमें कवल 5-6 हजार रुपये खर्च होने थे, लेकिन प्रदेश सरकार ने मरम्मत के लिए पैसा नहीं दिया, कहा कि पैसा है ही नहीं, इसके कारण वह बांध टूट गया।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : प्रदेश से ज्यादा लगाव हो तो अगली बार विधान सभा का चुनाव लड़ लेना। यहां आप लोक सभा की चर्चा करो, वरना विधान सभा में जाओ। . . . (*व्यवधान*)

श्री शिवराज सिंह चौहान : यह बात विधान सभा और लोक सभा की है, आप क्या बात कर रहे हो। बांध टूटने के कारण किसान परेशान हैं और आज तक उसकी मरम्मत का पैसा नहीं पहुंचा।

बिजली जैसे मामले को भी हमने केवल वोट से जोड़ दिया है। मध्य प्रदेश के चुनाव में बड़ी लम्बी-चौड़ी घोषणाएं की गईं कि कांग्रेस आई तो बिजली फ्री होगी। अब कांग्रेस आ गई, बिजली तो फ्री नहीं हुई, लेकिन मध्य प्रदेश जरूर बिजली से फ्री हो गया। दो-दो, तीन-तीन घंटे मध्य प्रदेश में बिजली जा रही है।

सभापति महोदय : आप बिना अनुमति के बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं, यह ठीक बात नहीं है।

श्री शिवराज सिंह चौहान : बिजली के बिल लम्बे-चौड़े आते हैं और किसान जब आन्दोलन और प्रदर्शन करते हैं तो यहां कांग्रेस के मित्र घड़ियाली आंसू बहाते हैं और वहां मुलताई में किसानों पर गोलियां चलती हैं तो 21 लोग मरते हैं। पिछले दिनों सिवनी जिले में राजेश राय नाम का किसान, जो पानी के लिए किसानों का प्रदर्शन था, उसमें गोली चला दी गई, उसमें राजेश राय मर गया। उसके बाद हम आन्दोलन करने पहुंचे तो मध्य प्रदेश की सरकार ने महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में 3-4 सांसदों को घुसने नहीं दिया, सांसदों को गिरफ्तार किया। यह बिजली की व्यवस्था है, यह केवल केन्द्र सरकार पर निर्भर नहीं है। इसको भी ठीक करना पड़ेगा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। प्राकृतिक आपदाएं आती हैं कहीं ओले से, कहीं इल्ली से, कभी सूखे से, कभी पाले से और किसान की फसल चौपट हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। अगर एक बार किसान की फसल बर्बाद हो जाये, एक बार किसान पिट जाये तो फिर तीन साल तक किसान पनपता नहीं है, वह कर्जे के जाल में फंसता चला जाता है। सरकार ज्यादा से ज्यादा यह करती है कि उसका जो अल्पावधि ऋण है, उसे दीर्घकालीन ऋण में बदल देती है। उसका ब्याज भी उस पर लगता है, जिससे वह किसान पनप नहीं पाता। मैं एन० डी० ए० की सरकार को, कृषि मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि सरकार नई फसल बीमा योजना लेकर आई है। उसके लिए 268 करोड़ रुपये इस बजट में रखे गये हैं, लेकिन बाकी प्रदेश की सरकारों से अगर पूछें प्रदेश में वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी हम इसे लागू नहीं करेंगे,

2002-2003 तक यह लागू होगी। मेरा निवेदन है कि फसल बीमा योजना पूरे देश में लागू की जाये। राज्यों के रहमो करम पर, प्रदेशों के रहमो करम पर किसानों को नहीं छोड़ा जाये। फसल बीमा योजना को लागू करना बाध्यकारी बनाया जाये। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि हमाने यहां किसान को हम अच्छे बीज उपलब्ध नहीं करा पाते। रेणूका जी अभी प्रतिस्पर्धा की बात कह रहीं थीं कि डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ के समझौते पर सिगनेचर हमने यह सोचकर किये थे कि हमारा किसान प्रतिस्पर्धा में उतरेगा। आप किससे प्रतिस्पर्धा करवाना चाहती हैं, पश्चिम के देशों से, यूरोपीय समुदाय के देशों से, अमेरिका से, जहां वैज्ञानिक खेती है, मशीनीकृत खेती वहां होती है, उनके पास नई तकनीक है, बिजली की कमी का सामना उन्हें नहीं करना पड़ता।

वहां बड़े-बड़े फार्म हैं, उन किसानों से हमारा किसान कैसे प्रतिस्पर्धा करेगा। एक पहलवान जो बरसों से खा-पी रहा हो और रियाज कर रहा हो, उसके साथ किसी दुबले-पतले सींकिया आदमी को कहें कि लड़ो तो वह कैसे उस पर विजय प्राप्त करेगा। इसलिए हमारा किसान तब प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं सकेगा। उसको टिके रहने लायक बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारे किसान को समय पर बिजली नहीं मिलती, खाद नहीं मिलती। कीटनाशक दवाओं का यह हाल है कि एक बार मैं अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रहा था तो मैं एक गांव में गया। वहां लोगों ने कीटनाशक दवा का बोरा लाकर मेरे सामने रख दिया। मैंन उस सभा में कहा कि इसका यहां क्या काम है, तो उन्होंने मुट्ठी भर इल्ली यानी कीड़ा लाकर उस बोरे में डाल दिया। आधे घंटे के बाद जब बोरा खोला कि इल्लियां नहीं मरी थीं। इस तरह किसानों को घटिया कीटनाशक दवाएं दी जाती हैं, घटिया खाद दी जाती है। इस पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है।

मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में सड़कों का नितांत अभाव है। अब आप कहेंगे कि खेती का सड़कों से क्या सम्बन्ध है। मैं आपको इस बारे में बताता हूं। मैं खंडवा जिले में गया था, जहां शाहपुर में चुनाव हुआ था। खंडवा से लेकर डेढ़तलाई तक मैं गया। वहां गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, यह पता नहीं चलता। आंख बंद करके चलो तो ऐसा लगता है कि नदी में नाव में बैठकर जा रहे हो कि कभी नाव ऊपर जाती है और कभी नीचे आती है। तन और मन दोनों डोलते हैं। किसानों ने कहा कि हमें सड़क के कारण परेशानी है और हमें इससे अपनी फसल का पूरा मूल्य नहीं मिलता। मैंने कहा कि सड़क का फसल से क्या सम्बन्ध है। इस पर उन्होंने कहा कि सम्बन्ध है। ट्रांसपोर्टर समय पर नहीं आते हैं और आते भी हैं तो ट्रक में केला भरकर भेज देते हैं तो महाराष्ट्र पहुंचते-पहुंचते उस केले का हलवा, लुगदी बन जाती है और वहां उसका दाम नहीं मिलता।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस बार 125 करोड़ रुपया सड़कों के निर्माण के लिए दिया गया है। लेकिन ऐसी सड़कों को ठीक करना भी आवश्यक है।

सभापति महोदय, कोल्ड स्टोरेज और गोदामों का निर्माण बहुत महत्वपूर्ण चीज है। किसान के पास माल है तो कहां रखे, पूरे देश में इसकी भारी कमी है। अगर वह फल या सब्जी पैदा कर ले तो वहां मार्केट नहीं मिलती और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है। इस बार बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जी ने कहा है कि कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था के लिए और गोदामों के निर्माण के लिए कम ब्याज और सब्सिडी पर भी ऋण उपलब्ध कराएंगे। इससे समस्या का ठीक ढंग से समाधान किया जा सकता है।

अंत में एक बात और कहना चाहता हूं। एन॰ डी॰ ए॰ की सरकार ने एक करोड़ दस लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए हैं। 50 साल के राज में कांग्रेस वाले यह काम नहीं कर पाए। इस सरकार ने कहा है कि तीन साल में सारे पात्र किसानों को क्रेडिट कार्ड बांट दिए जाए॰। इसके कारण किसानों को ऋण मिलना सस्ता और सुलभ हो जाएगा। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है किसानों के सवाल को हम दलगत राजनीति के आधार पर न देखें। हम आंखों से दल का चश्मा उतारकर केवल किसानों के सवाल पर निष्पक्ष विश्लेषण करें। एन॰ डी॰ ए॰ की सरकार इसके लिए तैयार है। किसानों के हित के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है, वह करने के लिए कदम उठाएगी। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि अगर किसान खुश होगा, समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। किसान की जेब में पैसा आता है तो वह बाजार में जाता है और व्यापारिक दुकान से माल खरीदता है। दुकान से माल बिकता है तो कारखानों के पहिए चलते हैं। कारखाने चलते हैं तो पूंजी का निर्माण होता है। पूंजी का निर्माण होता है तो फिर नए कारखाने खुलते हैं। इसलिए किसान की समृद्धि आवश्यक है। एन॰ डी॰ ए॰ की सरकार इस दिशा में ठीक ढंग से काम कर रही है। मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में किसान इस चुनौती का सामना करने में समृद्ध होगा।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : सभापति महोदय, पिछले कुछ महीनों में यह तीसरी बार है कि हम सभा में किसानों की समस्याओं के बारे में बोल रहे हैं। पहली बार हमने सत्र की शुरुआत में यह मुद्दा उठाया था। सरकार को बहस की कार्यसूची में इसे शामिल करने में सात दिन लगे जिसे हम विरोधी दल के रूप में कार्यसूची में शामिल करने के लिए कहते रहे थे।

[हिन्दी]

सात दिन तक हाउस नहीं चला। उसके बाद आपने माना कि डिसकशन होगा।

[अनुवाद]

यदि इस बात का सबूत है कि आप किसानों की समस्याओं को कितना महत्त्व दे रहे हैं। आज मुझे खुशी है कि मेरे साथी ने भाषण समाप्त करने से पहले कहा :

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा]

[हिन्दी]

''इसमें तो कोई पक्षपात नहीं आना चाहिए, सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए, पर आपका भाषण ऐसा था कि उसमें मध्य प्रदेश की राजनीति को छोड़कर किसानों की राजनीति के बारे में कुछ नहीं था।''

अपराह्न 4.44 बजे

[डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*]

श्री शिवराज सिंह चौहान : सच्चाई बयान की।

श्री मार्गेट आल्वा : बाद में की।

[अनुवाद]

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप बोलते हैं तो आप उसे राजनीतिक मुद्दा और स्थानीय मुद्दा बना देते हैं। आप इसे ठीक ऐसा ही बना देते हैं जैसे आप किसी चुनाव में आम सभा को सम्बोधित कर रहे हों। आप इसे एक राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में देखिए, भारत का किसान हम सब का पेट भरता है।

[हिन्दी]

किसी ने मुझसे अभी पूछा था कि आप भी फार्मर्स के ऊपर बोल रही हैं? आप सोचते हैं कि जो गांव में बैठते हैं, वे ही किसान पर बोल सकते हैं। मेरी भी रूरल कांस्टीट्यूएंसी है। हम लोग भी गांवों में जाते हैं और हम जानते हैं कि किसान की क्या मुसीबतें हैं।

[अनुवाद]

किन्तु जिस मुख्य समस्या की ओर मैं ध्यान दिला रही हूं कि हमारी 80 प्रतिशत आबादी एक या दूसरे रूप में अपनी जीविका और अस्तित्व के लिए कृषि पर निर्भर होने के बावजूद सरकार का उपेक्षापूर्ण रवैया आश्चर्यचकित करने वाला है।

किसी ने अभी-अभी कहा था और मुझे हैरानी है, जब उन्होंने कहा,

[हिन्दी]

आज तो एग्रीकल्चर का उत्पादन ज्यादा हो गया। मैं आपको बताना चाहती हूं कि,

[अनुवाद]

इंदिरा गांधी ने सत्तर के दशक में देश में हरित क्रांति का सूत्रपात किया। उस समय हमारे यहां सूखा पड़ता था और अन्य समस्याएं थीं और जब हम पश्चिमी देशों से खाद्यान्न मांगते थे तो वे तमाम शर्तें और पाबंदियां लगाते थे। उस समय वह लौटीं और बोलीं कि हम फिर कभी खाद्यान्नों की भीख नहीं मांगेंगे; खाद्य सुरक्षा पहला मुद्दा होगा; और उन्होंने डा॰ स्वामीनाथन के नेतृत्व में वैज्ञानिकों को इकट्ठा किया और हरित क्रांति का अवतरण हुआ। तभी से हमारी सरकार का खाद्य सुरक्षा पर जोर रहा है।

[हिन्दी]

आज क्या हो रहा है?

[अनुवाद]

खाद्य सुरक्षा कहां है? एक तरफ हम पटे पड़े गोदामों और अधिकाधिक उत्पादन की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हम खाद्यान्नों का आयात कर रहे हैं। इसके अलावा, हमारे पास ऐसी कोई नीति नहीं है जिससे खाद्यान्नों या हमारे उत्पादन का समान रूप से वितरण हो सके और ये वस्तुत: गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वालों तथा आज भी भूख का शिकार होने वालों तक पहुंच सकें।

उड़ीसा के विभिन्न क्षेत्रों में क्या हो रहा है? मेरे माननीय साथी ने असमानताओं की बात की। क्या इनके पास कोई नीति है जिसे ये प्रस्तुत कर सकें और कह सकें कि हम यह सब कर रहे हैं। जब हमारे पास अतिरिक्त खाद्यान्न थे और हम सरकार में थे तो हमने मध्याह्न भोजन योजना शुरु की थी। हमने काम के बदले अनाज योजना शुरु की। हमने देखा कि खाद्यान्नों का कई प्रकार से उपयोग हुआ ताकि खाद्यान्न जरुरतमंदों तक पहुंचे। . . . *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आप बैठिए मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करती हूं। . . . *(व्यवधान)*

डा॰ जसवंतसिंह यादव : जहां कांग्रेस की सरकार है, जैसे मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, वहां तो कम से कम आप किसान को कुछ सुविधा दिलवा दें। . . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यादव जी, वह यील्ड नहीं कर रही हैं। आप कृपया बैठिए।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : मेरी बात अभी समाप्त नहीं हुई है। . . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री यादव, अभी उनकी बात पूरी नहीं हुई है, कृपया बैठ जाइए।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : इसीलिए मैंने कहा कि पूरे मुद्दे को राज्य स्तर तक सीमित किया जा रहा है। मैं कह रही हूं कि भगवान के लिए इस मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में देखिए जिसके साथ खाद्य सुरक्षा के लिए किसानों का भाग्य और इस राष्ट्र का भाग्य बहुत गहरे जुड़े हुए हैं।

भूखे आदमी से आप यह नहीं पूछते कि "आप भाजपा के हो या कांग्रेस के?" यदि आप किसी किसान के पास जाते हैं तो यह नहीं कहते कि यदि आप इस दल के हैं या उस दल के हैं तो मैं आपको उर्वरक दूंगा। मैं सम्पूर्ण मुद्दे की बात कर रही हूं जो देश की खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा है।

तीन मूल मुद्दे हैं। मैं उत्पादन समता की बात कर रही हूं जो हम साबित कर चुके हैं कि यह हमारे पास है। लेकिन बाहर से विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों की भरमार के कारण पूरे खाद्य सुरक्षा तंत्र में जो असंतुलन पैदा होने जा रहा है, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

जब भी आप बोलते हैं, यही बोलते हैं कि कांग्रेस ने डब्ल्यू॰ टी॰ओ॰ साइन किया। कांग्रेस का नाते लिए बिना आप लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं।

[अनुवाद]

इन्हें हर तरफ कांग्रेस ही नजर आती है। मेरा इनसे अनुरोध है कि पार्टी को भूलकर मुद्दों की बात करें। मेरा इनसे आज यह प्रश्न है, "डब्ल्यू॰टी॰ओ॰ संबंधी मुद्दों पर इनका क्या जबाव है?"

कुछ महीने पहले मुझे विश्व आर्थिक मंच से बुलावा आया था और मैं वहां गई थी। मैं इस देश से विकासशील देशों पर डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ के प्रभाव पर बोलने वाली एकमात्र सांसद थी। मैंने बोला और इतनी दृढ़ता से बोला कि भाषण के अंत में अन्य विकासशील देशों के साथियों ने कहा कि "आपकी सरकार अन्य मंचों पर इस तरह क्यों नहीं बोलती?"

हम भारत की ओर देखा करते हैं कि वह नेतृत्व करे। आज हमारी समझ में नहीं आ रहा कि किसकी ओर देखें क्योंकि हर अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर आपकी सरकार मौन है। हमारा स्पष्ट रवैया क्यों नहीं है? हम बाहरी दबावों से क्यों डरे हुए हैं? हम उन दबावों के समक्ष क्यों झुक रहे हैं जिनके समक्ष हमें नहीं झुकना चाहिए?

जहां तक विश्व व्यापार संगठन समझौते का सवाल है, उस समय शुरुआती बातचीत करना और हस्ताक्षर करना जरूरी हो गया था, लेकिन आपके पास पांच वर्ष का समय था जिसमें कई खंडों पर बातचीत करनी थी तथा करार करने थे। पांच वर्ष पूर्व ही अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर करके आपने विकल्प क्यों बंद कर दिया जबकि हमें अन्तिम समय से आगे पांच वर्ष का समय और दिया गया था।

[हिन्दी]

पांच साल का समय था आप नेगोशिएट कर सकते थे।

[अनुवाद]

एक खंड के जरिये वार्ता संभव हो सकती थी। अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर करके आपने विकल्प बंद कर दिये और अपने को बांध लिया मुझे पता है, यह हकीकत है।

मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। एक तरफ तो आपके पास अनाज पड़ा है, जिसका आप निपटारा नहीं कर पा रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मुद्दे को हम सभी ने इस सभा में उठाया था। प्रधानमंत्री आवास तक हमने मार्च किया था और उनके सामने अपनी बात को रखा था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वस्तुओं का मूल्य मत बढ़ाइये। गरीब लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभान्वित हो रहे हैं।

[हिन्दी]

आप इसको रेज मत करिए। सब्सिडी विदड्रा मत करिए। सोनिया जी ने लीड किया था—प्राइम मिनिस्टर ने उत्तर दिया—सोनिया जी हम कुछ नहीं कर सकते हैं।

[अनुवाद]

हमें यही उत्तर मिला। आपने क्या किया? आपने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के दाम बढ़ा दिये। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध अनाज नहीं उठाया जा रहा है क्योंकि यह काफी महंगा है। आपके गोदाम भरे पड़े हैं। अनाज सड़ रहे हैं और इन्हें गोदामों में रखने के लिये आपको भारी धनराशि चुकानी पड़ रही है। आप पी॰डी॰एस॰ पर राजसहायता रखते हुए अनाज बेच सकते थे। जब आपको लगा कि अंततः इसका निपटारा करना है—हमने पहले भी इस मुद्दे को यहां उठाया था—आपने जो 900 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा था उसको अपने गोदामों के खाली करने के लिये रोलिंग मिलों को 650 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेच दिया। आप सार्वजनिक विरतण प्रणाली की वस्तुओं पर 250 रुपये प्रति क्विंटल की राजसहायता दे सकते थे, जो आपने प्रति क्विंटल खो दी है। आपने इसका क्या किया?

हर तरह से आप इस देश में अनाज का ठीक ढंग से व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तथा इसको संभलाई नहीं कर पा रहे हैं जब उर्वरकों की बात आती है तो आपने या तो राजसहायता को वापस लिया है या उसे कम कर दिया है।

दूसरे दिन बंगलौर में प्रधान मंत्री ने कहा था कि किसानों से बिजली का चार्ज लिया जायेगा। उन्होंने कहा था कि "हमें इसके बारे में सोचना होगा।" प्रधानमंत्री ने कैसे सभा में कहा—तो हमें इस पर आश्चर्य हुआ—उन्होंने कहा कि:

[हिन्दी]

ठीक है, चुनौतियां तो हैं।

[अनुवाद]

यदि आप अनाज नहीं उगा सकते क्योंकि यह पहले से ही बहुत है तो आप सब्जी और फल नहीं उगा सकते। क्या प्रधानमंत्री का सभा में यही उत्तर है?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : आप मेरे भाषण तक रुकिएगा, नहीं तो मुझे बीच में कुछ कहना पड़ेगा।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : उन्होंने यह बात सभा में कही।

[हिन्दी]

यह तो कल भाषण दिया था। इसी सदन में अभिभाषण के प्रस्ताव पर कल उत्तर दिया है।

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार : महोदया, विविधीकरण से क्या तात्पर्य है? कई वर्षों से इसकी बात की जा रही है।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : विविधीकरण, के बारे में मुझे मालूम है. . . *(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : महोदया, विविधीकरण से क्या आशय है? अनाज की बजाय सब्जियों, फल और अन्य नकदी फसल उगाने हेतु हमें भूमि का कुछ हिस्सा रखना पड़ेगा। यही विविधीकरण का मतलब है। बिना किसी कारण के आप प्रधानमंत्री के द्वारा इमानदारी से दिये गये वक्तव्य पर विकार खड़ा कर रहे हैं. . .*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : आप किसानों से चावल और गेहूं न उगाने के लिये कह रहे हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं है। सब्जियां और फल उगाइये . . . *(व्यवधान)* महोदय, मैं उनको अवसर देने के लिए तैयार नहीं हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप बैठिए। यादवजी आप बार-बार इन्टरप्ट मत करिए। रासा सिंह जी, मार्ग्रेट आल्वा जी यील्ड नहीं कर रही हैं। आप बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : सभापति महोदय वे विविधीकरण हेतु कह रहे हैं।

यह सरकार कह रही है। आप सब्जियों, फलों, और दुग्ध उत्पादों के आयात की अनुमति दे रहे हैं। जिन माननीय सदस्य ने हमें चुनौती दी, वे यहां नहीं हैं। सभी विदेशी आइसक्रीम, चीज, मक्खन और सब कुछ देश में आ चुकी है।

[हिन्दी]

एक किलोग्राम नहीं आ रहा है। हम आपको वह लाकर पार्लियामेंट की टेबल पर रखेंगे। फॉरनब्रान्ड इम्पोर्ट कर रहे हैं। किसको बोल रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं। हम मार्केट में देख रहे हैं, इसलिए मैं बोल रही हूं।

[अनुवाद]

विविधीकरण ठीक है। लेकिन जब आप विविधीकरण करते हैं, सेब विदेशों से आ रहे हैं। भी फल और सब्जियां हर जगह उपलब्ध हैं। नारियल आ रहा है। नारियल उद्योग के साथ क्या संकट है? आप सेब की बात छोड़िए, हमारे क्षेत्र में भी, बाहर से आने वाले सुपारी के लिये हम लड़ रहे हैं। हर जगह से हर चीज बाजार में है। आप बताइए क्या उगाया जाय? आप मुझसे हर चीज के विविधीकरण हेतु कह रहे हैं। जब तम्बाकू उद्योग संकट में था तो आपने कहा "फसलाविकाश मत उगाईये" वे क्या उगायेंगे? उन्हें विकल्प दीजिए। यह कीमत चुकाई जा रही है। जाइये और कुछ और उगाइए। हर वर्ष किसान विशेषज्ञ बन जाता है।

[हिन्दी]

अपने इतने साल गेहूं बो दिया, अब इसे छोड़ो और कई दूसरी फसल बोओ।

[अनुवाद]

क्या किसान विशेषज्ञ होता है जो हर साल फसल बदल कर कुछ उगा सके यह इसलिये है क्योंकि

[हिन्दी]

नीतीश कुमार जी, आप मंत्रालय बदलवाते हैं, वैसे ही फार्मर को बोलते हैं कि तुम इसे बदल दो।

[अनुवाद]

आपको नये मंत्रालय को समझने में दो साल लगे। बेचारे किसान को इस साल नयी फसल के बारे में सीखने को कहा जाता है। क्या हो रहा है, मैं यह आपसे पूछता हूं।

खाद्यान्न के वितरण के बारे में आपकी क्या नीति है? आप इसे निर्यात नहीं कर सकते क्योंकि आपकी उत्पादन और परिवहन लागत अधिक है। यह गोदामों में सड़ रहा है। आपने उचित दर पर इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नहीं दे रहे हैं। किसानों को दिये गये सभी लाभ आप वापस ले रहे हैं, और फिर भी किसान से बचे रहने की उम्मीद करते हैं। मैं इसे जानना चाहता हूं। यह किसान की समस्या है। खेतिहर मजदूर को सबसे कम मजदूरी मिलती है। उनके लिये आपके पास कोई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना नहीं है। कोई बीमा नहीं है। हमने उनके लिये रोजगार गारण्टी योजना बनाई थी। गैर-उत्पादक

मौसम में, कुछ रोजगार की गारण्टी थी। आपने इसमें से कितना जारी रखा है और कितना समाप्त कर दिया है?

आप फसल बीमा की बात कर रहे हैं।

[हिन्दी]

आप ग्रीन कार्ड की बात कर रहे हैं। यह क्रॉप इंश्योरेंस क्या है?

[अनुवाद]

यदि फसल खड़ी है, तो उसका बीमा होगा। मगर उसे काट कर खलिहान में रख दिया जाए और यदि आंधी या चक्रवात आने से फसल के खराब होने की स्थिति में कोई बीमा नहीं है। गोदाम में जाने के बाद कोई बीमा नहीं है, बशर्ते गोदाम मालिक उसका बीमा कराये। बेचारे किसान के पास बीमा के लिए पैसा नहीं होता और गोदाम मालिक बीमा कराता नहीं। ऐसे में क्या होता है, भारतीय खाद्य निगम स्थिति का संभालने में विफल रही है।

मेरे राज्य में मक्के की खड़ी फसल संकटग्रस्त है। न तो संग्रहण हुआ और न खरीददारी। अंततः आपने राज्यों से कहा है हम खरीदने का अधिकार देते हैं, एफ०सी०आई० की प्रतीक्षा मत कीजिए और राज्य तंत्र के द्वारा खरीद करें।

[हिन्दी]

स्टेट मशीनरी के पास गोडाउंस के लिये पैसा कहां से आएगा। आप एडवांस दो, हम रिएम्बर्स करेंगे।

[अनुवाद]

अचानक आप भारतीय खाद्य निगम की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को देना चाहते हैं क्योंकि आप इसे ठीक ढंग से चला नहीं पा रहे हैं।

मैं उसी पर आ रहा हूं। आपके पास एवं स्पष्ट नीति होनी चाहिए। देश में बेहतर डंपिंग और बिना सोचे समझे होने वाले आयात का मुकाबला करना है। आपको देखना है कि किसानों की कैसे सहायता की जाए। आप राजसहायता वापस ले रहे हैं। आप बिजली पर शुल्क लगाना चाहते हैं। आप सभी बोझ किसान पर डालना चाहते हैं। आप लाभकारी मूल्य पर उपज पैदा कर देश का भरण-पोषण करने की उससे अपेक्षा रखते हैं। आप कब तक किसानों के धैर्य की परीक्षा लेना चाहते हैं? जिस दिन किसान की उगाने की इच्छा समाप्त हो जायेगी, राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा समाप्त हो जायेगी। विकसित राष्ट्र यही तो चाहते हैं यानि खाद्य आपूर्ति और खाद्य सुरक्षा हेतु भारत एक बार पुनः उनपर निर्भर हो जाये। आज यह हम सब के सामने चुनौती है। मैं यह नहीं कहता कि यह एन०डी०ए० या आपको या अपनी सरकार को करना है। मेरा कहना है कि यह भारत के सामने चुनौती है। यदि आप अपने लोगों का भरण-पोषण नहीं कर सकते, खाद्य सुरक्षा नहीं दे सकते, तो देश की सुरक्षा की बात मत कीजिए।

परमाणु बम महत्वपूर्ण है, कारगिल मुद्दा महत्वपूर्ण है। हमारी सेना महत्वपूर्ण है हमारी सेना अहम है। हर चीज महत्वपूर्ण है लेकिन विदेशों से आने वाली खाद्य पर आश्रित रहकर कोई यह हमारे लिए नहीं लड़ सकते।

एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, जो मैं उठाना चाहता हूं अभी तक पूछा नहीं गया है। यह कृषि भूमि का प्रश्न है। हमने भूमि सुधार किया। मैं कुछ राज्यों जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश के बारे में तो नहीं जानती। लेकिन देश के अधिकतर हिस्सों में भूमि सुधार हुआ। छोटे किसान अपनी मेहनत से कुछ उपजा रहे हैं। आज बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही हैं। सरकार कुछ निश्चित मूल्य पर उन्हें जमीन देने की गारण्टी दे रही है। कृषि भूमि अधिगृहीत करके बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दी जा रही है। किसानों के पास कितनी जमीन बचेगी।

अपराह्न 5.00 बजे

दिल्ली में एकल खिड़की योजना के अन्तर्गत बड़ी कंपनियों को भूमि देने के लिये किसानों को बाध्य किया जा रहा है। दिल्ली में एकल खिड़की योजना के द्वारा उन्हें सब सुविधाएँ दी जा रही हैं।

[हिन्दी]

लैंड किसकी जा रही है।

[अनुवाद]

किसान हताशा में अपनी जमीन बेचेंगे लेकिन कल आप अनाज, नकदी फसल, सब्जियां और आपके द्वारा सुझाई गई वैकल्पिक फसलें, कहां बोयेंगे।

जहां तक दूध का सवाल है, मैंने पहले ही डेयरियों के बारे में कहा है। हम श्वेत क्रांति लायें। इस क्रांति के कारण पिछले कई वर्षों से हम दुग्ध के सबसे बड़े निर्यातक देश रहे। आज हम न्यूजीलैण्ड, यहां वहां से सभी जगह दुग्ध उत्पाद मंगा रहे हैं, जिसकी पिछले वर्षों में जरूरत नहीं थी। और आज मैं यहां बोल रही हूं, तो कोई क्षेत्र लें, चाहे इनलैण्ड मछली पालन हो, कोई अन्य मछली पालन या गहरे समुद्र में पकड़ने वाली नौका, हर जगह आंदोलन चल रहा है। हर तरह से खाद्य श्रृंखला बर्बाद की जा रही है। चाहे सरकार प्रशीतनगृहों की बात करे या किसी अन्य चीज की।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं वह जमीनी नेता हैं, स्थिति की सच्चाई जानते हैं। मुझे पता है कि सरकार में होने पर कई चीजों से मुंह मोड़ना पड़ता है। लेकिन कृपया याद रखिये कि इस महान राष्ट्र की अपने लोगों के भरण-पोषण की क्षमता बर्बाद करने के लिये मुझे और

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा]

आपको जिम्मेदार ठहराया जायेगा। हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और धीरे-धीरे हमारा उत्पादन स्थिर हो रहा है। हमें इस चुनौती से निपटना है और इसका उत्तर खोजना है। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि हम क्या कुछ कर सकते हैं आइए, इसका उत्तर खोजें और इस बात के लिए मिलजुल कर प्रयास करें ताकि इस देश को खाद्य के लिए भीख न मांगना पड़े, और बाहर से खाद्यान्न न मांगना पड़े।

जय जवान, जय किसान का नारा आज प्रासंगिक है। किसान मर रहा है और जवान भी कमोबेश मर रहे हैं। जब तक हम पार्टी मुद्दों से उपर उठकर चीजों को ठीक करने के लिये मन नहीं बनाते, राष्ट्रीय चुनौती का राष्ट्रीय हल नहीं खोजते, तो बाद में हमें पछताना पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति महोदय, आज किसान की, संपूर्ण देश की दौलत पैदा करने वाला जो समूह है, जो मेहनतकश है, कामगार है उसकी समस्याओं पर इस सदन में चर्चा हो रही है। सभापति महोदय, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन माननीय सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया है केवल औपचारिकता पूरी करने से किसानों का भला नहीं होगा, किसान की बुनियादी समस्या का हल नहीं होगा। इसके लिए हमें दल की सीमाओं से जरा ऊपर उठना होगा। माननीय मंत्री महोदय भी अभी यहां पर नहीं हैं। वे भी किसान परिवार में पैदा हुए हैं और काफी नजदीक से किसानों की समस्याओं को जानते हैं। माननीय मार्ग्रेट अल्वा जी भी बीच में उठकर बोलीं। लगता है कि जैसे कोई कंप्टीशन हो रहा है और यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमें पार्टी और दल की सीमाओं से ऊपर उठना होगा।

आज देश की 70 प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर करती है और किसान ही ऐसा संवर्ग है जो संपूर्ण देश को, जवान और आवाम को खाना खिलाता है। इस बात को जिस गंभीरता से हमें लेना चाहिए वह गंभीरता आज दिखाई नहीं देती है और इसको कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। मैं आमतौर पर बोलता नहीं हूं। लेकिन आज किसान का सवाल है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। किसान ऐसा संवर्ग है जो ईमानदार है। आप दूसरे वर्गों के लीजिए - चाहे नौकरशाहों को लीजिए, चाहे किसी और वर्ग को लीजिए। अगर चार किलोमीटर की सड़क बनेगी तो पांच किलोमीटर का बिल भर देंगे लेकिन किसान जब तक चार कट्ठा जमीन में उन्नत किस्म का बीज नहीं डालेगा, पानी का मैनेजमेंट नहीं करेगा, उसकी देखरेख नहीं करेगा तब तक उसकी पैदावार नहीं होगी। उसकी चार कट्ठा जमीन में ही पैदावार होगी, पांचवें कट्ठे में पैदावार नहीं होगी। आज उस कम्युनिटी पर हम बहस कर रहे हैं।

मैंने इसलिए गम्भीरता से निवेदन किया। यह वह कम्युनिटी है जो बेइमानी नहीं करती। वह लक्ष्य पूरा करती है। आज पूरे देश में ढिंढोरा पीटा जा रही है। यह अवमूल्यन और गिरावट का दौर है। सदन में हुई चर्चा में भी गिरावट आई है। इसे हर माननीय सदस्य मन या बेमन से स्वीकार करता होगा चाहे इसे कोई बोले या न बोले। कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, यह लोकतंत्र के स्तम्भ हैं। प्रेस और मीडिया के क्षेत्र में भी गिरावट आई है। इस गिरावट के दौर में किसान ने अपने अनाज में गिरावट नहीं आने दी। इसका इकोनॉमिक सर्वे में संकेत मिलता है। हरित क्रांति से लेकर अब तक भंडारण की समस्या को लेकर बहुत ढिंढोरा पीटा गया। इससे काम नहीं चलेगा। तथ्यहीन आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा और इस बहस से बाहर नहीं निकला जा सकता है। समाधान और नीति पर बहस होनी चाहिए। इस बहस का कोई नतीजा निकलेगा या नहीं? आज देश का किसान मानसिक पीड़ा से गुजर रहा है। शायद इसका सरकार सही आकलन नहीं कर रही है। मुझे इस बात का भरोसा है कि मंत्री जी इसका जवाब देंगे क्योंकि वह किसान घर में पैदा हुए हैं। मैं अपनी मां की दर्दभरी कहानी सुनाना चाहता हूं। मैंने अपनी मां को टेलीफोन किया। मेरी मां पढ़ी-लिखी नहीं है। मै छोटे किसान के घर में पैदा हुआ हूं। नीतिश भाई इस बात को जानते हैं। हमें निर्वाचन क्षेत्र फोन करने की सुविधा मिली है। मेरी मां ने मुझे फोन पर कहा कि 21 बोरा धान पड़ा है लेकिन उसे कोई लेने वाला नहीं है। मेरा सब कुछ चला जाएगा। तुम तो एम०पी० हो और तुम्हें तनख्वाह मिल जाएगी लेकिन मेरा घर और परिवार कैसे चलेगा? आज किसानों की समस्याओं पर बड़े जोर से बहस हो रही है। क्या दुनिया का कोई ऐसा देश है जहां किसान आत्महत्या कर रहा हो? क्या कारण है कि यहां के किसान आत्महत्या कर रहे हैं? किसी पक्ष के ऊपर जिम्मेदारी डाल कर आप इससे बच नहीं सकते और अपने दायित्व से बाहर निकल नहीं सकते। स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। क्या सरकारी उद्योग नीति और कृषि नीति में कोई तालमेल है? इस नीति को कौन चला रहा है? कोई अदृश्य ताकत इस नीति को चला नहीं है। आप इसका जवाब दें। आप विद्वान मंत्री हैं और काफी जानकार हैं। आप इसका जवाब दें। यदि कोई तालमेल है तो इस बार में सदन जानना चाहेगा।

देश में अनाज भंडारण की समस्या है। इसकी बड़े जोर से चर्चा होती है। चाहे स्टेट एजेंसी हो, एफ०सी०आई० हो या सी०डब्ल्यु०सी० हो, कुल मिल कर 445 लाख मीट्रिक टन के लगभग अनाज अभी गोदामों में है जबकी कैपेसिटी 465 लाख मीट्रिक टन की है। सरकार ने स्वयं घोषणा की थी लेकिन मैं उन आंकड़ों में जाना नहीं चाहता। इसका सरकार ने क्या जवाब दिया, मैं उसे पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

> "खाद्यान्नों की खरीद और बिक्री के स्तर के संदर्भ में अतिरेक की मात्रा में परिवर्तन होता रहता है। 31.1.2001 की स्थिति के अनुसार भंडारों की प्रतिदिन के रख-रखाव संबंधी दैनिक लागत बढ़कर 18 करोड़ रुपये हो गई।"

अपराह्न 5.09 बजे

[श्री पी०एच० पांडियन *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

सरप्लस अनाज पर 18 करोड़ रुपये खर्च हुए। आप टोटल कर लीजिए। आप मैथेमैटिक्स के प्रोफेसर हैं, विद्वान हैं। पी॰एच॰डी॰ पढ़े-लिखे लोग इसे जोड़ लें कि कितने करोड़ रुपया स्टोरेज पर खर्च हो रहा है? ऐसी रिपोर्ट संसदीय समिति की आई है। इसका विस्तार से जिक्र नहीं करना चाहता। बड़े जोर से हल्ला मचाया गया कि यह क्या हो गया लेकिन संसदीय समिति को यह अधिकार नहीं है कि वह सरकार को इनस्ट्रक्शन दे सके।

मैंडेटरी या आब्लिगेटरी सवाल उठता है। यह संसदीय स्थायी समिति का काम है, इसकी अहमियत का सवाल खड़ा होता है कि समिति को अधिकार है कि वह अपने सुझाव दे सकती है। यदि सरकार प्लान नहीं करती है, कोई योजना नहीं बनाती है तो जो अनाज गोदाम में पड़ा हुआ है, उसका क्या होगा क्योंकि इस मार्च में रबी की नई फसल आने वाली है। वह कहां रखी जायेगी? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। माननीय मंत्री जी इस सवाल का जवाब देंगे कि आने वाली रबी की फसल को युद्ध स्तर पर रखने के लिये और पहले वाले अनाज के डिस्पोजल के लिये क्या तरीका अपनाया जायेगा। समिति ने सड़े हुये अनाज को निकालने के लिये सुझाव दिया था। इन गोदामों में 2 लाख 5 हजार 520 मीट्रीक टन अनाज पड़ा है जो कैटल फीड के लायक भी नहीं है। इस बात के लिये शर्म आ रही होगी कि इस सड़े हुये अनाज को कहां फेंका जाये। यदि फेंकेंगे तो बदनामी होगी। आप बदनामी मत करिये। आप अपने ह्रदय पर हाथ रखकर जरा विचार करें कि आगे वाला अनाज कहां रखा जायेगा और सड़ा हुआ अनाज अंदर रखा जायेगा। इस स्टोर किये अनाज पर प्रति किलो 1.37 रुपये खर्च आ रहा है। जब सड़ा हुआ अनाज कैटल फीड के लायक नहीं तो ह्युमन कंजम्पशन के लिये कहां से होगा? सरकार ने पिछले साल 3 हजार करोड़ रुपये की सबसिडी बचाने के लिये डैमेज्ड फूडग्रेन पर 6 हजार करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। इसलिये सरकार को इस पर विचार करना चाहिये। फूड मिनिस्टर को यहां रहना चाहिये था। मैंने भी गंभीरतापूर्वक कहा था कि इस पर बहस होनी चाहिये। आपने 3 हजार करोड़ रुपया बचाया, बी॰पी॰एल॰ के लोगों पर एकतरफा सबसिडी कट की लेकिन एफ॰सी॰आई॰ पर नहीं कट लगाई। स्टोरेज हैंडलिंग कास्ट पर कटाव क्यों नहीं किया गया। इसका कारण यह है कि नौकरशाही इस पर हावी है, उसको छू नहीं सकते लेकिन गरीब किसान निरीह है, लाचार है इसलिये उसकी फूड सबसिडी काट दी। आपने दाम 5 रुपये प्रति किलो बढ़ा दिये। सारा आफटेक लिफ्टिंग नहीं हुआ। अकेले बिहार में 30 परसेंट, उत्तर प्रदेश मे 35 परसेंट, कर्नाटक में 25 परसेंट और सारे देश में बी॰पी॰एल॰ का गरीबी रेखा ने नीचे वालों के लिये घट गया। जब घट जायेगा तो सारा अनाज गोदाम में जमा हो जायेगा। ए॰पी॰एल॰ का अनाज तो शून्य उठान तक पहुंच गया। इससे भंडारण की प्राब्लम और स्टोर्ज की प्राब्लम उठ गई। इसका कारण यह है कि एफ॰सी॰आई॰ ने कालबद्ध तरीके से नहीं किया। यदि कालबद्ध तरीके से एफ॰आई॰एफ॰ओ॰ किया होता कि जो अनाज पहले आया, उसको पहले निकालना था इसकी अनुपालना नहीं की गई।

सभापति महोदय; प्रोक्योरमेंट की बात है। कल श्री रघुनाथ झा बोल रहे थे कि इस बार प्राक्योरमेंट कम हुआ है। माननीय मंत्री जी उस राज्य से आते हैं। उन्होंने कहा था कि 7 दिन के अंदर संबंधित मंत्री को अवगत करा देंगे कि बिहार में धान की प्रोक्योरमेंट में 123 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ लेकिन केवल 5 हजार मीट्रिक टन की खरीद की गई। हमने कभी नहीं कहा कि आन्ध्र प्रदेश और पंजाब को रिलैक्स मत करिये, पूरे देश के किसानों को राहत दीजिये। क्या बिहार के साथ अन्याय नहीं किया गया है? यह सवाल हम मंत्री जी पर छोड़ देते हैं। हमें कल जनता को जवाब देना पड़ेगा कि बिहार में और झारखंड में प्रोक्योरमेंट लैस क्यों हुआ? बिहार में केवल 40 प्रोक्योरमेंट केन्द्र खोले गये थे। क्या 123 लाख मीट्रिक टन में से केवल 5 हजार मीट्रिक टन खरीदने के लिये? माननीय मंत्री जी ने कहा था कि कोशिश करेंगे लेकिन हमारी दृष्टि में इतना सफल नहीं हुये। इस सारे प्रकरण पर प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया। एक बार सभी माननीय सदस्यों ने इस मामले को उठाया, हल्ला किया गया लेकिन इसका हल आज तक नहीं निकला है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि इस प्रकरण पर माननीय मंत्री जी एक कमेटी बनाये, इसकी जांच करे कि यह भेदभाव बिहार के किसानों के साथ क्यों किया गया? किसान चारों तरफ से चिल्ला रहे हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज किसान-किसान चिल्ला रहे हैं। राजनीति, नौकरी, व्यापार और आर्थिक संरचना आज किसान विरोधी नहीं है, यह पहले भी थी। मै आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं निरपेक्ष रूप से बोलूंगा। पहले से ही ये नीतियां चली आ रही हैं जो किसानों के हित में नहीं है और आज भी नीतियां उसी तरह से टिकी हुई हैं। दिल और दिमाग में जब उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के समर्थन की बात रहेगी तो किसानों का भला मेरी दृष्टि में संभव नहीं है। इसीलिए मैंने इस पर साफ कहा था। बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़े जोर से कहा है और माननीय प्रधान मंत्री जी ने ठीक कहा है, जब मार्ग्रेट आल्वा जी बोल रही थीं तो अभी हमारे कृषि मंत्री जी ने भी जवाब दिया था कि खेती को डाइवर्ट किया जा रहा है। हम आज तक यह समझ नहीं पाये कि जो किसान गेहूं, चावल से हटकर दूसरी फसलों पर ध्यान देगा, उस किसान को अपने खेत को उसी तरह से तैयार करना होगा। कमर्शियल फसलों के लिए खेत की तैयारी उसी तरह से करनी होंगी। क्या किसान तैयार है। इस घोषणा द्वारा इस संकेत के देने के पहले और कमर्शियल फसलों के मामले में बहुत आगे महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कमर्शियल फसलों को उपजाने में किसान लगे हैं और आज सबसे ज्यादा आत्महत्याएं इन्हीं प्रदेशों में हो रही है, उनका क्या कारण है। कमर्शियल फसलों की मार्केटिंग की ऑल्टरनेटिव व्यवस्था हम नहीं कर पाये। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक मार्केटिंग की ऑल्टरनेटिव व्यवस्था, भंडारण और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था और जमीन को तैयार करने में उसके बीज के लिए और वाटर मैंनेजमैंट के लिए जब तक ऑल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं होती है, तब तक जो किसान गेहूं और धान उगाने में लगा हुआ है, अचानक

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

उसे कह दीजिए कि आप ध्यान हटाइये, आपको दूसरी फसल लगानी है, वह एकदम से कैसे करेगा। हमारी समझ में नहीं आता है, यदि मंत्री जी आपको समझ में आता है तो कृपया हमें भी समझाइये। जो गेहूं और चावल की फसल होती हैं वे एक फसल होती है। कई जगह धान और बाढ़ के चलते एक ही फसल होती है, वहां सब फसल नहीं हो सकती हैं। आप चाहे कैसे मुआयना कर लीजिए, किसान कैसे दूसरी फसल के लिए तैयार हो जायेगा।

सभापति महोदय, कोल्ड स्टोरेज के अभाव में आज भी 30-35 परसेन्ट सब्जियां बरबाद होती हैं और जो कमर्शियल ग्रेंस और कमर्शियल क्रॉप्स है, क्या उनका लाभकारी मूल्य किसानों को मिल पाता है। किसान किस लोभ में फसल बदल देगा। खेती तो घाटे का व्यवसाय है ही, हम जानना चाहते हैं कि क्या आपने किसान को लाभकारी मूल्य दिलाना गारंटी किया है। यदि आपने ऐसा किया है तो किसान उसे सहर्ष स्वीकार कर लेगा। आपका कहना हम समझ रहे हैं आप किधर इशारा करेंगे। आप कहेंगे कि हमारा खाद्य तेल का आयात हो रहा है, उसे रोकना है, जरा सा उसे चेंज करना है, ताकि हम आत्मनिर्भर होंगे और दूसरे देशों से खाद्य तेल नहीं मंगायेंगे। देश में खाद्य तेल की 15 लाख टन की जरूरत है और आप 43 लाख टन मंगाते हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है।

सभापति महोदय बजट में वित्त मंत्री जी ने किसानों के लिए क्रैडिट कार्ड के विषय में कहा है और अन्य उपायों में बीमे के जरिये किसानों की पूंजी की कमी दूर करने का प्रयास किया है। मैं इसके लिए सरकार को धन्यावाद देता हूं। क्रैडिट कार्ड के द्वारा आपने पूंजी की बात की है, कोल्ड स्टोरेज के लिए भी आपने कहा था कि 78 करोड़ का ऋण देंगे। लेकिन जो किसानों की मौलिक और बुनियादी जरूरत है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। जबकी बजट में इकोनोमिक ग्रोथ पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। किसानों को सूखे और बाढ़ से बचाने में दीर्घकालीन ठोस योजना का कोई जिक्र नहीं है। बजट में किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के विषय में और कृषि उत्पादन में कोई स्थाई तौर पर कोई स्कीम का जिक्र नहीं है। आयात से बचाने का मामूली प्रयास किया गया है। लेकिन डब्ल्यू॰टी॰ओ॰ के प्रावधान से किसानों को सुरक्षा मिले, इसका कोई उपाय बजट में नहीं किया गया है। खेतिहर मजदूरों में जो बेरोजगारी व्याप्त है, उसके विषय में नहीं कहा गया है। उदारीकरण का प्रथम चरण 1991 से 2000 तक हो गया है और वर्ष 2001 से दूसरा चरण चलेगा, जिसे सख्ती से लागू किया जायेगा, यह खतरे की बात है। प्रथम फेस में दो बातें हुई— उत्पादकता में गिरावट आई है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में ह्रास हुआ है। इकोनोमिक सर्वे ऑफ इंडिया में इसका संकेत स्पष्ट है। मैं आंकड़ों में जाना नहीं चाहता हूं, समय कमी है। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसके प्राइस में बेतहाशा गिरावट हुई है।

कीमतों के क्षेत्र में दोतरफा मार किसानों को पड़ रही है। एक तरफ समूचे देश में कारखानों के उत्पादक चीजों के दाम बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ किसान की पैदावार का दाम घट रहा है। जहां तक कृषि मंत्री जी की कृषि नीति का सवाल है, उसकी परछाई बजट में पूरे तौर पर है। राष्ट्रीय कृषि नीति की तीन मान्यताएं हैं। एक है कृषि को उद्योग और व्यापार बनाया जाए जो भारतीय कृषि परंपरा के पक्ष में नहीं हैं। दूसरा, भारी पूंजी भी कृषि में निवेश करने की जरूरत है, और तीसरा, कृषि में तकनीकी विकास की जरूरत है।

सभापति जी के आदेश का पालन करते हुए मैं अपना अंतिम सुझाव सब्सिडी के बारे में देता हूं। आज बुनियादी जरूरत है कि किसानों को लाभप्रद मूल्य दिया जाए, कृषि उत्पादन बढ़े और किसान ऋणमुक्त हों तथा अपने पैरों पर खड़े हों, उस दिशा में प्रयास की जरूरत है। अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया और कई यूरोपीय देश हर साल अपने देश में 363 अरब डालर की सब्सिडी देते हैं। वहां किसानों को इतनी सब्सिडी दी जाती है कि उनके उत्पाद के मुकाबले में भारतीय किसान का उत्पाद नहीं ठहरता है। इसलिए किसानों की राजसहायता में जो कमी हो रही है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है।

अंत में मैं प्लानिंग कमीशन की बात करना चाहता हूं। प्लानिंग कमीशन ने आंकड़ों में अचानक रातोंरात गरीबी घटा दी है। इन्होंने नेशनल सैम्पल सर्वे को बदल दिया। लकड़ावाला कमीशन में लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति बनी थी और उसके जरिये 1993-94 में जो नेशनल सैम्पल सर्वे हुआ, उसके जरिये यह स्पष्ट रूप से आकलन किया गया कि गरीबी रेखा के नीचे 35.97 प्रतिशत लोग हैं। करीब 36 प्रतिशत लोगों को गरीबी रेखा के नीचे आंका गया और आज अचानक ही वह 26 प्रतिशत हो गया और बजट में इसका संकेत किया गया है। 10 प्रतिशत गरीबी घट गई एक साल में। डेढ़ साल में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की संख्या ही घटा दी गई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि संख्या ही घट गई। इस तरह से आंकड़ों में गरीबी घटाने से गरीब लोगों की चिन्ता नहीं हो सकती है। इसलिए आंकड़ों में तौर-तरीकों का पता लगाया कि कैसे गरीबी घटी तो कहा कि तौर-तरीका बदल दिया। पहले एक साल का ऐवरेज लिया जाता था और अब 30 दिन का ऐवरेज लिया गया और घटाकर 26 प्रतिशत बना दिया। यह बहुत गलत है। प्लानिंग कमीशन पर हमारा बस नहीं है लेकिन मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसे देखें। प्लानिंग कमीशन के इन तथ्यों को हम चुनौती देते हैं और प्लानिंग कमीशन की प्रासंगिकता आज घट गई है। गरीबों के साथ उसने जालसाजी की है। एक साल में आंकड़े कैसे घट जाएंगे? 26 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे रह गए? क्या पावर्टी ऐलिवियेशन हो गया या क्रयशक्ति बढ़ गई है? क्या उनको जो 2400 कैलोरी का भोजन मिलना चाहिए था, वह उनको मिलने लगा है। वह कैसे घटा, यह समझ में नहीं आया। पूरे देश में किस तरह से सर्वे किया, इस पर जांच के लिए प्लानिंग कमीशन के ऊपर एक कमीशन और बैठाना चाहिए क्योंकि गरीबों के खिलाफ यह काम हुआ है। गरीब लोगों के आंकड़ों को गलत बताया जा रहा है। मैं किसी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं कर सकता इसलिए मैंने इस मामले को यहां उठाया।

अंत में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। बजट में माननीय मंत्री जी ने सूखे और बाढ़ से किसानों को बचाने के लिए प्रावधान नहीं

किया है। मंत्री जी कोशिश करें कि किसानों को उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य मिले ताकि किसान आत्महत्याएं न करें और डब्ल्यू०टी०ओ० के प्रवधान से विदेशी प्रतियोगिता में किसानों को बचाने का कोई सुझाव मंत्री जी सुझाएं यही मेरा निवेदन है।

अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं। इस देश में फूड सिक्यूरिटी की बहुत जरूरत है।

सभापति महोदय, खाद्य सुरक्षा के बिना कुछ नहीं हो सकता। अब इस देश में हिन्दू-मुस्लिम राइट नहीं होंगे बल्कि यदि कोई ठीक व्यवस्था नहीं हुई, तो फूड राइट होगा। खाद्य सुरक्षा देश को मिलनी चाहिए। आज स्थिति यह है कि सरकार के गोदाम अनाज से भरे हुए हैं, लेकिन गांवों में लोग दाने-दाने को तरस रहे हैं। इसलिए फूड सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। यह बुनियादी मामला है। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।. . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब आपको पता चला कि वहां से बोलना कितना कठिन है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सभापति महोदय, चूंकि आपका आदेश है कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं और चेयर का आदेश सर्वोपरि होता है। इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करते हुए अन्त में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि-

"एक-दो जख्म हों, तो बताऊं सारा बदन है छलनी
दर्द बेचारा किसानों का परेशां है, उठूं तो कहां से।"

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : सभापति महोदय, मैंने एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर सभा का ध्यान आकर्षित किया था और मांग की थी कि आज इस सभा के समक्ष उठे सवालों पर सरकार को अपना वक्तव्य अवश्य देना चाहिए क्योंकि इस सरकार के हाथों में राष्ट्रीय सुरक्षा दांव पर लग चुकी है. . .*व्यवधान*

सभापति महोदय : आप यह मुद्दा पहले ही दो बार उठा चुके हैं। आप इसे क्यों उठा रहे हैं? आप पहले ही दो बार उठा चुके हैं। कृपया बैठ जाइए। आप पहले ही दोबार इस मुद्दे को उठा चुके हैं और सरकार ने इसे नोट कर लिया होगा।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सभापति महोदय, हम किसानों के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, फिर भी, हम सत्तापक्ष के लोगों का हस्तक्षेप चाहते हैं और हम चाहते हैं कि बैठक समाप्त होने के पूर्व सरकार सभा में वक्तव्य दे. . .*(व्यवधान)* राष्ट्रीय सुरक्षा दांव पर लगी है . . .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप पहले ही इस मुद्दे को दो बार उठा चुके हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सदस्य मैं पहले ही इस मुद्दे को दो बार उठाया है। आप इसे सुबह भी उठा चुके हैं। कृपया बैठ जाइए। आपने इसे सुबह भी उठाया और आपने इसे कई अन्य अवसरों पर भी उठाया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपने इसे सुबह भी उठाया है।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सभापति महोदय, समता पार्टी के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री कार्यालय सभी का आज खुलासा हो गया. . .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह किसान समुदाय के लोगों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप इसे दो बार उठा चुके हैं। आपने पहले ही सभा का ध्यान आकर्षित कर लिया है और अब बस कीजिए। कृपया बैठ जाइए। कृपया आपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया किसानों के मुद्दे पर चर्चा होने दें। कृपया मुझे बोलने दें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मुझे बोलने दें।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सरकार को अपना वक्तव्य देने दें . . .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मुझे बोलने दें ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री दासमुंशी और श्री सिंधिया, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप मुझे बोलने दें। अब, हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, और वह है, किसानो का मुद्दा।

आप पहले ही इस मुद्दे को दो बार उठा चुके हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपने इसे पहले ही उठाया है और मैं इसके बारे में आपको सूचित करूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, क्या आप अपना स्थान ग्रहण नहीं करेंगे?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या आप चाहते हैं कि किसानों के मुद्दे पर चर्चा जारी रहे?

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) **:** महोदय, यह राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है. . .*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न है. . .*(व्यवधान)* महोदय, हम सरकार से जानना चाहेंगे कि . . .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अपराह्न 5.31 बजे

इस समय सत्यव्रत चतुर्वेदी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : आपको एक प्रक्रिया का अनुपालन करना चाहिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री दासमुंशी जी ने इस संबंध में पहले ही सभा का ध्यान प्रात: एक बार और दोपहर में पुन: एकबार आकृष्ट किया है। उन्होंने इसे दो बार उठाया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कार्यवाही में बाधा डालने का यह तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको कार्यवाही में बाधा नहीं डालना चाहिए। हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं — किसानों का मुद्दा। आपको इसे प्राथमिकता देनी चाहिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आज कुछ भी होने जा रहे हैं। आप इसे कल उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप इसे कल उठा सकते हैं। आप किस विषय के तहत इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कोई नियम नहीं है। कृपया अपनी सीट पर जाइए। आप अपनी सीट पर जाइए और मुझे कहिए कि आप किसानों के मुद्दे पर चर्चा में भाग नहीं लेना चाहते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या आप किसानों के मुद्दे पर चर्चा में भाग नहीं लेना चाहेंगे?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप इस मुद्दे को कल उठाइए, आप इसे अभी कैसे उठा सकते है?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या आप लोग कृपया अपनी सीट पर जाएंगे? हम यहां किसानों के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। मैं पुन: यह दुहराता

हूं कि आज हम किसानों के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। आप इसे कल उठाएं। आप इसे अचानक नहीं उठा सकते।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या यही तरीका है? यह तरीका नहीं है। आपको अवश्य एक प्रक्रिया का अनुपालन करना चाहिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप एक प्रक्रिया का अनुपालन करें। आप किसानों को गलत संदेश दे रहे हैं। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया आप यह पुस्तक मुझे दें। मुझे इसे पढ़ने दें और तब मैं देखूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया आप यह पुस्तक मुझे दें। मैं इसे पढूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको सरकार को समय देना चाहिए और पीठासीन अधिकारी को भी समय देना चाहिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : पीठासीन अधिकारी कैसे अनुमति दे सकता है? पीठासीन अधिकारी शीघ्र अनुमति नहीं देता है। इसके आपको पहले सरकार को सूचित करना चाहिए। आपकी रिपोर्ट की एक कॉपी अवश्य दिखानी चाहिए जिसका उल्लेख किया जा रहा है। यदि वे संतुष्ट होंगे, तो उसका जवाब देंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह उचित नहीं है। मैं रिपोर्ट की सच्चाई जानने में समर्थ कैसे होऊंगा। मैं नहीं जानता यह सही है या गलत। अपनी सीट पर जाएं। आपको प्रक्रिया का पालन अवश्य करना चाहिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप इसे कल उठा सकते हैं। मैं विपक्ष के नेताओं से अनुरोध करूंगा कि वे अपने सदस्यों को अपना स्थान ग्रहण करने के लिए कहें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह संसदीय प्रक्रिया नहीं है। आप रिपोर्ट मुझे दें। पहले मुझे इसकी सच्चाई से संतुष्ट होने दें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि आप कृषि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा नहीं चलने देंगे तो सभा को स्थगित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्या आप सभा को स्थगित कराना चाहते हैं?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है लेकिन सभा को स्थगित करने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। आप क्या चाहते हैं, स्थगन या चर्चा?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मेरे पास कोई विकल्प नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 5.40 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 14 मार्च, 2001/ 23 फाल्गुन, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी०एल०एस०-48/15/13/2001 (एन०)
280

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।